

THE FREE INDOLOGICAL COLLECTION

WWW.SANSKRITDOCUMENTS.ORG/TFIC

FAIR USE DECLARATION

This book is sourced from another online repository and provided to you at this site under the TFIC collection. It is provided under commonly held Fair Use guidelines for individual educational or research use. We believe that the book is in the public domain and public dissemination was the intent of the original repository. We applaud and support their work wholeheartedly and only provide this version of this book at this site to make it available to even more readers. We believe that cataloging plays a big part in finding valuable books and try to facilitate that, through our TFIC group efforts. In some cases, the original sources are no longer online or are very hard to access, or marked up in or provided in Indian languages, rather than the more widely used English language. TFIC tries to address these needs too. Our intent is to aid all these repositories and digitization projects and is in no way to undercut them. For more information about our mission and our fair use guidelines, please visit our website.

Note that we provide this book and others because, to the best of our knowledge, they are in the public domain, in our jurisdiction. However, before downloading and using it, you must verify that it is legal for you, in your jurisdiction, to access and use this copy of the book. Please do not download this book in error. We may not be held responsible for any copyright or other legal violations. Placing this notice in the front of every book, serves to both alert you, and to relieve us of any responsibility.

If you are the intellectual property owner of this or any other book in our collection, please email us, if you have any objections to how we present or provide this book here, or to our providing this book at all. We shall work with you immediately.

-The TFIC Team.

वीर	सेवा	मन्दिर	
	दिल्ल	îì	
	*		
	22	ا الم	
म संख्या ।	x3. 4	1	
ाल नं०	ر د د	संउपर	71
। गर			

जैनधर्म श्रोर विधवा विवाह

(प्रथम भाग)

लेखक:--

श्रीयुत ''सव्यसाची"

प्रकाशकः--

दौलतराम जैन, मंत्री नैन वाल विथवा सहायक सभा दरीवा कलाँ, देहली

शान्तिचन्द्र जैन के प्रवन्ध से "चैतन्य" प्रिन्टिङ्ग प्रेस, विजनीर में छुपी।

प्रथम वार) पौष (मृल्य २०००) वीर नि० सम्बत् २४५५ (्र)।

* धन्यवाद *

इस द्रै कृ के छुपवाने के लिये निम्न लिखित महानुभावों ने सहायता प्रदान की है, जिनको सभा हार्दिक घन्यवाद देती है। साथ ही समाज के अन्य स्त्री पुरुषों से निवेदन करती है कि वे भी निम्न श्रीमानों का अनुकरण करके श्रीर अपनी दुखित बहिनों पर तरस खाकर इसी प्रकार सहायता प्रदान करने की उदारता दिखलावें:—

- १०) लाला दौलनराम जैन, कटरा गौरीशंकर देहली।
- १०) लाला केमरीमल श्रीराम चावल वाले दंहली।
- १०) लाला शिखरचन्द्र जैन ।
 - प) लाला कश्मीगीलाल पटवारी बदर्खावाले डाकखाना छुपरोली।
- १०) मुस्तद्दीलाल लेखराज कसेरे मेरठ छावनी ।
- १०) गुप्तदान (एक जौहरी)।
- १०) गुन्नदान (एक बाबू साहिब)।
- १०) गुप्तदान (एक जौहरी)।
- १०) गुप्तदान एक ठेकेदार)।
 - ५) गुप्तदान (एक सराफ़)।
- १०) गुप्तदान (एक गोटेवाले)।
- १०) ला० अञ्चलाल शिवसिंहराय जैनी, शादरा देहली

११०) कुल जोड़

नम्र निवेदन

यह पाठकों से छिपा नहीं है कि विधवा विवाह का प्रश्न दिन २ देश ज्यापी होता जा रहा है। एक समय था कि जब विधवा विवाह का नाम लेने ही में लोग भय खाते थें: श्राज यह समय आगया है कि सब से पीछे रहने वाले सनातन धर्मी और जैन धर्मा बड़े २ विद्वान भी इसका प्रचार करने में नन मन और धन से जटे हुए दिखाई पडते हैं। यह देश के परम सौमाग्य की बात है कि अब सर्व साधारण को विधवा विवाह के प्रचार की ब्रावण्यका का अनुभव हो चला है। यद्यपि कही २ थोडा २ इसका विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन सभ्य श्रीर शिचित समाज के सामने उस विरोध का श्रय कोई मुल्य नहीं रहा है। जैन समाज में भी यह प्रश्न ज़ोरों से चल रहा है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इस विषय पर निर्णय करने के लिये जैन समाज के परम विद्वान, श्रीचल भारतवर्षीय सनातन धर्म महा सभा द्वारा 'विद्या वारिधि' की पदवी सं विभूषित श्रीमान पं० चम्पतराय जी जैन वार-एट-ला, हरदोई ने जैन समाज के सामने कुछ त्रश्न हल करने को श्रीमान साहित्य रत्न पं० दरवारोलाल जी न्यायर्तार्थ हारा सम्मादित स्प्रसिद्ध पत्र "जैन जगन" (त्रज-मर) में प्रकाशित कराये थे । इन प्रश्लों को श्रीयृत "सब्य माची महोदय ने इसी पत्र में वडी यांग्यता में हल किया हैं कि जिसका उत्तर देने में लोग अब तक असफल रहे हैं। हम चाहते हैं कि समभदार जैन समाज पत्तपात को त्याग कर श्रीयृत 'सव्यमाची' की विद्वना से लाभ उठाये। श्रतः

"श्री बैरिस्टर साहब के प्रश्नों का उत्तर" जैंन जगत (श्रक्रमेर) से उद्धत करके ट्रेकृ रूप में जैन समाज के लाभार्थ प्रकाशित किया जाता है। जो जैनी भाई विश्ववा विवाह के प्रश्न से डर कर दूर भागते हैं उनको चाहिये कि वे कृपा करके इस ट्रेकृको श्रवश्य पढ़ लेवें। श्राशा की जाती है कि जो जैन बन्धु झाना वरणी कर्मों के उद्य से "विश्ववा विवाह" को बुरा समभते हैं श्रीर समाज सुधार के श्रभ कार्य में श्रन्तराय डाल कर पाप कर्म के भागी बनते हैं, उनको इसकी स्वाध्याय कर लेने पर विश्ववा विवाह की वास्तविकता का सच्चा स्वरूप सहज ही में दर्पणवत् स्पष्ट दीखने लग जावेगा।

श्रीयुत ''सन्य साची'' महोद्य द्वारा दिये हुए उत्तर को जैन जगत में पढ़कर कल्याणी नामक किसी बहन की इसी पत्र में एक चिट्टी छपी है। उस चिट्टी में बहन कल्याणी ने श्री 'सन्य साची' जी से कुछ प्रश्न भी किये हैं। इन प्रश्नों का उत्तर भी श्री० 'सन्यसाची' जी ने उक्त 'जैन जगत' में छपबाये हैं। लिहाज़ा, बहन कल्याणी का पत्र व श्रीयुत सन्य साची द्वारा दिया हुआ इसका उत्तर भी इसी ट्रेकृ में 'जैन जगत' से लेलिया गया है। जो बातें पूर्व में रह गई थीं, वे प्रश्न करके बहन कल्याणी ने लिखवादी हैं।

यह बात नहीं है कि यह ट्रैंकृ केवल जैनियों के ही लिये लाभदायक हो, बिल्क जैनेतर बन्धु भी इसमें प्रकाशित विधवा विवाह की समर्थक युक्तियों से लाभ उठाकर विरोधियों को मुँह तोड़ उत्तर दे सकते हैं। किस उत्तमता के साथ धर्म चर्चा की गई है, यह बात इसके स्वाध्याय से ही मालूम होगी।

— मन्त्री

जैनधर्म ऋौर विधवा विवाह



प्रश्न (१)—विधवा विवाह से सम्यग्दर्शन का नाश हो जाता है या नहीं ? यदि होता है तो किसका ? विवाह करने कराने वालों का या पूरी जाति का ?

उत्तर—विधवा विवाह से सम्यग्दर्शन का नाश नहीं हो सकता। सम्यग्दर्शन अपने आत्मस्वरूप के अनुभव का कहते हैं। आत्मस्वरूप के अनुभव का, विवाह शादी से कार्द्र ताल्नुक नहीं। जब सातवें नरक के नारकी और पाँचों पाप करने वाले प्राणियों का सम्यग्दर्शन नष्ट नहीं होता तब, विधवा विवाह तो ब्रह्मचर्याणुवत का साधक है उससे सम्यक् दर्शन का नाश कैसे होगा ? विधवा विवाह अप्रत्याख्याना-वरण कषाय के उद्य से होता है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय से सम्यग्दर्शन का घात नहीं हो सकता।

कहा जा सकता है कि विधवा विवाह को धर्म मानना तो मिथ्वात्व कर्म के उदय से होगा, और मिथ्यात्व कर्म सम्यग्दर्शन का नाश करदेगा। इसके उत्तर में इतना कहना वस होगा कि यों तो विधवा विवाह ही क्यों, विवाह मात्र धर्म नहीं हैं: क्योंकि कोई भी प्रवृत्तिरूप कार्य जैन शास्त्रों की ऋपेक्षा धर्म नहीं कहा जा सकता। यदि कहा जाय कि विवाह सर्वथा प्रवृत्यात्मक नहीं हैं किन्तु निवृत्यात्मक भी हैं, ऋर्थात् विवाह सं एक स्त्री में राग होता है तो संसार की बाकी सब खियों से विराग भी होता है। विराग श्रंश धर्म है, जिसका कारण विवाह है। इस लिए विवाह भी उपचार से धर्म कह-लाता है। तो यही बात विधवा बिवाह के बारे में भी है। विधवा विवाह से भी एक स्त्री में राग श्रौर बाकी सब खियों में विराग पैदा होता है। इस लिये कुमारी विवाह के समान विधवा विवाह भी धर्म है।

यदि कहा जाय कि शास्त्रों में तो कन्या का ही विवाह लिखा है, इस लिए विधवा विवाह, बिवाह ही नहीं हो सक्ता, तो इसका उत्तर यह है कि शास्त्रों में विवाह के सामान्य लक्तल में कन्या शब्द का उल्लेख नहीं है। राजवार्तिक में लिखा है-"सद्वेयचारित्रमोहोदयाद्विवहने विवाहः"-माता वेदनीय श्रौर चारित्र मोहनीय के उदय से ''युरुप का स्त्री को श्रीर स्त्री का पुरुष को स्वीकार करना " विवाह है। ऊपर जिस सिद्धान्त से विवाह धर्म-साधक माना गयाहै.उसी सिद्धान्त से विधवा विवाह भी धर्ममाधक सिद्ध हुआ है। इसलिए चरणात्रयोग शास्त्र ऐसी कोई श्राक्षा नहीं दे सकता जिसका समर्थन करणानयोग शास्त्र से न होता हो । राज-वार्तिक के भाष्य में तथा ऋन्य यंथों में जो कन्या शब्द का उल्लेख किया गया है, बह तो मुख्यता को लेकर किया गया है। इस तरह मुख्यता को लेकर शास्त्रों में सै कड़ों शब्दों का कथन किया गया है। इसी विवाह प्रकरण में विवाह योग्य कन्या का लब्स क्या है, वह भी विचार लीजिए। त्रिवर्साचार में लिखा है—

> श्रन्यगोत्रभवां कन्यामनातङ्कां सुलत्तसाम्। श्रायुष्मतीं गुसाद्व्यां च पितृदत्तां वरेद्वरः ॥

श्रर्थात् —दूसरे गोत्र में पैदा हुई, नीरांग, श्रच्छे लक्तरण वाली, श्रायुष्मती, गुणशालिनी श्रीर पिता के द्वारा दी हुई कन्या को वरण करे।

यदि कन्या बीमार हो, या वह जल्दी मर जाय, तो क्या उसका विवाह अधर्म कहलायगा? जिस कन्या का जिता मर गया हो तो उसे कीन देगा श्रोर क्या उसका विवाह अधर्म कहलायगा? यदि यह कहा जाय कि पिता का तात्पर्य गुरुजन से है तो क्या यह नहीं कहा जा सकता कि कन्या का तात्पर्य विवाह योग्य स्त्री से हैं? कुमारों के श्रितिरक्त भी कन्या शब्द का प्रयाग हाता है। दि० जैनाआर्य श्रीधरसेनहत विश्वलोचन कोष में कन्या शब्द का श्र्य कुमारी के श्रितिर स्त्री लिमानय भी किया गया है। 'कन्या कुमारिका नार्यो गिशामेदोपधीभिदोः।' (विश्वलोचन, यान्तवर्ग, श्रांक प वाँ)। इसी तरह पद्मपुराण में भी सुश्रीव की स्त्री सुतारा को उस समय कन्या कहा गया है जब कि वह दो बच्चों भी मां हो गई थी। 'केनापायेन तां कन्यां लास्य निर्वतिदायिनीं॥'

सुतारा को कन्या कहने का मतलब यह है कि साहस-गति विद्याधर उसे ऋपनी पत्नी बनाना चाहता था । धर्म संग्रह श्रावकाचार में देवाङ्गनाओं को भी कन्या कहा है—

एवं चतुर्थ वीथीषु नृत्यशालादयः स्मृताः । परमत्र प्रनृत्यंति वैमाना मरकन्यकाः॥

देवाङ्गनाओं को कन्या इसी लिए कहा जाता है कि वे एक देव के मरने पर दूसरे देव की पत्नी वन सकती हैं। अगर कन्या शब्द का श्रर्थ कुमारी ही रक्खा जावे तो दीचान्वय किया में स्त्री पुरुष का पूनर्विवाह संस्कार कैसे होगा?

पुनर्त्रिवाह संस्कारः पूर्वः सर्वोस्य संमतः । सिद्धार्चनां पुरस्कृत्य पत्न्याः संस्कारमिच्छतः। —श्रादिपुराण ३९ वाँ पर्व । ६० वाँ स्रोक ।

त्रधीत्—जब कोई श्रजंन पुरुष जैनधर्म की दीना से तो उसका श्रीर उसकी स्त्री का फिर विवाह करना चाहिए। जो लोग कन्या का श्रर्थ कुमारी ही करेंगे उनके मत से उस पुरुष की पत्नी का विवाह कैसे होगा ? क्या भगविज्ञनसेना-चार्य के द्वारा बताया गया पुनर्विवाह भी श्रध्म है ?

इससे साफ माल्म होता है कि शास्त्रों में कन्या शब्द कुमारी के लिए नहीं, किन्तु विवाह योग्य स्त्री के लिय आया है। शास्त्रों में विवाह का कथन आदर्श या बहुलता को लेकर किया गया है। सागारधर्मामृत में कन्या के लिए निर्दोष विशेषण दिया गया है। निर्दोष का अर्थ किया है—सामृद्रिक शास्त्र के अनुसार दोषों से गहत । परन्तु ऐसी बहुत थोड़ी ही कन्याएं होंगी जिनमें सामृद्रिक शास्त्र के अनु-सार दोष न हो। तो क्या उनका विवाह धर्म विरुद्ध कह-लायगा ? इस लिये जिस प्रकार कन्या के स्वरूप में उसके अनेक विशेषण अनिवार्य नहीं हैं उसी प्रकार विवाह के लच्चा अंग किया में करणानुयाग की दृष्टि में कोई अन्तर नहीं है, जिसके अनुसार कन्या और विधवा के लिये जुदी जुदी दो आक्षाएं बनाई जामं। जो लोग कन्या शब्द को अनुचित महत्व देना चाहते हों उनको समभना चाहिये कि कन्या शब्द का अर्थ कुमारी नहीं, किन्तु विवाह योग्य स्त्री है । इस तरह भी विश्ववा विवाह श्रागम की श्राज्ञा के प्रतिकृत नहीं हैं। इस लिये उसका मिथ्यात्व के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है जिससे वह सम्यग्दर्शन का नाशक माना जा सके।

प्रश्न (२)—पुनर्विवाह करने वाले सम्यक्त्वी होने पर स्वर्ग जा सकते हैं या नहीं ?

उत्तर—जा सकते हैं। जब पुनर्विवाह ब्रह्मचर्य श्रणु-बत का साधक है तब उससे स्वर्ग जाने में क्या बाधा है? स्वर्ग तो मिध्यादिष्ट भी जाने हैं, फिर विधवा विवाह करने वाला तो श्रपनी पत्ती के साथ रहकर सम्ययदिष्ट श्रीर छुटवीं प्रतिमा तक देशवती श्रावक भी हो सकता है श्रीर पीछे मुनिवत ले ले तो मोच को भी जा सकता है। विधवा विवाह मोचमार्ग में उतना ही बाधक है जितना कि कुमारी विवाह! स्वर्ग में दोनों ही बाधक नहीं हैं। दोनों से सोलहवें स्वर्ग तक जा सकता है। राजा मधुने चन्द्रामा को रख लिया था,फिर भी वह मरकर सोलहवें स्वर्ग गई। पहिले प्रश्न के उत्तर से इस प्रश्न के उत्तर पर पूरा प्रकाश पड़

प्रश्न (३)—विधवा विवाह से निर्यञ्च श्रीर नरक गनि का बंध होता है या नहीं ?

उत्तर—विधवाविवाह से तिर्यञ्ज श्रोर नरक गति का बंध कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि तिर्यञ्ज गति श्रौर नरक गति श्रशुभ नाम कर्म के भीतर शामिल हैं। श्रशुभ नाम कर्म के बंध के कारण योग वकता श्रौर विसंवादन हैं। "योगवकता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः ' श्रर्थात् मनं, वत्रन, काय की कुटिलना से श्रशुभ नाम कर्म का वन्ध होता है । विधवा विवाह में मन, वत्रन, काय की कुटिलना का कोई सम्बन्ध नहीं है, बल्कि प्रत्येक बान की सफ़ाई श्रर्थात् सरलता है। इस लिए श्रशुभ नाम कर्म का बन्ध नहीं हो सकता। हाँ, जो विधवा-विवाह के विरोधी हैं, वे श्रिधिकतर नरकगित श्रीर निर्यञ्चगित का बन्ध करने हें, क्योंकि उन्हें विसंवादन करना पड़ता है। विसंवादन से श्रशुभ नाम कर्म का बन्ध होता है। गजवानिक में विसंवादन का खुलासा इस प्रकार किया है—

सम्यगभ्युदयनि श्रेयसार्थासु क्रियासु प्रवर्तमानमन्यं कायवाङ्मनोभिविसंबादयति मैचं कार्थीरेवं कुर्विति कुटिलतया व्रवर्तनं विसंवादनं ।

श्रशीत कोई मनुष्य स्वर्गमोत्तोपयोगी कियाएँ कर रहा है उसे रोकना थिसंवाद है। यह तो सिद्ध ही है कि विधवा विवाह श्रणुवत का साधक होने से स्वर्गमोत्तोपयोगी है। जो विधवाएं पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकती हैं, उन्हें विधवा विवाह के द्वारा श्रविगति से हटा कर देशविरति दीत्ता देना है। इस दीत्ता को जो रोकते हैं, धर्म विरुद्ध यताते हैं, वहिष्कारादि करते हैं, व पूज्यंपाद श्रकलंक देव श्रादि के श्रभिप्राय के श्रनुसार विसंवाद करते हैं जिससे नरकगित श्रोर तिर्यञ्चगति का बन्ध होता है।

यदि नरकगति श्रौर तिर्यंचगित से नरकायु श्रौर तिर्यं-चायु की विवद्या हो तो इनका भी बन्ध विधवा विवाह से नहीं हो सकताः क्योंकि बहुत श्रारंभ श्रीर बहुत परिग्रह से नरकायु का बन्ध होता है। विधवा विवाह में कुमारी विवाह की विनस्वत आगम्भ और परिग्रह अधिक है ही नहीं, तब वह नग्कायु का कारण कैमें हो सकता है? तिर्यञ्जाय के बन्ध का कारण है मायाचार। सो मायाचार तो विधवा विवाह के विरोधी ही बहुत करते हैं—उन्हें गुन्न पाप छिपाना पड़ते हैं— इसलिये वे तिर्यञ्जायु का बन्ध अवश्य ही करते हैं। विधवा विवाह के पोपकों को मायाचारी से क्या मतलव ? इस लिए वे तिर्यञ्जाय का बन्ध नहीं करते।

हाँ यह वात दूसरों है कि कोई विधवा विवाह करने के बाद पाप करें जिसमें इन श्राप्त कमों का बन्ध हो जाय। लेंकिन वह बन्ध विधवा विवाह से न होगा, किन्तु पाप से हागा। कुमारी विवाह के बाद और मुनी वेप लेंने के बाद भी तो लोग बड़े बड़े पाप करते हैं। इससे कुमारी विवाह श्रीर मुनिवेप बुरा नहीं कहा जा सकता। इसी तरह विधवा विवाह भी बुरा नहीं कहा जा सकता।

प्रश्न (४)—यदि विधवा विवाह पाप कार्य है तो साधारण व्यभिचार से उसमें कुछ अन्तर होता है या नहीं ? यदि हां, तो कितना और कैसा ?

उत्तर—जय विधवा विवाह पाप ही नहीं है तो साधारण व्यभिचार से उसमें अन्तर दिखलाने की क्या ज़रूरत है? खैर! दोनों में अन्तर तो है, परन्तु वह 'कुछ' नहीं, 'बहुत' है। विधवा विवाह श्रावकों के लिये पाप नहीं है और व्यभिचार पाप है। वर्तमान में व्यभिचार को हम तीन श्रेणियों में बांट सकते हैं—(१) परश्री सेवन, २) वेश्या सेवन श्रोर (३) विवाह के विना ही किसी स्त्रों को पत्नी वना लेना। पहिला सबसे बड़ा है; दूसरा उससे छोटा

है। सामदेद श्राचार्य के मन से वेश्यासेवी भी ब्रह्मचर्याणुवती हां सकता है * परन्तु परम्त्री सेवी नहीं हो सकता। इससे वेश्या सेवन हल के दर्ज का पाप लिख होता है। किसी स्त्री को विवाह के बिना ही पत्नी बना लेना वेश्यासेवन से भी कम पाप है, क्योंकि वेश्यासेवी की श्रपंचा रखेल स्त्री वाले की इच्छाएँ अधिक सीमित हुई हैं। विधवा विवाह इन तीन श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में नहीं श्राता, क्योंकि ये तीनों विवाह से कोई सम्बन्ध नहीं रखते।

कहा जा सकता है कि विधवा विवाह परस्वी सेवन में ही अन्तर्गत है, क्योंकि विधवा परस्वी है । इसके लिये हमें यह समभ लेना चाहिये कि परस्वी किसे कहते हैं श्लीर विवाह क्यों किया जाता है ?

श्रगर कांई कुमारी, विवाह के पहले ही संभोग करें तो बह पाप कहा जायगा या नहीं? यदि पाप नहीं है तो विवाह की ज़रूरत ही नहीं रहनी। यदि पाप है तो विवाह हो जाने पर भी पाप कहलाना चाहिये। यदि विवाह हो जाने पर पाप नहीं कहलाना श्रोर विवाह के पहिले पाप कहलाता है तो इससे सिद्ध है कि विवाह, व्यभिचार दोप को दूर करने का एक श्रव्यर्थ साधन हैं। जो कुमारी श्राज परस्त्री है श्रीर जो पुरुष श्राज पर पुरुष है, वे ही विवाह हो जाने पर स्वस्त्री श्रीर स्वपुरुप कहलाने लगते हैं। इससे माल्म होता है कि कर्मभूमि में स्वस्त्री श्रीर स्वपुरुप जन्म से पैदा नहीं होते, किन्तु बनाये जाते हैं। कुमारी के समान विधवा

चधृवित्तस्त्रियौ मुक्त्वा सर्वत्रान्यत्रऽनज्जने ।
 मातास्वसा तनूजेति मितर्वेद्य गृहाश्रमे ॥ — यशस्तिलक

भी स्वस्त्री बनाई जा सकती है। विवाह के पहिले विधवा पर-स्त्री है, परन्तु विवाह के बाद स्वस्त्री हो जायगी । तब उसे व्यभिचार कैसे कह सकते हैं? जब विवाह में व्यभिचार दोष के अपहरण की ताकृत है और कन्याओं के विषय में उसका प्रयोग किया जा चुका है तो विधवाओं के विषय में क्यों नहीं किया जा सकता है?

कहा जा सकता है कि स्त्री ने जब एक पति (स्वामी) वना लिया तब वह दूसरा पित कैमे बना सकती है ? इसका उत्तर यही है कि जब पुरुष, एक पत्नी (स्वामिनी) के रहने पर भी दूसरा पत्नी बना लेता है तो स्त्री विश्ववा होने पर भी क्यों नहीं बना सकती ? मुनि न बन सकने पर जिस प्रकार पुरुष दूसरा विवाह कर लेता है, उसी प्रकार स्त्री भी ऋार्यिका न बन सकते पर दूसरा विवाह कर सकती है। स्त्री किसी की सम्पत्ति नहीं है। श्रागर सम्पत्ति भी मान ली जाय तो सम्पत्ति भी मालिक से बिश्चित नहीं रहती है। एक मालिक मरने पर पुरन्त उसका दूसरा मालिक बन जाता है। दूसरा मालिक बनाना या बनना कोई पाप नहीं है। इससे साफ माल्म होता है कि विश्ववा विवाह श्रीर व्यभिचार में श्रारती श्रासमान का अन्तर है जैसे कि कुमारी विवाह श्रीर व्यभिचार में श्रासमान का

प्रश्त (५)—वैश्या और कुर्राला विश्ववा के आन्तरिक भावों में मायाचार की दृष्टि से कुछ अन्तर है या नहीं ?

उत्तर—यद्यपि मायाचार सम्बन्धी श्र'तरंग भावों का निर्णय होना कठिन है, फिर भी जब हम वेश्या सेवन श्रीर परस्त्री सेवन के पाप में नरतमता दिखला सकते हैं तो इन दोनों के मायाचार में भी तरतमता दिखाई जा सकती है। कुशीला विध्या का मायाचार बहुत श्रिधिक है। वेश्या व्यभिचारिणों के वंश में व्यभिचार करती है, किन्तु कुशीला तो पतिव्रता के वेश में व्यभिचार करती है। वेश्या को श्रपने पाप छिपान के लिये विशेष पाप नहीं करना पड़ते, परन्तु कुशीला को तो—छोटे मोटे पापों की बात छोड़िये—भूणहत्या सरीखे महान पाप तक करना पड़ते हैं। कहा जा सकता है कि वेश्या को तो पाप का थोड़ा भी भय नहीं है, परन्तु कुशीला को है तो इस प्रश्न की मीमांसा करने के पहिले यह ध्यान में रखना चाहिये कि यहाँ प्रश्न मायाचार का है—वेश्या और कुशीला की तरतमता दिखलाना नहीं है किन्तु मायाचार की तरतमता दिखलाना है। सो मायाचार तो कुशीला विधवा का श्रिधक है, साथ ही साथ भयङ्कर भी है।

इन दोनों में कोन तुरी है और कौन भली, इसके उत्तर में यही कहना चाहियं कि दोनों तुरी हैं। हाँ, हम पहिले कह चुके हैं कि परस्त्री सेवन से वेश्या सेवन में कम पाप है इसिलेंय कुशीला विधवा, वेश्या से भी तुरी कहलाई। कुशीला को जो पापका भय वतलाया जाता है वह पाप का भय नहीं है, किन्तु स्वार्थनाश का डर है। व्यभिचार प्रकट होजाने पर लोकनिंदा होगी, श्रपमान होगा, घर से निकाल दी जाऊंगी, सम्पत्ति छिन जायगी, श्रादि वानों का डर होता है। यह पापका डर नहीं है। श्रगर पापका डर होता नो वह ऐसा काम ही क्यों करती? श्रोर किया था तो छिपाने के लिये फिर श्रीर भी वड़े पाप क्यों करती? वेर ! इन वानों का इस प्रश्नसे विशेष सम्बन्ध नहीं है। हां, इतना निश्चित है कि कुशीला विधवा का मायाचार वेश्या से श्रिधक है श्रीर कुशीला विधवा श्रिधक भयानक है। प्रश्न (६)—ऐमी कुशीला, मायाचारिणी, भ्रृणहत्या-कारिणी, विश्ववा को तीव पाप (नरकायु ब्रादि) का बन्ध होता है या नहीं ? ब्रार उसके सहकारियों को भी कृत कारित ब्रानुमोदन के कारण तीव पापका बन्ध होता है या नहीं ?

उत्तर्—ऐसे पापियों को तीव्र पाप का वंध न होगा तो किसे होगा? साथ में इतना और समभना चाहिये कि विधवाविवाह के विरोधी भी ऐसे पापियों में शामिल होते हैं, क्योंकि उनकी कठोरताओं और पज्ञपातपूर्ण नियमों के कारण ही स्त्रियों को ऐसे पाप करने पड़ते हैं। यद्यपि विधवाविवाह के विरोधियों में सभी लोग भुणहत्याओं को पसन्द नहीं करते फिर भी उनमें फी सदी नब्वे ऐसे हैं जो भ्रणहत्या पसन्द करेंगे, परन्तु विधवाविवाह का न्यायोचित मार्ग पसन्द न करेंगे। अगर हम खुव स्वादिष्ट भोजन करें और दूसरों को एक टुकड़ा भी न खाने दें ता उन्हें स्वाद के लिये नहीं तो जुधा शान्ति के लिये चोरी करना ही पड़ेगी। और इसका पाप हमें भी लगेगा। इसी तरह भ्रणहत्या का पाप विधवा विवाह के विरोधियों को भी लगता है।

प्रश्न (७)—वर्तमान समय में कितनी विश्ववाएँ पूर्ण पवित्रता से वैधव्य व्रत पालन कर सकती हैं ?

उत्तर—यां तो भव्यमात्र में मोत्त जाने तक की ताकृत है, लेकिन श्रवस्था पर विचार करने से माल्म होता है कि वृद्ध विधवाओं को छोड़कर बाक़ी विधवाओं में फ़ी सदी पाँच ही ऐसी होंगी जो पवित्रता से वैधव्य का पालन कर सकतो हैं। विधुरों में कितने विधुर जीवन पर्यन्त विधुरत्व का पालन करने हैं? विधवाओं के लिये भी यही बात है। प्रश्न (二)—ज्यभिचार से किन २ प्रकृतियों का बन्ध होता है श्रीर विश्ववा-विवाह से किन किन प्रकृतियों का बन्ध होता है ?

उत्तर-व्यभिचार से चारित्र मोहनीय का तीव बन्ध हाना है श्रीर विधवाविवाह से कुमारीविवाह के समान चारि-त्र मोह का श्रल्प बन्ध होता है। व्यभिचार सं पुण्यबन्ध नहीं होता, परन्तु विश्ववाविवाह से पुगयबन्ध होता है। ब्रोर वर्त-मान परिस्थिति में तो कुमारीविवाह से भी ऋधिक पुगयवन्य विभवाविवाह से होता है, क्योंकि वर्तमान में जो विववा विवाह करता है वह भूणहत्या और व्यभिचार स्रादि को रोकने की कोशिश करता है, स्त्रियों के मनुष्यांचित अधिकार दिलाता है। इस प्रकार के कहणा तथा परोपकार के भाशेस उसे तीव पूग्य का यन्य होता है, जो कि व्यक्तिचारी के और बिधवाविवाह के विरोधियों के नहीं हो सकता। विधवाविवाह से दर्शनमोह का बन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि विधवाबिवाह धर्मानुकृत है। विधवाविवाह में योग देने वाला धर्म के मर्म को जान जाता है, स्याद्वाद के रहस्य से परिचित हो जाता है । यही तो सम्यक्त्व के चिन्ह है । विधवा विवाह के विरोधी एकान्तमिथ्यात्वी हैं, वे श्रुत श्रोर धर्म का श्रवर्णवाद करते हैं इसलिये उन्हें तीव्र मिथ्यात्व का बन्ध होता है । ऋन्य पाप प्रकृतियों का तां कहना ही क्या है ?

प्रश्न (६)—विवाह के विना, काम लालसा के कारण जो संक्षेश परिणाम होते हैं, उनमें विवाह होने से कुछ न्युनता आती है या नहीं ? उत्तर—'कुछ' नहीं, किन्तु 'बहुत' न्यूनता आती है। विवाह के विना तो प्रत्येक व्यक्ति को देख कर पापवासना जाप्रत होती है और वह वासना सदा ही जाप्रत रहती हैं; किंतु विवाह से तो एक व्यक्ति को छोड़कर वाक़ी स्वयके विषय में उसकी वासना मिट जाती है और वह वासना भी सदा जाप्रत नहीं रहती।

कहा जा सकता है कि जिनकी काम लालसा श्रतिप्रबल है उनकी विवाह होने पर भी शान्त नहीं होती। श्रनेक विवा-हित पुरुष और सधवा स्त्रियाँ व्यभिचारदूषित पायी जाती हैं, यह टीक हैं। किन्तु विवाह तो व्यभिचार को रोकने का उपाय है। उपाय, सी में दस जगह श्रसफल भी होता है, किन्तु इससे वह निरर्थक नहीं कहा जा सकता। चिकित्सा करने पर भी लोग मरते हैं, शास्त्री वन करके भी धर्म को नहीं समकते, मुनि वन करके भी वड़े २ पाप करते हैं, इससे चिकित्सा श्रादि निर-र्थक नहीं कहे जा सकते।

यदि विवाह होने पर भी किन्हीं लोगों की काम वासना शान्त नहीं होती तो इससे सिर्फ़ विधवाधिवाह का ही निषेध कैसे हो सकता है? फिर तो विवाह मात्र का निषेध करना चाहिये और समाज से कुमार, कुमारियों के विवाह की प्रथा उड़ा देना चाहिये, क्योंकि व्यभिचार तो विवाह के वाद भी होता है। यदि कुमार कुमारियों के विवाह की प्रथा नहीं किया जा सकता तो विधवाविवाह का भी निषेध नहीं किया जा सकता।

एक महाशय ने लिखा है—''वाम्तव में विवाहका उदे-श्य काम लालसा की निवृत्ति नहीं हैं। विवाह इस जबन्य एवं कुत्मित उद्देश्य से सर्वथा नहीं किया जाता है, किन्तु वह मोज मागोंपसंघी स्वपर हितकारक शुद्ध संतान की उत्पत्ति के लिये ही किया जाता है। इस लिये वह शास्त्रविहित, मोजमार्ग सा-धक, धर्म कार्य माना गया है। इस लिये विवाह होने पर काम लालमा के संक्रेश परिणामों की निवृत्ति उतना ही गीण कार्य है जितना किसान को मूसे का लाभ।"

जो लोग विवाह का उद्देश्य काम लालसा की निवृत्ति नहीं मानते हैं और काम लालसा की निवृत्ति को जघन्य और कुन्सित उद्देश्य समभते हैं उनकी विव्रत्ता पर हमें दया आती है। ऐसे लोग जब कि जैन धर्म की वर्णमाला भी नहीं समभते तब क्यों गहन विपयों में टांग अड़ाने लगते हैं? क्या हम पूछ सकते हैं कि 'काम लालसा की निवृत्ति' यदि जघन्य और कुन्सित है तो क्या काम लालसा में प्रवृत्ति करना अच्छा है? सच है, जो लोग एक के वाद दृसरी और दृसरी के बाद तीसरी आदि स्त्रियों के साथ मोज उड़ा रहे हैं, वे काम लालसा के त्याग को कुन्सित और जघन्य समभें तो इसमें आधर्य की क्या वात है? खेर, अब हमें यह देखना चाहिय कि विवाह का उद्देश्य क्या है?

विवाह गृहम्थाश्रम का मूल है गृहस्थाश्रम धर्म, श्रर्थ, काम तीनों पुरुपार्थों का साधक है। काम लालसा की जितनी निवृत्ति होती है उतना श्रंश धर्म हैं: जितनी प्रवृत्ति होती है उतना काम हैं। श्रर्थ इसका साधक हैं। इससे साफ मालम होता हैं कि विवाह काम--लालसा की श्रांशिक निपृत्ति के लिये किया जाता है। शास्त्रकार कहते हैं— न्याज्यानजस्त्रं विषयान् पश्यतोऽपि जिनाक्षया।
मोहात्त्यक्तुम शक्तस्य गृहिधर्मोनुमन्यते ॥
श्रर्थात्—जिनेन्द्र की स्राक्षा से जो विषयों को छोड़ने
योग्य समभता है, किन्तु फिर भी चारित्र मोह कर्मकी प्रवलता
से उनका त्याग नहीं कर सकता, उसको गृहस्थ धर्म धारण
करने की सलाह दी जाती है।

इससे साफ मालूम होता है कि विवाह लड़कों वचा के लिए नहीं, किन्तु मृनि बनने की श्रसमर्थता के कारण किया जाता है। हमारे जैन एंडिनों ने जब से वैदिक धर्म की नकल करना सीला है. तब से वे धर्म के नाम पर लड़कों बच्चों की वान करने लगे हैं। वैदिक धर्म में तो अनेक ऋण माने गय है जिनका चुकाना प्रत्येक मनुष्य को श्रावश्यक है । उनमें एक पितृ ऋण भी है। उनके खयाल से संतान उत्पन्न कर देने सं पितृ ऋण चुकजाता माना गया है किन्तु जैन धर्म में ऐसा कोई पितृ ऋण नहीं माना गया है जिसके चुकाने के लिये सन्तानात्पत्ति करना धर्म कहलाता है। विवाह का मुख्य उद्देश्य काम लालसा की उच्छ खलता को रोकना है । हां. ऐसी हालत में सन्तान भी पैदा हो जाती है। यह भी अच्छा है, परंत यह गौण फल हैं । सन्तानोत्पत्ति श्रींग काम लालसा की निवृत्ति, इनमें गीए कीन है और मुख्य कीन है, इसका निवटारा इस तरह हो जायगा—मान लीजिए कि किसी मनुष्य में मुनिवत धारण करने की पूर्ण योग्यता है । ऐसी हालत में अगर वह किसी श्राचार्य के पास जावे तो वह उसे मुनि वनने की सलाह दें गे या श्रावक बनकर पुत्रोत्पत्ति करने की सलाह दें गे ? शास्त्रकार तो इस विषय में यह कहते हैं--

वहुशः समस्त विर्ति प्रदर्शितां यो न जानु गृहणाति ।
तस्येक देश विरतिः कथनीयानेन बीजेन ॥
यो यित धर्ममकथयन्नुपिद्दशित गृहस्थधर्म मल्पमितः ।
तस्य भग्वत्प्रवचने, प्रदर्शितं निष्रहस्थानं ॥
श्रक्षमकथनेन यतः प्रोत्महमानोऽति दूरमिपिशिष्यः ।
श्रवदेऽपि संप्रतृप्तः प्रतारिनो भवति नेन दुर्मितिना ॥

महाबत का उपदेश देने पर जो महाबत ग्रहण न कर सके उसे श्रगुवत का उपदेश देना चाहिये। महावत का उपदेश न देकर जो श्रगुवत का उपदेश देता है वह निश्रहीत है । क्योंकि श्रगर किसी के हृदय में मुनिव्रत घारण करने का उत्साह हो श्रौर बीच में ही श्रणुवन का उपदेश सुनकर वह सन्तृष्ट हो जाय नो उसके महाब्रत पालन करने का सौका निकल जायगा। इससे साफ माल्म होता है कि श्राचार्य, त्र्रण्यत धारण करने की मलाह तभी देते हैं जब कोई महावत न पाल सकता हो। श्रणुवत लड़कों वच्चों के लिए नहीं, किंतु महाबत पालन करने की श्रसमर्थना के कारण किया जाता है। श्रणुवृत के साथ श्रांशिक प्रवृत्ति होनं से मन्तान भी उत्पन्न हो जाती है। यह श्रग्रुवृत का गीएफल है, जैसे किसान के लिये भूसा। लडकों वचीं को जो मल्यता देदी जाती है उसका कारण है समाज का लाभ। वृत्से वती का कल्याण होता है श्रीर सन्तान से समाज का । इस लिये वृती को वृत मुख्य फल है श्रीर सन्तान गीए फल है। दसरे लोगों को सन्तान ही मुख्य है। जैसे-श्रन्न किसान को मुख्य हैं भूसा गौए । किन्तु किसान के घर रहने वाले वैलों को तो भूसा ही मुख्य है श्रीर श्रन्न गौए, क्योंकि बैलों को तो

भूमा ही मिलेगा, अन्न नहीं। वती के वृत का लाभ तो वृती ही पावेगा. दूसरों को नहीं मिल सका, किन्तु उसकी संतान से दूसरें भी लाभ उठावें गे, समाज की स्थित कायम रहेगी इस लिये सामाजिक दृष्टि से सन्तान मुख्य फल है, परन्तु धार्भिक दृष्टि से वृत ही मुख्य फल है, पुत्रादिक नहीं। धार्मिक दृष्टि से 'पुत्तसमों वैरिश्रोणित्य' (पुत्र के समान कोई वैरी नहीं है) इत्यादि वाक्यों से संतान की निन्दा ही की गई है। इस लिये धार्मिक दृष्टि से संतान के लिये विवाह मानना श्रमुचित है। वह काम बायना को सीभित करने के लिए किया जाता है। इसी प्रात को दृसरे स्थान पर और भी श्रद्धे शब्दों में कहा है।

विषय विषमाशनोस्थित मोहज्वर जनिततोब तृब्णस्य । निःशाक्तिकस्य भवतः प्रायः पेयाद्यपक्रमः श्रेयान ॥

"विषय रूपी श्रपथ्य भोजन से उत्पन्न हुआ जो मोह रूपी ज्वर, उस ज्वर से जिसको बहुत ही तेज़ प्यास लग रही है, श्रीर उस प्यास को सहने की जिसमें ताकत नहीं है उसको कुछ पीने योग्य श्रीषध देना श्रद्धा है।

मतला यह है कि उसे प्यास तो इतनी लगी है कि लोडे दो लोडे पानी भी भी सकता है, परन्तु वैद्य सममता है कि ऐसा करने से बीमारी वढ़ जायगी । इसलिए वह भीने योग्य श्रोपय देता है जिससे वह प्यास न बढ़ने पांचे । इसी तरह जिसकी विषय की श्राकांचा बहुत तीव, है, उसको विवाह हारा पेप श्रीपय दी जाती है जिससे प्यास शांत रहे श्रीर रोग न बढ़ने पांचे । मतलव यह की जैन शास्त्रों के श्रमुसार विवाह का मुख्य उद्दश्य विषय वासना को सीमित

करना है। यह बात विधवा विवाह से भी होती है। श्रगर किसी विधवा बाई को विषय वासना रूपी तीव, प्याम लगी है तो उसे विवाह रूपी पेय श्रीपध क्यों न देनी चाहिये? मर्द तो श्रीपध के नाम पर लोटे के लोटे गटका करें श्रीर विधवाश्रों को एक वृंट श्रीपध भी न दी जाय, यह कहाँ की दया है? कहाँ का न्याय है ? कहाँ का धर्म है ? विवाह में जिस प्रकार पुरुषों के संक्षेश परिणाम मंद होते हैं, उसी प्रकार स्त्रियों के भी होते हैं। फिर पुरुषों के साथ पच्चात श्रीर स्त्रियों के साथ निर्देयता का व्यवहार क्यों ? धर्म तो पुरुषों की ही नहीं, स्त्रियों की भी सम्पत्ति है। इस लिये धर्म ऐसा पच्चात कभी नहीं कर सकता।

प्रश्न (१०)—प्रत्येक बाल विधवा में तथा प्रौढ विधवा में भी श्राजन्म ब्रह्मचर्य पालने की शक्ति का प्रगट होना श्रनि-वार्य है या नहीं ?

उन्हार—नहीं। यह बात अपने परिणामों के अपर निर्भर हैं। इसलियं जिन विधवाओं के परिणाम गृहम्थाश्रम से विरक्त न हुए हों उन्हें विवाह कर लेना चाहिय। कहा जा सकता है कि "जैसे मुनियोंमें वीतरागता श्रावश्यक होने पर भी सरागता श्राजाती हैं, उसी प्रकार विधवाओं में भी होसकती हैं, लेकिन वे शीलभ्रष्ट ज़रूर कहलायँगी। मुनि भी सरागता से भ्रष्ट माना-जाता है।" यह बात ठीक है। शिक्त न होने से हम अधर्म को धर्म नहीं कह सकते। परन्तु यहाँ यह बात विचारणीय है कि जो कार्य मुनिधर्म से भ्रष्ट करता है क्या वही श्रावकधर्म से भी भ्रष्ट करता है ? विवाह करने से प्रत्येक व्यक्ति मुनिधर्म से भ्रष्ट होजाता है ? विवाह करने से प्रत्येक व्यक्ति मुनिधर्म से भ्रष्ट होजाता है , परन्तु क्या विवाह से श्रावक धर्म भी खूट जाता है ? क्या

विवाह करने वाले का ऋणुवृत सुरित्तत नहीं रह सकता ? हमारे खयाल से तो कन्या भी श्रगर श्रार्थिका होकर फिर विवाह करे तो भुष्ट है श्रीर विश्ववा श्रगर श्रार्थिका श्राटि की दीचा न लेकर विवाह करले तां भ्रष्ट नहीं है। यह ठीक है कि पति के मरजाने पर स्त्री वैधव्यदीला ले तो श्रच्छा है, परन्तु लेना न लेना उसकी इच्छा पर निर्भर है। यह नहीं हो सकता कि यह तो वैधव्यदीचा लेना न चाहे श्रीर हम जुबर-दस्ती उसके सिर टीज़ा मढ़दें। स्त्री के समान पुरुष का भी कर्तब्य है कि वह पत्नी के मर जाने पर दीचा लेले। बद्धों को तो खासकर मृनि बनजाना चाहिये। परन्त् श्राज कितने बुद्ध मुनि वनते हैं ? कितने विधुर दीचा लेते हैं ? जो लोग मुनि नहीं बनते श्रीर दूसरा विवाह करलेते है वे क्या भ्रष्ट कहे जाते हैं रेश्रगर वे भ्रष्ट नहीं हैं, तो विधवाएँभी भ्रष्ट नहीं कही जासकर्ता। पुरुषाकाशीलभङ्ग तभी कहलायगा जबकि वे विवाह न करके संभाग करें। इसी तरह विधवाएँ शीलभ्रष्ट तभी कहलावेंगी जबकि वे विवाह न करके संभोग करें या उसकी लालसा रक्षे ।

प्रश्न (११)—धर्मविरुद्ध कार्य, किसी हालत में (उससे भी बढ़कर धर्मविरुद्ध कार्य अनिवार्य होने पर) कर्नव्य हो सकता है या नहीं ?

उत्तर—जैनधर्म का उपदेश अनेकान्त की अपेकासे हैं। जो कार्य किसी अपेक्तासे धर्मविरुद्ध है वही दूसरी अपेक्ता से धर्मानुकृत भी है। मुनि के लिये विवाह धर्मविरुद्ध है, श्रायक के लिये धर्मानुकृत है। पित के मरने पर जिसने श्रार्थिका की दीक्ता ली है उसके लिये विवाह धर्मविरुद्ध है और जिस विधवा के ब्रत, सप्तम प्रतिमासे नीचे हैं उसके लिये विवाह धर्मानुकृत है। श्रावक ग्रगर श्राहार दान दे तो धर्मानुकृत हैं श्रीर मुनि श्रगर ऐसा करें तो धर्मविरुद्ध है। भाषा गुप्ति का पालन करनेवाला (मोनब्रती) श्रगर सच वात भी वोले तो धर्म विरुद्ध है और समिति का पालन करने वाला बोले तो धर्मानु-कुल है। मतलब यह है कि जैनवर्म में कोई कार्य सर्वथा धर्म-विरुद्ध नहीं कहा जाना । उसके साथ श्रपंत्रा रहती है । यप्रिप जैनधर्म में यह नहीं कहा गया है कि एक श्रनर्थ के लिये दूसरा अनर्थ करो: फिर भी इतनी आजा अवश्य है कि बहुत अनर्थ को रोकने के लिये थोड़े श्रनर्थ की श्रावश्यका हो तो उसका प्रयोग करें। दसरे अनर्थ का निषेध हैं,परन्तु उस अनर्थ के कम करने का निषेध नहीं हैं—बैसे एक श्रादमी सब तरह के मांस खाता था, उसने काक मांस छोड दिया तो यद्यपि वह अन्य मांस खाता रहा, फिर भी जितना अनर्थ उसने रोका उतना ही श्रद्या किया। नासमभ व्यक्ति जैनधर्म के ऐसं कथन को यक्ति-प्रमासस्य प्रमत्त उपदेश स्वमभते हैं,परन्तु जैनधर्म के उपदेश में होरी लट्टवाजी नहीं है—उसके भीतर वैतानिक विचार पद्धति मौजूद हैं। अगर कोई कहे कि क्या बडे बड़ पापों की श्रपेत्ता छोटे छोटे पाप प्राह्य हैं ? तो जैनधर्म कहेगा—श्रवश्य। सप्तब्यसन का सेवी श्रगर सिर्फ ब्यभिचारी रहजाय तो श्रच्छा (यद्यपि दयभिचार पाप हैं): व्यक्तिचारी ऋगर परम्त्री का त्याग कर सिर्फ़ वेश्या संवी रहजाय तो अच्छा है (यद्यपि वेश्या सेवन पाप है); वेश्या सेवन का भी त्याग करके श्रगर कोई स्व-स्त्री सेवी ही रहजाय तो श्रच्छा (यद्यपि महावत की श्रपेत्ता स्वस्त्री सेवन भी पाप है): यह विषय इतना स्पष्ट हैकि ज्यादा प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं। जैनधर्म का मामूली विद्यार्थी भी कह सकता है कि जो कार्य एक व्यक्ति के लिये धर्मविरुद्ध है वही दूसरे के लिये धर्मानुकूल भी है। सकता है।

पर्न (१२)—छोटे २ दुधमुँहे बच्चों का विवाह धर्म विरुद्ध है या नहीं ?

उत्तर-इधमुँ हे अर्थात् विवाह के विषय में नासमभ बच्चों का विवाह नहीं हो सकता । समाज के चार व्यादमी भले ही उसे विवाह मान लें, परन्तु धर्मशाम्त्र उसे विवाह नहीं मानता। जो लोग उसे विवाह मानते हैं उनका मानना धर्म विरुद्ध है। श्रगर ऐसे विवाह हा जार्घ ता उन्हें विवाह न मानकर उचित श्रवस्था में उनका फिर विवाह करना चाहिये। श्रन्यथा उनकी सन्तान कर्ण के समान नाजायज्ञ सन्तान कह-लावेगी । विवाह के लिये वर कन्या में दो वार्ने आवश्यक हैं-विवाह के विषय में श्रपने उत्तरदायित्व का ज्ञान श्रीर चारित्र मोहनीय के उदय से होने वाले राग परिणाम ऋर्थात वह कामलालसा जो कि मृति, श्रार्थिका श्रथवा उच्चवती न वतने दे। इन दो बातों के विना तीन लोक के रूमस्त प्राणी भी श्रगर किसी का बिवाह करें तो भी नहीं है। सकता। जो लोग इन दो वातों के बिना विवाह नाटक कराने हैं वे धर्मट्रोही हैं। छोटी उमर में शास्त्रानुसार नियतविधि के अनुसार विवाह का नाटक हो सकता है, परन्तु विवाह नहीं हो सकता। क्योंकि जब उपादान कारण का सहयोग प्राप्त नहीं है तब निर्फ निमित्तों के ढेर से क्या होसकता है ? विवाह के लिये शास्त्रा-नुसार नियत विधि की आवश्यकता अनिवार्य नहीं है, परन्तु उपयुक्त दो बातें श्रनिवार्य हैं। गान्धर्व विवाह में शास्त्रानु-

सार नियत विधि नहीं होती, फिर भी वह विवाह है और उस विवाह से उत्पन्न संतान मोचगामी तक होती है। इसी विवाह से रुक्मणीजी कृष्णजी की पटरानी बनी थीं और उनसे तद्भव मोचगामी प्रचुम्न पैदा हुए थे। इसिलये शास्त्रानुसार विधि हो या न हो, परन्तु जहाँ पर उपर्युक्त दो बार्ते होंगी वहाँ पर धर्मानुकूलता है और उनके बिना धर्मविरुद्धता है।

प्रश्न (१३)—विधवा होने के पहिले जिन्होंने पन्नीन्व का अनुभव नहीं किया, उन्हें विधवा कहना कहाँ तक उचित है?

उत्तर—!? दें प्रश्न के उत्तर में इसका भी उत्तर श्रा सकता है। वहाँ कही हुई दो बातों के बिना जो विवाहनाटक होजाता है उसके द्वारा उन दोनों वच्चों को पित पत्नीत्व का श्रमुभव नहीं होता। वे नाटकीय पित पत्नि कहलाते हैं। ऐसी हालत में श्रगर वह नाटकीय पित मरजाय तो वह नाटकीय पत्नी नाटकीयविधवा कहलायेगी। पत्नीत्व के व्यवहार श्रौर पत्नीत्व के श्रमुभव में बहुत श्रन्तर हैं। व्यवहार के लिये तो चारों नित्तेष उपयोगी हो सकते हैं, परन्तु श्रमुभव के लिये सिर्फ भावनित्तेष ही उपयोगी है। वालविवाह के पित-पत्नी व्यवहार में स्थापना नित्तं पसे काम लिया जाता है। जो लोग उसे भाव नित्तेष समक्ष जाते हैं श्रथवा व्यवहार श्रौर श्रमुभव के श्रन्तर को नहीं समकते, उनकी विद्यत्ता (?) दयनीय हैं।

प्रश्न (१४)—क्या पत्नी वनने के पहिले भी कोई विधवा हो सकती है ? श्रोर पत्नी बनकर ब्रत ब्रहण करने में ब्रती के भावों की ज़रूरत है या नहीं ? उत्तर—पत्नी बनने के पहिले कोई विधवा नहीं हो सकती। इस लिये यह इद्गा से कहा जा सकता है कि जिन बालिकाश्रों को लोग विधवा कहते हैं वे विधवा नहीं हैं क्योंकि बाल्यावस्था का विवाह उपर्युक्त दो बातों के न होने से विवाह ही नहीं है। जिसका विवाह ही नहीं उसमें न तो पत्नीपन श्रा सकता है न विधवापन।

वृत ग्रहण करने में वृती के भावों की ज़रूरत है—भाव के विना किया किसी काम की नहीं। शास्त्रकार तो कहते हैं—'यम्मान्कियाः प्रतिफलन्ति न भावशृन्याः' अर्थात् भाव-रहित कियाओं का कुछ फल नहीं होता। अर्थात् भावशृन्य कियाओं के द्वारा गुभागुभ बंध और संवर आदि नहीं होते। जो लोग यह कहते हैं कि 'अनेक संस्कार बाल्यावस्था में ही कराये जाते हैं इस लिये भावों के बिना भी वृत कहलाया' वे लोग वृत और संस्कार का अन्तर नहीं समभते। वृत का लक्षण स्वामी समन्त प्रदाचार्य ने यह लिखा है:—

श्रभिसन्धिकृता विरतिः विषयाद्योगादुवतं भवति ।

त्रथांत--यांग्य विषय से अभिप्राय (भाव) पूर्वक विरक्त होना व्रत कहलाता है। वाहादृष्टि से त्यागी हो जाने पर भी जब तक अभिप्राय पूर्वक त्याग नहीं होता तब तक वृत नहीं कहलाता है। संस्कार कोई वृत नहीं है, परन्तु वृती बनने को योग्यता प्राप्त करने का एक उपाय है। वृत आठ वर्ष की उमर के पहिले नहीं हो सक्ता, परंतु संस्कार तो गर्भावस्था से ही होने लगते हैं। संस्कार से योग्यता पैदा हो सकती हैं (योग्यता का होना अवश्यम्भावी नहीं है) लेकिन वत तो योग्यता पैदा होने के बाद उसके अधिंग होने पर ही हो सकते हैं। संस्कार से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है श्रोर वह प्रभाव प्रायः दूसरों के द्वारा डाला जाता है: परंतु वत दूसरों के द्वारा नहीं लिया जा सकता। संस्कार तो पात्र में श्रद्धां, समक्ष श्रोर त्याग के बिना भी डाले जा सकते हैं, परंतु वत में इन तीनों की श्रत्यंत श्रावश्यकता रहती है। इस लिये भावों के विना वत श्रहण हो ही नहीं सकता। वर्तमान में जो श्रनिवार्य वेधक्य की प्रथा चल पड़ी हैं, वह वर्तमान में जो श्रनिवार्य वेधक्य की प्रथा चल पड़ी हैं, वह वर्तमान में को श्रनिवार्य वेधक्य की प्रथा चल पड़ी हैं, वह वर्त नहीं है, किन्तु श्रत्याचारी, समर्थ, निर्दय पुरुषों का शाप है जो कि स्त्रियों को उनकी कमज़ोरी श्रोर मूर्खता के श्रपराध (१ में दिया गया है।

प्रश्न (१५)—जिसने कभी श्रपनी समस्त में ब्रह्म-चर्याणुवन प्रहण नहीं किया है उनका विवाह करना धर्म है या श्रधर्म ?

उत्तर—जो मुनि बा श्रायिका बनने के लिये नैयार नहीं है या सप्तम प्रतिमा भी धारण नहीं कर सकता उसे विवाह कर लेना चाहिये—चाहे वह विधुर हो या विधवा, कुमार हो या कुमारी। ऐसी हालत में किसी को भी विवाह की इच्छा होने पर विवाह कर लैना श्रधम नहीं है।

प्रश्न (१६)—जिसका गर्भाशय गर्भधारण करने के लिये पुष्ट नहीं हुआ है उसका गर्भ रह जाने से प्रायः मृत्यु का कारण हो जाता है या नहीं ?

उत्तर—इस प्रश्न का सम्बन्ध वैद्यक शास्त्र से है। वैद्यक शास्त्र तो यही कहतो है कि १६ वर्ष की लड़की और बीस वर्ष का लड़का होना चाहिये: तभी योग्य गर्भाधान हो सकता है। इससे कम उमर में अगर गर्भाधान किया जायतो सन्तान श्रह्याय या रोगी होगो श्रथवा गर्भ स्थायी न रहेगा। बहुत से लोग यह समभते हैं कि स्त्री हो पूष्पवति हो जाने से ही गर्भाधान की पूर्ण योग्यता प्राप्त हो जाती है। लेकिन प्राकृतिक नियम इसके विलकुल विचरीत है। श्रंड, धोपइया श्रादि फलों के वृत्तोंमें जब पुष्प त्राते हैं तो चतुर माली उन्हें निष्फल ही भड़ा देता है। क्योंकि अगर ऐसा न किया जाय ता फल बहुत छोटे, वेस्वाद और रही होते हैं। श्राम के बन्न में श्रगर सब फूलों के श्राम बनने लगें तो श्राम बिलकल रही होंगे.उनका ब्राकार गई के दाने से शायद ही बड़ा हो सके। इसलिये प्रकृति फ़ी सदी ६६ पुष्पं को निष्फल भड़ादेती हैं। तब कहीं श्रच्छे श्राम पैदा होते हैं। सभी वृक्षों के विषय में यह नियम है कि अगर आप उनसे अच्छा फल लेना चाहते हैं तो प्रारम्भ के पुष्पों को फल न बनने दीजिय श्रीर मात्रा सं अधिक फल न लगने दीजिये। नारी के विषय में भी यही बात है। वहाँ भी रजोदर्शन के वाद तुरन्त ही गर्भाधान के साधन न मिलना चाहिये, श्रन्यथा मृत्यु श्रादि की पूरी सम्भावना है। कहा जा सकता है—मृत्यु भले ही हो, परंतु उसका पाप नहीं लग सकता। लेकिन यह बात ठीक नहीं है,क्योंकि यत्नाः चार न करने से प्रमाद होता है श्रौर 'प्रमत्त योगान् प्राण्ड्य-परोपएं हिंसा' इस सूत्र के अनुसार वहाँ हिंसा भी है। जब हम जानते हैं कि ऐसा करने से हिंसा हो जायगी, फिर भी हम वहीं काम करें तो इससे हिंसा का श्रमिश्राय, श्रथवा हिंसा होने से लापर्वाही सिद्ध होती है जो कि पापवंध का कारण है। घरमें स्त्रियों को यह शिक्षा दी जाती है कि पानी को ढककर रक्खा करो. नहीं तो कीडे सकोडे गिर कर मर

जायंगे। यद्यपि स्त्रियों के हृद्य में कीड़े मकोड़े मारने का श्राभित्राय नहीं है फिर भी श्रयत्नाचार से जो प्रमाद होता है उसका पाप उन्हें लगता है। जब इस श्रयत्नाचार से पाप लगता है तब जिस श्रयत्नाचार से मनुष्यों को भी प्राणों से हाथ धोना पड़े तो उससे पाप का बंध क्यों न होगा ?

प्रश्न (१७)—किसी समाज की पांच लाख श्रीरतों में एक लाख तेतालीस हजार विश्ववाएँ शोभा का कारण हो सकती हैं या नहीं ?

उत्तर-जिस समाज में विधवाश्रों को पुनर्विवाह करने का श्रधिकार है, उनका पुनर्विवाह किसी भी तरह से हीनहिध्य से नहीं देखा जाता, स्त्रियों को इस विषय में कोई संकोच नहीं रहता. उस समाज में कितनी भी विधवाएं हों वं शोभा का कारण हैं। क्योंकि ऐसी समाजों में जो वैभव्य का पालन किया जायगा वह जबर्दस्ती से नहीं, त्यागवत्ति सं किया जायगा श्रीर त्यागवृत्ति तो जैनधर्म कं श्रनुसार शोभा का कारण है ही, लेकिन जिस समाज में वैधव्य का पालन जबर्दस्ती करवाया जाता है, वहाँ पर कोई भी विधवा शोभा का कारण नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई वैधव्यदीचा नहीं लेता-वह तो बन्दी जीवन है। बन्दियों से किसी भी समाज की शोभा नहीं हो सकती। ऐसी समाजों के माल्रों को भी स्वीकार करना पडता है कि "एक विधवा भी शोभा का कारण नहीं है--शोभा का कारण तो सौभाग्यवती स्त्रियाँ हैं"। इससे साफ मालूम होता है कि विधवाश्रों का स्थान सौभाग्यवितयों से नीचा है। अगर ऐसी समाजों में वैधव्य कोई वत होता तो क्या विभवाश्रों का ऐसा नीचा स्थान रहता ? उनके विषय में

क्या ऐसे श्रपमानजनक शब्द लिखे जाते ? वती के श्रागे श्रवती को क्यी शोभा का कारण कहा जाता ? वैधव्य दीचा से दीन्नित महिलाएं तो सौभाग्यवती श्रीर सौभाग्यवानों से भी पुज्य हैं। गृहस्थाश्रम में वे वीतरागता की एक किरण हैं। परन्तु उनको इतना मुल्य ता तब मिले जब समाज में विधवा विवाह का प्रचार हो। तभी उनके त्याग का मूल्य है। जो वस्त जबर्दम्ती छिन गई, जिसके ऊपर अधिकार ही नहीं रहा, उसका त्याग ही क्या ? कहा जा सका है कि 'दैवी श्रापत्ति पर कौन विजय प्राप्त कर सका है ? प्लेग, इन्पनुऐंजा श्रादि से मनुष्य चति हो जाती है, वहाँ क्या किसी के हाथ की बात है'? ऐसी बात करने वालों से हम पूछते हैं कि बीमारी हो जाने पर श्राप चिकित्मा करते हैं या नहीं ? श्रगर दैव पर कुछ वश नहीं है तो श्रीपधालय क्यों खुलवाये जाते हैं ? दैव के उदय से कंगाल हो कर भी लोग श्रर्थीयार्जन की चेष्टा क्यों करते हैं ? दैव के उदय से तो सब कुछ होता है, फिर पुरुपार्थ की कुछ जहरूत है या नहीं ? तथा यह बात भी विचारणीय है कि दैव के द्वारा जैसे विश्रवाएँ बनती हैं: उसी प्रकार विधुर भी बनते हैं। विधुरों के लिये तो दैव का विचार नहीं किया जाता है और विधवाओं के लिये किया जाता है-यह श्रन्धेर क्यों ? यदि कहा जाय कि विधुरपन की चिकित्सा भी दैव के उदय से होती है तो विधवापन की चिकित्साभी दंव के उदय से हो जायगी और होने लगी है। मनुष्य को उद्योग करना चाहिये, श्रगर सफल हो जाय ता ठीक है। भ्रगर सफलता न होगी तो क्या दोप है? "यत्ने क्रते यदि न सिद्धयति कोऽत्र दोषः"

श्रगर कोई विश्ववा विवाह से वैश्वव्य की चिकित्सा करता है तो हमें उसको श्रन्यवाद देना चाहिये। यहाँ कोई शीलभ्रष्टता की सम्भावना कर तो यह भी श्रनुचिन है। इसका उत्तर हम दं चुके हैं। दैयकृत विश्वुग्त्व के दुःख को हम दूर करते हैं श्रीर इससे समाज की शोभा नहीं विगड्ती तो वैश्वव्य दुःख को दूर करने से भी शोभा न विगड़ेगी।

प्रश्न (१८)—जिस तरह जैन समाज की संख्या घट रहों है उससे जैन समाज को हानि है या लाभ ?

उत्तर—गर्थनमेगट को मर्टुमशुमारी की रिपोर्टों के देखने में साफ मालुम है कि प्रतिवर्ष ७ हज़ार के दिसाब सं जैनी घट रहे हैं। गर्थनमेगट की रिपोर्ट पर अधिश्वास करने का कोई कारण नहीं है। समाज का आदर्श जिनना चाहे ऊंचा हो, परन्तु उसे अपना माध्यम ऐसा अवश्य रखना चाहिये जिससे समाज का नाश न होजाय । उच्च धर्म का पालन करना अच्छी वात है, परन्तु वह समाज का अनिवार्य नियम न होना चाहिये। जिनमें शिक हो वे पालन करें, न हो तो न करें। समाज की संख्या कायम रहेगी तो उच्च धर्म का पालन करें। समाज की संख्या कायम रहेगी तो उच्च धर्म का पालन करें। समाज की संख्या कायम रहेगी तो उच्च धर्म का पालन करें। समाज को कोई भी आत्मधातक रिवाज न वनाना चाहिये। वर्तमान में अनिवार्य वंधव्य के रिवाज से संख्या घट रही है श्रीर इससे बहुत हानि हो रही है।

प्रन (१६)—जैनसमाज में काफी संख्या में अविवाहित हैं या नहीं ?

उत्तर -- हैं। परंतु इसका कारण स्त्रियों की कमी नहीं,

किन्तु श्रनिवार्य वैधव्य की कुप्रधा है। धर्म के वेप में छिपी हुई यह धर्मनाशक प्रधा बंद हो जाय तो श्रविवाहित रहने का मौका न श्रावे।

प्रश्न (२०)—एक लाख तेतालीम हज़ार विधवाएँ अगर समाजमें न होतों तो जनसंख्या बढ़ सकती थी या नहीं?

उत्तर-इतनी विधवाश्रों के स्थान में श्रगर सधवाएँ होतीं तो संख्या श्रवश्य बढ़ती । मर्द्र मशुनारी की रियोटौं से मालुम होता है कि जिन समाजों में विधवा विवाह का रिवाज है उनकी जनसंख्या नहीं घट रही है, बल्कि बढ़ रही है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि "च्या कोई ऐसी शक्ति है जो कि दैव-बल का श्रवरोवक होकर विववा न होने दे ? ' ऐसा कहने वालों को वृद्धि मिध्यात्व के उदय से भ्रष्ट होगई हैं-वे देवै कांतवादी बन गये हैं । कुमारपन श्रीर कुमारीपन, तथा विघुर-पन भी देव के उदय से होते हैं, किन्तु उनके दूर करने का उपाय है। इसी प्रकार वैघव्य के दूर करने का भी उपाय विधवा-विवाह है। हाथकंकण को श्राग्सी क्या ? सौ पचास विधवा-विवाह करके दंख लो। जितने विवाह होंगे उतनी विधवाएँ घर जायँगी। अगर विधवाश्री का संसारी जीवों की तरह होना श्रनिवार्य है तो जैसे संकारी जीवों को सिद्ध बनाने की चेध्टा की जाती है उसी तरह विधवाश्रों को भी सधवा बनाने की चेष्टा करना चाहिये। छः महीना त्र्याट समय में ६०८ जीव संसारी से सिद्ध बन जाते हैं। श्रगर इतने समय में इतनी ही विश्रवाएँ सधवा बनायी जाँय तो सब विश्रवाएं क घटने पर भी बहुत घट जार्वेगी।

त्रगर कोई कहे कि "विधवा-विवाह से नित्य नयं उत्पात

श्रीर विशाल श्रनर्थ होंगे, इसीलिये संख्यावृद्धि के प्रलोभन में हमें न पडना चाहिये" लेकिन यह भूल है। प्रत्येक रिवाज से कुछ न कुछ हानि श्रीर कुछ न कुछ लाभ होता ही है। विचार सिर्फ़ इतना किया जाता है कि हानि उपादा है या लाभ ? श्रगर लाभ ज्यादा होता है तो वह ग्रहण किया जाता है। श्रगर हानि उपादा होती है तो छोड़ दिया जाता है। विवाह के रिवाज सं ही बाल-विवाह, ब्रद्ध-विवाह, कन्या-विकय, स्त्रियों की गुलामी आदि कुरीतियाँ और दःपरिस्थितियाँ पैदा हुई हैं। श्रगर विवाह का रिवाज न होता तो न ये कुरीतियाँ होतीं, न विजातीय-विवाह, विधवा-विवाह ऋदि हे भगड़े खड़े होते। इसलिये क्या विवाह प्रथा ब्री हो सकती है ? मनुष्य को बहुतसी वीमारियाँ भोजन करने से होती हैं। तो क्या भोजन न करना चाहिये ? हमारे जीवन में ऐसा कीन सा कार्य या समाज में ऐसी कौनली प्रथा है जिनमें थोड़ी बहुत बुराई न हो ? परंतु हमें वे सब काम इस लिये करना पड़ते हैं कि उनसे लाभ ग्रधिक है। विधवा-विवाह सं कितने श्रनर्थ हो सर्केंगे. उससे ज्यादा अनर्थ तो आज विधवा-विवाह न होने से हो रहे हैं। विधवाश्चों का नारकीय जीवन, ग्रप्त ब्य-भिचार का दौर दौरा, ऋविवाहिन पुरुषों का वनगज की तरह डोलना श्रीर कसाइयों को भी लिज्जित करने वाले भ्रुण-हत्या के दृश्य, ये क्या कम श्रनर्थ है ? इन सब श्रनर्थी को दूर करने के लिये विधवा-विवाह एक सर्वोत्तम उपाय है। विधवासिवाह से समाज ज्ञीण नहीं होती. श्रन्यथा योरोप. श्रमेरिका श्रादि में यह तरक्की न होती। अगर विधवाविवाह के विरोध से समाज का उद्धार होता तो हमें पश्चे की तरह गुलामी की

ज़ंजीर में न वँधना पड़ता। हमने विधवा-विवाह का विरोध करके स्त्रियों के मनुष्योचित अधिकारों को इड़पा, इसलिय आज हमें दुनियाँ के साम्हने औरत वन के रहना पड़ता है। मनुष्यों को श्रङ्कृत समभा: इसलिये आज हम दुनियाँ के श्रङ्कृत बन रहे हैं। हमारे राज़सी पापों का प्रकृति ने गिन गिनकर दंड दिया है। फिर भी हम उन्हीं राज़सी श्रत्याचारों को धर्म समभते हैं! कहते हैं—विधवा-विवाह से शरीर की विशुद्धि नष्ट हो जायगी! जिस देह के विषय में जैन समाज का बच्चा बच्चा जानता है—

पल रुधिर राध मल थैली, कीकस बसादि तें मैली। नव द्वार वहें धिनकारी, अस देह करे किम गारी॥

ऐसी देह में जो विशुद्धि देखते हैं उनकी श्राँखें श्रौर हृदय किन पाप परमागुश्रों से बने हैं, यह जानना कठिन है। व्यभिचारजात शरीर से जब सुदृष्टि सरीखे व्यक्ति मोद्धा तक पहुंचे हैं तब जो लोग ऐसे व्यक्तियों को जैन भी नहीं समभने उन्हें किन मूर्खों का शिरोमिण माना जाय ? जैन श्रम श्रातमा का श्रम है न कि रक्त, मांस श्रौर हिड्डियों का श्रम । चमार भी रक्त, मांस में श्रम नहीं देखते। फिर जो लोग इन चीज़ों में श्रम देखते हैं, उन्हें हम क्या कहें?

प्रन (२१)—व इसका उत्तर इस में से हटा दिया गया है क्योंकि इसका सम्बन्ध सम्प्रदाय विशेष के साधुक्रों से हैं।

प्रश्न (२२)—क्या रजस्वला के रक्त में इतनी ताकत है कि वह सम्यग्दर्शन का नाश कर सकें १ यदि नहीं तो क्या सम्यग्दर्शन के रहते श्रविवाहित रजस्वला के माता पिता श्रादि नरक में जा सकते हैं? यदि मान लिया जाय कि उस रक्त में वैसी शक्ति है तो क्या विवाह कर देने से बह नष्ट हो जाती है?

उत्तर-रजस्वला के रक्त में सम्यग्दर्शन नष्ट करने की ताकत नहीं है। अविवाहित अवस्था में रजोदर्शन होने से पाप बम्ध नहीं, किन्तु पुराय बंध होता है। क्योंकि जितने दिन तक ब्रह्मचर्य पलता रहे उतने दिनतक, श्रच्छा ही है। हाँ, श्रगर कोई कन्या वा विधवा, विवाह करना चाहे श्रीर दूसरे लोग उसके इस कार्य में बाधा डालें तो वेपाप के भागी होते हैं. क्योंकि इससे व्यभिचार फैलता है। गर्भधारण की योग्यता व्यर्थ जाने से पाप का बंध नहीं होता, क्योंकि यदि ऐसा माना जायमा तो उन राजाश्रों को महापापी कहना पड़ेगा जो सैकडों स्त्रियोंको छोड़कर मुनि बन जाते थे श्रीर रजोदर्शन बन्द होने के पहिले श्रार्थिका बनना भी पाप कहलायगा । विधवा विवाह के विरोधी इस युक्ति से भी महावापी कहलायें गे कि वे विधवाओं की गर्भधारण शक्ति को व्यर्थ जाने देते हैं। जो लोग यह समभते हैं कि 'रजोदर्शन के बाद गर्भाधानादि संस्कार न करने से माता पिता संस्कारलोपक श्रीर जनमार्ग-लोपी हो जाते हैं" वे संस्कार का मतलब ही नहीं समभते। विवाह भी तो एक संस्कार है; फिर जिन तीर्थंकरों ने विवाह नहीं कराये वे क्या संस्कार लोपक श्रीर जिनमार्गलोपी थे ? ब्राह्मी श्रीर सुन्दरी जीवनभर कुमारी ही रहीं तो क्या उनके पिता भगवान ऋषभदेव श्रीर माता मरुदेवी, भाई भरत. बाहुबली श्रादि नरक गये ? ये लोग भी क्या जिनमार्गलोपी ही थे ? गर्भाधानादि संस्कार तभी करना चाहिये जब कि स्त्री

पुरुष के हृदय में गर्भाधान की बीव इच्छा हो, फिर भले ही वह संस्कार २५ वर्ष की उम्र में करना पड़े। इच्छा पैदा होने के पूर्व ऐसे संस्कार करना बलात्कार के समान पैशाचिक कार्य है।

प्रश्न (२३)—चतुर्थ, पंचम, सैतवाल आदि जातियाँ में विधवा विवाह कब से प्रचलित है और ये जातियाँ कब से जैन जातियाँ हैं?

उत्तर--जैन समाज की वर्तमान सभी जातियाँ हज़ार वर्ष से पुरानी नहीं हैं। जिन लोगों को मिलाकर ये जातियाँ बनाई गई थीं उनमें विधवा विवाह का रिवाज पहिले सं ही था। यह इन जातियों की ही नहीं किन्तु दक्षिण प्रान्त मात्र की न्यायोचित रीति है। दक्षिण में अन्य अजैन लोगों में भी जोकि उच्चवर्णी हैं-यह रिवाज पाया जाता है। ऐतिहासिक सत्य तो यह है कि उत्तर भारत में पर्दे का रिवाज श्राजाने सं यहाँ की स्त्रियाँ मकान के भीतर कैद हो गई श्रोर पुरुषों के चङ्गुल में फँसगई। पुरुषों ने इस परिस्थिति का बुरी तरह उपभाग किया। उन्होंने स्त्रियों के मन्ष्योचित अधिकार हड़प लिये। परन्तु दक्षिण की स्त्रियाँ घर श्रीर बाहर दोनों जगह काम करती थीं, इस लिये स्वार्थी पुरुषों का कुचक उनके ऊपर न चल पाया श्रीर उनके पुनर्विवाह श्रादि के श्रिधिकार सुरिच्चित रहे। हाँ, जिन घरों की स्त्रियाँ श्राराम तलव हो कर घर में पड़ी रहीं उन घरों के स्वार्थी पुरुषों ने मौका पाकर उनके अधिकार हड़प लिये। इस लिये थांड से घरों में यह रिवाज नहीं है। उत्तर प्रान्त में भी शुद्रों में विश्रवा विवाह का रिवाज है। इसका का कारण यही है कि

उनकी स्त्रियां घर के अतिरिक्त वाहर का काम भी करती हैं। श्रव ज़माना बदल गया है। लेकिन जिस ज़माने में स्त्री पुरुषों का संघर्ष हुआ था उस ज़माने में जहाँ की स्त्रियाँ आर्थिक दृष्टि से पुरुषों की पूरो गुलाम बनी वहाँ की स्त्रियों के बहुत से अधिकार छिन गये। उनमें पुनर्विवाह का अधिकार मुख्य थाः जहाँ स्त्रियाँ अपने पैरों पर खड़ी रहीं वहाँ यह अधिकार बचा रहा।

प्रश्न (२४)—विधवा विवाह से इनके कौन कौन से अधिकार छिन गय हैं तथा कौन कौन सी हानियाँ हुई हैं ?

उत्तर-विधवा विवाह से किसी के श्रधिकार नही छिनते। श्रधिकार छिनते हैं कमजोरी से श्रौर मुर्खता से । श्रफ्रिका, श्रमेरिका श्रादि में श्रनेक जगह भारतीयों के साथ श्र**ळूत कैसा व्यवहार किया जाता है** । इसका कारण भार-तीयों की कमज़ोरी है । दक्षिण के उपाध्यायों में विश्रवा विवाह का रिवाज है, वे निर्माल्य भन्नण भी करते हैं । फिर भी उनके श्रधिकार सबसे ज्यादा हैं: इसका कारण है समाज को मूर्खता । उत्तर प्रान्त के दस्से श्रगर वियवा विवाह न करें तो भी उन्हें पूजा के अधिकार नहीं मिलगे, पगनत दिल्ला के लोगों को सर्वाधिकार हैं। श्रधिकार छिनने के कारण तो दूसरे ही होते हैं। हाँ, घार्मिक दृष्ट से विधवा विवाह वालों का कोई म्रिधिकार नहीं छिनता। स्वर्गों में भी विधवा विवाह है, फिर भी देव लोग नंदीश्वर में, समवशरण में तथा श्रन्य क्रत्रिमाक्तत्रिम चैत्यालयों में भगवान की पूजा बन्दना श्रादि करते हैं । विधवा विवाह, कुमारी विवाह के समान धर्मानुकूल है: यह बात हम पहिले सिद्ध कर चुके हैं। जब

कुमारीविवाह से कोई अधिकार नहीं छिनते तो विधवा विवाह से कैने छिनेंगे । कुछ लोग नासमभी से, विधवा विवाह से उन अधिकारों का छिनना बतलाते हैं जो व्यभिचार से भी नहीं छिन सकते ! इस सम्बन्य के कुछ शास्त्रीय उदा-हरण सुनिये—

कौशाम्बी नगरी के राजा सुमुख ने बीरक सेठ की स्त्री को हर लिया: फिर दोनों ने मुनियों को श्राहार दिया श्रीर मरकर विद्याधर, विद्याधरी हुए । इनहीं से हरिवंश चला। पग्रपुराण श्रीर हरिवंशपुराण की इस कथा से मालूम होता है कि व्यक्षिचार से मुनिदान श्रिष्ठकार नहीं छिनता। राजा मधु ने चन्द्राभा का हरण किया था। पीछे से दोनों ने जिनदीचा ली श्रीर सोलहवें स्वर्ग गये। इससे मालूम होता है कि व्यक्षिचार से मुनि, श्रायिका वनने का भी श्रिष्ठकार नहीं छिनता। प्रायश्चित ग्रन्थों के देखने से मालूम होता है कि श्रायिका भी श्रार व्यक्षिचारणी हो जाय तो प्रायश्चित के बाद किर श्रायिका बनाई जासकती है। व्यक्षिचारजात सुदृष्टि सुनार ने मुनिदीचा ली श्रीर मोच गया, यह बात प्रसिद्ध ही है। इस से मालूम होता है कि व्यक्षिचार से या व्यक्षिचार जात होने से किसी के श्रिष्ठकार नहीं छिनते। विध्वाविवाह तो व्यक्षिचार नहीं है, उससे किसी के श्रिष्ठकार नहीं छिनते। विध्वाविवाह तो व्यक्षिचार नहीं है, उससे किसी के श्रिष्ठकार कैसे छिन सकते हैं?

प्रश्न (२५)—इन जातियों में काई मुनि दीना से सकता है या नहीं ? यदि से सकता है तो क्या उनके खानदान में विश्ववाविवाह नहीं हुआ और क्या विश्ववाविवाह करने वाले खानदानों से वेटी व्यवहार नहीं हुआ ?

उत्तर-इन जातियों में मुनिदीचा लेते हैं। बेटी ब्यव-

हार भी सब जगह होता है। यह सब धर्मानुकूल है। इसका खुलासा २३ श्रोर २४ वें प्रश्न के उत्तर में हो चुका है।

प्रश्न (२६)—व्यभिचार से पैदा हुई सन्तान मुनिदीज़ा ले सकती है या नहीं ? यदि नहीं तो व्यभिचारिणी का पुत्र सुदृष्टि सुनार उसी भव से मोज़ क्यों गया ? क्या यह कथा मिथ्या है ?

उत्तर-यदि कथा मिथ्या भी हो तो इससे यह मालूम होता है कि जिन जिन श्राचार्यों ने यह कथा लिखी है उन्हें व्यभिचारज्ञात सन्तान को मृनि दीला लेने का श्रिधिकार स्वी-कार था। यदि कथा सत्य हो तो कहना ही क्या है ? मनुष्य किसी भी तरह कहीं भी पैदा हुन्ना हो, वैराग्य उत्पन्न होने पर उसे मुनिदीचा लेने का श्रधिकार है। इसमें तो सन्देह नहीं कि सुदृष्टि सुनार था, क्योंकि दोनों भवों में श्राभूषण बनानेका घंघा करता था. जोकि सुनार का काम है। रत्नविज्ञानिक शब्द से इतना ही मालम होता है कि वह रतनों के जडने के काम में वडा होशियार था: व्यभिचार जातता तो स्पष्ट ही है, क्योंकि जिस समय वह मरा श्रीर श्रवनी स्त्री के ही गर्भ में श्राया उसके पहिले ही उसकी स्त्री व्यक्तिचारणी हे। चुकी थी श्रीर जार से ही उसने सुद्धि की हत्या करवाई थी । वह श्रपने वीर्य से ही पैदा हुश्रा हो, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि वीर्य व्यभिचारिणी के गर्भ में डाला गया था। इतने पर भी जब कोई दोप नहीं है तो विधवा-विवाह में क्या दोष है ? विभवा विवाह से जो संतान पैदा होगी वह भी ता एक ही वीर्य से पैदा होगी।

प्रश्न (२७)—श्रैवर्णिकाचार के ग्यारहर्वे अध्याय में

१७४ वें श्रादि क्रोकों से स्त्री-पुनर्विवाह का समर्थन होता है या नहीं ?

उत्तर—होता है। त्रैवणिकाचार के रचियता सोमसेन ने हिन्दू-स्मृतियों की नकल की है, यहाँ तक कि वहाँ के श्लोक चुरा चुरा कर प्रन्थ का कलेवर बढ़ाया है। हिन्दू-स्मृतियों में विधवा-विवाह का विधान पाया जाता है इसलिये उनमें भी इसका विधान किया है। दूसरी बात यह है कि दिचल प्रान्त में (जहाँ कि सोमसेन भट्टारक हुए हैं) विश्ववा-विवाह का रिवाज सदा से रहा है। यह बात हम तेई सर्वे प्रश्न के उत्तर में कह चुके हैं। इसलिये भी सोमसेन जी ने विधवा-विवाह का समर्थन किया है। सब से स्पष्ट बात तो यह है कि उनने गालवऋषि का मत विधवा-विवाह के पन्न में उद्धृत किया है लेकिन उसका खगडन विलक्षल नहीं किया। पाठक ज़रा निम्न लिखित श्लोक पर ध्यान दें:—

कलौतु पुनरुद्वाहं वर्जयेदिति गालवः । कस्मिश्चिदेशे इच्छन्ति न तु सर्वत्र केचन॥

"गालव ऋषि कहते हैं कि कलिकाल में पुनर्विवाह न करें। परन्तु कुछ लाग चाहते हैं कि किसी किसी देश में करना चाहिये।"

इससे साफ मालूम होता है कि दिच्छ प्रान्त में उस समय भी पुनर्विवाह का रिवाज चालू था जिसका विरोध मद्दारकजी भी नहीं कर सके। इसिलये उनने विधवा-विवाह के विरोध में एक पंकि भी न लिखी। जो श्रादमी ज़रा ज़रा सी बात में सात पुश्त को नरक में भेजता है वह विधवा विवाह की ज़रा भी निंदा न करे यह बड़े श्रार्थ्य की बात है सोमसेन ने गालवऋषि का मन उद्धृत करके उसका खगडन करना तो दूर, श्रपनी श्रसम्मति तक ज़ाहिर नहीं की । इससे साफ़ मालृम होता है कि सोमसेन विधवा-विवाह के पत्त में थे, श्रथवा विपत्त में नहीं थे । श्रन्यथा उन्हें गालवऋषि के मतको उद्धृत करने की क्या ज़रूरत थी ? श्रीर श्रगर किया था तो उसका विरोध तो करते।

इससे एक यान श्रीर मालुम होती है कि हिन्दू लोगों में कलिकाल में पुनर्विवाह वर्जनीय है मो भी, िस्मी किसी के मत से नहीं हैं) लेकिन पहिले युगों में पुनर्विवाह वर्जनीय नहीं था। श्रीमान पं० जुगलिकशोरजी मुस्तार ने जैन जगन के १ में ब्रेड में पराशर, विस्मृ, मनु, याज्ञवरूक्य श्रादि ऋषियों के वाक्य देकर हिन्दू-धर्मशास्त्रों में स्त्री-पुनर्विवाह को बड़े श्रकाट्य प्रमाणों से सिद्ध किया है। जो लोग "नष्टे मृत प्रवजिते क्लीवे च पतिने पत्ती। पश्चम्वापत्मुनारीणां पतिरन्यों विधीयते" इस श्लोक में पत्ती का श्रपती श्रर्थ करते हैं वे बड़ी भूल में हैं। श्रिमितगित श्राचार्य ने इस श्लोक को विधवा-विवाह के समर्थन में उद्धृत किया है। वेद में पति शब्द के पत्ये श्रादि रूप बोसों जगह मिलने हैं। मुल्तार साहिय ने व्याकरणां श्रादि के प्रकरणों का उल्लेख करके भी इस वात को सिद्ध किया है। हितापदेश का निम्नलिखित श्लोक भी इसी बात को सिद्ध करता है—

'शशिनीव हिमार्तानाम् धर्मार्तानाम् रवाविव । मनो न रमते स्त्रीणां जराजीर्णेन्द्रियं पतौ' ॥ शान्तिपुराण में भी 'पतेः' ऐसा प्रयोग मिलता है । हिन्दू-धर्मशास्त्रों से विधवा विवाह के पोषण में बहुत ही अधिक प्रमाण हैं। इस लियं यह बात सिद्ध होती है कि हिन्दुओं में पहिले आमतौर पर पुनर्विवाह होता था। ऐसे विवाहों की सन्तान धर्मपरिवर्तन करके जैनी भी बनती होगी। जिस प्रकार आज दक्षिण में विधवा विवाह चालू है उसी तरह उस ज़माने में उत्तर प्रान्त में भी रहा होगा। कोटिलीय अर्धश्यास्त्र के देखने से यह बात विलक्कल स्पष्ट हो जाती है। चाणिक्य ने यह प्रन्थ महाराजा चंद्रगुप्त के राज्य के लिये बनाया था, और जैनमंथों से यह सिद्ध है कि महाराजा चंद्रगुप्त जैनी थे। एक जैनी के राज्य में पुनर्विवाह के कैसे नियम थे, यह देखने योग्य हैं—

"हस्य प्रवासिनां शृद्ध वैश्य चित्रय ब्राह्मणानां भार्याः संवत्सरोत्तरं कालमाकां च रम्नजाताः संवत्सराधिकं प्रजाताः। प्रतिविहिता द्विशुणं कालं ॥ श्रप्रतिविहिताः सुखावस्था विभृयुः परं बत्वारिवर्षाण्यष्टीवा ज्ञातयः ॥ ततो यथा दत्त मादाय प्रमुश्चयुः॥ ब्राह्मणमधोयानं दश वर्षाण्य प्रजाता द्वादश प्रजाता राजपुरुषमायुः चयादाङ्चेत ॥ सवर्णतश्च प्रजाता नापवादं लभेत्। कुटुम्बर्डि लोपे वा सुखावस्यै विमुक्ता यथेष्टं विन्देत जीविनार्थम्।

श्रधीत्—थोड़ं समय के लियं बाहर जाने वाले शृद्र वैश्य, त्रिय श्रीर ब्राह्मणों की पुत्रहीन स्त्रियाँ एक वर्ष तथा पुत्रवती इससे श्रधिक समय तक उनके श्रानेकी प्रतीत्ता करें। यदि पित उनकी श्राजीविका का प्रवन्ध कर गये हीं तो वे दुगुने समय उनकी प्रतीत्ता करें श्रीर जिनके भोजनाच्छादन का प्रवन्ध न हो उनका उनकं समृद्ध वंधुबांधव चार वर्ष या श्रिक से श्रधिक श्राठ वर्ष तक पालन पांपण करें। इसके बाद प्रथम विवाह में दिये धन को वापिस लेकर दूसरी शादी के लिये श्राह्मा देवें। पढ़ने के लिये बाहर गये हुए ब्राह्मणों की पुत्ररहित स्त्रियाँ दश वर्ष श्लोर पुत्रवती स्त्रियाँ बारह वर्ष तक प्रतीक्षा करें। यदि कोई व्यक्ति राजा के किसी कार्य से बाहर गये हों तो उनकी स्त्रियाँ श्लायु पर्यंत उनकी प्रतीक्षा करें। यदि किसी समान वर्ण (ब्राह्मणादि) पुरुष से किसी स्त्री के बच्चा पैदा होजाय तो वह निन्दनीय नहीं। कुटुम्ब की सम्पत्ति नाश होने पर अथवा समृद्ध वन्धुवांधवों से छोड़े जाने पर कोई स्त्री जीवन निर्वाह के लिये श्रपनी इच्छा के श्रमुसार श्रम्य विवाह कर सकती है।

प्रकरण ज़रा लम्बा है: इसिलये हमने थोड़ा भाग ही दिया है। इसमें विधवाविवाह श्रोर सधवा विवाह का पूरा समर्थन किया है। यह है सवा दो हज़ार वर्ष पहिले की एक जैन नरेश की राज्यनीति। श्रगर चन्द्रगुप्त जैनी नहीं थे तो भी उस समय का यह श्राम रिवाज मालुम होता है।

श्राचार्य सोमदेव ने भी लिखा है—विद्युत पत्यूढापि पुनर्विवाहमहंतीति स्मृतिकाराः -श्रर्थान् जिम स्त्री का पति विकारी हो, वह पुनर्विवाह की श्रिधिकारिणी है, ऐसा म्मृतिकार कहते हैं। सोमदेव श्राचार्य ने ऐसा लिखकर स्मृतिकारों का बिल्कुल खण्डन नहीं किया है, इससे सिद्ध है कि वे भी पुनर्विवाह से सहमत थे। इसी गीति से सोमसेन ने भी लिखा है—उनने गालव श्राधि के बचन उद्धृत करके विभवाविवाह का समर्थन किया है।

प्रश्न (२८)—- प्रगर किसी श्रबोध कन्या से कोई-बलात्कार करे तो वह कन्या विवाह योग्य रहेगी या नहीं।

उत्तर-क्यों न रहेगी? यह बात तो उन्हें भी न्धी-कार करना चाहियं जां स्त्रियों के पुनर्विवाह के विरोधी हैं, क्योंकि उन लोगों के मन से विवाह आगम की विधि से होता है। बलात्कार में श्रागम की विधि कहाँ है ? इस लिये वह विवाह तो है नहीं श्रीर श्रविवाहित कन्या को तो सभी के मत से विवाह का श्रिधिकार है। रही बलात्कार की बात सं उसका दंड बलात्कार करने वाले पापी पुरुष को मिलना चाहिये-बेचारी कन्या को क्यों मिले ? कुछ लोग यह कहते हैं कि "यदि बलात्कार करने वाला पुरुष कन्या का सजातीय योग्य हो तो उसी के साथ उस कन्या का पाणित्रहण कर देना चाहिये; श्रन्यथा कन्या जीवनभर ब्रह्मचारिणी रहे।" जो लोग बलात्कार करने वाले पापी, नीच, पिशाच पुरुप को भी योग्य समभते हैं उनकी धर्मबुद्धि की बलिहारी ! ब्रह्मचर्य पालना कन्या की इच्छा की बात है, परन्तु श्रगर वह विवाह करना चाहे तो धर्म उसे नहीं रोकता। न समाज को ही रोकना चाहिये। जो लोग पुनर्विवाह कं विरोधी हैं उनमें श्रगर न्याय बुद्धि का अनंतवाँ हिस्सा भी रहेगा तो वे भी न रोकेंगे क्योंकि ऐसी कन्या का विवाह करना पुनर्विवाह नहीं है।

प्रश्न (२६)--त्रैवणिकाचार से तलाक के रिवाज का समर्थन होता है। त्रया यह उचित है ?

उत्तर—दिव्य प्रांतमें तलाक का रिवाज है इसिलये सोमसेन ने इस रिवाज की पुष्टि की है। वे किसी को दसवें वर्ष में, किसी को १२ वें वर्ष में, किसी को पंद्रहवें वर्ष में, तलाक देने की (छोड़ देने की । ज्यवस्था देते हैं। जिसका बोलचाल श्रच्छा न हो उसको तुरंत तलाक देने की ज्यवस्था है। इस प्रधा का धर्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। समाज की परिस्थिति देखकर उसी के अनुसार इस विषय में विचार करना चाहिए। परंतु जिन कारणों से सोमसेन जी ने तलाक़ देने का उपदेश दिया है उनसे तलाक देना अन्याय है। यों भी तलाक प्रथा श्रच्छी नहीं है।

प्रश्न (३०)—िकस कारण से पुराणों में विधवा विवाह का उज्लेख नहीं मिलता? उस समय की परिस्थिति में और श्राज की परिस्थिति में श्रंतर है या नहीं?

उत्तर—पुराणों के ट्योलने के पहिले हमें यह देखना चाहिये कि पौराणिक काल में विधवाविवाह या स्त्रियों के पुनर्विवाह का रिवाज था या नहीं ?

पेतिहासिक दृष्टि सं जब हम इस विषय में बिचार करते हैं तब हमें कहना पड़ता है कि उस समय पुनर्विवाह का निवाज ज़रूर था। २० वें प्रश्न के उत्तर में कहा जा चुका है कि हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार विधवाबिवाह सिद्ध है। गालव आदि के मत का उत्तेख सोमसेन जी ने भी किया है। इससे सिद्ध है कि जैनसमाज में यह रिवाज हो या न हो परंतु हिंदू समाज में अवश्य था। हिंदू पुराखों के देखने से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है। उनके अंथों के अनुसार सुप्रीव की स्त्री का पुनर्विवाह हुआ था: धृतराष्ट्र पांडु और विदुर नियोग की सन्तान हैं। यदि यह कहा जाय कि ये कहानियाँ सूठी हैं तो भी हानि नहीं, क्योंकि इससे इतना अवश्य मालूम होता है कि जिन लोगों ने ये कहानियाँ बनाई हैं उन लोगों में विधवाविवाह और नियोग का रिवाज ज़रूर था और इसे वे उचित समभते थे। दमयंती ने नल को

दूँ ढने के लिये श्रपनं पुनर्विवाह के लिये स्वयम्बर किया था। माना कि उसे दूसरा विवाह करना नहीं था, परंतु इससे यह अवश्य हो सिद्ध होता है कि उस समय पुनर्विवाह का रिवाज था और राजा लोग भी उसमें योग देते थे। उपर्युक्त विवेचन से इतनी बात सिद्ध हुई कि चतुर्थकाल में अजैन लोगों में स्त्रियों के पुनर्विवाह का रिवाज था। अब हम श्रागे बढ़ते हैं।

चतुर्थ काल में ऋपभदेव भगवान के बाद शांतिनाथ भगवान के पहिले प्रत्येक तीर्थंकर के श्रांतराल में ऐसा समय श्रातारहा है जब की जैन धर्मका विच्छेद हो जाता था। ऐसे समय में ब्रजैनों के घार्मिक विश्वास के ब्रजुमार विधवाविवाह, नियोग श्रादि श्रवश्य होते थे । धर्मविच्छेद का वह श्रंतराल श्रसंख्य वर्षों का होता था। इससे करोड़ों पीढियाँ इसी तरह निकल जाती थीं श्रौर इतनी पीढ़ियों तक विधवा विवाह, नियोग स्रादि की प्रथा चलती रहती थी। फिर इन्हीं में जैनी लोग पैदा होते थे ऋर्थान् दीचा लेकर जैनी बनने थें। इस लिये जैनी भी इस प्रथा से श्रद्धूने नहीं थे। दूसरी बात यह है कि दीच्चान्वय किया के डारा श्रजैनों को जैनी बनाया जाना था। इस तरह भी इस प्रथा की छुत लगती रहती थी। जैन शास्त्रों के अनुसार ही जब इतनी बात सिद्ध हो जाती है तब विधवा विवाह का प्रथमानुयोग में उज्लेख न होना सिर्फ़ श्राश्चर्य की बात रह जाती है; विशेष महत्व की नहीं। परंतु ज़रा श्रीर गम्भीर विचार करने पर इसकी श्राश्चर्यजनकता भी घट जाती है श्रीर महत्व तो विलक्त नहीं रहता।

श्राजकल हमारे जितने पुराण हैं वं सब श्रेणिक के पूछने पर गौतम गण्धरं के कहे हुए बतलाये जाते हैं। श्राजकल जो रामायण, महाभारत प्रसिद्ध हैं, श्रेणिक ने उन सब पर विचार किया था श्रीर जब वह चित्र उन्हें न जँचे तो गोतम से पूछा श्रोर उनने सब चित्र कहा श्रीर बुराइयों की बीच वोच में निन्दा की। लेकिन इसके बीच में उनने कहीं विधवा विवाह की निन्दा नहीं की। हमारे पंडित लोग विधवा विवाह को परस्रीसेवन से भो बुरा बतलाने हैं लेकिन गौतम गण्धर ने इतने बड़े पाप (?) के विरोध में एक शब्द भी नहीं कहा। इससे साफ़ माल्म होता है कि गौतम गण्धर की हिट में भी विधवा विवाह की बुराई कुमारी विवाह से श्रिधिक नहीं थी श्रन्थथा जब परम्बीसेवन की निन्दा हुई श्रोर मिथ्यान्व की भी निन्दा हुई तब विधवाविवाह की निन्दा क्यों नहीं हुई?

एक बात श्रीर है। शास्त्रों में परस्त्रीसंवन की निन्दा जिस काग्ण से की गई है वह कारण विधवा विवाह को लागू ही नहीं होता। जैसे—

> यथा च जायते दुःखं हद्धायामात्म योषिति । नरान्तरेण सर्वेषामियमेत्र व्यवस्थितिः ॥

"जैसे श्रपनी स्त्री को कोई रोकले तो श्रपने को दुःख होता है उसी तरह दूसरे की स्त्री रोक लेने पर दूसरे को भी होता है।"

पाठक ही विचारें, जिसका पित मोजूद है उसी स्त्री के विषय में ऊपर की युक्ति ठीक कही जा सकती है। लेकिन विधवा का तो पित ही नहीं है. फिर दु ख किसे होगा ? स्रगर कहा जाय कि कोई सम्बन्धी तो होंगे, उन्हें तो दुःख हो सकता है: लेकिन यह तो ठीक नहीं, क्योंकि इस विषय में स्वामी को छोड़ कर किसी दूसरे के दुःख से पाप नहीं होता। हां अगर म्त्री स्वयं राजी न हो तो बात दूमरी है। अन्यथा कक्मणीहरण आदि बीमों उदाहरण दिये जा सकते हैं जिनमें माता पिता को दुःख हुआ था फिर भी वह पाप नहीं माना गया। इसका कारण यही है कि रुक्मणी का कोई स्वामी नहीं था जिसके दुःख की पर्वाह की जाती और वह तो स्वयं राजी थी ही। विध्वा के विषय में भी बिलकुल यही बात है। उसका कोई स्वामी तो है नहीं जिसके दुःख की पर्वाह की जाय और वह राजी न हो तो उसका विवाह करना अवश्य पाप है। परंतु यह बात कन्या के विषय में भी है। कन्या श्रगर राजी न हो तो उसका विवाह करना अवश्य पाप है।

इस विवेचन से हमें यह अच्छी तरह मालूम हो जाता है कि गौतमगण्धर ने विधवा विवाह की निन्दा क्यों नहीं की ? शास्त्रों में विधवा विवाह का उक्लेफ क्यों नहीं है ? इस के पहले हमें यह विचारना चाहिये कि विधवाओं का उक्लेफ क्यों नहीं है ? विधवाएँ तो उस समय भी होती थीं? परंतु जिस प्रकार कन्याओं के जीवन का चित्रण है, पत्नीजीवन का चित्रण है, उसी प्रकार प्रायः वैधव्य का चित्रण नहीं है । इतना ही नहीं बिल्क वैधव्य दीचा किसी ने ली इसका भी चित्रण नहीं है । इस कारण क्या हम यह कह सकते हैं कि उस समय विधवाएँ नहीं होती थीं या वैधव्य दीचा कोई नहीं लेता था ? यदि इन श्वित्रणों के श्रभाव में भी विधवा श्रीर वैधव्यदीका का उस समय सद्भाव माना जा सकता है तो विधवाविवाह के चित्रण के श्रभाव में भी उस समय विधवाविवाह का सद्भाव माना जा सकता है, क्योंकि जो रिवाज धर्मशास्त्र के श्रनुकृत है उसके प्रचार में चतुर्थकाल के धार्मिक श्रीर उदार लोग वाधा डालते होंगे इसकी तो स्वप्न में भी कल्पना नहीं की जा सकती।

प्रथामानुयोग शाम्त्र कोई दिनचर्या लियने की डायरी
नहीं। उनमें उन्हां घटनाओं का उन्नेव हैं जिनका सम्बन्ध
शुभाशुभ कमों से हैं। वर्णन को सरम बनाने के लिये उनने
मरस रचना श्रवश्य को है लेकिन श्रनावश्यक चित्रण नहीं
किया, बिक श्रनेक श्रावश्यक चित्रण भी रह गये हैं। दीनान्वय किया का जैसा विधान श्रादिषुराण में पाया जाना है,
उसका चित्रण किसी पात्र के चरित्र में नहीं किया, जब कि
सैकड़ों श्रजैनों ने जनवर्म की दीना ली है। इस लिये क्या यह
कहा जा सकता है कि उस समय दीन्नान्वय की वह विधि
चालू नहीं थी ? यही बान विधवाविवाह के बारे में भी है।

विवाह विधान के आठ भेद बतलाये हैं, परन्तु प्रथमा-नुयोग के चरित्रों में दो एक विधानों के अतिरिक्त और कोई विधान नहीं मिलते। लेकिन इससे यह नहीं कहा जा सकता कि उस समय वैसे विधान चालू नहीं थे।

इससे यह बात सिद्ध होती है कि विधव।विवाह कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना नहीं थी जिसका चित्रण किया जाता। यहाँ शंका हो सकती है कि 'कुमारी-विवाह भी ऐसी क्या महत्वपूर्ण घटना थी जिसका चित्रण किया गया ?' इसका उत्तर थोड़े में यही दिया जा सकता है कि प्रथमानुयोग प्रत्थों में कुमारी-विवाह का उक्कें प्राप्त वहीं हुआ है जहाँ पर कि विवाह का सम्बन्ध किसी महत्वपूर्ण घटना से हो गया है। जैसे सुलोचना के विवाह का सम्बन्ध जयकुमार अर्ककीर्ति के युद्ध से है, सीता के विवाह का सम्बन्ध धनुष चढ़ाने और भामंडल के समागम से है इत्यादि । बाकी विवाहों का कुछ पता ही नहीं लगता; सिर्फ स्त्रियों की गिनती से उनका अनुमान किया जाता है।

प्रचीन समय में कुमारी विवाहों में किसी किसी विवाह का सम्बन्ध किसी महत्वपूर्ण घटना से हो जाता था इस लिये उनका उच्चेख पाया जाता है। परन्तु विधवा विवाह में ऐसी महत्वपूर्ण घटना की सम्मावना नहीं थी या घटना नहीं हुई इस लिये उनका उज्लेख भी नहीं हुआ।

शास्त्रों में सिर्फ़ महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख मिलता है। महत्वपूर्ण घटनाएं श्रच्छी भी हो सकती हैं श्रीर बुरी भी हो सकती हैं। इस्रीलिये परस्त्रीहरण श्रादि तुरी घटनाओं का भी उल्लेख है। बुरे कार्यों को निन्दा श्रोर उनका बुरा फल बतलाने के लिये यह चित्रण हुआ है। अगर विश्ववाविवाह भी बुरी घटना होती नो उसका पाप फल बतलाने के लिये क्या एक भी घटना का उल्लेख न होता। इससे साफ़ माल्म होता है कि विश्ववाविश्राह का श्रमुलेख उसकी बुराई को नहीं, किन्तु साधारणना को बतलाता है। जब शास्त्रों में परस्त्रीहरण श्रीर बाप वेशी के विश्राह का उल्लेख मिलता है (देखा कार्त्तिकेय स्वामीकी कथा—श्राराधना कथा-कोप में) श्रीर उनकी निन्दा की जाती है, किन्तु विश्रवाविवाह का उल्लेख उसकी निन्दा करने श्रीर दुष्फल बताने को भी नहीं

मिलनाः इतने पर भी जो लोग विधवाविवाह को बड़ा पाप समभते हैं उनकी समभ की बिलहारी । साराँश यह है कि विधवा विवाह न तो कोई पाप है, न कोई महत्वपूर्ण बात है जिससे उसका उन्नेख शास्त्रों में किया जाता।

जब यह बात सिद्ध हो चुकी कि विभवाविवाह जैनशास्त्रों के अनुकूल और पुरानी प्रथा है तब इस बात की ज़रूरत नहीं है कि दोनों कालोंकी परिस्थितिमें ऋन्तर दिखलाया जाय, फिर भी कुछ श्रन्तर दिखला देना हम श्रनुचित नहीं समसतेः—

पहिले ज़माने में विवाह तभी किया जाता था जब मातापिता देख लेते थे कि इनमें एक तरह का रागभात्र पैदा हो गया है, जिसको सीमित करने के लिये विवाह आवश्यक है, तब वे विवाह करते थे। परन्तु आजकल के माता पिता असमय में ही बिना ज़रूरत विवाह कर देते हैं; बस फिर उनकी बला से। पहिले ज़माने में भ्रूणहत्याएँ नहीं होती थीं। परन्तु आजकल इन हत्याओं का बाज़ार गर्म है।

पहिले ज़माने में अगर किसी स्त्री से कोई कुकर्म हो जाता था तो भी वह और उसकी संतान जाति से पितत नहीं मानी जाती थी। उनकी योग्य व्यवस्था की जाती थी। ज्येष्ठा श्रायिका का, उदाहरण काफ़ी होगा। उस समय जैनसमाज में जन्मसंख्या की श्रपेक्षा मृत्युसंख्या श्रधिक नहीं थी।

विधवा स्त्रियोंके साथऐसे श्रत्याचार नहीं होतेथे; जैसे कि श्राजकल होते हैं। इस प्रकार श्रन्तर तो बहुत से हैं,परन्तु प्रकरणके लिये उपयोगी थोड़ेसे श्रन्तर यहाँ लिख दिये गयेहैं।

प्रश्न (३१)—सामाजिक नियम श्रथवा व्यवहार धर्म श्रावश्यकतानुसार बदल सकता है या नहीं ? उत्तर—सामाजिक नियम अथवा व्यवहार धर्म, इन दोनों शब्दों के अर्थ में अन्तर है, परंतु सामाजिक नियम, व्यवहार धर्म की सीमा का उज्ञंघन नहीं कर सकते हैं। इस लिये उनमें अभेद रूप से व्यवहार किया जाता है। जो सामा-जिक नियम व्यवहार धर्म रूप नहीं हैं अर्थात् निश्चय धर्म के पोषक नहीं हैं वे नादिरशाही के नमूने अथवा भेड़ियाधसानी मुर्खता के चिन्ह हैं। व्यवहार धर्म (तदन्तर्गत होने से सामाजिक नियम भी) सदा बदलता रहता है। व्यवहार धर्म में द्व्य. जेत्र, काल, भाव की अपेज्ञा है। जब द्व्य, जेत्र, काल, भावमें सदा परिवर्त्तन होता है,तब तदाश्चित व्यवहार धर्म में परिवर्तन क्यों न होगा ? व्यवहार धर्म में अगर परिवर्तन न किया जाय तो धर्म जीवित ही नहीं रह सकता।

माचमार्ग में ज्यों ज्यों उच्चता प्राप्त होती जाती है त्यों त्यों भेद घटते जाते है। भिद्धों में परम्पर जितना भेद है उससे ज्यादा भेद श्ररहंतों में है श्रीर उससे भी ज्यादा मृतियों में श्रीर उससे भी ज्यादा श्रावकों में है।

ऊपरी गुण स्थानों में कमों का नाश, केवलक्षानादि की उत्पत्ति, शुक्ल ध्यान आदि की दृष्टि से समानता है; परन्तु शुक्ल ध्यान के विषय आदिक की दृष्टि से भेद भी है । और भी बहुत सी वातों में भेद है । कोई सामायिक संयम रखता है, कोई छुदोपस्थापना । कोई स्त्री वेदो है, कोई पुंवेदी, कोई नपुंसक वेदी । इन जुदे जुदे परिणामों से भी सब यथाख्यात संयम को प्राप्त करते हैं। भगवान अजितनाथ से लेकर भगवान महावीर तक छुदोपस्थापना संयम का उपदेश ही नहीं

था। भगवान् ऋषभदेव श्रीर भगवान महावीर ने इसका भी उपदेश दिया! मुनियों के लिये कमंडलु रखना श्रावश्यक है, परन्तु तीर्थङ्कर श्रीर सप्त ऋदि वाले कमंडलु नहीं रखते। मतलब यह कि व्यवहार धर्म का पालन श्रावश्यकता के श्रमुसार किया जाता है—उसका कोई निश्चित रूप नहीं है।

श्राबकाचार में तो यह श्रन्तर श्रोर भी श्रधिक हो जाता है। छुटवीं प्रतिमा में कोई राशि भोजन का त्याग बतात हैं तो कोई दिनमें स्त्री सेवन का त्याग ! श्रष्ट मूलगुण तो समय समय पर बदलते ही रहे हैं श्रीर वे इस समय चार तरह के पाये जाते हैं! किसी के मतसे वेश्यासेवी भी ब्रह्मचर्याणुव्रती हो सकता है किसी के मत से नहीं! जो लोग यह समभते हैं कि निश्चयधर्म एक हैं इसलिये व्यवहारधर्म भी एक होना चाहिये, उन्हें उपर्युक्त बिवेचन पर ध्यान देकर श्रपनी बुद्धि को सत्यमार्ग पर लाना श्रावश्यक हैं।

कई लोग कहते हैं—"ऐसा कोई सामाजिक नियम अथवा किया नहीं है जो धर्म से शून्य हो। सभी के साथ धर्म का सम्बन्ध है अन्यथा धर्मशृन्य किया अधर्म ठहरेगी"। यह कहना बिलकुल ठीक है। परन्तु जब येही लोग कहने लगते हैं कि सामाजिक नियम तो बदल सकते हैं, परन्तु व्यवहार धर्म नहीं बदल सकता तब इनकी अक्ल पर हँसी आने लगती है। वे व्यवहार धर्म के बदलने से निश्चय धर्म बदलने की बात कहके अपनी नासमभी तो प्रगट करते हैं, किन्तु धर्मानुकूल सामाजिक नियम बदलने की बात स्वीकार करके भी धर्म में परिवर्तन नहीं मानते। ऐसी समभदारी तो अवश्य ही अजा-यबघर में रखने लायक है।

यहाँ हम इस बात का खुलासा कर देना चाहते हैं कि व्यवहारधर्म के बदलने से निश्चय धर्म नहीं बदलता। दवाइयाँ हजारों तरह की होती हैं और उन सबसे वीमार श्रादमी निरोग बनाया जाता है । रोगियों की परिस्थिति के श्रद्धसार ही दवाई की व्यवस्था है। एक रोगी के लिये जो दवाई है दूसरे के। वही विग हो सकता है। एक के लिये जो थिय है, दुसरे को बही दवाई हो सकती हैं। प्रत्येक रोगी के लिये श्रीपध का विचार जुदा जुदा करना पड़ता है। इसी प्रवार प्रत्येक व्यक्ति के लिये व्यवहारधर्म जुदा जुदा है। सभी रोगें। के लिये एक ही तरह की दबाई बताने बाला बैय जितना मुर्ख है उससे भी ज्यादा मूर्ज वह है जो सभी व्यक्तियों के लिये सभी समय के लियं एक ही सा व्यवहार धर्म बतलाता है। इस पर थोडामा विवेचन हमने स्थारहर्वे प्रश्न के उत्तर में भी किया है। विजवा-विवाह सं सम्यक्तव श्रीर चारित्र में कांई दूषण नहीं आता है इस बात को भी इम विस्तार से पहिले कहचुके हैं। विधवा-विवाह से चारित्र में उतनी ही बटी होती है जितनी कि कुजारी विवाह से। अब इस विषय को दहराना व्यर्थ है।

उपसंहार

३१ प्रश्नों का उत्तर हमने संज्ञेष में दिया है फिर भी लेख बढ़ गया है। इस विषय में श्रीर भी तर्क हो सकता है जिसका उत्तर सरल है। विचारयांग्य कुछ बातें रहगई हैं। उन सबके उल्लेख से लेख बढ़ जावेगा इसलिये उन्हें छोड़ दिया जाता है। इति

प्रेरित पत्र

श्रीमान सम्पादकजी महोदय!

में "जैन जगत्" पढ़ा करती हूँ श्रीर उसकी बहुतसी बातें मुक्ते श्रच्छी मालूम होती हैं। लेकिन श्रीयुत सन्यसाची जी के द्वारा लिख गये लेख को पढ़कर मैं बड़ी चिन्ता में पड़ गई। उस लेखमें विधवाविधाह का धर्म के अनुसार पोपण किया गया है। वह लेख जितना जबर्दम्त है उतना ही भया-नक हैं। मैं पंडिता तो हूँ नहीं, इस लिए इस लेख का खगडन करना मेरी ताकृत के बाहर है; परन्तु मैं सीधी साधी दो चार बातें कह देना उचित समस्ती हूँ।

पहिली बात तो यह है कि सन्यसाचीजी विधवात्रों के पीछे हाथ घोकर क्यों पड़े हैं ? वे वेचारी जिस तरह जीवन ज्यतीत करती हैं उसी तरह करने दीजिए। जिस गुलामी के बन्धन से वे छूट चुकी हैं, क्या उसी बंधनमें डालकर सन्यसाचीजी उनका उद्धार करना चाहते हैं ? गुलामीका नाम भी क्या उद्धार है ?

जो लोग विश्ववाविवाह के लिये एड़ीसे चोटी तक पसीना बहाते हैं उनके पास क्या विश्ववाओं ने दरख्वान्त भेजी है ? यदि नहीं तो इस तरह अनावश्यक दया क्यों दिखलाई जाती है ? फिर वह भी ऐसी हालतमें जबकि स्त्रियाँ ही स्वयं उस दया का विरोध कर रही हों।

भारतीय महिलाएँ इस गिरी हुई श्रवस्थामें भी श्रगर सिर ऊँचा कर सकती हैं तो इसीलिये कि उनमें सीता, सावित्री सरीखी देवियाँ हुई हैं। विश्ववाविवाह के प्रचार से क्या सीता सावित्रीके लिये श्रङ्गल भर जगह भी बचेगी? क्या वह श्रादर्श नष्ट न हो जावेगा ? श्रादर्श वने रहने पर उन्नति के शिखर से गिर पड़ने पर भी उन्नति हो सकती है, परन्तु श्रादर्श के नष्ट होजाने पर उन्नति की बात ही उड़ जायगी।

सम्पादकजी! में धर्मके विषयमें तो कुछ समभती नहीं हूँ। न बालकी खाल निकालने वाली युक्तियाँ ही दे सकती हूँ। सम्भव है सव्यसाची सरीखे लेखकों की कृपा से विधवा विबाह धर्मानुकृल ही सिद्ध हो जाय, परन्तु मेरे हृदय की जो श्रावाज़ है वह में श्रापके पास भेजती हूँ श्रीर अन्त में यह कह देना भी उचित समभती हूँ कि शास्त्रों में जो श्राठ प्रकार के विवाह कहे हैं उनमें भी विधवाविवाह का नाम नहीं है। श्राशा है सव्यसाचीजी हमारो बानों का समुचित उत्तर देंगे। श्रापकी भगिनी—कल्यागी।

कल्याणी के पत्र का उत्तर ।

(लेखक--श्रीयुत 'सव्यसाची')

बहिन कल्याणी देवीने एक पत्र लिखकर मेरा बड़ा उप-कार किया है। वैरिस्टर साहिब के प्रश्नों का उत्तर देने समय मुक्ते कई बातें छोड़नी पड़ी हैं। बहिन ने उनमें से कई वातों का उल्लेख कर दिया है। श्राशा है इससे विश्ववाविवाह की सन्नाई पर श्रीर भी श्रधिक प्रकाश पड़ेगा।

पहिली बात के उत्तर में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि विधवाविवाह से स्त्रियोंको गुलाम नहीं बनाया जाताहै। हमारे ख़याल से जो विधवाएँ ब्रह्मचर्य नहीं पाल सकतीं उनके लिये पतिके साथ रहना गुलामी का जीवन नहीं है। क्या सधवा जीवन को स्त्रियाँ गुलामी का जीवन सममती हैं? यदि हां, ता उन्हें विधवा वनने के लिये ब्रातुर होना चाहिये—पति के मरने पर लुशी मनाना चाहिये; क्योंकि वे गुलामी से छुटी हैं; परन्तु ऐसा नहीं देखा जोता। हमारी समक्त में स्त्रियाँ वैधव्य को श्रपने जीवनका सबसे यड़ा दुःख सप्रभती हैं और पतिके साथ रहने को बडा सुख। लमाज की दशा देखकर भी कहना पडता है कि जितनी गुलाभी विश्ववा को करना पड़ती है उतनी सधवा को नहीं। सधवा एक पुरुष की गुलामी करती है, साथ ही में उससे कुछ गुलामी कराती भी हैं: परन्तु विधवा को समस्त कुट्रम्ब की गुलाभी करना पड़ती है। उसके ऊपर सभी श्राँख उठाते हैं,परन्त वह फिसीके साम्हने देख भी नहीं सकती। उस के श्राँसश्रोंका मूल्य करीय करीय 'नहीं' के बरावर हो जाता है ! उसका पवित्र जीवन भी शंका की दृष्टि से देखा जाता है। अप-शकुन की मुर्ति तो यह मानी ही जाती है। क्या गुलामी की ज़ंजीर ट्रंटने का यही शुभ फल है ? क्या स्वतन्वाता के येही चिन्ह हैं। थोड़ी देर के लिये मान लीजिये, कि वैधव्य-जीवन बड़ा सुखमय जीवन है, परन्तु विश्वव(विवोह वाले यह कब कहते हैं कि जो विश्ववा विवाह न करेगी वह नरक जायगी ? उनका कहना तो इतना ही है कि जो वैधन्य को पवित्रता सं न पाल सकें वे विवाह करलें: क्योंकि कुमारी-विवाह के समान विधवाविवाह भी धर्मानुकूल है। किन्तु जो वैधव्य को निभा सकती हैं वे ब्रह्मचारिखी बने ! श्रार्थिका वने ! कौन मना करता है ? विधवा विवाह के प्रचारक काई ज़बर्दस्ती नहीं करते । वे धर्मानुकृत सरल पार्ग बताते हैं। जिसकी खुशी हो चले, न हो न चले। हाँ, इतनी बात श्रवश्य है कि ऐसी बहिने गुन व्यभिचार श्रीर भ्रूण-इत्याश्री सं दूर रहें।

दूसरी बात के उत्तर में मेरा निवंदन हैं कि विश्ववाद्यों ने मेरे पास दरम्बास्त नहीं भेजी हैं। श्राम तौर पर भारतवर्ष में विवाह के लिये दरख्वास्त भेजने का रिवाज भी नहीं हैं। मैं पूँ छुता हूँ कि हमारे देश में जितनी कन्याश्रों के विवाह होते हैं उनमें से कितनी कन्याएँ विवाह के लिये दरख्वास्त भेजती हैं यदि नहीं भेजतीं तो उनका विवाह क्यों किया जाता है ? क्या कन्याश्रों का विवाह करना श्रनावश्यक दया है ? यदि नहीं तो विश्ववाश्रों का विवाह करना भी श्रनावश्यक दया नहीं है।

दृसरी बात यह है कि दरख्वास्त सिर्फ़ काग़ज पर लिख कर ही नहीं दी जाती—बह कार्यों के द्वारा भी दी जाती है। विश्रवा समाज ने भूण हत्या, गुप्त व्यक्तिचार ख्रादि कार्यों सं समाज के पास ज़बद्स्त से ज़बद्स्त दरख्वास्तें भेजी हैं। इस लिये उनका विवाह क्यों न करना चाहिये? कन्याएँ न तो काग़ज़ों पर दरख्वास्त भेजती हैं, न भूण हत्या श्रादि कुकार्यों से: फिर भी उनका विवाह एक कर्तव्य समक्ता जाता हैं। तब विश्रवाश्रों का विवाह कर्तव्य क्यों न समका जाय?

कुछ दिनों से कुछ महापुरुषों (?) ने स्त्रियों के द्वारा भी विधवाविवाह के विरोध का स्वांग कराना शुरुकर दिया है, परंनु कुमारी विवाह के निषेध के लिये हम कुमारियों को खड़ा कर सकते हैं। फिर क्या कल्याणीदेवी, कुमारियों के विवाह को भी अनुचित दया का परिणाम समर्भेगी ? बात यह है कि शताब्दियों की गुलामी ने स्त्रियों के शरीर के साथ आतमा और हृदय को भी गुलाम बना दिया है। उनमें अब इतनी हिम्मत नहीं कि वे हृदय की बात कह सके। अमेरिका में जब गुलामी की प्रथा के विरुद्ध अवाहमलिकन ने गुद्ध छेड़ा तो स्वयं गुलामों ने अपने मालिकों का पत्त लिया. श्रीर जब वे स्वतन्त्र हो गये तो मालिकों की ही शरए में पहुँचे । गुलामी का ऐसा ही प्रभाव पड़ना है। जरा स्वतम्त्र नारियों से ऐसी बात कहिये-योरोप की महिलाओं से विधवाविवाह के विरोध करने का अनुरोध कीजिये - तब मालम हो जायगा कि स्त्री-हृदय क्या चाहता है ? हमारे देश की लजाल स्त्री छिपे छिपे पाप कर सकती हैं: परन्तु स्पष्ट शब्दों में श्रपने न्यायोचित श्रधिकार भी नहीं माँग सकतों । एक विधवा से-जिसके चिन्ह वैभव्य पालन के अनुकूल नहीं थे-एक महाशय ने विधवाधिवाह का जिकर किया तो उनको पचासों गालियाँ मिलीं, घर घालीं ने गालियाँ दीं श्रीर बेचारों की बड़ी फजीइत की । परन्तु कुछ दिनों बाद वह एक श्रादमी के घर में जाकर बैठ गई! इसी तरह हजारों विधवार मुसलमानों के साथ भाग सकती हैं, भ्रु लहत्या कर सकती हैं, गुप्त व्यभिचार कर सकती है, परन्तु मुँह से ऋपना जनम सिद्ध अधिकार नहीं माँग सकतीं। प्रायः प्रत्येक पुरुष को इस बात का पता होगा कि ऐसे कार्यों में श्त्रियां मुँह से 'ना', 'ना' करती हैं श्रौर कार्य से ' हाँ ', ' हाँ ' करती हैं, इस लिये स्त्रियों के इस विरोध का कुछ मूल्य नहीं है।

बहिन कल्याणी ने अपने पत्रमें सीता सावित्री श्रादि की दुहाई दी है। क्या बहिन ने इस बात पर विचार किया है कि श्राज सैकड़ों वर्षों से उत्तर प्रान्तके जैनियों में विधवाविवाह का रिवाज बन्द है लेकिन तब भी कोई सीता जैसी पैदा नहीं हुई है? बात यह है कि पशुश्रोंके समान गुलाम स्त्रियों में सीता जैसी स्त्री पैदा हो हा नहीं सकतीं, क्योंकि डंडे के बलपर जो धर्म का ढोंग कराया जाता है वह धर्म ही नहीं कहलाता है। बहिनका कहना

है कि ''विधवाविवाह के प्रचार से क्या सीता सावित्री के लिये श्रंगुल भर भी जगह बचेगी ?" हमारा कहना हैकि जहाँ धर्म के लिये श्रंगुल भर भी जगह नहीं है, वहाँ हाथ भर जगह निकाल लेने वाली ही सीता कहलातीहै। जाबर्दस्ती या मौका न मिलने से ब्रह्मचर्य का ढोंग करने वाली यदि सीता कहलावें तो वेचारी सीताश्रों का कौडी भर भी मृत्य न रहे। सीता जी का महत्व इसी लिये है कि वे जंगल में रहना पसंद करती थीं श्रीर तीन खंड के ब्रधिपति रावण की विभृतियों को ठुकराती थीं । जब सीता जी लंका में पहुँचीं श्रीर उन्हें मालूम हुआ कि इरण करने वाला तो विद्याधरोंका श्रिधिपति है तभी उन्हें करीब २ विश्वास हो गया कि श्रव ख़ुटकारा मुश्किल है। रावण जब युद्ध में जाने लगा और सीता जी से प्रसन्न होने को कहा तो उस समय सीता जी को विश्वास हो गया था कि राम लब्मण. रावण से जीत न सकेंगे । इसीलिये उनने कहा कि मेरा संदेश विना सनाये तुम राम लदमण को मत मारना । मतलब यह कि रावण की शक्ति का पूरा विश्वाश होने पर भी उनने रावण को बरण न किया: इमीलिये सोता का महत्व है। श्राजकल जो विधवाएँ समाज के द्वारा जबर्दस्ती बन्यन में डालो गई हैं, उन्हें सीता समभना सीता के चरित्र का ग्रपमान करना है।

विधवाविवाह के श्रान्दोलन से सिर्फ़ विधवाश्रों को श्रपने विवाह का अधिकार मिलता हैं-उन्हें विवाह के लिये कोई विषश नहीं करता। श्रगर वे चाहें तो खुशी से वैधव्य का पालन करें। परन्तु वहिन कल्याणी का कहना है कि विधवा-विवाह से सीताक लिये श्रंगुल भर भी जगह न बचेगी। इसका मतलब यह हैं कि श्राजकल की विधवाएँ पुनर्विवाह के श्रिध- कार सरीखा इसके से हलका प्रलोभन भी नहीं जीत सकतीं! क्या हमारी बहिन एसी ही स्त्रियों से रावण के प्रलोभन जीतने की श्राशा रखती हैं? यहिन, सखीं विधवाएँ तो उस समय पैदा होंगी जिस समय समाज में विधवाविषाह का खूब प्रचार होगा। विधवा श्रीर ब्रह्मचारिणी में बड़ा श्रन्तर हैं। पित मरने से विधवा होती है न कि ब्रह्मचारिणी। उसके लिये त्याग की ज़रूरत हैं श्रीर त्याग तभी हो सकता है, जब प्राप्ति हो या प्राप्ति की श्राशा हो।

श्रन्त में बहिन ने कहा है कि श्राठ प्रकार के विवाहां में विधवाविवाह का उन्नेख नहीं हैं। परन्तु इन श्राठ तरह के विवाहों में कुमारी-विवाह, श्रन्यगोत्र विवाह, सजातीय विवाह श्रादि का उन्नेख भी कहाँ हैं? क्या ये सब विधाह भी नाजायज़ हैं? बात यह है कि ये श्राठ भेद विधाह की रीतियों के भेद हैं श्रर्थात् विवाह श्राठ तरह से हो सकता है। श्रर्थात् सजातीय विवाह, विधावा विधाह, श्रतुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, श्रादि सभी तरह के विधाह श्राठ रीतियों से हो सकते हैं। इसीलिये कुमारीविवाह विधवा विधाह श्राठ रीतियों से हो सकते हैं। इसीलिये कुमारीविवाह विधवा विवाह श्रादि भेदों को रीतियों में शामिल नहीं किया है। जैसे कुमारीविवाह के श्राठ भेद हैं।

त्राशा है बहिन को हमारे उत्तरों से सन्तोष होगा। त्रागर फिर भी कुछ शंका रहे तो मैं उत्तर देने को तैयार हूँ।

ज़रूरी निवेदन।

१—आजकल हिन्दी "जैनगजट" में जो श्रीयृत "सव्यसाची" के लेख (जो कि "जैन जगत" में निकल चुका हैं) के उत्तर में एक लेख क्रमशः निकल रहा हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब श्रीयृत "सव्यसाची" जी भी तथ्यार करते जा रहे हैं। वह शीध ही हिन्दी "जैन गजट" में पूर्ण छप चुकने पर "विधवा विवाह और जैन धर्म के दूसरे भाग के रूप में प्रकाशित होगा।

२— ''उजले पोश वदमाश'' की भृमिका
में जो " सेठ जी की काली करतृत " के
लिये सूचित किया गया था, वह पुस्तक भी
लिखी जा रही है, शीघ ही प्रकाशित होगी।

श्रन्य उपयोगी पुस्तकें

	A ANALGE F		
۶.	शिचाप्रद शास्त्रीय उदाहरण—		
	श्री पं० जुगतकिशांग जी मुख्तार	मृत्य	t jii
₹.	विवाह चेत्र प्रकाश— ,,	9 4	1=)
₹.	जैन जाति सुदशा प्रवर्तक—नेव	(本	,
	श्रो वाबु स्रज भानु वकीत	न ,,	-)
	मंगलादेवी— "	• •	-)
¥.	क्वारों की दुर्दशा— ,,	• 4	
ξ.	गृहस्थ धर्म,	* 5	
છ.	राजदुलारी— "	79	₹)
Ξ,	विधवाविवाह ऋौर उनके संग्चक	तें	
	से अपील-नेषक वश्शीतनप्रसादक	íi ,,)#
3	उजलेपाश वटमाश—लेवक पंडिस	₹	
	श्रयोध्याप्रसाद गोयली	य .,	-)
٥.	जेनधर्म और विधवाविवाह— ^{लेग}		ĺ
	श्री० सञ्यसाची	,,	-)1
۶.	विधवाविवाह समाधान— ,,	,.	jII
	मिलने का पता : जौहरीमल सर्राप	F.	
	वड़ा दरीबा, व	रेहली	l

ξ




(इसरा भाग)



ল্ডাৰ:---

श्रीयुत "सन्यमाना"



वकाशक— ला० जोहरीमल जैन सर्राफ़ मन्त्री जैन बाल विधवासहायक मभा, दरीया कलाँ, देहली



मुद्रक— शान्तिचन्द्र जैन, ''चैतन्य'' प्रिन्टिङ्ग प्रेस, विजनौर (यू॰ पी॰)

शुद्धाशुद्धि-पत्र

-+->	3- 2 -2	<>→	

áa	पंक्ति	अ शुद्ध	शुद्ध
२०	१६	डीप्	ङीप्
२०	१६	दीप्	टाप्
२१	२६	पदत्रायं	यदत्रायं
२६	१३	वह पुरुष मदोन्मत्त	वे पुरुषत्व-मदान्मस
ર⊏	=	में	के लिये
રેક	१७	वृषात	वृषत
३⊏	ક	निमय	नियम
ध १	3,5	सिंहों	सिंहा
કર	२०	यात्यानश्च	यात्यनिश्च
४ १	२२	स्रप्ष	स एव
४ ६	२ १	खुद ही	ख़्द
8=	१७	चाहियें	चाहिय
38	११	छेट क	छेदक
७१	₹⊏	भोक्ती	भोक्त्री
१३३	R	युक्ति से जीतने पर	युक्ति से न जीतने पर
३७१	१ ५	सन्धेर	श्रन्धेर
१८०	સ્પ	क	को
१⊏२	=	नावत्री	नवाबी

पृष्ठ	पंक्ति	श्रमुद्ध	স্ব
१्⊏२	२३	मूलाकार	मृताचार
१≖२	ود	मुलापार	मृताचार
१⊏३	દ્	मूलापार	मूलाचार
१=५	3	कुमि	कु'नि
१टट	ч	श्रादि	श्चनादि
१६३	Ą	व्यक्तिचार नहीं है	व्यभिचार भी नहीं है
२०४	१३	श्चपतिरन्या	श्चपतिरस्यो
२०६	१	प्रप्रोग	प्रयोग
२११	۶	ट्या रूयास्यायः	ट्याल्यास्यामः
२१३	२०	सुलावस्थेविमुक्ता	सुखावस्यैविंमुक्ता
રશ્ક	१्२	चिसका	जिसका
२२७	१२	सङा	रुद्धा
૨ ૨&	E	निरोग	नीरोग
२२६	3	निरोग	नीराग

* त्रावश्यक निवेदन *

जैन समाज और हिन्द समाज की घटी का मुख्य कारण विधवाविवाह से घुणा करना व उसको व्यभिचार या पाप समभाना है। लाखों हो संनान बिन विवाहे कुमारे गई जाते हैं, क्योंकि उनको कन्याएँ नहीं मिलतीं इसलिये वे जब मरते हैं नद अपने घरों में सदा के लिये ताले लगा जाते हैं। उधर विधुर पुरुष अपने एक जीवन में कई २ बार शादियां करते हैं, बृद्ध होने पर भी नहीं चुकते हैं: जिसका फल यह दाता है कि बहुत सी युवान विधवाएँ बिना संतान रह जाती हैं। कोई जो धनवान होती हैं वे गांद से सेती हैं शेष धनेक निःसंतान भरकर श्रपने घरमें ताला देजाती हैं। इस तरह कुवारे पुरुषोंके कारश व बहुसंख्यक विधवाश्ची के कारण जैन समाज तथा हिन्दू समाज बड़े बेग से घट रहा है। जहां २५ वर्ष पहले १०० घर थे वहां श्रब ४०-५० ही घर पाए जाते हैं। जैपूर में २५ व ३० वर्ष पहले जैनियों के २००० घर थे, अब मात्र १६०० ही रह गए हैं। उधर युवान विधवाओं को श्रनेकों गुप्त पापी में फँसकर घोर व्यभिचार व हिंसा के पाप में सनना पड़ता है। वे ब्रह्मचर्य के भार को न सह सकने के कारण पतिन हो जाती हैं।

यह सब वृथा ही कए व हानि उठाई जा रही है, कंबन

इस ही विचार से कि विधवाविवाह की इजाजत जैन सिद्धांत व हिन्दू शास्त्र नहीं देता। हिन्दू शास्त्रों में तो अधर्ववेद व स्मृ तियों में पुनर्विवाह का स्पष्ट कथन है। जैन सिद्धान्त द्वारा यह सिद्ध है या श्रसिद्ध इस प्रश्न को माननीय वैशिष्टर चम्पतराय जी ने उठाया था। उसका समाधान 'सव्यसाची' महोदय ने बड़ी ही श्रकाट्य व प्रौढ़ यक्तियों के द्वारा देकर यह सिद्ध कर दिया था कि विभवावित्राह कन्या-विवाह के समान है व इससे गृहधर्म में कोई बाधा नहीं श्राती है। यह सब समा-धान 'जैनधर्म श्रीर विधवाविवाह' नामक ट्रेंकु में प्रकाशित हो चुका है। इस समाधान पर परिडन श्रीलालजी पाटनी श्रली-गढ तथा पं० विद्यानन्द शर्मा ने श्रात्तेप उठाए थे--- उनका भी समाधान उक्त सब्यसाचीजी ने 'जैन जगत' में प्रकाशित कर दिया है। वहीं सब समाधान इस पुस्तक में दिया जाता है. जिसे पढकर पाठकगण निःशंक हो जावेंगे कि विधवाविवाह न तो व्यभिचार है श्रीर न पाप है—मात्र कन्याविवाह व विधुरः विवाह के समान एक नीति पूर्ण लौकिक कार्य है-इतना ही नहीं-यह उस श्रवला को व्यभिचार व हिंसा के घोर पापों से बचाने वाला है। सर्व ही जैन व हिंदू भाइयों की उचित है कि इस पुस्तक को ब्रादि से ब्रन्त तक पढ़ें। उनका चित्त बिलकुल मानलेगा कि विधवाविवाह निषिद्ध नहीं है किन्तु विश्रेय है।

पाठकों को उचित है कि भारत में जो गुप्त व्यभिचार व हिंसा विधवार्थों के कारण हो ग्ही है उसको दूर करार्वे—

[**ग**]

उसका उपाय यही है कि हर एक कुटुम्ब अपने २ घर में जो कोई विधवा हो जाय उससे एकान्त में बात करें। यदि उस की बातचीत से व उसके रहन सहन के ढंग से प्रतीत हो कि यह ब्रह्मचर्य बन को पाल लेगी नव तो उसे वैराग्य के साधनों में रख देना चाहिय और जो कोई कहें कि वह पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं पाल सकती है तब जो उसके संग्लक हों—चोहे पिता घर वाले चाहे असुर घर वाले—उनका यह पवित्र कर्त्वय है कि उसको कन्या के समान मानकर उसका विवाह योग्य पुरुष के साथ कर देवें। स्त्री लज्जा के काग्ण अपने मनका हाल स्पष्ट नहीं कहती है। उसके संग्लकों का कर्तव्य है कि उसकी शक्ति के अनुसार उसके जीवन का निर्णय कर्दें।

समाज की रत्ता चाहने वाला— सन्त्री

* धन्यवाद *

इस ट्रैकृ के छपवाने के लिये निम्नलिखित महानुभावों ने सहायता प्रदान की है, जिनको सभा हार्दिक धन्यवाद देती है, साथ ही समाज के अन्य स्त्री पुरुषों से निवदन करती है कि वे भी निम्न श्रीमानों का श्रमुकरण करके श्रीर अपनी दुखित बहिनों पर तरस खाकर इसी प्रकार सहायता प्रदान करने की उदारता दिखलावें:—

- २५) ला० धनकुमार जी जैन कानपुर।
- २५) गुप्तदान (एक जैन ; कानपुर ।
- २०) गुप्तदान (एक वकील) लखनऊ।
- १०) ला० रामजीदास सदर वाजार देहली।
- १०) बा० उलफ़तराय इंजीनियर देहली।
- १०) बा० महावीर प्रसाद देहली ।
- १०) ला० किशनलाल देहली।
- १०) ला० गुलावसिंह वजीगीमल देहली।
- १०) ला० भोलानाथ मुखतार वुलन्दशहर ।
- १०) बार माईदयाल बीर एर ग्रानर्स ग्रम्बाला ।
- १०) ला० केशरीमल श्रीराम देहली।
- १०) ला० ललतात्रसाद जैन श्रमगहा।
- १०) बार्णचमलाल जैन तहसीलदार जबलपुर।
- १०) ला० विश्रम्मर दास गार्गीय सांसी ।
- १०) गुप्तदान (एक बाब् माहव) देहली ।
- १०) गुप्तदान (एक बाबू साहब) केराना ।
- १०) गुप्तदान (एक ठेकेदार साहब) देहली ।
- १०) गुप्तदान (एक रईस साइब) विजनौर ।
 - प्राप्तदान (एक सर्राफ़) देहली।
 - ५) गुप्तदान (एक जैन) गाहाना ।

विधवाविवाह ऋौर जैनधर्म!

ब्राचेपों का मुंह तोड़ उत्तर

सबसे पहिली और मुद्दे की बात में पाठकों से यह कह देना चाहता हूँ कि मेरे ख़याल से जैनधर्म पारलोकिक उन्नति के लिये जितना सर्वोत्तम है उतना ही लोकिक उन्नति के लिये सुविधाजनक है। समाज की उन्नति के लिये और समाज की रज्ञा के लिये ऐसा कोई भी रीतिरिवाज नहीं है जाकि जैनधर्म के प्रतिकृत हो। जैनधर्म किसी घूसखोर व अन्यायी मजिस्ट्रेट की तरह पच्चपात नहीं करना जिससे पुरुषों के साध बह रियायत करे और स्त्रियों को पीस डाले। स्त्रियों के लिये और शुद्रों के लिये उसने वही सुविधा दी है जो कि पुरुषों के लिये और हिजों के लिये । जैनधर्म की श्रतंक ख़्वियों में य

[‡] इस पैराग्राफ़ के प्रत्येक वाक्य को मैं श्रच्छी तरह विचार कर लिख रहा हूँ। इसमें मैंने उत्तेजना या श्रितशयोक्ति सं काम नहीं लिया है। इसके किसी वाक्य या शब्द के लिये श्राप्त कोई नया श्रान्दोलन उठाना पड़े तो मैं उसके लिये भी नैयार हूँ। अगर कोई महाशय श्राचेष करने का कए करें तो बड़ी कृपा होगी, क्योंकि इस बहाने से एक श्रान्दोलन को खड़ा करने का मौका मिल जायगा।

दोनों ख़ुबियाँ बहुत बड़ी ख़ुबियाँ हैं। सामाजिक-रच्चा और उन्नतिके साथ आतिमक-रच्चा और उन्नतिके लिये सुविधा देना और किसीके अधिकारकों न छोनना, ये दोनों बातें अगर जैन-धर्म में न होंगी तो किस धर्म में होंगी? अगर किसी धर्म में ये दोनों बातें नहीं हैं तो यह इन दोनों बातों का दुर्भाग्य नहीं है, किन्तु उस धर्मका ही दुर्भाग्य है। यह स्मरण रखना चाहिये कि धर्मग्रन्थों में न लिखी होने से अच्छी बातों की क़ीमत नहीं घटती, किन्तु अच्छी बातें न लिखी होने से धर्मग्रन्थों की क़ीमत घटती है।

प्रत्येक स्त्री पुरुष को किशोर श्रवस्था से लेकर युवा श्रवस्था के श्रन्त तक विवाह करने का जन्मसिद्ध श्रधिकार है। पुरुष इस श्रधिकार का उपयोग मात्रा से श्रधिक करता रहे श्रीर स्त्रियों को ज़रुरत होने पर भी न करने दे; इनना ही नहीं किन्तु वह श्रपनी यह नादिरशाही धर्म के नाम पर—उसमें भी जैनधर्म के नाम पर—चलावे, इस श्रन्धेर का कुछ ठिकाना है! मुक्ते तो उनकी निर्लज्जता पर श्राश्चर्य होता है कि जो पुरुष श्रपने दो दो चार चार विवाह कर लेने पर भी विधवाओं के पुनर्विवाहको धर्मविरुद्ध कहने की धृष्टता करते हैं। जिस कामदेव के श्रागे वे नक्के नाचते हैं, वृद्धावस्थामें भी विवाह करते हैं, एक कसाई की तरह कन्याएँ ख़रीदते हैं, उसी 'काम' के श्राक्रमणसे जब एक युवती विधवा दुखी होती है श्रीर श्रपना विवाह करना चाहती है तो ये कर्तता श्रीर निर्लज्जता के श्रवतार धर्मविरुद्धता का डर दिखलाते हैं! यह कैसी वेशरमो है!

विधवाविवाह के विरोधी कहते हैं कि पुरुषों को पुन-विवाह का अधिकार है श्रीर स्त्रियों को नहीं। ऐसे श्रत्याचार-

पूर्ण झहङ्कार के ये लोग शिकार हो रहे है, जब कि विश्ववार विवाह के समर्थक इस विषय में स्त्रियों को पुरुषों के समान श्रिधिकार देना चाहते हैं। विघवाविवाह के समर्थक, पुरुष होने पर भी अपने विशेषाधिकार, बिना स्त्रियों की प्रेरणा के, छोडना चाहते है। स्त्रियों के दुःख से उनका हृदय द्ववित है; इसीलिये खार्थी पुरुषों के विरोध करने पर भी वे इस काम में लगे हैं। श्रपमान तिरम्कार श्रादि की विलक्त पर्वाह नहीं करते। विधवाविवाह समर्थकों की इस निस्वार्थता, उदारता, त्याग, दया. सहनशीलता, कर्तव्यपरायणता श्रीर धार्मिकता को विधवाविवाह के विरोधी कोाटजनम तप तपने पर भी नहीं पा सकते। ये स्वार्थकं पुतले जब विश्ववाविवाह समर्थकों का स्वार्थी कह कर "उल्टा चोर कोठवाल को डाँटे" की कहावत चरितार्थ करते हैं तब इनकी घृष्टता की पराकाष्ट्रा हो जाती है। शैतान जब उत्तर कर ईश्वर संही शैतान कहने लगता है तब उस की शैतानियत की सोमा श्राजाती है। विभवाविवाह कं त्रिराधी शैतानियत को ऐसी ही स्रोमा पर पहुँचे हैं।

समाज के मीतर छिपी हुई इस शैतानियत को दूर करने के लिये मैंने विधवाविवाह के समर्थन में बैरिष्टर चंपत-रायजी के प्रश्नों के उत्तर दिये थे। उसके खंडन का प्रयास जैनगुज़ट द्वारा दो महाशयों ने किया है—एक तो पं० श्रीलाल जी झलीगढ़, दूसरे पं०विद्यानन्दजी रामपुर। उन दोनों लेखां को श्रनावश्यक कपसे बढ़ाया गया है। लेख में ज्यक्तित्व के ऊपर बड़ी श्रसभ्यता के साथ श्राक्रमण किया गया है। श्रस-भ्यता से पेश श्राने में कोई बहादुरी नहीं है। इसलिए श्रसभ्य शब्दों का उत्तर में इस लेख में न दुँगा।

उन दोनों ले**क**कों से जहां कुछ भी खंडन नहीं बन पड़ा है वहाँ उन्होंने "छिछि,", "धिक् धिक्", "यह तो घृणित है", श्रादि शब्दों की भरमार की है। ऐसे शब्दों का भी उत्तर न दिया जायगा। विद्यानन्दजी ने मेरे लेख के उद्धरण श्रधूरे श्रधूरे लिये हैं श्रीर कहीं कहीं श्रत्यावश्यक उद्धरण छोड़ दिया है। इस विषय में तो में पं० श्रीलाल जी को धन्यवाद दूँगा जिन्होंने मेरे पूरे उद्धरण लेने में उदारता दिखलाई। उद्धरण श्रध्या होने पर भी ऐसा श्रवश्य होना चाहिये जिससे पाठक उन्हों न समभालें।

दोनों लेख लम्बे लम्बे हैं। उनमें बहुत सी ऐसी बातें भी हैं जिनका विधवाविवाह के प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है, परन्तु दोनों महाशयों के सन्तोषार्थ मैं उन वानों पर भी विचार कर्रोगा। इससे पाठकों को भी इतना लाभ ज़रूर होगा कि वे जैनधर्म की श्रन्यान्य वानों से भी परिचित हो जावेंगे। मेरा विश्वास है कि वह परिचय श्रनावश्यक न होगा।

चम्पतरायजो के ३१ प्रश्नों के उत्तर में जो कुछ मैंने लिखा था उसके खगड़न में दोनों महाश्रयोंने जो कुछ लिखा है, उसका सार मैंने निकाल लिया है। नीचे उनके एक एक श्राचेप का श्रलग श्रलग समाधान किया जाता है। पहिले श्रीलालजी के श्राचेपों का, फिर विद्यानन्दजी के शाचेपों का समाधान किया गया है! में विरोधियों से निवेदन करना हूँ या चैलेख देना हूँ कि उनसे जिनना भी श्राचेप करने बने, खुशीसे करें। मैं उत्तर देने को तैयार हूँ।

पहला प्रश्न

आहोप (श्र)—सम्यक्तव की घातक सात प्रकृतियों में चार श्रनन्तानुबन्धी कपायें भी शामिल हैं। विधवाविवाह के लिये जितनी तीव कपाय की ज़रूरत है वह छनन्तानुबन्धी के उदय के बिना नहीं हो सकती। जैसे परस्रीसेवन श्रनन्तानुबंधी के उदय के बिना नहीं हो सकता। इसितये जब विधवाविवाह में अनन्तानुबन्धी का उदय श्रा गया नो सम्यक्तव नष्ट होगया।

स्माधान (अ)-जब स्त्री के मर जाने पर, पुरुष दूसरा विवाह करता है तो तोब्र रागी नहीं कहलाता, तब पुरुष के मर जाने पर स्त्री श्रमर दूसरा विवाद करे तो उसके तीव राग कामान्धता क्यों मानी जायगी? यदि कोई पुरुष एक स्त्री के रहते इए भी ६६ हजार विवाह करे या स्त्रियाँ रक्खे तो उस का यह काम बिना तीव रागके नहीं होसकता। लेकिन ६६ हज़ार पित्यों के तीवराग से भी सम्यत्वका नाग नहीं होता. बिक वह ब्रह्मचर्याणुबनी भी रह सकता है। जब इतना तीव राग भी सम्यक्त का नाश नहीं कर सकता तब पति मर जाने पर एक पुरुष से शादी करने वाली विधवा का सम्यत्तव या श्रायु-व्रत कैसं नष्ट होगा ? श्रीर श्राणवत धारण करने वाली विधवा ऐसी पतित क्यों मानी जायगी कि जिल्लं उसे ग्रहण करने वाले का भी सम्यक्तव नष्ट हो जावे ? विधवाविवाह से व्यभि-चार उतना ही दर है, जितना कि कुमारी विवाह से । जैसे विवाद होने के पहिले कुमार श्रीर कुमारियों का संभोग भी व्यक्तिचार है, किन्तु विवाह होने के बाद उन दोनों का संभोग व्यभिचार नहीं कहलाता, उसी तरह विवाह होने के पहिले श्रगर विधवा सम्भोग करे तो व्यभिचार है, परन्तु विवाह के वाद होने वाला सम्भोग व्यभिचार नहीं है। गृहस्थों के लिये व्यभिचार की परिभाषा यही है कि —"जिसके साथ विवाह न इस्रा हो उसके साथ सम्भोग करना"। यदि विवाह हो जाने पर भी व्यभिचार माना जायगा नो विवाह की प्रथा बिलकुल निकम्मी हो जायगी श्रीर श्राजन्म ब्रह्मचारियों का छोड़ कर सभी व्यभिचारी साबित होंगे।

तीव्रता मन्दता की दृष्टि से सक्षाय प्रवृत्ति छः भागों में बाँटी गई है, जिन्हें कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्क शब्दों से कहते हैं। इनमें सबसे ज्यादा तीव कृष्ण लेश्या है। लेकिन कृष्ण लेश्या के हो जाने पर भी सम्यत्तव का नाश नहीं होता। इसीलिये गोम्मटसार में लिखा है—

"श्रयदोत्ति छ लेस्साश्रो"

स्थात् श्रविरत सम्यन्दि जीव तक छुद्दी लेश्याएँ हाती हैं। श्रमर विधवाविवाद में कृष्ण लेश्यारूप परिणाम भी हाते तो भी सम्यक्तव का नाश नहीं हो सकता था। फिर तो विधवाविवाद में शुभ लेश्या रहती है, तब सम्यक्तव का नाश कैसे होगा?

श्राचेषक ने परन्त्रीसेवन श्रनन्तानुबन्धी के उदय से बतलाया है। यह बात भी श्रनुचिन है। मैं परस्त्रीसेवन का समर्थन नहीं करता, किन्तु श्राचेषक की शास्त्रीय नासः मभी को दूर कर देना उचित है। परस्त्री सेवन श्रप्रत्याख्यानावरण कपायके उदयसे होता है। क्योंकि श्रप्रत्याख्यानावरण कपाय देशवत-श्रणुवत की घातक है और श्रणुवत के घात होने पर ही परस्त्री सेवन होता है। श्राचेषक को यह जानना चाहिये कि श्रणुवती, पांच पापा का त्यागी होता है न कि श्रविरत सम्यग्हिए। खेर! सुभे व्यभिचार की पुष्टि नहीं करना है। व्यभिचार श्रीर विधवाविवाह में बड़ा श्रन्तर है। व्यभिचार श्रीर विधवाविवाह में बड़ा श्रन्तर है। व्यभिचार श्रीर विधवाविवाह है। ऐसी हालत में विधवा

मेरे पहिले लेखमें इस जगह श्रप्तत्याख्यानावरण छप
 गया है। पाठक सुधारकर प्रत्याख्यानावरण करलें। —लेखक

विवाहको श्रनन्तानुबन्धीके उदयसे मानना श्रीर उससे सम्य-क्त्व नाश की बात कहना विलकुल मिथ्या है।

स्राक्षेप (ब्रा)—परस्त्री सेवन सप्त व्यसनों में है। सम्य-क्त्वी सप्त व्यसन सेवी नहीं होता। विश्ववाविवाह परस्त्री-सेवन है। इसलिये त्रिकालमें सम्यक्त्वोके नहीं हो। सकता।

समाधान—परस्त्री-सेवन व्यसनों में शामिल ज़रूर है, परन्तु परस्त्री सेवी होने से ही कोई परस्त्री व्यसनी नहीं हो जाता। परस्त्री-सेवन व्यसन का त्याग पहिली प्रतिमामें माना जाता है, परन्तु परस्त्री सेवन पहिली प्रतिमामें भी हो सकता है, क्योंकि परस्त्रीसेवन का त्याग दूसरी प्रतिमा में माना गया है। यहां आले पक को व्यसन और पाप का श्रन्तर समभना चाहिये। श्रविरत सम्यग्दिष्ट को पहिली प्रतिमा का धारण करना अनिवार्य नहीं है। इस लिये सप्तव्यसन का त्याग भी श्रिनवार्य न कहलाया। हाँ, श्रभ्यास के रूप में वह बहुत सी वातों का त्याग कर सकता है, परन्तु इस से वह त्यागी या वती नहीं कहला सकता। होर, सम्यक्त्वो परस्त्री-सेवी रहे या परस्त्री-त्यागी: परन्तु सम्यक्त्व का विधवा विवाहसे कोई विरोध नहीं होसकता, क्योंकि विधवा विवाह परस्त्री सेवन नहीं है। यह बात में "श्र" नम्बर के समाधान में सिद्ध कर चुका हूँ।

ग्राक्षेप (इ)—यह नियम करना कि सातवें नरक में
सम्यक्त्व नष्ट नहीं होता, लेखक की म्रह्नता है। क्या वहाँ
चायिक सम्यक्त्व हो जाता है? नरकों में नारकी म्रपने किये
हुए पापों का फल भोगते हैं। यदि वहां भी वे विधवाविवाह
से म्रिधिक पाप करने वाले उहर जायँ नो उस किए हुए पाप
का फल कहाँ भोगें?

मग्राधान-सानवें नरक में सम्यक्त नष्ट न होने की बात में नियम करने की बात आज्ञोपकने अपने मनसे घुसेड दी है। सातर्वेनरक के नारकी के न तो सम्यक्त्व होने का नियम है न सदा स्थिर रहनेका। बात इतनी ही है कि सातहे नरक का नारकी श्रीपशमिक श्रीर लायोपशमिक सम्यक्त्व पैटाकर सकता है श्रीर वह सम्यक्त्व (चार्यापशमिक) कुछ कम तेतीस सागर तक रह सकता है । तात्पर्य यह कि वहाँ की परमकृष्ण लेश्या और रौद्रपरिणामों से इतन समय तक उसके सम्यक्तव का नाश नहीं होता। उसके सम्य-त्तवका कभी नाश ही नहीं होता-यह मैंने नहीं कहा। सानवै नरक के नारकी एक दूसरे को घानी में पेल देते हैं, भाड़ में भूँ ज देते हैं, श्रारे से चीर डालते हैं, गरम कड़ाही में पका डालते हैं! क्या ऐसे कुर कामों से भी विधवाविवाह का काम बराहै ? क्या उनके इन कामों से पाप बन्ध नहीं होता ? सातर्वे नरक के नारकी यदि पापी न होते तो वे तिर्यञ्जगतिमें ही क्यों जाते ? श्रीर उनका वह पाप इतना जबर्दस्त क्यों होता कि उन्हें एक बार फिर किसी न किसी नरक में श्राने के लिये बाध्य करता ? तत्वार्थसारके इस श्लांक पर विचार कीजिये—

> न त्तमन्ते मनुष्यत्वं सप्तम्या निर्गताः चितेः। तिर्यक्तवे च समुत्पद्य नग्कं यान्ति ते पुनः ॥१४७॥ त्रर्थात्—सातवें नग्क से निकत्ना हुन्नः जीव मनुष्य

नहीं हो सकता । तिर्यञ्च गति में पैदा होकर उसे फिर नरक में ही जाना पडता है ।

क्या विधवाविवाह करने वालों के लिये भी शास्त्र में ऐसा कहीं विधान है ? श्रादेषक की यह बात पढ़ कर हँसी श्राती है कि सातवें नरक के नारकी यदि ज्यादा पाप करेंगे तो फल कहाँ भोगेंगे ? तन्वार्थसार के उपर्युक्त श्लोक में बन- लाया हुआ विधान क्या फल भोगने के लिए कम है ? हां तो सातवें नरक के नारकी जीवन भर मार काट करते हैं और उनका पाप यहाँ तक बढ़ जाता है कि नियम से उन्हें तिर्यक्ष गित में ही जाना पड़ता है और फिर नियम से उन्हें तरक में ही लीटना पड़ता है । ऐसे पापियों में भी सम्यक्तव कुछ कम तेतीस सागर अर्थान् पर्याप्त होने के बाद से मरण के कुछ समय पहिले नक सदा रह सकता है। वह "सम्यक्तव विधवाविवाह करने वाले के नहीं रह सकता"! विलहारी है इस समभदारी की!

आक्षेप (ई)—नारिक गोंके सप्त व्यसन की सामग्री नहीं है जिससे कि उनके सम्यक्त्य न हो श्रीर होकर भी छूट जावे। श्रतः यह सातवे नरक का हप्रांत विधवाविवाह के विषय में कुछ भी मुख्य नहीं रखता।

समाधान—शालेपक के कहनेसे यह तात्पर्य निकलता है कि श्रगर नरकों में सम व्यसन की सामग्री होती नो सम्य-करव न होता श्रोर हूट जाता (नए होजाता)। वहां सम व्यसन की सामग्री नहीं है: इसलिए सम्यक्त्व होना है श्रोर होकर के नहीं हुटता हैं (नए नहीं होता हैं)। नरक में सम्यक्त्व के नए न होने की बात जब हमने कही थी, तब श्राप विगड़े थें। यहाँ वहीं बात श्रापने स्वीकार करली है। कैसी श्रद्धत सत-कंता है! सातवें नरक के हएांत से यह बात श्रव्छी तरह सिद्ध हो जाती हैं कि जब परम शृष्ण लेश्या बाला कर कर्मा, घोर पापी नारकी सम्यक्त्वी रह सकता है तो विधवा-विवाह वाला— जो कि श्रणुवनी भी हो सकता है—सम्यक्त्वी क्यों नहीं रह सकता?

आक्षेप (उ)--पाँचा पापों में एक है संकल्पी हिंसा,

सा संकर्पी हिंसा करने वाला आखेट वालों की तरह सप्तर व्यसनी है। उसके कभी सम्यक्त्य नहीं होसकता। भला जहाँ प्रशम-संवेग हो गये हों वहाँ संकर्पी हिंसा होना त्रिकाल में भी सम्भव नहीं है।

समाधान-यहाँ पर आनेपक व्यमन और पापके भेद को भूत गया है। प्रत्येक व्यसन पाप है, परन्तु प्रत्येक पाप व्यसन नहीं है । इसलिये पापके मञ्जाव से व्यमनके सद्धाव की कल्पना करना आचार शास्त्र से अनुसिक्षता प्रगट करना है। श्रासेपक श्रगर श्रपनी पार्टी के विद्वानों से भी इस व्याप्य व्यापक सम्बन्धका समभने की चेहा करेगा तो समभ सकेगा। श्राक्षेपक के मतानुसार सप्तब्यसन का त्याग दर्शन प्रतिमा के पहिले है, जब कि संकल्पी हिंसा का त्याग इसरी प्रतिमा में है। इससे सिद्ध हुआ कि दर्शन प्रतिमा के पहले और साति-चार होने से दर्शन प्रतिमामें भी सप्तव्यसन के न होने पर भी संकल्पी हिंसा है। क्या श्राचेपक इतनी मोटी बात भी नहीं समभता ? 'प्रशम संवेग होजाने से संकल्पी हिंसा नहीं होती' यह भी श्राच पक की समभ की भूल है। प्रशम संवेगादि तो चतुर्थ गुणस्थान में हो जाते हैं, जबिक मंक्हवी अस हिंसा का त्याग पाँचवें गुणुस्थानमें होता है। इससे सिद्ध इन्ना कि चतुर्थ गुणस्थान में —जहाँ कि जीव सम्यक्वी होता है —प्रशम संवेगादि होने पर भी सङ्करपी त्रस हिसा होती है । ख़ैर, श्राचेपक यहाँ पर बहुत भूला है । उसे गोम्मटसार श्रादि ग्रन्थों से श्रविरतसम्यग्दिष्ट और देशविरत के श्रन्तर को समभ लेना चाहिये ।

त्रास्तेष (ऊ)—जब पुरुष के स्त्री वेद का उदय होता है, तब विवाहादि की सूक्षती है। भला श्रप्रत्याख्यानावरण कषाय वेदनीय से क्या सम्बन्ध है?

समाधान-मंत्रीवेद के उदय से विवाहादि की सुभानी है-ब्राह्मेपक की यह बात पाठक ध्यान में रक्तें क्योंकि आगे इसी वाक्य के विरोध में स्वयं श्राह्मेपक ने बकवाद किया है। खौर, स्त्रीवेद के उदय से विवाह की नहीं, सम्भोग की इच्छा होती है। सम्भोग की इच्छा होने पर श्रगर श्रप्रत्याख्याना-बरण का उद्याभावी चय होता है तो वह श्रणुव्रत धारण कर किसी कुमारी से या विधवा से विवाह कर लेता है। ऋगर अप्रत्याख्यानावरण का उदयाभावी स्वयं न होकर उदयं ही होता है तो वह व्यभिचारी होने की भी पर्वाद नहीं करता । बेद का उदय तो विवाह और व्यक्तिचार दोनों के लिये समान कारण है, परन्तु श्रप्रत्याख्यानावरण का उदयत्त्रय, श्रथवा प्रत्याख्यानावरण का उदय, ज्यभिचार से दर रख कर उसे विवाह के बन्धन में रखता है। इसलिये विवाहके लिये श्रप्रत्या-ख्यानावरणके उदयाभावी त्रय का नाम विशेष रूप में लिया जाता है। बेचारा श्राचेपक इतना भी नहीं समभाता कि किस कर्म प्रकृतिका कार्य क्या है ? फिर भी सामना करना चाहता है ! श्राश्चर्य !

श्रान्तेप (ऋ)—राजवातिकके विवाह लक्त्या में जैसेकन्या का नाम नहीं है वैसे ही स्त्री पुरुषका नाम नहीं है। फिर स्त्री पुरुष का विवाह क्यों लिखा ? स्त्री स्त्री का क्यों न लिखा ?

समाधान — राजवार्तिक के विवाह लक्षणमें चारित्र मोह के उदय का उल्लेख है! चारित्र मोह में म्त्रीचेद पुरुपवेद भी है। स्त्रीवेद के उदयसे स्त्री, स्त्री को नहीं चाहती — पुरुप को चाहती है। श्रीर पुरुपवेद के उदय से पुरुप, पुरुष को नहीं चाहता — स्त्री को चाहता है। इस लिये विवाह के लिये स्त्री श्रीर पुरुप का होना श्रनिवार्य है। योग्यता की दुहाई देकर यह नहीं कहा जा सकता कि स्त्रीवेद के उदय से कुमार के ही साथ रमण करने की इच्छा होती है और वह कुमारी को हो होती है। इसी तरह पुरुषवेद के उदय से यह नहीं कहा जा सकता कि पुरुष को कुमारी के साथ ही रमण करने की इच्छा होती है— विधवा के साथ नहीं होती। मतलब यह कि स्त्रीपुरुष वेदी-दय के कार्य में स्त्री पुरुष का होना आवश्यक है, कुमार कुमारी का होना आवश्यक नहीं है। इसीलिये राजवार्तिक के लक्षण के अर्थ में स्त्रीपुरुष का नाम लिया—कुमार कुमारी का नाम नहीं लिया।

त्राचेष (ल)— स्त्री वेद के उदय से तो स्त्री मात्र से भोग करने की निर्माल प्रवृत्ति होती है। वह विवाह नहीं हैं— इयिभचार है। तहाँ मर्यादा रूप कस्या पुरुष में स्वीकारता है वहीं विवाह है। कामसेवन के लिये दोनों वद्ध होते हैं। मैं कस्या तम ही पुरुष से मैथुन करूँ भी श्रीर में पुरुष तुम ही कस्या से मैथुन करूँ भा यह स्वीकारता किस की है? जबनक कि कुमार श्रवस्थामें दोनों ब्रह्मचारी हैं। यहाँ समयकी श्रविध नहीं है, श्रतः यह कस्या पुरुष की स्वीकारता यावज्जीव है।

समाधान—सिर्फ स्त्रोवंद के उदय को कोई विवाह नहीं कहता। उससे तो काम नालसा होती है। उस काम नालसा को मर्यादित करने के लिये विवाह है। इसलिये स्त्रीवेद के उदय के विना विवाह नहीं कहला सकता और स्त्रीवेद के उदय के विना विवाह नहीं कहला सकता और स्त्रीवेदके उदय होने पर भी काम नालसा का मर्यादित न किया जाय तो भी विवाह नहीं कहला सकता। काम नालसा का मर्यादित करने का मतलब यह है कि संसारको समस्त स्त्रियों में काम नालसा हटाकर किसी एक स्त्रीमें नियत करना। वह स्त्री चाहे कुमारी हो या विधवा अगर काम नालसा वहीं बद्ध हो गई है नो मर्यादा की रक्षा हो गई। सैकड़ों कन्याओं के साथ विवाह करते रहने पर भी काम नालसा मर्यादित कहनाती रहे और

नमस्त स्त्रयों का त्याग करके एक विधवा में काम लालसा को बद्ध करने से भी काम लालसा मर्यादित न मानी जावे, इम नासमक्षी का कुछ ठिकाना भी हैं ? श्राचेषक के कथना- जुसार जैसे कर्या 'तुम ही पुरुष' से मैथुन करने की प्रतिज्ञा करती है, उसी तरह पुरुष भी तो "तुमही कर्या" से मैथुन करने की प्रतिज्ञा करने की प्रतिज्ञा करने की प्रतिज्ञा करना है। पुरुष तो विधुर हो जाने पर या सपलीक होने पर भी अनेक स्त्रियों के साथ विवाह करना रहें—फिर भी उसकी 'तुम ही कन्या' की प्रतिज्ञा बनी रहें श्रोर स्त्री. पित के मर जाने के वाद भी किसी एक पुरुष से विवाह करें नो इतने में ही 'तुम ही पुरुष' वाली प्रतिज्ञा नष्ट हो जावे! बाहरें 'तुमही'!

यह 'तुम ही' का 'ही' नो यहा विचित्र है जो एक तरफ़ नो सैकड़ों बार मारे जाने पर भी बना रहना है और दूमरी नरफ़ ज़रा मा श्रक्का जगते ही समाप्त हो जाता है! क्या श्राचे-पक इस बात पर विचार करेगा कि जब उसके शब्दों के श्रनु-सार ही क्वी श्रीर पुरुष दानों की प्रतिज्ञा यावज्जीव थी ता पुनर्विवाह से क्वी, प्रतिज्ञाच्युत क्यों कही जाती है श्रीर पुरुष क्यों नहीं कहा जाता है? यहाँ श्राचेषक को श्रपने 'यावज्जीव' श्रीर 'ही का बिलकुत स्थाल ही नहीं रहा। इसीलिये श्रपनी धुन में मस्त होकर यह इक तरफ़ा डिगरी देना हुआ कहता है—

त्राक्षेष (ए , — जब यावउजीव की प्रतिक्षा करता है तो फिर पित के मरजाने पर वह विधवा हुई तो यदि पुरुषान्तर प्रहण करती हैं तो श्रकलङ्कदेव प्रणीत लक्षण से उसका विवाह नहीं कहा जा सकता। वह व्यभिचार हैं।

समाधान—ठीक इसी तरह त्राचिषक के शब्दासुसार कहा जा सकता है कि जब यावज्जीव की प्रतिज्ञा पुरुप करता है तो फिर पत्नी के मर जाने पर वह विधुर हुआ। सो यदि वह दूसरी कन्या ग्रहण करता है तो ऋकलङ्क देव प्रणीत लच्चण से उसका विवाह नहीं कहा जा सकता । वह व्यभिचार है।

यदि इतने पर भी पुरुष का पुनर्विवाह विवाह है, व्यभिचार नहीं है, तो स्त्रीका पुनर्विवाह भी विवाह है, व्यभिचार नहीं है। श्राह्मेपक के शब्द ही पूर्वापरविरुद्ध होने से उसके वक्तव्य का खंडन करते हैं। वे काने की दृष्टि के समान इक तरफ़ा तो हैं ही।

आक्षेप (ऐ)---गजवातिक के भाष्यमें विवाह के लिए कन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। यह बात लेखक स्वयं मानते हैं।

समाधान—कन्या शब्द का श्रर्थ 'विवाह योग्य स्त्री हैं—विवाह के प्रकरणमें दूसरा श्रर्थ हो हो नहीं सकता। यह बात हम पहिले लेखमें सिद्ध कर खुके हैं, यहाँ भी श्रागे सिद्ध करेंगे। परन्तु "तुष्यतु दुर्जनः" इस न्याय का श्रवलम्बन कर के हमने कहा था कि कन्या शब्द, कन्या के श्रन्य विशेषणों की भाँति श्रादर्श या बहुलता को लेकर ग्रहण किया गया है। इसीलिए वार्तिक में जो विवाह का लक्षण किया है उस में कन्या शब्द नहीं है। टीका में कन्या-विवाह का दृशन्त दिया गया है, इस से कन्या का ही वरण विवाह कहलायेगा, यह बात नहीं है। श्रक्तलङ्क देव ने श्रन्यत्र भी इसी शैली से काम लिया है। वे वार्तिक में लक्षण करते हैं श्रीर उसकी टीका में बहुलता को लेकर किसी दृशन्तको इस तरह मिला देते हैं जैसे वह लक्षण ही हो। श्रक्तलङ्क देव की इस शैली का एक उदाहरण श्रीर देखिये—

संवृत्तस्य प्रकाशनम् ग्होभ्याख्यानं (वार्तिक) स्त्री पुंसाभ्यां एकान्तेऽनुष्ठितस्य कियाविशेपस्य प्रकाशनं यत् रहो- भ्याख्यानं तहेदिनव्यं (भाष्य)। वार्तिक में ' ग्होभ्याख्यानं का अर्थ किया गया है 'किसी की गुप्त बान प्रगट करना' परन्तु भाष्य में बहुलता की अपेचा लिखा गया है कि 'म्त्री पुरुष ने जो एकांनमें कार्य्य किया हो उसका प्रकाशित करनां ग्होभ्या-ख्यान है। भाष्य के अनुसार 'म्त्री पुरुप' का उल्लेख आचार्य्य प्रभाचन्द्रने ग्लकरगड़की टांकामें, आशाधगजीने अपने सागार-धर्मामृत में भी किया है। आचार्य्य पूज्यपाद भी इसी तग्ह लिख चुके हैं। इस विवेचनसे आचे पक सगीले लोग तो यही अर्थ निकालेंगे कि 'म्त्री-पुरुप' की गुप्त बात प्रगट करना ग्हांभ्याख्यान हैं। अन्य लोगों की गुप्त वात प्रगट करना रहों-भ्याख्यान नहीं है। परन्तु विद्यानन्दि स्वामी ने स्ट्रोक वार्तिक में जो कुळु लिखा है उससे बात दूसरी ही हो जाती है।

"संवृतस्य प्रकाशनं रहो स्योख्यानं, स्त्री पुरुषानुष्ठित गुष्त किया विशेष प्रकाशनवत्' स्त्रथांत् गुष्त किया का प्रकाशनः रहो स्याख्यान है। जैसे कि स्त्रो-पुरुष की गुष्त बात का प्रकाशनः शन। यहाँ स्त्री पुरुष का नाम उदाहरण ऋषमें लिया गया है। इससे दूसरों की गुष्त बात का प्रकाशन करना भी रहो स्याख्यान कहलाया। यही बात रायचन्द्र श्रन्थमाला से प्रकाशित तत्वार्थ भाष्य में भी मिलती है—"स्त्री पुंस्त्याः प्रस्परेणान्यस्यवा"

मेरे कहने का सार यह है कि जैसे रहाभ्याख्यान की परिभाषा में बहुलता के कारण दृष्टांत रूप में 'स्त्री पुरुष' का उन्नेख कर दिया हैं उसी तरह विवाह की परिभाषा में मूलमें कन्या-शब्द न होने पर भी, बहुलता के कारण उदाहरण रूप में कन्या-शब्दका उन्नेख हुआ हैं। जिसका अनुकरण रहाभ्याख्यान की परिभाषा के 'स्त्री पुरुष' शब्द की तरह दूसरों ने भी किया हैं। परन्तु विद्यानन्दि स्वामी के शब्दोंसे यह बात साफ

ज़ाहिर होती हैं कि रहोश्याख्यान का 'रहः' स्त्री पुरुष में ही क़ैंद नहीं हैं श्रीर न विवाह का 'वरण' कन्या में ही क़ैंद है। इसीलिये श्लोक वार्तिक में विवाहकी परिभाषा में 'कन्या'शब्द का उन्नेख ही नहीं है।

इस ज़रासी बात को समभाने के लिये हमें इतनी पंक्तियाँ लिखनी पड़ी हैं। पर करें क्या ? ये ब्राह्मे पक लोग इतना भी नहीं समभते कि किस ब्रन्थ की लेखन शैली किस ढङ्ग की हैं। ये लोग 'धर्म-विरुद्ध, धर्म-विरुद्ध' चिल्लाने में जितना समय वरबाद करते हैं उतना अगर शास्त्री के मनन करने में लगावें तो योग्यता प्राप्त होने के साथ सत्य की प्राप्ति भी हो। परन्त इन्हें सत्य की परवाह हो तब तो!

श्राच्चेप—(श्रो) जो देने के श्रिधकारी हैं वे सब उप-लक्षणसे पितृ सदश हैं। उनके समान कन्याके स्थानमें विधवा जोड़ना सर्वथा श्रसंगत है। क्योंकि विधवा के दान करने का श्रिधकार किसी को नहीं है। श्रगर पुरुष किसी के नाम वसी-यत कर जाय तो यह कल्पना स्थान पा सकती हैं।

पिता ने कन्या जामाता को दी, अगर जामाता फिर किसी दूसरे पुरुषको देना चाहे तो नहीं देसकता है: फिर दूसरा कीन दे सकता हैं?

स्पाधान-जिस प्रकार देने के श्रिष्ठिकारी उपलक्ष से पितृ सदश हैं उसी प्रकार विवाह याग्य सभी स्त्रियाँ कुमारी सदश हैं। इस में न कोई विषमता है न श्रसङ्गतता। श्राक्त पक का हृदय इतना पतित हैं कि वह स्त्रियों को गाय, भैंस श्रादि की तरह सम्पत्ति या देने लेने की चीज़ समभाना है। इसीलिए वह लिखता है "कन्या पिता की हैं, पिता न हों तो जो कुटुम्बी हों वेही उसके खामी हैं" लेकिन जैन शाम्त्रों के श्रनुसार पिता वगैरह उसके संरक्षक हैं—स्वामी नहीं। स्त्री कोई सम्पत्ति नहीं

है यहाँ तक कि वह पित की भी सम्पत्ति नहीं है । सम्पत्ति. इच्छानुसार खामी को नहीं छोड सकती, जबकि स्त्री श्रपने 'पित' को छोड सकती हैं। यही कारण है कि श्रप्तिपरी चा के बाद सीताजी ने राम को छोड़ कर दीचा लेली । रामचन्द्र प्रार्थना करते ही रहगये। क्या सम्पत्ति इस तरह मालिक की उपेचा कर सकती हैं? स्त्रियों को सम्पत्ति कहकर श्रपनी मां बहिनों का घोर श्रपमान करने वाले भी जैनी कहलाते हैं, यह श्राक्ष्य की बात हैं।

यदि स्थियाँ सम्पत्ति है तो स्वामी के मरने पर उन का दसरा स्वामी होना ही चाहियं, क्योंकि सम्पत्ति लावारिस नहीं रहती है। स्त्रियों को सम्पत्ति मान लेने पर तो विधवा-विवाह की आवश्यकता और भी ज्यादः हो जाती है। हम पछते हैं कि पनि के मर जाने पर विधवा, लावारिस सम्पत्ति बनती है या उसका कोई स्वामी भी होता है। यदि आनेपक उसे लावारिस सम्पत्ति मानता है तब तो गवर्नमेन्ट उन विध-वार्त्रोको हथिया लेगी, क्योंकि 'ग्रस्वामिकस्य द्वयस्य दायादो मेदिनी पतिः' अर्थात् लावारिस सम्पत्ति का उत्तराधिकारी राजा होता है। क्या आद्योपक की यह मनशा है कि जैनसमाज की विधवाएँ अंग्रेजोंको देदी जायँ ? यदि वे किसीकी संपत्ति हैं तो ब्राचेपक बनलावे कि वे किसकी सम्पत्ति हैं ? जैसे वाप की श्रन्य सम्पत्ति का स्वामी उसका बेटा होता है, क्या उसी प्रकार वह अपनो मां का भी स्वामी बने ? कुछ भी हो, स्त्रियों को सम्पत्ति मानने पर उनका कोई न कोई स्वामी श्रवश्य सिद्ध होता है और उसी को म्रधिकार है कि वह उस विधवा को किसी योग्य पुरुष के लिये देवे।

इस तरह स्त्रियोंको सम्पत्ति मानने का सिद्धांत जंगली-पन से भरा होने के साथ विधवाविवाह-विरोधियों के लिये श्रात्मघातक है। एक तरफ़ नो श्राचेषक कहना है कि पिताकों दी कन्या जामाता की सम्पत्ति है, दूसरी नरफ़ कहता है कि जामाना भी किसी को देना चाहे तो नहीं दे सकता। जब कि सम्पत्ति है तब क्यों नहीं दे सकता? क्या इससे यह नहीं सिद्ध होता कि स्त्री किसी की सम्पत्ति नहीं है? स्त्रियों को सम्पत्ति मानने वाले कन्या विक्रय के साथ भार्या विक्रय, मातृ-विक्रय की कुप्रधाश्रों का भी स्त्रपात करते हैं। झैर, स्त्रियाँ किसी की सम्पत्ति हों चाहे न हों, दोनों ही श्रवस्थाश्रों में विधवाश्रों को विवाह का श्रधिकार रहना है। इस नरह विवाह योग्य समें स्त्रियाँ उपलक्षणसे कुमारी सहश हैं; जैसे कन्या के सभी संरक्षक उपलक्षण से पितृसहश।

त्राहोप (श्री)—कन्या नाम म्त्री सामान्य का भी है, हम भी इसे स्वीकार करते हैं। विश्वलोचन कोप ही क्या, हेम शौर मेदिनी कोप भी ऐसा लिखते हैं, परन्तु जहाँ जैसा सम्बन्ध होगा, शब्द का अर्थ भी वहाँ वैसा मानना होगा।

समाधान-जब आलेपक कन्या का अर्थ न्त्री-सामान्य न्वीकार करता है और विवाह के प्रकरण में में कन्या शब्द का अर्थ 'विवाह योग्य न्त्री' करता हूँ तो इसमें सम्बन्ध-विरुद्धता या प्रकरणविरुद्धता कैंसे हो गई? विवाह के प्रकरण में विवाह योग्य स्त्री को प्रकरण-विरुद्ध कहना बुद्धि का श्रद्धत परिचय देना है। भोजन करते समय सैन्धव शब्दका श्रर्थ घोड़ा करना प्रकरण-विरुद्ध है, क्योंकि घोड़ा जाने की चीज़ नहीं है, परन्त विवाहयोग्य स्त्री तो विवाह की चीज़ है। वह विवाह के प्रक रण में प्रकरण-विरुद्ध कैसे हो सकती है? श्राचेपक कहेगा कि विवाह तो कुमारी का ही होता है, इसलिये कन्या का कुमारा अर्थ ही प्रकरण-सङ्गत है। परन्तु यह तो श्राचेपक की मन गढत वात है: जैनधर्म के श्रनुसार तो कुमारी श्रीर विधवा दोनों का विवाह हो सकता है। इसिलये सुधारकों के लिये "विवाह योग्य स्त्री श्रर्थ" ही प्रकरण-सङ्गत है। श्राच्चेपक के समान सुधारक लोग तो जैनधर्म को तिलाञ्जलि दे नहीं सकते।

श्राक्षेष (श्रं)—साहसगित के मुँह से सुतारा को कन्या कहलाकर किय ने साहित्य की छुटा दिखलाई है। उसकी दृष्टि में वह कन्या समान ही थी। साहसगित के भावों में सुतारा की कामवासना सृचित करने के लिये किय ने नारी भार्या श्रादि न लिखकर कन्या शब्द लिखा। यदि ऐसा भाव न होता तो कन्या न लिखकर रगडा लिख देता।

समाधान—कविने गएडा इसिलिये न लिखा कि सुतारा तब गाँड नहीं हुई थी। साहसगित सुग्रीवसे लड़कर या उसे मार कर सुतारा नहीं छीनना चाहता था—वह धोखा देकर छीनना चाहता था। इसीलिये उसने रूप-परिवर्तिनी विद्या सिद्ध की। श्रावश्यकता होने पर लड़ना पड़ा यह बात दूसरी है। ख़ेंग! जब तक सुग्रीव मरा नहीं तब तक सुनारा को गाँड कैसे कहा जा सकना था।

दध्यौचेतिन कामाग्निद्रश्यों निःसार मानसः।
केतापायेनतां क्रम्यांलप्स्ये निर्वृतिदायिनी ॥१०।१४॥
यह श्लोक हमने यह सिद्ध करने के लिये उद्धत किया
था कि कन्याशब्द का 'म्त्री सामान्य' अर्थ भी है और इसके
उदाहरण साहित्यमें मिलते हैं। आर्त्तेपक ने हमारे दोनों अर्थों
को स्वीकार कर लिया है; तब समक्षमें नहीं आता कि वह उस
अर्थ के समर्थन को क्यों अस्वीकार करता है। यह श्लोक
विधवाविवाह के समर्थन के लिये नहीं दिया है। सिर्फ़ कन्याशब्द के अर्थ का खुलासा करने के लिये दिया है, जो अर्थ
आत्तेपक को मान्य है।

नारी, भार्या न लिखकर कन्या लिखने से कामवासना

कैसे स्चित हुई ? द्यार कन्या शब्द का द्यर्थ कुमारी रक्खा जावे तब तो भार्याहरण की त्रयेचा कन्याहरण में कामवासना कम ही मालूम होती है।

श्रमली बात नो यह है कि साहसगित विद्याधर दो पुत्रों की माना हो जाने पर भी मुतारा को थीड़ा नहीं मानता था। उसकी दृष्टिमें उस समय भी यह परम सुन्दरी थी; उस में विवाह योग्य स्त्री के सब गुण मौजूद थे। इसीलिये उसने सुनारा को कन्या कहा। सुनारा में इस समय भी विवाहयोग्य स्त्री के समान सौंदर्यादि थे, इसलिये कविने उसे कन्या कहला कर यह बात श्रीर भी साफ करदी है कि विवाहयोग्य स्त्रीको कन्या कहते हैं। श्रगर कि को यह श्रथं श्रभिमत न होता तो इस जगह वह 'बालां शब्द का प्रयोग करता जिसमे माहस-गित की कामानुरता का चित्र श्रीर श्रधिक खिल जाता।

ख़ैर, ज़रा व्याकरण की दृष्टिसं भी हमें कन्या शब्द पर विचार करना है। व्याकरण में पुर्क्षिण शब्दों को म्बीलिंग बनाने के कई तरीके हैं। कहीं डीप्, कहीं टीप्, कहीं इन (हिंदी में) श्रादि प्रत्यय लगाये जाते हैं तो कहीं शब्दों का कप बिलकुल बदल जाता है। जैसे पुत्र पुत्री श्रादि शब्दों में प्रत्यय लगाय जाते हैं जबकि माता पिता, भाई बहिन में शब्द ही बदल दिया जाता है। भाई श्रोण बहिन दोनों शब्दों का एक अर्थ है: श्रम्तर इनना है कि भाई शब्द से पुरुष जानीय का बोध होता है जबकि बहिन शब्द से स्त्री जातीय का। इसी नरह बर श्रोर कन्या शब्द हैं। दोनों का श्रर्थ एक ही है; श्रम्तर इतना ही हैं कि एक से पुरुष का बोध होना हे दूसरे से स्त्री का। श्रपने विश्वाह के समय प्रत्येक पुरुष वर कहा जाता है, चाहे उस का पहिला विवाह हो, चाहे दूसरा। ऐसा नहीं है कि पहिले विवाह के समय 'वर' कहा जाय श्रीण दूसरे विवाह के समय वर न कहा जाय। तथा हर एक कुमार को वर नहीं कह सकते। इसी प्रकार अपने विवाह के समय प्रत्येक स्त्री 'कन्यां कही जाती है, चाहे यह उसका पहिला विधाह हो चाहे दूसरा। ऐसा नहीं हो सकता कि पहिलो विधाह के समय वह कन्या कही जाय और दूनरे विवाह के समय न कही जाय। मनलब यह कि धिवाह कराने वाली प्रत्येक स्त्रो कन्या है और विवाह न कराने वाली कुमारी भी कन्या नहीं हैं। अन्य प्रकरण में कन्या शब्द के भले ही दूसरे अर्थ ही, परन्तु विवाह के प्रकरण में अर्थात् वरण करने के प्रकरण में कन्या शब्द का 'विवाह कराने वाली स्त्री' अर्थ ही हो सकता है। इसी अर्थ को ध्यान में रख कर किय ने साहस्माति के मुंह से सुनारा का कन्या कहलाया है। इसी प्रयोग से किव ने बतला दिया है कि किब को वाच्य वाचक सम्बन्ध का कैसा मुख्म परिचय है।

कविवर ने श्रपने इस सृद्म झान का परिचय श्रस्यश्र भी दिया है कि जिस से सिद्ध होता है कि कविवर, कत्या शब्द का शर्थ 'विवाह कराने वाली स्त्री' या 'श्रहण की जाने वाली स्त्री' करते हैं। यहाँ पर कविवर ने कत्या शब्द का श्रयोग किसी साधारण पात्र के मुंह से न कराके एक श्रव-धिज्ञानी मुनि के मुँह से कराया है।

राजा कुएडलमिएडत ने पिंगल ब्राह्मण की स्त्री का हरण कर लिया था। जन्मान्तर की कथा सुनाते समय श्रव-धिकानी मुनिराज इस घटना का उल्लेख इन शब्दों में करते हैं—

> ब्रहरियंगलात् कन्यां तथा कुंडल मंडितः। पदत्रायं पुरा वृत्तः सम्बन्धः परिकीर्तिनः॥ ३०-१३३॥ अर्थात्—कुणडलमण्डित ने पिङ्गल ब्राह्मण् की स्त्री

काहरण किया। यह बान पहिलेही (पद्मपुराण में) कही। गईहै।

(कुगडलमगिडत ने पिंगल की स्त्री का ही हरण किया था, किसी कुमारी का नहीं। यह बात पाठक पद्म-पुगण में देख सकते हैं। यहां भी वह श्लोक दिया जाता है:—

भगतम्थे विद्ग्धाख्ये पुरे कुग्डलमगिडनः।

श्रधार्मिकोऽहरत्कांनां पिंगलस्यमनः प्रियां॥

॥ ३०। ६६ ॥

इस श्लोक में जिस का उद्घेख कान्ता शब्द से किया गया है, उसी का १३३ वें श्लोक में कन्या शब्द से किया गया है।

इन घटनाओं की श्रन्य बातों से हमें कोई मतलब नहीं । हमें तो श्राह्मेपक के हठ के कारण इन का उल्लेख करना पड़ा है। इस से हमें सिर्फ़ यही सिद्ध करना है कि कन्या शब्द का श्रर्थ 'ग्रह्म — चरम — करने योग्य स्त्री' है। इस लिए "कन्यावरमं विवाहः" ऐसा कह कर जो विधवाविवाह का नियेध करना चाहते हैं, वे भूसते हैं।

त्राचिए— (श्रः) कन्या शब्द का श्रर्थ नारी भी हैं: इसिलये देवाङ्गनाश्रों के लिये 'देव-कन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। यह नहीं हो सकता कि जो स्त्री दूसरा पित करें, वहीं कन्या कहलावे। विधवा होकर दूसरा पित ग्रहण करने वाली भी कन्या कहलाती हो सो सारे संसार में कहीं नहीं देणा जाता। जिन योरोप श्रादि देशों में या जिन जातियों में विधवा विवाह चालू है, उन में भी विवाह के पूर्व लड़िक्यों को कन्या माना जाता है श्रीर विवाह के बाद वधू श्रादि।

समाधान-कुमारी के श्रतिरिक्त श्रन्य स्त्रियाँ (सधवा,

विधवा) को भी कन्या कह सकते हैं, यह बात श्राप पहिले स्वीकार कर खुके हैं श्रीर यहाँ भी स्वीकार कर रहे हैं। यही बात हम सिद्ध करना चाहते हैं। 'जो दूसरा पित श्रहण करे वही कन्या है' यह तो हमारा कहना नहीं है। हम नो यह कहना ध्वाहते हैं कि वह भी कन्या है; इस श्रथं को श्राप भी स्वीकार करते हैं। हाँ साहसगित विद्याधर श्रीर कुराडल मिराइत के हए। इन से यह बात श्रवश्य मालूम होती है कि जब कोई पुरुप किसी स्त्री को श्रहण करना चाहता है, तभी श्रायः वह कन्या कही जाती है। श्रन्य श्रवस्था श्री में श्रकुमारी को कन्या कहने के उदाहरण श्रायः नहीं मिलते। इन उदाहरणों से नथा वर श्रीर कन्या श्राव्द की समानार्थ कता से यह वात साफ़ मालूम होती है कि कन्या का श्रर्थ विवाह कराने वाली या विवाह-योग्य स्त्री है।

योगेप का उदाहरण देकर तो आप ने अपना ही विरोध किया है। आप ने कन्या शब्द का अर्थ अकुमारी म्त्री भी किया है, जब कि योगेप का उदाहरण देकर आप यह सिद्ध करना चाहते हैं कि अविवाहिता को ही कन्या कहते हैं। परन्तु आप ने शब्दों का प्रयोग ऐसा किया है, जिस से हमारी वात सिद्ध होती है। आप का कहना है कि—योरोप में विवाह के पहिले लड़कियों को कन्या माना जाता है। इस पर हमारा कहना है कि—अगर कोई बालविधवा दूसरा विवाह करें तो उस विवाह के पहिले भी वह कन्या कहलायगी। यह तो आप विलक्कल हमारे सरीखी बात कह गये। आपने यह तो कहा नहीं है कि प्रथम विवाहके पहिले कन्या कहलाती है और दूसरे विवाह के पहिले कन्या नहीं कहलाती ! छीर। अब इस नर्क वितर्क के बाद सीधी बात पर आइये। योरोप में भारतीय भाषा के कन्या आदि शब्दों का प्रयोग नहीं होता।

अक्ररेजी में कन्या के बदले Miss (मिस) शब्द का प्रयोग होता है, परन्त कन्या शब्द का अर्थ जब कमारी किया जायगा तभी उसका पर्याय शब्द Miss (मिस) होगा: जब नारी ब्रर्थ किया जायगा तब Miss (मिस) शब्द उसका पर्याय-वाची नहीं बन सकता। असली बात तो यह है कि 'सर' और 'कन्या' इसका ठीक हिंदी अनुवाद होगा 'दल्हा' और 'दुल्हन'। जिस प्रकार 'दुल्हा' को 'बर' कहते हैं उसी प्रकार दुल्हिन की 'कन्या' कहते हैं। वर शब्द का श्रङ्गरेज़ी श्रन्चाद हैं Bridegroom (ब्राइडब्रम); इसलियं कन्या शब्द का अनुवाद होगा Bride (बाइड)। विवाह के प्रकरण में कन्या शब्द का दुल्हिन अर्थात् Bride अर्थ लगाना ही उचित हैं। जिस प्रकार भोजन के समय सैन्घव शब्द का घोडा श्रर्थ करना पागलपन है, उसी प्रकार विवाह के प्रकरण में कन्या शब्द का कुमारी अर्थ करना पागलपन है। उस समय तो कन्या शब्दका दुल्हिन अर्थ ही होना चाहिये। वह दुल्हिन कुमारी भी हो सकती है श्रीर विधवा भी हो सकती हैं। इसिलये कन्या शब्दके कारण विधवाविवाह का निषेध नहीं किया जा सकता।

ग्राक्षेप—(क) सभी देवियों को दूसरे देवों के साथ नहीं रहना पड़ता। देवी जिसे चाहे उसी देव को ग्रपना पित नहीं बना सकती, परन्तु अपने नियोगी को ही पित बना सकती है। देवियों के दृष्टान्त से विध्वाविवाह की पुष्टि न करना चाहिये। दृष्टान्त जिस विषय का है पुष्टि भी वैसी करेगा। देवाक्कना दृसरी गति है। वे रजस्वला नहीं होतीं, गर्भधारण नहीं करतीं, उन के पलक नहीं गिरते, जब कि मनुष्यनी की ये बार्ते होती हैं।

समाधान—सभी देवियों को दूसरा पति नहीं करना पड़ता, परन्तु जिन देवियों का पति मर जाता है वे पति के स्थान पर पैदा होने वाले श्रन्य देव को पित बना लेती हैं, यह बात नो बिलकुल सत्य है। जैसा कि श्रादिपुराण के निम्न लिखित स्टोकों से मालूम होना है।—

भीमः साधुः पुरं प्'डरीकिएयां घातिघातनात्।

—पर्व० ४६। ऋो० ३४⊏।

रम्ये शिवंकरोद्याने पंचमज्ञान पूजितः । तम्थिवाँस्तं समागत्य चतस्त्रो देवयोषितः ॥ ४६ । ३४६ ॥ वंदित्वाधर्ममाकर्यं पापादममत्पतिम् तः ।

त्रिलोकेशवदास्माकं पृति: कोन्यो भविष्यति ॥ ४६।३५०॥
पुरुडरोकपुर के शिखंकर नामक बगोचे में भीम नामक
साधु को घातिया कर्मों के नाश करने से केवल झान हुआ।
उन के पास चार देवाङ्गनाएँ आई। बन्दना की, धर्म सुना।
फिर पूजा-हे त्रिलोकेश! पापकर्म के उदय से हमारा पृति मर
गया है, इसिलये कहिये कि हमारा द्सरा पृति कीन होगा?

यह बात दूमरी है कि बहुतसो देशक नाश्रों को विधिया नहीं होना पड़ता, इससे दूसरा पित नहीं करना पड़ता। परन्तु जिन्हें करने की ज़रूरत होती है वे दूसरे पित का त्याग नहीं कर देतीं। हाँ, देशक नाएँ दूसरे देश को नहीं पकड़तीं, अपने नियोगी को ही पकड़ती हैं; सो यह बात कर्मभूमि में भी हैं। मध्यलों को मी नियोगी के साथ ही दाम्पत्यसम्बन्ध होता है। हाँ, देशकि में नियोगी पुरुष और नियोगिनी स्त्री का खुनाव (नियोग = नियुक्ति) देश ही कर देता है जबकि कर्मभूमि में नियोगी और नियोगिनी के लिये पुरुषार्ध करना पड़ता है। सो इस पकार का पुरुषार्ध विध्वाओं के लिये ही नहीं करना पड़ता, कुमारियों के लिये भी करना पड़ता है। देशकृत और प्रयत्नकृत नियोग की बात से हमें कुछ मतलब नहीं। देखना यह है कि देशनित में देशियाँ एक देश के मरने पर

दुसरा देव प्राप्त कर लेती हैं। इतना ही नहीं, दूसरे देव को प्राप्त करने की लालसा इतनी बढ जाती है कि वे थोडी देर भी शान्त न बैठ कर केवली भगवान के पास पूछने जाती हैं। केवली भगवान भी दूसरे पति के विषय में उत्तर देते हैं। श्रगर दूसरे पति को ग्रहण करना पाप होता ना व देवियाँ धर्म श्रवण करने के बाद केवली भगवान से ऐसा प्रश्न न करतीं। श्रीर न केवली भगवान् के पास से इस का उत्तर मिलता। जब केवली भगवान् ने उन्हें धर्म सुनाया तो उसमें यह बात क्यों न सुनाई कि दूसरा पनि करना पाप है ? क्या इससे यह बात साफ नहीं हो जाती कि जैनधर्म में विधवा-विचाह को वही स्थान प्राप्त है जो कुमारीविचाह को प्राप्त है। इनने पर भी जो लोग विधवाविवाह को धर्मविरुद्ध समभते हैं वह पुरुष मदोन्मत्त, मिथ्यादिष्ट नहीं तो क्या हैं ? देवांगना दुसरी गति में हैं श्रीर उनके शरीर में रस रक्तादि नहीं हैं, तो क्या हुआ ? जैनधर्म नो सब जगह है। मिध्यान्व श्रीर दुराचार शरीर के विकार नहीं, श्रात्मा के विकार हैं। इस लिये शरीर की गुणगाथा से ब्रथर्म, धर्म नहीं बन सकता । यहाँ धर्म अधर्म की सीमांसा करना है, हाड माँस की नहीं। हाड़ माँस तो सदा श्रपवित्र है, वह न तो पुनर्विवाह से श्रप-वित्र होता है श्रोर न पुनर्विवाह के बिना पवित्र। श्रगर यह कहा जाय कि देवगति में ऐसा ही रिवाज है, इसलिये वहाँ पाप नहीं माना जाता: विधवा देवियों को प्रहण करने वाले भी सायिक सम्यग्दृष्टि होते हैं और दूसरे देव का ब्रह्ण करने वाली देवियाँ, स्त्री दोने से चायिक सम्यत्तव तो नहीं पा सकतीं, परन्तु बाक़ी दोनों प्रकार के सम्यक्त्व प्राप्तकर सकती हैं। 'यदि रिवाज होने से देवगति में यह पाप नहीं है तो यहाँ भी पून-र्विवाह के रिवाज हो जाने पर पाप नहीं कहला सकता।

आशिप—(ख) दीक्षान्वय किया में जो पुरुष दीक्षा ले रहा है, उसका विवाह उसी की म्त्री के साथ होता है। इससे विधवाविवाह कैसे सिद्ध होगया?

समाधान—जो लोग कत्या शब्द का त्रर्थ कुमारी करते हैं और कुमारी के सिवाय किसी दूसरी स्त्री का विवाह ही नहीं मानते, उनको मुँ हतोड उत्तर देने के लिये हमने दीलान्वय किया का वह श्लोक उद्धृत किया है । दीलित मनुष्य भले ही श्रवनी स्त्री के साथ विवाह करता हो, परन्तु उस की स्त्री कत्या है कि नहीं ? यदि कत्या नहीं है तो 'कत्यावरणं विवाहः' इस परिभाषा के श्रनुसार वह विवाह ही कैसे कहा जा सकता है ? लेकिन जिनसेनाचार्य ने उसे विवाह कहा है। श्रमर वह स्त्री, विवाह होने के कारण कत्या मानो जासकर्ता है तो विधवा भी कत्या मानो जा सकती है। सधवा तो कत्या कहला सके श्रीर विधवा कत्या न कहला सके—यह नहीं हो सकता।

स्राक्षेप (ग)—कन्याएँ जिस प्रकार शिक्षनी पश्चिनी श्रादि होती हैं, उसी प्रकार पुरुष भी। जब स्त्री पुरुष समान गुण-वाले नहीं होने तब वैमनस्य, सन्तानादि का स्रभाव होता है। इसिलिये सागारधर्मामृत में कन्या के लिये निर्दोष विशेषण दिया है। तुम इन महत्वपूर्ण शब्दों का भाव ही नहीं समभे।

समाधान—समान गुणवाले स्त्री पुरुष होनं से लाभ है। परन्तु हमारा कहना यह है कि ब्रागर शिक्षनी ब्रादि भेदों की समानता नहीं पाई जाय तो विवाह धर्मविरुद्ध कहलायगा या नहीं? यदि धर्मविरुद्ध कहलायगा तब ब्राजकल के फी सदी ६० विवाह धर्मविरुद्ध ठहरेंगे, क्योंकि इन भेदों का विचार ही नहीं किया जाता। अन्य प्रकार के बुद्धविवाहादि अनमेलविवाह भी धर्मविरुद्ध उहरेंगे। फिर केवल विधवाविवाह के पीछे

इतना तूफ़ान मचाना किस काम का ? यदि अनमेल आदि विवाह धर्मविरुद्ध नहीं है तो विधवाविवाह भी धर्मविरुद्ध नहीं है । इसलिये जिस प्रकार 'निर्देष' विशेषण सदोषा के विवाह को धर्मविरुद्ध नहीं ठहरा सकता, उसी प्रकार 'कन्या' विशेषण विधवा के विवाह को धर्मविरुद्ध नहीं ठहरा सकता। इसके लिये हमने पहिले लेख में खुलासा कर दिया है कि 'कन्या और विधवा में करणानुयोग की दृष्टि में कुछ अन्तर नहीं है जिससे कन्या और विधवा में जुदी जुदी दो आहाएँ बनाई जायँ। इस अनुयोग सम्बन्धी प्रश्न का आप कुछ उत्तर नहीं दे सके।

आद्मेष (घ) — जैन सिद्धान्त में कन्या का विवाह होता है, यह स्पष्ट लिखा है। विधवा को आर्थिका होने का या वैधव्य दीचा धारण करने का स्पष्ट विधान है। इसलिये विधवाविवाह का विधान व्यभिचार को पुष्टि है।

समाधान—कन्या शब्द का अर्थ विवाह कराने वाली स्त्रो' या 'दुल्हिन' है (स्त्रो सामान्य आपने भी माना है।)। दुल्हिन कुमारी भी हो सकती है और विधवा भी हो सकती है, इसलिये जैन सिद्धान्त की आक्षासे विधवाविवाह का कुछ विरोध नहीं। शास्त्रों में तो अनेक तरह की दीलाओं के विधान हैं, परन्तु जो लोग दोला अहण नहीं करते. वे धर्मअष्ट नहीं कहलाते। जिनमें विरक्ति के भाव पैदा हुए हों, कवायें शांत होगई हों, वे कभी भी दीला ले सकती हैं। परन्तु जब विरक्ति नहीं है, कवायें शान्त नहीं हैं, तब ज़बर्दस्ती उनसे दीला नहीं लिखाई जा सकती। 'ज्यों ज्यों उपशमत कवाया, त्यों त्यों तिन त्याग बताया' का सिद्धान्त आपको ध्यान में रखना चाहिये। इस विषय को प्रायः सभी बातें पहिले कही जा चुकी हैं। आलेप (ङ)—प्रशोधसार में लिखा है कि 'कन्या का

दुबारा विवाह नहीं होता'। यशस्तिलक में लिखा है कि 'एक-बार जो कन्या स्त्री बनाई जानी है वह विवाह द्वारा फिर दुबारा स्त्री नहीं बनाई जाती'। श्रादिपुराण में श्रकंकीर्ति कहते हैं 'कि में उस विधवा सुलोचना का क्या कक गा'। नीतिवाक्यामृत में श्रेष्ठ शुद्धों में भी कन्या का एकबार विवाह माना जाता है।

समाधान — जैनगज़ट में श्लोक नहीं छपते, इस की श्रोट लेकर परिडत लोग ख़ूब मनमानी गप्पें हाँक लिया करते हैं। श्राग श्लोक देने लगें तो सारी पोल खुल जाय। ख़ैर, प्रबोध सार में तो किसी भी जगह के ४४ नम्बर के श्लोक में हमें विध्वाविवाह का निषेध नहीं मिला। यशस्तिलक के श्लोक के श्राचे करने में श्राचेपक ने जान बूभकर धोखा दिया है। ज़रा वहाँ का प्रकरण श्रोर वह श्लोक देखिये।

किस तरह की मृर्ति में देवकी स्थापना करना चाहिये, इसके उत्तर में सोमदेव लिखते हैं कि विष्णु श्रादिकी मृर्ति में श्ररहन्त की स्थापना न करना चाहिये। जैसे—जब तक कोई स्त्री किसी की पत्नी है तब तक उस में (परपरिश्रहे) खस्त्री का सङ्गल्प नहीं किया जा सकता। कन्याजन में स्वस्त्री का सङ्गल्प करना चाहिये।

> शुद्धेवस्तृति सङ्करणः कन्याजन इवोचितः । नाकारान्तरः संकान्ते यथा परपरिप्रहे॥

मतलब यह कि मृतिं का आकार दूसरा हो और खा-पना किसी अन्य की की जाय तो वह ठीक नहीं। हनुमान की मृतिं में गणेश की स्थापना और गणेश की मृतिं में जिनेन्द्र की स्थापना अनुचित है। परन्तु मृतिं का आकार बदलकर अगर स्थापना के अनुकप बना दिया जाय तब वह स्थापना के प्रति-कूल नहीं रहती। अन्य धर्मायंलवियों में तो पत्थरों के ढेर और पहाड़ों तक को देवता की मृतिं मान लेते हैं। इसलिये क्या पत्थरों के ढेर में से या पहाड़ में से किसी पत्थर की जिनेन्द्रमूर्ति बना लेना अनुचित हो जायगा ?स्थापना में सिर्फ इतना ही
देखना चाहिये कि वर्तमान में यह पत्थर आकारान्तरसंक्रान्त
तो नहीं है। पहिले किस आकार में था, इसके विचार की कोई
ज़करत नहीं है। इसी प्रकार वर्तमान में जो किसी दूसरे पुरुष
कोस्त्री है उसे स्वस्त्री नहीं बनाना चाहिये; जैसै कि तिब्बत में अनेक
पुरुष एक ही स्त्री को अपनी अपनी पत्नी बनाते हैं या जैसे कि
हिंदू शास्त्रों में द्रोपदी के विषय में प्रसिद्ध हैं। परन्तु जो स्त्री
विधवा होगई है वह तो कुमारी के समान किसी की पत्नी नहीं
है। वह आकारान्तरसंकान्त अर्थात् किसी की पत्नी थी ज़कर,
परन्तु अब नहीं है। इसलिये उसमें स्वपत्नीत्वका सङ्करण अनुचित नहीं है। इसलिये उसमें स्वपत्नीत्वका सङ्करण अनुचित नहीं है। श्राह्मेणक ने प्रकरण को ल्यिपकर, कन्या शब्दका
अर्थ भुलाकर, ज़बरदस्ती भूतकाल के रूपका वर्तमान का रूप
देकर या तो खुद धोला साया है या दूसरों को धोला दिया है।

श्राचार्य सोमदेवकं वाक्यों सं विधवाविवाह का विरोध करना दुःसाहस है। जो श्राचार्य श्रणुवती को वेश्यासेवन तक की खुलासी देते हैं वे विधवाविवाह का क्या विरोध करेंगे? बल्कि दूसरी जगह खुद उन्होंने स्त्री के पुनर्विवाह का स्मर्थन किया है। नीतिवाक्यामृत में वे लिखते हैं कि—'विकृत पत्यू-द्रापि पुनर्विवाहमहंतीनि स्मृतिकाराः' श्रर्थात् शास्त्रकार कहते हैं कि जिस स्त्री का पति विकारी श्रर्थात् सदोष हो, बह स्त्री भी पुनर्विवाह की श्रधिकारिणी है। इस वाक्य के उत्तर में कुछ लोग कहा करते हैं कि यह तो दूसरों की स्मृतियों का हवाला है—सोमदेव जी इससे सहमत नहीं हैं। परन्तु सोमदेव जी श्रगर सहमत न होते तो उन्हें इस हवाले की ज़करत क्या थी? यह सोमदेवजी ने विधवाविवाह का खंडन किया होता श्रीर खंडन के लिये यह वाक्य लिखा होता तब तो कह सकते थे कि वे

विधवाविवाह से सहमत न थे; परम्तु जब विधवाविवाह का वे जगहन नहीं करते और विधवाविवाह आदि के समर्थक वांक्य को उद्धत करते हैं तो मूर्ख से मूर्ख भी कह सकता है कि सोमदेव जी विधवाविवाह के पत्तपाती थे। दूसरी बात यह है कि स्मृति शब्द से अजैनों के धर्मशास्त्र ही प्रहण नहीं किये जा सकते। जैनशास्त्र भी श्रृति स्मृति आदि शब्दों से कहे गये हैं, जैसाकि आदिपुराण के ४४ वें पर्व में कहा गया है—

> सनातनोऽस्ति मार्गोऽयम् श्रुतिस्मृतिषु भाषितः। विवाहविधि भेदेष् विष्ठोहि स्वयंवरः ॥४४॥३२॥

यहाँ पर जैन शास्त्रों का उल्लेख श्रुनि स्मृति शब्द से हुआ है। श्रीर भी श्रनेक स्थानों पर ऐसा ही शब्द व्यवहार देखा जाता है। मनलब यह कि नीतिवाक्यामृत में जो स्त्री के पुनर्विवाह का समर्थक वाक्य पाया जाता है उससे सोमदेव जी नो पुनर्विवाह समर्थक ठहरते ही हैं, साथ ही श्रन्य जैना-चार्यों के द्वारा भी इसका समर्थन होना है। ऐसे सोमदेवाचार्य के यशस्तिलक के श्लांक से विधवाविवाह का विरोध सिद्ध करने की कुचेएा करना दुःसाहस नहीं तो क्या है ?

पाठक अब ज़रा श्रक्षंकीर्ति के बाक्य पर विचार करें। जब मुलोचनाने जयकुमार को वर लिया तब श्रक्षंकीर्तिक मित्र दुर्मर्षण ने श्रक्षंकीर्ति को समभाया—

रतं रत्नेषु कर्त्येव तत्राप्येषेव कर्यका । तत्त्वां स्वगृहमानीय दोष्ट्यं पश्यास्य दुर्मतेः ॥४४।५॥

रलों में कन्यारन ही श्रेष्ठ है; उसमें भी यह कन्या (पाठक यह भी ख़याल रक्षें कि जयकुमार को वर तेने पर भी सुलोचना कन्या कही जा रही है) श्रीर भी श्रिष्ठिक श्रेष्ठ है। इसलिये तुम उसे श्रपने घर लाकर उस दुर्बुद्धि की दुष्टता देखों (बदला लो)। दुर्मर्थण की बातों में श्राकर श्रर्ककीर्ति जयकुमार को मार कर उसकी वरमाला छीनने को उतार हो गया । इसी-लिये वह कहना है कि—

द्विघा भवतु वा मा वा वर्त तेन किमाग्रुगाः।
मालां प्रत्यानयिष्यंति जयवत्तां विभिद्यमे॥ ४४। ६४॥
अर्थात् सेना दां भागोंमें बट जाय चाहे नहीं, मेरा उस से क्या ? मेरे तो बाणु जयकुमार का वत्तम्थल चीरकर वर-माला लौटा लावेंगे।

पाठक विचार करें कि वरमाला को छीन लेना सुलो-चना को प्रहण कर लेना था, जिसके लिये अर्ककीर्ति तैयार हुआ था। निःसन्देह यह काम वह जयकुमारसे ईप्याके कारण कर रहा था। परन्तु अर्ककीर्ति का अनवद्यमित नामका मन्त्री जानता था कि सुलोचना सरीखी राजकुमारी अपनी इच्छा के विकद्ध किसी को नहीं वर सकती। इमीलिये तथा अन्य आप-त्तियों की आशद्धा से उसने अर्ककीर्ति को समकाया कि 'तुम चक्रवर्ती के पुत्र होकर के भी क्या अनर्थ कर रहे हो? तुम्ही से न्याय की रहा है और तुम्ही ऐसे अन्याय कर रहे हो! तुम इस युग के परम्त्रीगामियों में पहिले नम्बर के परम्त्रीगामो मत बनों।

परदाराभिलापस्य प्राथम्यं मा तृथा रूथाः । अवश्यमाहताप्येषा न कन्याते भविष्यति ॥४४ । ४०॥ अनवद्यमित की बातें सुनकर श्रकंकीर्ति लज्जित तो हुन्ना, परन्तु जयकुमार से बदला लेने का और सुलोचना छीनने का उसने पक्का निश्चय कर लिया था, इसलिये युद्ध का प्राप्नाम न बदला । हाँ, अपनी नैतिक सफ़ाई देने के लिये उसने अपने मन्त्री को निम्नलिजित वाक्य वोल कर भाँसा अवश्य दिया:— नाहं सुलोजनार्थ्यम्मि मत्मरी मच्छ्ररैरयम् । परासुरधुनैवस्यात्कि मे विधवयातया ॥

मुभे सुलोचनामे कुछ मतलब नहीं, यह धमगडी जय-कुमार मेरं बालों से मर जाय। मुभे उस विधवा से क्या लेना है ?

बस, श्रत्याचारी श्रकंकीर्तिकी यह बात ही श्रीलालजी के लिए श्रागम वन बैठी है। श्राक्तंपक प्रकरण को छिपा कर इस प्रकार समाज को श्रांखा देना चाहता है। दुर्मर्थण ने जब सुलोचना की, कत्या रहा कहकर प्रशन्मा की, तब श्रकंकीर्ति से नहीं कहा गया कि मैं उस विधवा का क्या कहाँगा? उस समय तो मुँह में पानो श्रा गया था। श्रनवद्यमित की फटकार से कहने लगा कि मैं विधवा सुलोचना को श्रहण न कहाँगा—मैं तो सिर्फ बदला लेना चाहता हूँ। श्रकंकीर्ति की यह कारो चाल थी तथा उससे यह नहीं माल्म होता कि वह विधवा होने के कारण उसको ग्रहण नहीं करना चाहता था। उसने तो परस्तीहरण के श्रन्थाय से निर्लित रहने की सफाई दी थी। प्रकरण को देखकर कोई भी समस्तरार कह सकता है कि इससे विधवाविवाह का खगडन नहीं होता।

नीतिवाक्य। मृत के वाक्य सं विधवाविवाह का विरोध करना वड़ी भारी धोखेबाज़ी है। नीतिवाक्यामृत उन्हीं सोम-देव का बनाया हुन्ना है जो विधवाविवाह का श्रवुमोदन करते हैं। तब सोमदेव के वाक्य से विधवाविवाह का विरोध कैसे हो सकता है? जिस वाक्य से विधवाविवाह का विरोध किया जाना है उसे श्राह्मेपक ने समसा ही नहीं है, या समस कर छिपाया है। वह वाक्य यह है—-

सकृत्परिणयन व्यवहाराः सच्छुद्राः । अर्थात् अच्छे शुद्ध वे हैं जो एक ही बार विवाह करते हैं, प्रधात एक ही स्त्री रखने हैं। यह नियम उस समय के लिये था जब अनुलोम विवाह की पृथा ज़ोर पर थी। उस्रवर्णी, शृद्ध की कन्याएँ लेते थे, लेकिन शृद्धों को देते न थे। ऐसी हालन में शृद्ध पुरुष भी अगर बहुपत्नी रखने लगते नव नो शृद्धों के लिये कन्याएँ मिलना भी मुश्किल हो जाता। इसलिये उन्हें अतेक पत्नी रखने की मनाई की गई। जो शृद्ध अनेक स्त्रियाँ रखते थे वे असच्छूद्ध कहे जाते थे। एक प्रकार से यह नियम भक्क करने का दगड़ था। आसेपक ने स्त्रियोंक पुनर्विवाह न करने की बात न माल्म कहाँ से खींच ली? उस वाक्य की संस्कृत टीका से श्रासेपक की यह चालाकी स्पष्ट हो जाती है—

टीका—"यं सच्छुद्राः शोभनश्रद्रा भवन्ति ते सक्तपिन् ग्यनाः एकवारं कृतविवाहाः, द्वितीयं न कुर्वन्तीत्यर्थः । तथा च हारीतः द्विभायीयोत्रश्रद्रः स्याद्वृपानः स हिवि श्रुतः । महत्वं तस्य नो भावि शुद्र जाति समुद्धवं।"

श्रथीत्—जो श्रच्छे शृद्ध होते हैं वे एक ही बार विबाह करते हैं, दूसरा नहीं करते हैं । यही बात कही भी है कि दो पत्नी रखने बाला श्रुद्ध बृपाल कहलाता है—उसे शुद्ध जाति का महत्व प्राप्त नहीं होता ।

'शूद्रों को बहुत पत्नी न रखना चाहिये', ऐसे अर्थवाले वाक्य का 'किसी को विधवाविवाह न करना चाहिये' ऐसा अर्थ करना सरासर धोखेबाज़ी है। यह नहीं कहा जा सकता कि आचेपक को इसका पता नहीं है, क्योंकि त्रिवर्णाचार की परीचा में श्रीयुत जुगलकिशोर जी मुस्तार ने इसका ख़्ब ख़ुलासा किया है।

इस प्रकार पहिले श्रादोपक के समस्त श्रादोप बिलकुल निर्वेत हैं। श्रव दूसरे श्रादोपक के श्रादोपों पर विचार किया जाना है। आत्तेष (च)—यदि विवाह शादी से सम्यक्त्व का कोई सम्बन्ध नहीं तो क्या पारसी, श्रंग्रेज़ लेडी, यवनकन्या आदि के साथ विवाह करने पर भी सम्यक्त्व का नाश नहीं होता ? यदि नहीं होता तो शास्त्रोंमें विहित समदक्तिका क्या अर्थ होगा?

समाधान पारसी श्रहरेज श्रादिनो श्रार्य हैं: सम्यक्त्व का नाश नो मलेच्छ महिलाछोंके साथ शादी करने परभी नहीं होता। चक्रवर्ती की ३२ हजार म्लेच्छ पितयों के द्रशन्त से यह बात विलक्क स्पष्ट है। चक्कवर्तियों में शान्तिनाथ, कुन्धुः नाथ, अग्नाथ, इन तीन तीर्थहरों का भी समावेश है। अन्य अनेक जैनी राजाओं ने भी म्लेच्छ और अनार्य स्त्रियों के साथ विवाह किया है। हां विवाह में इतनी बात का विचार यथासाध्य अवश्य करना चाहिये कि स्त्रां जैन-धर्म पालने वाली हो अथवा जैनधर्म पालन करने लगे। इस से धर्मपालन में सुभीना होता है। इसीलिये सम-दत्ति में साधर्मी के साथ रोटी वेटी व्यवहार का उपदेश दिया गया है। श्रगर कोई पारसी, श्रक्षरेज या यवन महिला जैनधर्म धारण करले तो उसके साथ विवाह करने में कोई दोष नहीं हैं। पुराने जमानेमें तो ऐसी श्रर्जन कन्यात्रीके साध भी शादी होती थी. फिर जैनकी तो बात ही क्या है ? ब्राचार शास्त्रों में लोकिक श्रीर पारलीकिक श्राचारों का विधान रहता है। उन का पालन करना सम्यग्दिष्ट की योग्यता श्रीर इच्छा पर निर्भर है। उन श्राचार नियमों के पालन करने से सम्य-वत्व आता नहीं है और पालन न करनेसे जाता नहीं है। इस लिए श्राचार नियमों के श्रमुकुल या प्रतिकृत किसी भी महि-लासे शादी करने से सम्यक्त्व का नाश नहीं होता।

ग्राचेष (छ)—सराग सम्यक्तव की श्रपेचा वीतराग सम्यक्तव विशेष प्राह्य हैं। फिर भी बीतराग सम्यक्तवी में प्रशम संवेग श्रमुकम्या श्राम्तिक्य गुण ज़रूर प्रकट होने चाहिये। निश्चय श्रीर व्यवहार दोनों का खयाल रखना चाहिये। व्यव-हार, निश्चयका निमित्त कारण नहीं—उपादान कारण है।

समाधान-सम्यग्द्धिमें प्रशम सम्वेगादि होना चाहिये नो रहें। सम्यरहाँ विधवाविवाह करते हुए भी प्रशम सम्बेग त्र<mark>नुकस्पा त्रास्तिक्यादि गुण ग्ल सकता है। प्रशम से गग</mark>. हेप कम हो जाते हैं, सम्बेग से संसार से भय हो जाता है। इतने परभी वह हज़ारों म्लेच्छ कन्यात्रींस विवाह कर सकता हैं,बड़े २ युद्धकर सकता है श्रीर नरकमें हो तो परम कृष्णा लेश्या बाला रौद्रपरिणामी बनकर हजारी नारकियास लडसकता है! तबभी उस के सम्यक्तका नाश नहीं होता। उसके प्रशम संब-गादि बन सकते हैं, नो विभवाविवाह वाले के क्यों नहीं बन सकते ? ब्यवहार निश्चय का कारण है। परन्तु विधवाविवाह भी तो ब्यवहार है। जिस प्रकार कुमारी विवाह धर्म से इड रहने का कारण है उसी प्रकार विधवाविवाह भी है। व्यवहार तो द्रव्य दोत्र काल भाव के भेद से अनेक भेद रूप है। व्यव-हार के एक भेद से उसी के दूसरे भेद की जाँच करना व्यव-हारैकान्तवादी बन जाना है। निश्चय को कसौटी बना कर व्यवहार की परीचा करना चाहिये। जो व्यवहार निश्चय श्रतु-कुल हो वह व्यवहार है, जो प्रतिकृत हो वह व्यवहाराभास है। विधवा-विवाह निश्चय सम्यक्त्व के श्रमुकूल श्रथवा श्रवि-रुद्ध है। इसलिये वह सञ्चा व्यवहार है। व्यवहार सम्यक्त कं श्रन्य चिन्हों के साथ भी उस का कोई विगंध नहीं है।

ब्यवहार को निश्चय का उपादान कारण कहना कार्य कारण भाव के ज्ञान का दिवाला निकाल देना है। व्यवहार पराश्चित है और निश्चय खाश्चित। क्या पराश्चित, खाश्चित का उपादान हो सकता है? यदि व्यवहार निश्चय का उपादान कारण है नो वह सिद्धों में भी होना चाहिये; क्योंकि उन के भी निश्चय-सम्यक्त्व है। परन्तु सिद्धों में रागादि परिण्ति न होने से सराग सम्यक्त्व हो नहीं सकता। तब वह उपादान कारण कैंसे कहलाया ? यदि व्यवहार निश्चय को पूर्वोत्तर पर्याय मान कर उपादान उपादेय भाव माना हो तो दोनों का साहचर्य (साथ रहना) बतलाना व्यर्थ है। तथा इस दृष्टि से नो सम्यक्त्व के पहिले रहने वाली मिथ्यात्व पर्याय भी उपादान कारण कहलायगी। तब सम्यक्त्व की उपादानता में महत्व ही क्या रह जायगा ? खंर, हमारा कहना तो यही है कि विधवाविवाह निश्चय सम्यक्त्व श्रोर व्यवहार सम्यक्त्व के प्रशमादि गुणों के विरुद्ध नहीं है। इसलिये व्यवहार सम्यक्त्व की दुहाई देकर भी उस का विरोध नहीं किया जा सकता।

त्राक्षेप (ज)—विवाहों की श्रष्ट प्रकार की संख्या से वाह्य होने के कारण और इसीलिये भगवन् प्रतिपादित न होने के कारण क्या श्रास्तिक्य सम्यग्दिष्ठि विश्ववाविवाह को मान्य ठहरा सकता है?

ममाधान—विवाह के ब्राठ मेदों में तो बालविवाह, वृद्ध विवाह, युवतीविवाह, सजातीयविवाह, विजातीयविवाह, श्रमुलोमविवाह, प्रतिलोमविवाह, सगांत्रविवाह, विगोत्र विवाह, कुमारीविवाह, विधवाविवाह, श्रादि किसी नाम का उल्लेख नहीं है; तब क्या ये सब ब्रास्तिक्य के विरुद्ध हैं ? तब तो कुमारी विवाह भी श्रास्तिक्य के विरुद्ध कहलाया, क्योंकि ब्राठ भेदों में कुमारी विवाह का भी नाम नहीं है। अगर कहा जाय कि कुमारीविवाह, सजातीय विवाह ब्रादि विवाहों के उपर्युक्त ब्राठ ब्राठ भेद हैं तो बस, विधवाविवाह के भी उपर्युक्त ब्राठ भेद सिद्ध हुए। जैसे कुमारीविवाह के भी उपर्युक्त ब्राठ भेद सिद्ध हुए। जैसे कुमारीविवाह

आठ तरह का हो सकता है उसी प्रकार विधवाविवाह भी आठ तरह का हो सकता है।

श्राद्मेष (भ)—सम्यग्हिए जीव में राग हेष की उत्कटता का च्योषश्म हो गया है। उस के वृत निमय न सही, परन्तु स्वरूपाचरण चारित्र तो है, जो संसार से भयभीत. मद्यमांस श्रादि से विरक्त. विधवाविवाह श्रादि राग-प्रवृति से बचाता है। यदि उस के स्वरूपाचरण चारित्र न माना जाय तो वह दुनियाँ भर के सभी रौद्र कर्म करके भी सम्यक्त्वी बना रहेगा।

समाधान— म्बरूपाचरण तो नारिक्यों के भी होता है, पाँचों पाप करने वालों के भी होता है, कुम्णलेष्या वालों के भी होता है। तब विधवाविवाह से ही उस का क्या विरोध है! सम्यग्दर्शन, भेद विज्ञान, म्बरूपाचरण चारित्र, ये सहचर हैं? इसलिये जो वात एक के लिए कही गई हैं वही तीनों के लिये समभना चाहिये। ज्ञानन्तानुबन्धी के उदय स्वय से स्व-रूपाचरण होता है। इस विपय में लेख के प्रारम्भ में ज्ञासे प नम्बर 'अ' का समाधान देखना चाहिये।

त्राक्षेप (अ)—सातवें नग्क में सम्यक्तव नष्ट न होने की बात श्राप ने कहाँ से लिखी ?

समाधान-इसका समाधान पहिलेकर चुके हैं। देखां श्राक्षेप नम्बर 'इ' का समाधान।

त्राक्षेप (र)—सम्यग्दष्टि जीव पश्च पापोपसेवी नहीं होता, किन्तु उपभोगी होता है अर्थात् उसकी रुचिपूर्वक पश्च पापों में प्रवृत्ति नहीं होती। "पाप तो सदा सर्वथा घोर पाप-बन्धन का ही कारण है। किर तो सम्यन्त्वी को भी घोर पाप बन्ध सिद्ध हो जायगा और सम्यन्त्वीको बन्धका होना कहने पर अमृतचन्द्र मूरि के "जिस दृष्टि से सम्यन्दृष्टि है उस दृष्टि से बन्ध नहीं होता" इस वाक्य का क्या अर्थ होगा?

मग्राधान-हमने सम्यत्तवी को पञ्चपापीपसेवी नहीं लिखा है, पाँच पाप करने वाल लिखा है। मले ही वह उपभाग हो। उस भी मचिष्वंक प्रवृत्तिता पाय में ही क्या, पुराय में भी नहीं होती। यह तो दोनों को हेय और शुद्ध परिएति को उपादेय मानता है। उसकी रुचि न तो कुमारी-विवाह में है न विधावा-विवाह में, किन्तु श्रप्रत्याख्यानावरणादि कपायों के उदय से वह श्ररुचिपूर्वक जैसे कुमारीविवाह करता हे उसा प्रकार विधवाविवाह भी करता है। उसकी श्ररुचि विधवाविवाह की रोके श्रीर कुमारी विवाह का न रोके, यह कैसे हा सकता है ? श्राचेपक का कहना है कि "पाप नो सदा सर्वधा घार पाप-बन्धका कारण है", तब तो सम्यग्दप्रिको भो घोर पापवन्ध का कारण होगाः क्योंकि वह भी पापीपनोगी है। लेकिन श्राक्षेपक सम्यग्द्दष्टिको घोर पाप बन्ध नहीं मानता। तब उस का 'सदा सर्वथा' शब्द श्रापही खगिडत हा जाता है। श्रमृत-चन्द्र का हवाला टेकर तो श्राचीपक ने विलक्कल उटपटाँग बका है, जिस से विधवाविवाह विरोध का काई ताल्लक नहीं। सम्यक्त्व तो बन्ध का कारण है ही नहीं, किन्तु उसके साथ रहने बाली कषाय बन्ध का कारण जरूर है। यही कारण है कि श्रविरत सम्यग्द्रध्य ७७ प्रकृतियों का बन्ध करता है जिन में बहुभाग पाप प्रकृतियों का है । सम्यक्तव श्रीर म्बरूपाचरण होने से उस के १६ + २५=४१ प्रकृतियों का बन्ध एकता है। सम्याद्दि जीव श्रगर विभवाविवाह करे तो उसके इन ४१ प्रकृतियों का बन्ध नहीं होगा। हां, बाकी प्रकृतियोंका बन्धहो सकेगा। सो वह तो कुमारी विवाह करने पर भी हो सकेगा श्रीर विवाह न करने पर भी हो सकेगा। हमारा कहना नो यही है कि जब सम्यग्हिष्ट जीव—ग्ररुचि पूर्वक ही सही—

पाँचों पाप कर सकता है, कुमारीविवाह कर सकता है, तब विधवाविवाह भी कर सकता है।

आक्षेप (ठ)—विधवाविवाह इसीलिए अधर्म नहीं हैं कि वह विवाह है बिलिक इस लिए अधर्म है कि आगम विरुद्ध है। "कोई प्रबृत्यात्मक कार्य धर्म नहीं है" यह लिखना सर्वधा असक्षत और अज्ञानतापूर्ण है। विवाहको निवृत्त्यात्मक मानना भी व्यर्थ है। अगर निवृत्त्यात्मक होता तो पाँचवें गुणस्थान के भेदों में निवृत्तिरूप ब्रह्मचर्य प्रतिमाकी आवश्यकताही क्या थी?

समाधान—विधवाविवाह श्रागमविरुद्ध नहीं है, यह हम सिद्ध कर खुके है श्रीर श्राग भी करेंगें। यहाँ हमारा कहना यही हैं कि श्रगर विवाह अधर्म नहीं है तो विधवाविवाह भी श्रधम नहीं है। श्रगर विधवाविवाह अधर्म हैं तो विवाह भी श्रधम हैं। सच पूछा जाय तो जैनधर्म के श्रमुसार कोई भी प्रवृत्त्यात्मक कार्य धर्म नहीं हैं। क्योंकि धर्म का मतलव हैं रत्नत्रय या सम्यक्चारित्र। सम्यक्चारित्रका लक्षण शास्त्रकारों ने "वाह्याभ्यन्तर कियाश्रों की निवृत्ति" किया है: जैसे कि— "संसार कारण निवृत्तिम्प्रत्यार्ग्णस्य झानवतः वाह्याभ्यन्तर किया विशेषों परमः सम्यक्चारित्रम्" (राजवार्तिक श्रोर सर्वार्थसिद्धि)

भवहेतु प्रहासाय वहिरभ्यन्तरक्रिया—

विनिवृत्तिः परं सम्यक् चारित्रम् ज्ञानिना मतम्।
— ऋरोक वार्तिकः।

बहिरब्संतर किरया रोहो भवकारण पणासहम् । णाणिस्स जं जिणुत्तं तं परमम् सम्मचारित्तम् ॥

---द्रव्यसंग्रह ।

चरणानुयाग शास्त्रों में भी इसी तरह का लच्चण है-

हिंसा नृतचौर्येभ्यो मैथुनसेवा परिग्रहाभ्यांच । पापप्रणानिकाभ्यो विरतिः संज्ञस्य चारित्रम् ॥ ४६ ॥ —रत्नकरगडश्रावकाचार ।

ज्यादा प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं । प्रायः सर्वत्र चारित्र का लच्चण नितृत्यात्मक ही किया है। हाँ ! व्यवहारनय से प्रतृत्यात्मक लच्चण का भी उल्लेख मिलता है; जैसे—

श्रसुहारो विणिवित्ती सुह पवित्तीय जाण चारितं । ब्रद्मसिदि गुत्तिरूय ववहारणयादुजिण भणियं ॥

---द्रव्यसंग्रह।

यहाँ पर अशुभ से निवृत्ति श्रीर शुभ में प्रवृत्ति को व्य-वहारनय से चारित्र कहा गया है। परन्तु व्यवहारनय से कहा गया चारित्र, वास्त्रविक चारित्र नहीं है। क्योंकि व्यवहारनय का विषय अभूतार्थ श्रवास्त्रविक) है। श्रमृतचन्द्राचार्य ने इस का बहुत ही श्रव्हा खुलासा किया है—

निश्चयमिह भूनाथै व्यवहारं वर्णयन्य भूतार्थम् ।
भूतार्थ बाधिवमुखः प्रायः सर्वोऽपि संसारः ॥
श्रवुधम्य बोधनाथै मुनीश्वरा वर्णयन्त्य भृतार्थम् ।
व्यवहारमेव वेवलमवेति यम्तम्य देशना नास्ति ॥
माणवक एव सिंहा यथा भवत्यनवगीत सिंहम्य ।
व्यवहार एविह तथा निश्चयतां यात्यानश्चयञ्चस्य ॥
व्यवहार विश्चयौ यः प्रवुध्यतन्वेन भवति मध्यस्थः ।
प्राप्नोति देशनायाः सप्यफलमिवकलम्शिष्यः ॥

श्रशीत—वास्तिविकता की विषय करने वाला निश्चयनय है श्रीर श्रवास्तिविकताको विषय करने वाला व्यवहारनय है। श्रायः समस्त संमार वास्तिविकता के ज्ञान से रहित है। श्रवप-बुद्धि वाले जीवों को समभाने के लिये व्यवहारनय का कथन किया जाता है। जो व्यवहारनय को ही एकड के रह जाता है उसको उपदेश देना व्यर्थ है। जैसे जिसने सिंह नहीं देखा वह कर्ना श्रूरता वाले व्यक्ति को ही सिंह समभ जाता है, उसी प्रकार जो निश्चय (वास्तविक) को नहीं जानना वह व्यवहार (श्रवास्तविक) को ही निश्चय समभ जाता है। जो व्यवहार श्रीर निश्चय इन दोनों को समभक्तर मध्यस्य होता है. वहीं उपदेश का पूर्ण फल प्राप्त करना है।

मतलब यह कि ध्यवहार चारित्र, वास्तव में चारित्र नहीं है—चह तो चारित्र के प्राप्त करने का एक ज़रिया है, जो कि श्रव्यबुद्धि वालों को समभाने के लिये कहा गया है। हाँ, यहाँ पर श्राचार्य यह भी कहते हैं कि मनुष्य को एकान्तवादी न बनना चाहिये। यही कारण है कि हमने श्रनेकान्त रूप से विवाह का विवेचन किया है। श्रर्थात् वास्तविकता की दृष्टि सं निश्चयनय से) विवाह धमें नहीं है, क्यांकि वह प्रवृत्तिरूप है श्रीर उपचार से धमें है। परन्तु यह उपचित्त धार्मिकता सिर्फ, कुमारी विवाह में ही नहीं है विधवाविवाह में भी है। क्योंकि दोनों में परस्त्री श्रर्थात् श्रविचाहित स्त्रो से निवृत्ति पाई जाती है। पाठक देखेंगे कि हमारा विवेचन कितना शास्त्रसमत श्रीर श्रनेकान्त से पूर्ण है, जबिक श्राचेषक बिल्कुल व्यवहारेकान्तवादी वनगया है। इसीलिये ''प्रवृत्यात्मक कार्य धर्म नहीं हैं' निश्चयनय के इस कथन को यह सर्वथा (१) श्रस्तात समभता है?

हमने विवाह को उपचरित धर्म सिद्ध करने के लिये कथंचिन्निवृत्यात्मक सिद्ध किया था। जिस प्रकार किसी मनु-रय को शेर कहने से वह शेर नहीं होजाता, किन्तु शेर के कुछ गुणों की कुछ समानता उसमें मानो जाती हैं, उसी प्रकार व्यवहार चारित्र, चारित्र न होने पर भी उनमें चारित्रको कुछ समानता पायी जातो हैं। चारित्र में तो शुभ श्रीर श्रग्रुभ दोनों से निवृत्ति पायी जाती हैं श्रीर व्यवहार चारित्र में श्रग्रम से ही निवृत्ति पायी जाती है। व्यवहार चारित्र की चारित्र के साथ यही श्रांशिक समानता है। यही कारण है कि व्यवहार चारित्र भी चारित्र कहा गया। जब विवाह, व्यवहार धर्म है तो उसमें किसी न किसी रूपमें निवृत्यात्मकता होना चाहिये। इसीलिये हमने कहा है कि विवाह से परश्रीसेवन रूप श्रग्रभ परिण्ति से निवृत्ति होती है। यह निवृत्ति कुमारीविवाह से भी होती है श्रीर विधवाविवाह से भी होती है।

"विवाह श्रगर निवृत्यात्मक है तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा क्यों बनाई!"—श्राक्ते पक्रका यह कथन तो वड़ा विचित्र है। श्ररे भाई विवाह में जितनी निवृत्ति है उस से ज्यादः निवृत्ति ब्रह्मचर्य में है। पहली क्रासमें भी शिक्षा दी जाती श्रीर दूसरी में भी दी जाती है तो क्या यह कहा जासकता है कि पहिली क्रास में शिक्षा दी जाती है तो दूसरी क्यों बनाई? श्रगर कोई पूळे कि मुनि तो छठ्यें गुणस्थान में बन जाता है, फिर सातवाँ क्यों बनाया? पाँच पापों का त्याग तो श्रणुव्रतों में हो जाता है फिर महाव्रत क्यों बनाये? सामायिक श्रीर प्रोपधापवास तो दूसरी प्रतिमा में धारण किये जाते हैं फिर इन नामों की तीसरी चौथी प्रतिमा क्यों बनाई? व्यासचार श्रीर परिग्रह का त्याग तो ब्रह्मचर्याणुवत श्रीर परिग्रह परिमाण वत में हो जाता है फिर सातवीं श्रीर दशमीं प्रतिमा क्यों बनाई? तो इन सब प्रश्नीं का क्या उत्तर दिया जायगा?

उत्तर यही दिया जायगा कि पहिली अवस्थाओं में थोड़ा त्याग है और आगे की अवस्थाओं में ज्यादः त्याग है। यही उत्तर विवाह के विषय में हैं। विवाह में थोड़ा त्याग हैं-ब्रह्म-चर्य में ज्यादः त्याग हैं।

देव पूजा श्रादि प्रवृत्यात्मक हैं परन्तु जब वे धर्म कहे

जाते हैं तब निवृत्यात्मक भी होते हैं। उन में कुद्वपूजा तथा अन्य अशुभ परिगतियों से निवृत्ति पायी जाती हैं। इसी से वे भी व्यवहार धर्म कहें गये हैं।

इस विवेचन से पाठक समक्ष गये होंगे कि विधवा-विवाह में कुमारीविवाह के बराबर निवृत्ति का श्रंश पाया जाना है। इसलिये दोनों एक ही तरह के ब्यवहार धर्म हैं।

त्राच्रीप (ड) — यह लिखना महाभूठ है कि विवाह के मामान्य लच्चण में कन्या शब्द का उल्लेख नहीं है। 'कन्या का ही विवाह होना हैं क्या इस दलील को भूठ बोलकर यों ही उड़ा देना चाहिये?

समाधान—हमने कन्या शब्द को उड़ाया नहीं हैं, बिल क इस शब्द के ऊपर तो हमने बहुत ज़ारदार विचार किया है। राजवार्तिक तथा श्रन्य ग्रंथोंमें जो कन्या शब्दका प्रयोग किया गया है, उसके विषय में हम श्रीलाल जो के श्राद्येषों के उत्तर देते समय लिख चुके हैं। इसके लिये श्राद्येष नम्बर 'ऐ' का समाधान पढ़ लेना चाहिये।

त्र्याचेप (ढ)—श्राप त्रिवर्णाचार को श्रवमाण मानकर के भी उसी के प्रमाण देते हैं, लेकिन जिस त्रिवर्णाचार में उट्टी पेशाब जाने की क्रिया पर भी कड़ी निगरानी स्वखी गई है, उसी में विधवाविवाह की सिद्धि कैसे हो सकती हैं?

समाधान — त्रिवर्णाचार को हम श्रप्रमाण मानते हैं, परन्तु विधवाविवाह के विरोधी तो प्रमाण मानते हैं. इसिलये उन्हें समसाने के लिये उसका उल्लेख किया है। किसी ईसाई को समसाने के लिये बाइबिल का उपयोग करना, मुसलमान को समसाने के लिये कुरान का उपयोग करना, हिन्दू का समसाने के लिये वेद का उपयोग करना जिस प्रकार उचित हैं, उसी प्रकार स्थितिपालकों को समसाने के लिये त्रिवर्णाचार का उपयोग करना उचिन हैं। 'टट्टी पेशाव की निगरानी रखने वाला विधवाविवाह का समर्थन नहीं कर सकता'—यह तो बिलकुल हास्याम्पद् युक्ति है। ब्राज भी दक्तिण प्रान्त में टट्टी पेशाव नथा अन्य किया-कांड पर उत्तर प्रान्त की अपेक्षा कई गुणी निगरानी रक्खी जानी है। फिर भी वहाँ विधवाविवाह और तलाक का श्राम रिवाज है। ख़ैर, त्रिवर्णाचारमें विधवा-विवाह का विधान हैं, यह बात २७ वें प्रश्न के उत्तर में सिद्ध की गई हैं। उसी प्रश्नके ब्राह्मेप समाधानों में इस पर विचार किया जायगा।

त्राक्षेष (ग)—कन्या शब्द का श्रर्थ "विवाह योग्य स्त्री" क्यां किया जाय ? पिता शब्द का श्रर्थ ना 'गुरु जन' होता है जैसा कि श्रमरकाय में लिखा है 'स्यान्नियेकादिकृद्गुरुः'; पर-न्तु कुमारी के श्रतिरिक्त कन्या शब्द का प्रयोग न नो हमारे कहीं देखन में श्राया है न सुना हो है। धनन्नय नाममाला में 'कन्या पतिर्थरः' लिखा है; 'स्त्री पतिर्थरः' क्यों नहीं ?

समाधान—कन्या शब्द का 'विवाह योग्य स्त्री' अर्थ क्यों किया जाय, इस का समाधान आदोप 'श्री' के समाधान में देखिये। कन्या शब्द का कुमारी के श्रांतिरक्त अर्थ आप ने नहीं देखा सुना तो इस में हमारा क्या अपराध है? यह आप के ज्ञान की कमी है। आप के सहयोगी प० श्रीलाल जी ने तो यह अर्थ देखा है। उन के कथनानुमार ही आप विश्वलाचन, हम और मेदिनी कोप देख डालिये। परन्तु इसके पहिले काप देखने की कला सीख लीजिये, क्योंकि इसी प्रकरण में अमरकोप देखने में आप ने बड़ी ग़लती की है। अमरकोष में लिखा है कि 'पित्रादिग् कः' अर्थान् पिता, माना, भ्राता, मामा आदि गुरु हैं; परन्तु आप अर्थ करने हैं कि पिता माता, भ्राता आदि पिता हैं। आप को समस्ता चाहिये कि

पिता त्रादि को गुरु कह सकते हैं. परन्तु सब तरह के गुरु हों को पिता नहीं कह सकते। कत्या का विशेषण 'पितृद्त्ता' हैं न कि 'गुरुद्त्ता' जिलसे कि श्रमरकोष के शतुसार श्राप विस्तृत अर्थ कर सकें। इसिलये यहाँ पितृशब्द उपलक्षण हैं। इसी प्रकार कत्या शब्द भी उपलक्षण है। नाममाला में 'स्त्री पित-र्वरः' न कहने का कारण यह हैं कि प्रत्येक स्त्री का पित वर नहीं कहलाता, किन्तु जो कत्या श्राप्ति जो विवाह योग्य स्त्री (दृल्हिन) होती है उसी के पित को वर (दुल्हा) कहते हैं। 'स्त्री पितर्वरः कह देने से सभी सम्त्रीक पुरुष जीवन भर के लिये वर श्राप्ति दुल्हा कहलाने लगते।

आक्षेप (त '—श्रमग्काप में 'पुनर्भ' शब्दका श्रथं किया है 'दुवारा विवाह करने वालां क्वी' और कवि सम्राट् धनञ्जय ने पुनर्भ शब्द को व्यभिचारिणी क्वियों के नामों में डाला हैं। धनञ्जय, श्रकलद्भ और पूज्यपाद की काटि के हैं. क्योंकि नाम-माला में लिखा है "प्रमाणमकलद्भन्य पूज्यपादस्य लज्जा। दिसन्धान कवे: काव्यम रन्तत्रयमपश्चिमम् "नाममाला के प्रमाण से सिद्ध है कि क्वी का पुनर्विवाह व्यभिचार हैं।

समाधान — धनञ्जयजी कवि थे, परन्तु उनका कोष संस्कृत साहित्य के सब कोषों से छोटा श्रीर नीचे के दर्जे का है। उपर जा इन की प्रशंसा में श्लोक उद्धृत किया गया है वह खुट हा उन्हीं का बनाया है। इस तरह श्रपने मुँह से प्रशंसा करने से ही कोई बड़ा नहीं हो जाता। धनञ्जय को पूज्यपाद या श्रकलद्ध की कोटि का कहना उन दोनों श्लाचार्यों का श्लपमान करना है। धनञ्जय यदि सर्वश्लेष्ठ कि भी होते तो भी क्या श्रकलद्धादि के समान मान्य हो सकते थे? गाँधी जी सब से घड़े नेना हैं, गामा सब से बड़ा पहलवान है श्लीर गीहर की श्लेष्ठ गायिका है तो क्या गाँधीजी गामा श्लीर गीहर की हज़त बराबर हो गई ? मान्यता के लिये सिर्फ सर्वश्रेष्ठता नहीं देखी जाती, परन्तु यह भी देखा जाता है कि वह श्रेष्ठता किस विषय में है। धन अप एक श्रद्धे परिडत या कि धे तो क्या वे पूज्यपाद श्रीर श्रकलड़ के समान श्राचार्य श्रोर तत्वज्ञ भी थे, जिस से सिद्धान्त के विषय में उन का निर्खय माना जाय ?

होर ! श्रव हम मृल विषय पर श्रात हैं। श्रमरकांच कारने पूनर्भृ शब्द का श्रर्थ किया है "दुवारा विवाह कराने वाली स्त्री"। पूनर्भका दूसरा नाम दिधिपू भी है। जिस ब्राह्मण ज्ञत्रिय यो वैश्य को स्त्री, पुनर्भ होती है उसे अमेदिधिषु कहते हैं (इस से यह भी सिद्ध होता है कि पहिले ज़माने में ब्राह्मण चित्रय वैश्य में भी स्त्री पुनर्विवाह होता था)। श्रमरकोपकार ने पूनर्भ का 'द्वारा विवाह करने वाली स्त्री' श्चर्य नो किया, परन्तु उसे व्यक्तिचारिणी नहीं माना। व्यक्ति-चारिशों के उन्होंने पुंश्चली, धविंशी, बन्धकी, श्रसती, कुलटा, इत्वरी श्रादि नाम ना बताये परन्तु पुनर्भू नाम नहीं बताया। जो कोपकार पुनर्भ शब्द का उपर्यक्त श्रर्थ करना है वह नो व्यभिचारिसी उसे लिखता नहीं, किन्तु जिसने (धनअय ने) पुनर्भ शब्द का अर्थ ही नहीं बताया वह उसे व्यक्तिचारिणी कहता है ! इसमें मालम होता है कि अमरकापकार के अर्थ से धनञ्जय का श्रर्थ विलकुत जुदा है। श्रमम्कोपकार के मनसे पुनर्भ शब्द का अर्थ है 'द्वारा विवाह करने वाली स्त्री' और धनञ्जय के मत से पुनर्भू शब्द का अर्थ है व्यक्तिचारिखी। ये तो एक शब्द के दो जुदे जुदे श्रर्थ हुए। इससे द्वारा विवाह करने वाली स्त्री व्यभिचारिणी कैमे मिद्ध हुई ? गो शब्द का अर्थ गाय भी है, स्वर्ग भी है, पृथ्वी भी है, इत्यादि श्रीर भी अनेक अर्थ हैं। अब कोई कहें कि अमुक आदमी मर कर खर्ग गया, तो क्या इस का यह अर्थ होगा कि वह गाय में गया ?

क्योंकि स्वर्गकों गो कहते हैं और गो का अर्थ गाय है। जिस प्रकार गो शब्द के 'गाय' और 'स्वर्ग' ये दोनों अर्थ होने पर भी 'गाय' को स्वर्ग नहीं कह सकते उसी प्रकार पुनर्भ शब्द के 'टवारा विवाह कराने वाली' और 'व्यभिचारिणी' ये दोनों श्रर्थ होने पर भी द्वारा विवाह करने वाली को व्यभिचारिसी नहीं कह सकते । दो प्रन्थकारों की दृष्टि में पूनर्भृशब्द के ये ज़दे जहे अर्थ है। इन ज़दे ज़दे अर्थों को पर्यायवाची समभ जाना श्रक्त की ख्बी है। हाँ श्रगर श्रमरकोष में लिखा हुआ। पुनर्भ शब्द का अर्थ नाममाला में होता श्रीर फिर वहाँ उसे व्यभिचारिशों का पर्यायवाची बनलाया होता ना धनअय के मत से पुनर्विवाह व्यभिचार सिद्ध होता। श्रथवा श्रमरकोश-कार ने ही श्रगर पुनर्भू शब्द को व्यभिचारिसी शब्द का पर्याय-वाची लिखा होता तो भी पुनर्विवाह को व्यभिचार कहने की गुँजाइश होती। परन्तुन तो अमरकोशकार पुनर्भ को ब्य-भिचारिणी लिखते हैं, न नाममालाकार अमरकाश सरीखा पुनर्भूका अर्थ ही करते हैं। इसलिये पुनर्भूशब्द के विषय में दोनों लेखकों के जुदे जुदे अर्थ ही समभाना चाहियें।

दूसरी बात यह है कि 'पुनर्भृ' तीन तरह की होतो है—
१. अस्ततयोनि, २. स्तयोनि, ३. व्यभिचारिणी (देखो मितासरा
शब्द करपद्रम. या हिन्दी शब्दमागर)। हो सकता है कि
धनअय कवि ने तीसरे भेद को ध्यान में रख कर पुनर्भृ को
व्यभिचारिणी का पर्यायवाची लिखा हो। इस प्रकार छोटी
छोटी गुलतियाँ नाममाला में बहुत पाई जाती हैं। जैसे-धानुकका अर्थ है धनुप चलाने वाला, परन्तु नाममालामें धानुक्क
को भील का पर्यायवाची शब्द लिखा है। लेकिन न तो सभी
भील, धानुष्क हो सकते हैं और न सभी धनुप चलाने वाले
भील हो सकते हैं। अगर नाममालाकार के अर्थ के अनुसार

प्रयोग किया जाय तो धनुष चलाने वाले तीर्थं इर चकवर्ती आदि सभी राजा महाराजा भील कहलायें ने। इसी प्रकार नौकर के पर्यायवाची शब्दों में शस्त्र-जीवी लिखा है। लेकिन सभी नौकर शस्त्रजीवी नहीं होते। शस्त्रजीवी तो सिर्फ सिपा-हियों और सैनिकोंकों कह सकते हैं परन्तु सैनिक और नौकर का एक ही अर्थ करना नाममाला की ही विचित्रता है। दूसरे कांषों में न तो पुनर्भू का पर्याय शब्द व्यभिचारिणी लिखा है, न धानुष्क का पर्याय शब्द भील लिखा है और न सैनिक का पर्याय शब्द सेवक लिखा है। इस प्रकार की छोटी मोटी भूल के नाममालामें दर्जनों उदाहरण मिल सकते हैं। जो नाममाला की इन बुटियों पर ध्यान न देना चाहने ही वे उपर्वृक्त छेट्टक (पैरामाफ़) के कथनानुसार पुनर्भू शब्द के अर्थ करने में अमरकोशकार और नाममालाकार का मतभेद समर्भे। इसिलये पुनर्विवाहिना को व्यभिचारिणी नहीं कहा जा सकता।

इस के बाद श्राचेपक ने साहसगित विद्याघर तथा
'धर्म संग्रह श्रावकाचार' के कत्या शब्द पर श्रज्ञानतापूर्ण विवेचन किया है, जिस का विम्तृत उत्तर श्राचेप 'श्रं' 'श्रः' श्रीर
"क" में दिया जाचुका है। इसी तरह दीचान्वय किया के पुनविवाह का विवेचन श्राचेप नं० 'ख' में किया गया है। श्राचेपक ने वकवाद तो बहुत किया, परन्तु वह इतनी भी वात नहीं
समभ पाया कि दीचान्वय किया के पुनर्विवाह का उल्लेख वर्णो
किया गया था। दीचान्वय किया के पुनर्विवाह से हम विध्याविवाह सिद्ध नहीं करना चाहते, किन्तु यह बनलाना चाहते हैं
कि विवाहिता स्त्री भी, श्रगर उसका फिर विवाह हो तो (भले
ही अपने पति के ही साथ हो) कन्या कहलानी है। श्रगर कन्या
शब्द का श्रथं कुमारी ही किया जायगा तो दीचान्वय कियामें

दीत्तिता स्वीका श्रपनं पतिके साथ पुनर्विवाह कैसे हो सकेगा, क्योंकि श्राचे पक कन्या का ही विवाह मानता है।

श्राचिष (थ)—जेनाचार्यों की सम्पूर्ण कथनी नय विबद्धा पर हैं। उन्होंने (?) विश्वलोचन में "कन्या कुमारिका नार्यः" लिला है। यद्यपि यह बिल्कुल सीधा सादा है और इसमें नय प्रमाणके वारों की कुछ श्रावश्यकता नहीं है फिर भी नीतिकार न कहा है—'श्रधीं दापं न पश्यित'। जो हो! जानि श्रपेत्ता (राशि भेदीपधीभिदा) नारि (?) के साथ कन्या, कुमारी का प्रयोग किया गया है। हमारे श्रध को सिद्ध करने वाला श्रंश 'जगन्' में बड़े (?) बारीक टाइप में छापा गया है। इतना छन! कुछ खीफ है?

ममाधान--काप के स्त्री वाची कन्या शब्द का जब कुछ भी खराडन न हो सका ता उपर्यक्त प्रताप किया गया है। आद्मेपक का कहना है कि कन्या और स्त्री की जानि एक है, इसलियं दोनों को माथ लिख दिया है। ठीक है, मगर भार्या श्रीर भगिनी भी तो सजातीय हैं, बाव श्रीर बेटा भी तो मजातीय है, तो इन सबके विषय में घुटाला कर देना चाहिये। इस बकबाद से श्राक्षेपक ने श्रपने कोष देखने की कहा के अज्ञान का पुनः प्रदर्शन किया है । विश्वलोचन, एक अनेकार्थ कोश है। अन्य कोशों के समान उसमें पर्यायवाची शब्दों की लाइन खडां नहीं की जाती है। उसमें तो यह बताया जाता है कि एक शब्द के जुदे जुदे कितने श्रर्थ हैं। कन्या शब्दके कुमारी, नारी, राशिभेद श्रादि जुदे जुदे श्रर्थ हैं । श्रगर श्राक्षेपक को काश देखने का ज़रा भी ज्ञान होता तो बह इतनी भूल न करता। टाइप की बात तो बड़ी चिचित्र है। लंखक, जिस बान पर पाठकों का ध्यान ज्यादः आकर्षित करना चाहता है उसे वह अन्डर लाइन कर देना है और प्रेस वाले उसे ब्लाक

[मोटे] टाइप में छापते हैं। इस बात में श्राचेपक को छल लीफ़ श्रादि श्रनेक भूत नज़र श्रा रहे हैं। यह पागलपन नहीं तो क्या है ? वेचारा श्राचेपक ऐसे ऐसे ज़बरदस्त (?) तर्क (!) शस्त्रों से विधवाविवाह का खराइन करने चला है।

कन्या शब्दके विषय में इतना लिखा जाचुका है कि श्रव श्रीर लिखने की ज़रूरत नहीं है। सागारधर्मामृत के निर्देशि विशेषण पर जो श्राक्तेपक ने लिखा है उसका समाधान "ग" में किया गया है।

श्राचिए (द)—शायद सन्यमाचा को करुणानुयोग का लच्चण भी नहीं मालूम है। कही करुणानुयोग में गृहस्थ-चारित्र की श्राज्ञाएँ भी देखने में श्राई है। करुणानुयोग में तो लोका-लोक विभाग श्रादि का वर्णन रहता है। करुणानुयोग श्रीर श्राज्ञा का क्या सम्बन्ध?

समाधान—इस आतंप से माल्म होता है कि आतंपक का शास्त्रकान अधूरा और तुच्छ है। पाठशालाओं के छोटे द बच्चे जितना क्षान रखते हैं उतना क्षान बेचारे आतंपकको मिला है और उसी के बल पर वह अपने को सर्वक्ष समस्तता है! आतंपक को हम सलाह देते हैं कि वह मोत्त्रमार्गप्रकाश के आठचें अधिकार में 'कठणानुयोग का प्रयोजन" और ''कठणानुयोग के ज्याख्यान की पद्धति' नामक विवेचनों का स्वाध्याय कर जाय। वहाँ के कुछ उद्धरण हम यहाँ नीचे देते हैं:—

''बहुरि करुणानुयोग विषे जीवनि की वा कर्मनि की विशेषता वा त्रिलोकादि की रचना निरूपण करि जीवन को धर्मविषे लगाये हैं। जे जीव धर्मविषे उपयोग लगाया चाहें, ते जीवनि का गुगाम्थान मार्गणा आदि विशेष अर कर्मनि का कारण अवस्था फल कौन कौन के कैसे कैसे पाइबे, इत्यादि विशेष धर त्रिलोक विषै नरक स्वर्गादिक ठिकाने पहिचानि पाप ते विमुख होय धर्म विषै लागे हैं ।

"बहुरि करणानुयोग विषे छुद्धम्थिन की प्रवृत्ति के अनु-सार (आचारण) वर्णन नाहीं। केवलक्षान गम्य (आत्म परि-णाम) पदार्थनिका निरूपण है। जैसे — कोई जीव नो द्रव्यादिक का विचार करें हैं वा वनादिक पालें हैं, परन्तु अंतरंग सम्यक् याग्त्रि नहीं नानें उनको मिथ्यादिष्ट के अवनी कहिये हैं। यहुरि कैई जीव द्रव्यादिक का वा वनादिक का विचार-रहिन हे अन्य कार्यनि विषे प्रवनें हैं वा निद्रादि करि निर्विचार होय रहे हें, परन्तु उनके सम्यक्तादि शक्ति का सद्भाव है नानें उन को सम्यक्ती वा वनी कहिये हैं। बहुरि कोई जीव के कपायनि की प्रवृत्ति नो घनी है अर वाके अन्तरक कपाय-शक्ति थोरी है नो वाकों मन्दकपाई कहिये हैं। श्रुर कोई जीव के कपायनि की प्रवृत्ति नो थोरी है अर वाके अन्तरक कपाय-शक्ति घनी है नो वाकों तीव कषायी कहिये हैं"।

"बहुरि कहीं जाकी व्यक्ति तो किछू न भामें तो भी मृद्म शक्ति के सद्भावतें ताका तहाँ श्रस्तित्व कह्या । जैसे मृनि के श्रव्रह्म कार्य किछू नाहीं तो भी नवम गुण्मधान पर्यन्त मैथुन संज्ञा कहीं"।

ंबहुनि करणानुयोग सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रादिक धर्मका निरूपण कर्म प्रकृतीनिका उपशमादिक की अपेचा लिये सुदम शक्ति जैसे पाइये तैसे गुण्मधानादि विधे निरूपण करें हैं"।

इन उजरणों से पाठक समक्ष जायँगे कि करणानुयोग में चारित्रादिक का भी निरूपण रहता है। हाँ, करणानुयोगका

[🕆] जैसे द्विण के शान्तिसागरजी। 💢 —सम्पादक

विवेचन भावों के अनुसार है और चरणानुयोग का विवेचन वाह्यक्रिया के अनुसार । चरणानुयोग का मुनि व श्राचक करणानुयोग का मिश्यादृष्टि हो सकता है । भावों के सुधार के लिये क्रिया है अर्थात् करणानुयोग के धर्म के लिये चरणानुयोग का धर्म है । विवाह से पुरुषकी कामलालसा अन्य क्रियों से हट कर एक ही स्त्रों में केन्द्रोभृत होजाती है । इस प्रकार इच्छा का केन्द्रोभृत होना कुमारी-विवाह से भो है और विधवा विवाह से भी है, इसलिये करणानुयोग की अपेना कुमारी-विवाह और विधवाविवाह में कुछ फ़र्क नहीं है। इसलिये कुमारा-विवाह और विधवाविवाह में कुछ फ़र्क नहीं है। इसलिये कुमारा-विवाह और विधवाविवाह के लिये जुदी जुदी आक्राएँ नहीं बनाई जासकती न बनाई गई हैं। अगर आन्नेपक करणानुयोग के स्वरूप को समक्षने की चेष्टा करेगा तो उसे अच्छी तरह यह वान समक्ष में आजायगी।

ग्राक्षेप (घ)—विधवा के लिये श्राचार-शास्त्र में रूपष्ट वैधव्य दीता का विधान है।

समाधान—इस श्राह्मेप का उत्तर नम्बर 'घ' में दिया गया है।

इसके बाद श्राचेपक ने सम्यक्तव बन्ध का कारण है या नहीं इस विषय पर श्रनावश्यक विवेचन किया है, जिसका विधवाविवाहसे कोई ताल्लूक नहीं है। हाँ, यह बात हम पहिले विस्तार से कह चुके हैं कि सम्यक्तवी विधवा विवाह कर सकता है।

दूसरा प्रश्न

दूसरे प्रश्न के उत्तर में कोई ऐसी बात नहीं है जिसका उत्तर पहिले प्रश्न के उत्तर में न श्रागया हो। इसलिये यहाँ पर विशेष न लिखा जायगा। पुनर्विवाह करने वाला सम्यक्तवी होने पर स्वर्श जा सकता है या नहीं—इस पर श्रीलालजी तो कहते हैं कि वह सीधा नरक निगोदका पात्र हैं: जबिक विद्या-नम्द लिखते हैं कि उदासीन वृत्ति रखने पर स्वर्श जा सकता है। इस नरह दानों श्राहोपक एक दूसरे को काटते हैं। दोनों श्राहोपकोंक श्राहोपों पर निम्न में विद्यार किया जाता है:—

श्चाभ्रेष (क)—पुनर्विवाह करने वाला मोत्त तो तब जाय, जब वह गाँड पीछा छोड़े। भाव ही मुनिव्रत के नहीं होते। विश्ववाविवाह से संतान होगी वह गाँड का माँड फिर किसी का लेंडरा बनेगा। (श्रीलाल)। विश्ववाविवाह की संतान मोत्त की श्रिश्वकारिग्री नहीं है। (विद्यानन्द)

समाधान— गाँड, साँड, लेंडरा आदि शब्दों का उत्तर देना वृथा है। विधवाविवाह की सन्तान मोज्ञ जा सकती है। जय व्यभिचारजान सुद्दिष्ट मोज्ञ जा सकता है, तब और की बात ही क्या है? विधवाविवाह करने के बाद मुनिव्रत धारण कर सकता है और मोज्ञ भी जा सकता है। इसमें तो विवाद ही नहीं है।

त्र्राक्षेप (ख)—पुनर्विवाद करने वाले श्रसच्छुट है। (विद्यानन्द)

समाधान—पहिले प्रश्न के उत्तर में इसका समाधान कर चुके हैं। देखों नंo—(ङ)

ग्राक्षेप (ग)—सागारधर्मामृत में लिखा है कि स्व-दार-संतापी पर-स्त्री का कभी ग्रष्टण नहीं करता। विधवा का परस्त्रीत्व किस प्रमाण से हटेगा। (विद्यानन्द)

सम्। धान—इस का समाधान उसी सागारधर्मामृत में है। वहाँ लिखा है कि स्वदार संतोषी परस्त्री-गमन श्रीर वेश्या-गमन नहीं करता। यहाँ पर ग्रन्थकार ने कन्या (कुमारी) को भी परस्त्री में शामिल किया है (कन्यान भाविकर्तकत्वा- त्विश्रादि परतन्त्रत्वाद्वासनाथेत्यन्यस्त्री तो न विशिष्यते)। जब कन्या भी परस्त्री है श्रोर विवाह द्वारा उस का परस्रोत्व दूर कर दिया जाता है तब कन्या के समान विधवा का भी पर स्त्रीत्व दूर कर दिया जावेगा। श्रथवा जैसे विधुर का परपुरु-पत्व दूर होता है उसी प्रकार विधवा का परस्त्रीत्व दूर हो जायगा।

हार, जब सागारधर्मामृत की बात चल पड़ी है नब इम भी कुछ लिख देना चाहते हैं। विधवाविवाहविरोधी, श्रपने श्रज्ञान तिमिर को हटा कर ज़रा देखें।

सागारधर्मामृत में वेश्यासेवी को भी ब्रह्मचर्यायुवती माना है, क्योंकि ग्रन्थकार के मन से वेश्या, पर-स्त्री नहीं है। उनका कहना है कि "यस्त खदारवत्साधारण स्त्रियोऽपि वत-यित्मशक्तः परदारानेव वर्जयति संडिप ब्रह्माशुव्रतीष्यते" श्रर्थात् जो स्वस्त्री के समान वेश्या को भी छोडने में श्रसमर्थ है सिर्फ परस्त्री का ही त्याग करता है वह भी ब्रह्मचर्याणुवती है। इसका मतलाव यह है कि वेश्या, परम्त्री नहीं है, क्यों कि उस का कोई स्वामी मौजूद नहीं है। यदि ऐसी वंश्या का संवन करने वाला श्रणवती हो सकता है तो विधवास विवाह करने वाला क्या अग्रवती नहीं हो सकता ? वेश्या, परस्त्री नहीं है, किन्तु वह पूर्णकप में स्वस्त्री भी तो नहीं है। परन्त जिस विधवा के साथ विवाह कर लिया जाता है, वह तो पूर्णकप से स्थरती हैं। कानून से वेश्या स्वस्त्री नहीं कहलाती. जबिक पुनर्वित्राहिता स्वस्त्री कहलाती है। इतने पर भी श्रगर वेश्यासंत्री द्वितीय श्रेणी का श्रणत्रती कहला सकता है तो विधवाद्मिवाह करने वाला प्रथम श्रेणीका अध्यवती कहला सकता है।

सागारधर्मामृत में जहाँ इन्वरिकागमन को ब्रह्मचर्यायुवत

का श्रांतिचार सिद्ध किया है वहाँ तिखा है कि "चास्य भार्या-दिना परेण किञ्चित्काल परिगृहीतां वेश्यां गच्छतो भंगः कथ-चित्परदारत्वासम्याः । लोकंतु परदारत्वाकृदेनं भंगः इति भंगाभंग कृपोतिचारः"। इस वाक्य पर विचार कीजिये।

जहाँ भंग ही भंग है वहाँ अनाचार माना जाता है। जहाँ अभंग ही है बहाँ बन माना जाना है। जहाँ भंग श्रीर अभंग दोनों है वहाँ अतिचार माना जाता है। ऊपर के बाक्य में बेह्या संबन को भंग और असङ्ख्य मान कर अतिचार सिद्ध किया गया है। यहाँ देखना इतना ही है कि भङ्क अंश क्या है और अभट्ट अंश क्या है ? और उनमें से कौनसा अंश विधवाविवाह में पाया जाना है ? प्रन्थकार कहते हैं कि वेश्या-सेवन में बन का भङ्ग इसिलिये होता है कि वह दसरों के द्वारा प्रहरा की जाती है। मनलव यह कि वेश्या के पास बहुत सं परुष जाते हैं और सभी पैसा दे देकर उसे श्रपनी अपनी स्त्री बनाते हैं। इसिलिये वह परपरिगृहीता हुई और उसके संचन से युन का भङ्ग हुआ। लेकिन लोक में वह परक्त्री नहीं मानी जानी (क्योंकि पैसा लेने पर भी पूर्णकप से बह किसी की स्त्री नहीं बनती)। इसलिये उस के सेवन में बत का श्रमङ्ग (प्ता) इश्रा । पाठक देखें कि विधवाविवाह में वन का अभङ्ग (ग्ला) ही है, भद्ग विलकुल नहीं है। लोक व्यवहार सं, क़ानून की दृष्टि सं, तथा परस्त्री सेवन में जो संक्लेश होता है वह संक्लेश न होने से प्नर्विवाहिता स्वस्त्री ही है, इसलिये इस संयन में वेश्यासेवन की अपेता कई ग्ली वृत-ग्दा (श्रमहांश) है । साथ ही वेश्या में तो परपरिगृही-तता है किन्तु इस में नाममात्र को भी परपरिगृहीतता नहीं है। जब कोई मनुष्य वेश्या के पास जाता है तब वह उस का पूर्ण श्रधिकारी नहीं यन सकता, क्योंकि उतना अधिकार दूसरे पुरुषों को भी प्राप्त है। लेकिन पुनर्विवाहिता के ऊपर दूसरे का विलक्षल अधिकार नहीं रहता। इसलिये वेश्यासेवन में तो अभक्क के साथ में भक्क है, लेकिन पुनर्विवा-हिता में अभक्क ही अभक्क है। इसलिये वेश्या सेवन अति-चार है और पुनर्विवाह वृत है। अनाचार दोनों ही नहीं हैं। सागारधर्मामृत का यह कथन विधवाविवाह का पूर्ण समर्थन करता है।

हम पाठकों से दढ़ता के साथ कहते हैं कि श्रकेले सागार-धर्मामृत में ही क्या, किसी भी जैनग्रन्थ में—जो कि भगवान महाबीर के प्रम पवित्र श्रीर उच्च सिद्धान्तों के श्रमुसार बना हो—विधवाविवाह का समर्थन ही मिलेगा। किन्तु उसे सम-भने के लिये विवेक श्रीर निःपन्नता की जकरत है।

श्राक्षेप (घ)—चन्द्राभ। श्रपनं निद्य इत्य की जीवन भर निन्दा करती गढ़ी (विद्यानन्द)। जब उस दुष्ट का साथ छूट गया तब श्रेष्ठमार्ग धारण करने से स्वर्ग गई। वह स्वेच्छा से व्यभिचार न करती थी, किन्तु उस पर मधु बलात्कार करता था। (श्रीलाल)

समाधान—मधु नं चन्द्राभा के साथ वलात्कार किया था या दोनों ही इससे प्रसन्न थे, यह वान प्रयुक्तचित के निम्नलिखित खोकों से माल्म हो जातो है:—
चाटुभिःसपिद्दासबचोभिम्नां तथा समनुनीय स रेमे। जातमम्य च यथा चित्रार्थ यौवनं च मदनों विभवश्च ॥७१६॥ लोचनान्तक निरीक्तणमन्तःकृजितं च हसिनं च नदस्याः। चुम्बितं च वितृतश्च गतश्च व्याजहार सुरतोत्सवरागम् ॥७७०॥ गीतनृत्यपिद्दास्यकथाभिदीधिकाजलवनान्त विहारैः। तत्रतौ रतिसुखाण्व मग्नौ जञ्चतुर्न समय' समतोतम् ॥७१७॥ मधु ने चन्द्राभा को मीठी मीठी और हंसीली बानों

से खुश करके रमण किया जिससे उसका यौवन मदन और विभव सफल हो गया। चन्द्रामा का देखना, किलोलें करना, हंसना, चूमा लेना, काम कीड़ा करना श्रादि से उनका सुरती-त्सव रँग जमने लगा। गाना, नाचना, हँसी दिल्लगी करना, वापिका के जल में श्रीर बनों में बिहार करना श्रादि से वे सुख के समुद्र में मग्न हो गये। उन्हें जाना हुशा समय मालूम भीन पड़ा।

पाठक देखें कि क्या वह बलात्कार था ? होर, मधु की बात आई है तो एक बात और सुनियं। मधु था तो परस्त्री संवक और उसका यह पाप विख्यात भी हो गया था । फिर भी उसके यहाँ एक दिन विमलवाहन मुनिराज आहार लेने के लिये आये—स्मरण रहे कि इस समयभी मधु चन्द्राभा के साथ रहता था—तो उसने मुनि को दान दिया। प्रामुकं नृपतिना विधिपूर्व संयताय वरदानमदायि! तेन चान्तफलतः सहसैव चित्रपञ्चक मवाणि द्रापम् ॥७॥६५॥

राजा मधु ने मुनिराज के लिये आहार दान दिया, जिससे तुरन्त ही पंच-आश्चर्य हुए। पाठक देखें कि एक पर-म्बीसेवी, मुनि को आहार देता है जिसकी आचार्य महाराज वरदान (उत्कृष्टदान) कहते हैं और उससे तुरन्त पंच-आश्चर्य भी होते हैं। इससे न तो मुनि को पाप लगता है न मधु को। पश्च आश्चर्य इसका प्रमाण है। इतना ही नहीं, बिलक उस पर-म्बीसेवी का अन्न खाने के बाद ही विमलवाहन मुनिकों केवल जान पैदा हुआ। अगर आजकलके ढोंगी मुनियोंक साथ पेसी-धटना हो जावे तो वे दुरिममान के पुतले शुद्धि के नाम पर अंतिहियाँ तक निकाल निकाल कर धोने की चेष्टा करेंगे और वेचारे दाताकों तो नरक निगोद के सिवाय दूसरी जगह भेजेंगे ही नहीं। खैर, अब आगे देखिये। राजा मधु और चन्द्रामा

दोनों मरकर सोलहर्वे स्वर्ग में देव हुए (इस घटना से नरक के ठेकेदार पंडिनोंको वड़ा कष्ट होता होगा।)। इस पर आदो-पक का कहना है कि 'वह स्वर्ग गई सो श्रेष्ठ-मार्ग के श्रवलंबन से गई', परन्तु इससे इतना तो मालूम होगया कि परस्त्रीसंबी को श्रेष्ठमार्ग श्रवलम्बन करने का श्रधिकार है—व्यभिचारिणी स्त्री भी शार्थिका के वत ले सकती है। उसका यह कार्य भर्म-विरुद्ध नहीं है। श्रन्यथा उसे श्रच्युत-स्वर्ग में देवत्व कैसे प्राप्त होता?

हमारा यह कहना नहीं है कि विवाह करने सं ही कोई स्वर्ग जाता है। स्वर्ग के लियं तो तद्नुक्ष श्रेष्ठ मार्ग धारण करना पड़ेगा। हमारा कहना तो यही है कि विश्ववाविवाह कर लैने से श्रेष्ठ मार्ग धारण करने का अधिकार या योग्यता नहीं छिन जाती। श्राचे पकों का कहना तो यह है कि पुनर्विवाह वाला सम्यग्हिष्ट नहीं हो सकता, परन्तु मधु के ह्यान्त से तो यह सिद्ध होगया कि पुनर्विवाह वाला तो क्या, परस्त्रीसेवी भी सम्यक्वी हो नहीं, मुनि तक बन सकता है।

प्रश्न तीसरा

"विधवाविवाह से निर्यक्ष और नरकगितका बंध होता है या नहीं"—इस नीसरे प्रश्न के उत्तर में हमने जो कुछ कहा था उस पर श्रावेपकों ने कोई ऐसी बात नहीं कही है, जिसका उत्तर दिया जाय ? श्रावेपकों ने बार बार यही दुहाई दी है कि विधवाविवाह धर्म-विरुद्ध है, व्यभिचार है, इसलिये उस से विसंवाद कुटिकता है, उससे नरक तिर्यश्चगित का बन्ध है । केकिन इस कथनमें श्रन्योन्याश्रय दोष है। क्योंकि जब विधवा-विवाह धर्मविरुद्ध सिद्ध हो तब उससे विसंवादादि सिद्ध हो। जब विसंवादादि सिद्ध हों, तब वह धर्मविरुद्ध सिद्ध हो । ख़ैर नाममात्र के श्रा चेपों का उत्तर देना भी हम उचित समभते हैं।

श्राक्षेप (क) — राज्जल श्रादिकी तपश्चर्याश्रों के दणान्त शास्त्रों में पाये जाते हैं। श्रमर उन्हें कोई विवाद का उपदेश देता तो उनकी उन्नति में सन्देह था। (विद्यानन्द)

समाधान—गजुल आदि के समान बाल ब्रह्मचािंगी ब्राह्मीदेवी, सुन्दरी देवी, नीलीवाई आदि के दृष्टान्त भी तो शास्त्रों में पाये जाने हैं। इसलिये क्या यह नहीं कहा जासकता कि अगर कुमारीधिवाह का उपदेश होता तो ब्राह्मी आदि की तरक्की कैसे होती? अगर कुमारीविवाह के उपदेश रहने पर भी बालब्रह्मचािंगी मिल सकती हैं तो पुनर्विवाह का उपदेश रहने पर भी वैधव्य-दीद्मा लेने वाली और आर्थिका बन कर घोर तपश्चर्या करने वाली क्यों न मिलेंगी?

आचेपक को राजुलदेवी की कथाका पूरा पता ही नहीं है। जैनियों का बच्चा बच्चा जानता है कि नेमिनाथके दीचा लेने पर राजुल के माता, पिता, सिलयाँ तथा अन्य कुटुम्बियों ने उन्हें किमी दूसरे राजकुमार के साथ विवाह कर लेने को खूब ही समक्षाया था। फिर भी उनने विवाह न किया। आवे-पक को सभक्षना चाहिये कि राजुल सरीकी दृढ़मनस्विनी देवियाँ किसी के उपदेश अनुपदेश की पर्वाह नहीं करतीं। अगर उन्हें विवाह करना होता तो सब लोग रोकते रहते, फिर भी वे विवाह कर लेतीं। और उन्हें विवाह नहीं करना था तो सब लोग आग्रह करते रहे फिर भी उनने किसी के कहने की पर्वाह नहीं की।

ग्राचिष (ख)—पंडित लोग श्रेष्ठमार्ग का उपदेश देते हैं, इसिलये विसंवादी नहीं हैं । जबरन व्यभिचार की शिला देने वाले कुछ ग्रपट्डेट लीडर्स विसंवादी हैं । (विद्यानन्द)

समाधान-धे क मार्ग का उपदेश देना बुग नहीं है, परन्तु जो उस श्रेष्ठमार्ग का श्रवलम्बन नहीं कर सकते उनको उससे उतरती श्रोणी के मार्ग में भी न चलने देना मतके नाम पर मनवाला हो जाना है। क्या विधवाविवाह का उपदेश ब्रह्म-चर्यका घानक है ? यदि हाँ. तो ग्रहम्थधर्म का विधान भी मनिधर्म का घातक कहलायगा। पहिली श्रादि प्रतिमाश्री का विधान भी दुसरी श्रादि प्रतिमाश्री का घातक कहलायगा । यदि गृहम्थथर्म श्रादि का उपदेश देने वाले, वञ्चक. नास्तिक, पाखंडी, पापोपदेष्टा, पाप पंथ में फँसाने वाले झादि नहीं हैं नो विश्ववाविवाह के प्रचारक भी वञ्चक स्नादि नहीं हैं। क्योंकि जिस प्रकार पूर्ण संयम के श्रमाव में श्रविरति से हटाने के लिये गृहस्थर्घमं (विग्ताविरत) का उपदेश है उसी प्रकार पूर्ण ब्रह्मचर्य के श्रभाव में, व्यक्तिचार से दूर रखने के लिये विश्ववा-विवाह का उपदेश है। जब विधवा-विवाह श्रागमविरुद्ध ही नहीं है नव उसमें विसंवाद कैसा ? श्रीर उसका उपदेश भी व्यभिचार की शिक्ता क्यों ? विधवाविवाह के उपदेशक ज़बर-दस्ती श्रादि कभी नहीं करते न से बहिष्कार श्रादि की धमकियाँ देते हैं। ये सब पाप ना विधवाविवाह-विरोधी परिहर्तों के ही सिर पर सवार है।

आच्रीप (ग)—विधवाविवाह में वेश्या-सेवन की तरह श्रारम्भ भले ही कम हो, परन्तु परिश्रह—ममत्वपरिणाम— कुमारी विवाह से असंख्यात गुणा है। (श्रीकाल)

समाधान—यदि विधवाविवाहमें श्रसंख्यात गुणा ममन्त्व है तो विधुनविवाह में भी श्रसंख्यातगुणा ममत्व मानना पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार विधवा पर यह दोपारापण किया आता है कि उसे एक पुरुष से सन्तोष नहीं हुआ, उसी प्रकार विधुर को भी एक स्त्री से सन्तोष नहीं हुआ; इसीलिये वह

ं भी दोषी कहलाया । वास्तविक बात तो यह है कि न विधुर विवाह में उगादः ममन्य परिगाम हैं और न विश्ववाविवाह में। हाँ अगर कोई स्त्री एक ही समय में दो पनि रक्खे अधवा कोई पुरुष एक ही समय में दो ख्रियाँ रखे तो ममत्व परिणाम (राग परिणुति) उथादः कहलाश्रमा । श्रमर किसी ने यह प्रतिक्का सी कि में २००) रुपये से ज्यादः न रक्खूँगा और अब यदि वह २०१) रक्खें तो उस की रागपरिएति में बुद्धि मानी जायगी । लेकिन श्रगर वह २००) में से एक रुपया ख़र्च करहे फिर दुसरा एक रूपया पैदा करके २००) करले तो यह नहीं कहा जायगा कि तृ दूसगा नया रूपया लाया है, इसलिये तेरी प्रतिहा भङ्ग हो गई श्रोर ममत्व परिगाम बढ गया। किसी ने एक घोड़ा रखने की प्रतिक्षा ली, दुर्भाग्य से वह मर गया: इसिलये उसने दूसरा घोड़ा ख़रीदा । यहाँ पर भी वह प्रतिज्ञा-च्युत या ऋधिक रागी (परिग्रही) नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार एक पति के मर जाने पर दूसरा विवाह करना, या एक पत्नी के मरजाने पर दूसरा विवाह करना अधिक गग (परिव्रह) नहीं कहा जा सकता। हाँ, पति के या पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करना. श्रवश्य ही श्रिधिक रागी होना है। परन्तु परिडनों के आँधेर नगरी के न्याया नुसार पुरुष तो एक साथ हजारों स्त्रियों के रखने पर भी अधिक परिग्रही नहीं हैं और स्त्री. एक पति के मर जाने पर दूसरा विवाह करने से ही, ग्रसंख्यात गुणी परिग्रहशासिनी हैं! कैसा अदुभुत न्याय है ?

विध्याविवाह में आरम्भ कम है, परन्तु इसका कारण गुगडों का तमाशा नहीं है। तमाशे के लिये तो ज्यादः आरम्भ की ज़करत है। विध्वाविवाह तमाशा नहीं है इसलिये आरम्भ कम है। असली बान तो यह है कि विध्वाविवाह में शामिल होने वाले पुरुष धर्मक्ष, दयालु, विवेकी और द्रव्य सेत्र काल भाव के झाता होते हैं, इसलिये उसमें किसी भी तरह के ढोंग और कुरूढ़ियों को स्थान नहीं मिलता। इसीलिये उसमें आरम्भ कम होता है। इस तरह विधवाविषाहमें विवाहक्रपता है, अल्प आरम्भ है, अधिक परिम्रह नहीं है, वेश्यासेवन जैसा नहीं है। वेश्यासेवन या परस्री-संवन से विधवाविवाह में क्या फ़रक है, यह बात हम पहिले बनला खुके हैं।

आक्षेप (घ)—जब विधवाविवाह होने लगेंगे, तब बड़े बड़े मोटे मोटे पुरुपत्वहीन पुरुषों की हत्याएँ होंगी और नलाक का बाज़ार गर्म होगा। (श्रीलाल)

समाधान-प्राचेपक के कथन सं मालून होता है कि समाजमें बहुत से बड़े बड़े मोटे मोटे पुरुष ऐसे हैं जो नपुन्सक होकर भी स्त्री रखने का शौक रखते हैं। अगर यह बात सच है तो एक ऐसे कानून की बड़ी श्रावश्यक्ता है जिससे ऐसे धृष्ट, बेईमान, निर्लंज श्रीर धालेबाज़ नपुंसकों को श्राजनम काले पानी की सज़ा दो जा सके, जो नपुन्सक होते हुए भी एक स्त्री के जीवन को वर्बाद कर देते हैं. उस जीते जी जीवन भर जलाते हैं—उनका अपराध तो मृत्युदराड के लायक है। विष देना पाप है, परन्तु पैसे पापियोंको विष देना ऐसा पाप है जो स्तम्तब्य कहा जासकता है। निःसन्देह ऐसे पापी, श्रीमानों में ही होते हैं। क्योंकि पहिले तो गुरीबा में ऐसे नपुरसक होते हो नहीं हैं। श्रगर कोई हुआ भी, तो जब पुरुषत्व होने पर भी गरी को के विवाह में कठिनाई है तो पुरुषत्वहीन होने पर तो विवाह ही कैसे होगा ? श्रीमान लोग तो पैसे के बल पर विवाह करा लेते हैं। श्रगर वे विवाह न करावें तो लाग योंडी कहने सर्गे कि क्या मैयासाहिब नपुरसक हैं ? इसिलिये वे विवाह कराते हैं श्रीर श्रपने घर में दर्जी, सुनार, लोटी

आदि किसी भी जाति का गुन्डा नौकर गख लेते हैं जिससे श्रीमनीजी की कामचासन। शान्त होती गहती हैं, तथा उन के तो नहीं उनके नाम के बच्चे पैदा होते गहते हैं। ऐसी हालत में विष देने की भी क्या ज़करत हैं? अगर श्रीमती जी पतिझता निकलीं नो थे विष ही क्यों देंगी?

विधवाविवाह होने पर तलाक का रिवाज चलाना न चलाना अपने हाथ में हैं। शताब्दियों से स्त्री-जाति के ऊपर हम नारकीय अत्याचार करते आरहे हैं। आये दिन कीट्रस्थिक श्रत्याचारों से स्त्रियों की श्रात्महत्या के समाचार मिलते हैं। उनके ऊपर इतने श्रत्याचार किये जाते हैं जितने पशुश्री पर भी नहीं किये जाते। कसाई के पास जाने वाली गाय ता दस पन्द्रह मिनट कपू सहती है और उस समय उसे ज्यादः नहीं तो चिल्लाने का अधिकार अवश्य रहता है। लेकिन नारीक्ष्पी गायको तो जीवनभर यन्त्रणाएँ सहना पड़ती है शौर उसे चिल्लाने का भी अधिकार नहीं होता। पुरुप तो रात रातभर रंडी श्रीर परस्त्रियोंके यहाँ पड़ा रहे, वर्षों तक श्रपनी पत्नीका मुंह न देखे, फिरभी अपनी पत्नीको जीवनभर गुलाम रखना चाहे, यह अन्धेर कबतक चलेगा? हमारा कहना तो यही है कि श्रगर पुरुष, श्रपने श्रत्याचारों का त्याग नहीं करता तो तलाक प्रथा ज़रूर चलेगी । अगर पुरुष इनका त्याग करता है तो तलाक प्रथान चलेगी।

आक्षेप (ङ)—विधवाविवाह वालों को विधवा का विवाह करके भी शङ्का लगी हुई है तो पहिले से ही विधवा से क्यों नहीं प्विलिया जाता कि तेरी तृति कितने मनुष्यों से होगी?

समाधान—हमने कहा था कि विधवाविवाह कोई पाप नहीं है। हाँ, विधवाविवाह के बाद कोई दूसरा (हिंसा क्रूँठ चोरी कुशील श्रादि) पाप करे तो उसे पाप बन्ध होगा । सो

तो कुमारी विवाहके बाद श्रौर मनिवेप लेने के बाद भी होता है। हमारे इस वक्तव्य के ऊपर श्राक्तेपक ने ऊपर का (ङ) बेहदा और अप्रासिक्षक आसेप किया है। ख़ैर, उसपर हमारा कहना है कि स्त्री तो यही चाहती है कि एक हो पनि के साथ जीवन व्यतीत हो जाय। परन्त जब वह मरजाता है तो विवश होकर उसे दूसरे विवाहके लिये तैयार होना पड़ता है। विवाह के समय वह विचारी क्या बतलाए कि कितने पुरुषों से तृष्ति होगी ? वह तो एक ही पुरुष चाहती है। हाँ, यह प्रश्न तो उन निर्लर्जी से पूछो, जो कि एक तरफ़ तो विधवाविवाह का विरोध करते हैं श्रीर दूसरी तरफ़ जब पहिली स्त्रीको जलाने के लिये मरघर में जाते हैं तो वहीं दूसरे विवाह की चर्चा करने लगते हैं और इसी तरह चार चार पाँच पाँच स्त्रियाँ हडप करके कन्याकुरंगी केसरी की उपाधि प्राप्त करते हैं। श्रथवा उन धुएँ। से पृद्धों जो विधवाविवाहवाली का बहिन्कार करने के लिये तो बड़ा गर्जन तर्जन करते हैं, परन्तु ख़ुद एक स्त्री के रखते हुए भी दूसरी स्त्रीका हाथ पकड़ने में लज्जित नहीं होते। दैव की सतायी हुई विचारी विधवा से क्या पृञ्जते हो ? शराबियों को भी मात करने वाली असभ्यता और कसाइयों को भी मात करने वाली करता के बल पर बिचारी विभवाश्रों का हृदय क्यों जलाते हो।

चौथा प्रश्न

चौथे प्रश्न के उत्तर में तो दोनों ही आत्तेपक बहुत बुरी तरह से लड़कड़ाते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में हमने कहा था कि परस्त्रीसेवन, वेश्यासेवन और विना विवाह के पत्नी बना लेना, ये व्यक्तिवार की तीन श्रेशियाँ हैं। विधवाविवाह किसी में भी शामिल नहीं हो सकता। कुमारी भी परस्त्री है, लेकिन विवाह से स्वस्त्रों वन जाती है। उसी प्रकार विधवा भी विवाह से खस्त्री बन जाती है। श्रीलालजी ने व्यभिचार की उपर्युक्त तीन श्रेणियाँ खीकार कीं, जब कि विद्यानन्द उस के विरुद्ध हैं। हर बान के उत्तर में दोनों श्राद्येपक यही कहते हैं कि "विश्ववादिवाह धर्मविरुद्ध हैं, कस्या का ही विवाह होता है श्रादि"। इन सब बातों का खुब विवेचन हो चुका है।

ग्राक्षेप (क)—विधवा कभी भी दूसरा पति नहीं करेगी जवतक कामाधिका न हो। लोकलज्जा श्रादि को तिलाञ्जली दें जो दूसरे पति को करने में नहीं हिचकती, वह उस दूसरे करें हुए पति में सन्ताप रक्खें, श्रसम्भव है। श्रतः उसका तीसरा चौथा श्रीर जार पुरुष भी होना सम्भव है। श्रतएव वह भी एक प्रकार वेश्यासंगम जैसा हुआ। (श्रीनाल)

सम्भिन् एक मनुष्य श्रगर प्रतिदिन श्राध सेर अनाज खाता है, इस तरह महीन में १५ सेर श्रनाज खाने पर यह नहीं कहा जा सकता कि यह यड़ा श्रगोरी है, पन्द्रह पन्द्रह सेर श्रनाज खा जाता है। इसी प्रकार एक स्त्री श्रगर एक समयमें एक पति रखती है श्रीर उसके स्वर्गवास होने पर श्रपना दूसरा विवाह कर लेती हैं तो उसे श्रनेक पति वाली नहीं कह सकते जिससे उसमें कामाधिका माना जावे। एक साथ दो पित रखने में या एक साथ दो पत्नी रखने में कामा-धिक्य कहा जा सकता है। इस दृष्टिसे पुरुषों में ही कामाधिक्य पाया जा सकता है।

दूसरी वात यह कि आतेपक कामाधिका का अर्थ ही नहीं समभा। मानलीजिये कि एक स्त्री ने यह प्रतिक्षा ली कि महीने में सिर्फ़ एक दिन (ऋतु काल के वाद) काम सेवन करूँगी। वह इस प्रतिक्षा पर हढ़ रही। ऐसी हालन में अगर वह विधवा हो जावे और फिर विवाह करले और इसके बाद

भी वह पूर्व प्रतिक्षा पर दढ़ रहे तो उसमें कामाधिक्य (काम की अधिकता) नहीं कहा जा सकता । और दूसरी स्त्री जो सधवा ही बनी रही है और प्रतिदिन या दो दो चार चार दिन में काम सेवन करती है उसमें कामाधिक्य है। काम की अधिकता कामाधिक्य है, न कि काम के साधनों का परिवर्तन। इसलिये पति या पत्नों के बदल जाने से कामाधिक्य नहीं कहा जा सकता।

लोकलज्जा के नामपर अन्याय या अत्याचार सहना पाप है । धर्मविरुद्ध कार्य में लोकलज्जा से डरना चाहिये, लेकिन श्राँख मँदकर लोक की बातों को धर्मसंगत मानना मुर्खता है। जो काम यहाँ लोकलजा का कारण है वही श्रन्यत्र लोकलजा का कारण नहीं है। कहीं कहीं तो धर्मानुकृत काम भी लोक-लजा के कारण होजाते हैं जैसे, अन्तर्जातीयविवाह, चारसाँक में विवाह, स्त्रियों के द्वारा भगवान की पूजा, प्रकाल, शृहींको धर्मीपदेश देना पर्दा न करना, वस्त्राभुषणीर्मे परिवर्तन करना. निर्भीकता से बोलना, स्त्रीशिज्ञा, श्रत्याचारी शासक या पंच के विरुद्ध बोलना श्रादि । किस किस बात में लोकलजा का विचार किया जायगा ? जमाना तो ऐसा गुजर चुका है कि जैनधर्म धारण करने से ही लोकनिन्दा होती थी. दिगम्बर वेप धारण करने से निन्दा होती थी । तां क्या उसे छोड देना चाहिये ? श्रीर श्राजकल भी ऐसे लोग पडे हप हैं-जिनमें श्राक्तेपक का भी समावेश है—जो कि भगवान महावीर की जयन्ती मानना भी निन्दनीय समभते हैं। जब ऐसे धर्मानकल कार्यों की निन्दा करने वाले मौजूद हैं तब लोकनिन्दा की कहाँ तक पर्वाह की जाय ? इसके अतिरिक्त धर्मविरुद्ध कार्य भी लोक-प्रशंमा के कारण हो जाते हैं या लोक-निन्दा के कारण नहीं होते। जैसे-सीधियन जाति में प्रत्येक पुरुष का प्रत्येक

स्त्री पर क्योर प्रत्येक स्त्री का प्रत्येक पुरुष पर समान अधि-कार रहता है, इससे वहाँ सब पुरुष श्रपने को भाई २ समभते हैं। चीन में भी फ़बीके राजत्वकाल तक ऐसा ही नियम था। इसी तरह आयलेंगड की केल्टिक जाति के वारे में भो है। फेलिक्स अरेविया में श्रीर कोरम्बा जाति में भी ऐसा ही नियम था। भ्रॉस्टेलिया में विवाह के पहिले समागम करना व्रा नहीं समभा जाता था। बैबिलोन्में प्रत्येक स्त्रीको विवाह के बाद व्हीनस के मन्द्रित में बैठकर किसी अपरिचित आदमी के साथ सहवास करना पड़ना था। जब नक वह ऐसा न करे, नव नक वह घर नहीं जा सकती थी। अभीनियस जाति में कुमारी स्त्रियाँ विवाह के पहिले वेश्यावृत्ति तक करती हैं पर-न्तु इसमें लोकलङ्जा नहीं समभी जानी। प्राचीन श्रीम में विवाह के पहिले यदि कांई लडकी व्यभिचारवृत्ति से पैमा पैदा नहीं कर पाती थी तो उसे बहुत लजिजन होना पडता था। चिपचा जाति में अगर किसी पुरुष को यह मालूम हो कि उसकी क्त्री का श्रमी तक किसी पूरुप से समागम नहीं हुआ तो वह अपने की अभागा समस्ता था और अपनी स्त्री को इसलिये तुच्छ समभता था कि वह एक भी पुरुष का चित्ता-कर्पण न कर सकी। बोटियाक लोगों में अगर किसी कुमारी के पीछे नवयुवकों का दल न चले तो उसके लिये यह बड़े श्रपमान को बात समभी जाती है। वहाँ पर कुमारावस्था में ही माता दनजाना बड़े सीभाग्य और सन्मान की बात मानी जाती है। इस विषय में इसी प्रकार के श्रद्भुत नियम चियव, केमैग्मट, कुकी, किचनुक, रेड इन्डियन, चुकची, एस्किमो, दकोटा, मौंगोलकारेन, डोडा, रेड कारेन, टेहि-टियन, आदि जानियों में तथा इसके अनिरिक्त क्रमेस्क डैल,

ब्रालीटस, उत्तरी एशिया, टहीटी, मैंकरोनेशिया, कैएड्रोन आदि देश और द्वीपों के निवासियों में भी पाये जाते हैं। इसिलियं जो लोग लोकलज्जा और लोकाचार की दुहाई देकर कर्तव्याकर्तव्य का निर्णय करना चाहते हैं वे मर्ख हैं। हमारे कुपमगढ़क पगिडन बार बार चिल्लाया करते हैं—"क्योंजी, ऐसा भी कहीं होता है?" उन्हें जानना चाहिये कि यह "कहीं" श्रीर 'लोक' तुम्हारे घर में ही सीमित नहीं हैं। 'कहीं' का त्तेत्र व लोक' बहुत बड़े श्रीर विचित्र हैं. श्रीर उन्हें जानने के लिये विस्तृत अध्ययन की जकरत है। लोकाचार, सेत्र काल की अपेचा विविध और परिवर्तनशील है, इसलिये उस को कसौटी बनाना मर्खता है। हम तो कहते हैं कि अगर विधवा-विवाह धर्मविरुद्ध है नो वह लोकलज्जा का विषय हो या न हो, वह त्यागने योग्य है: और अगर वह धर्मविरुद्ध नहीं है नो लोगों के बकवाद की चिन्ता न करके उसे श्रवनाना चाहिये। धर्मानुकल समाजरचा श्रीर न्याय के लिये श्रगर लोकलजा का सामना करना पड़े तो उसको जीतना परिषद्व-विजय के समान श्रेयस्कर है।

इसके बाद पुनर्विवाहिनाओं के विषय में श्राक्षेपक ने जो शब्द ित हैं वे शृष्टता के स्वक हैं। अगर पुनर्विवाहिना के तीसरा चौथा और जार पुरुष होना भी सम्भव है तो पुन-विवाहित पुरुष के तीसरी चौथो पाँचवीं तथा अनेक रखेल माग्रकाएँ होना सम्भव है। इस तरह पुनर्विवाह करने वाला— आचेपक के कथनानुसार—भँडु आ है। आचेपक की सम्भावना का कुछ ठिकाना भी है। एक साथ हज़ारों कियाँ रखने वाला पुरुष तो सन्तोषी माना जाय और पुनर्विवाह करके एक ही पुरुष के साथ रहने वाली स्त्री असन्तुष्ट मानो जाय, यह आचेपक की अन्धेर नगरी का न्याय है। पाठक देखें कि

ब्राचीपक से जब विधवाविवाह के विरोध में कुछ कहते नहीं बन पड़ा तब उसने यह बेहुदा बकवाद ग्रुरू कर दिया है।

स्राक्षेप (ख)—विवाह तो कन्या का होता है सो भी कन्यादान पूर्वक । यह विधवा न कन्या है न उसका कोई देने वाला । जिसकी थी वह चल बसा "वह किसी के लिये वसी-यत कर गया नहीं, श्रब देने का श्रधिकारी कीन ? (श्रीलाल)

समाधान—इन श्राचे पाँ का समाधान प्रथम प्रश्न के उत्तर में कर खुके हैं। देखां, 'प' 'पे' 'श्रां 'ध'। हमारे विवेचन सं सिद्ध हैं कि स्त्री सम्पत्ति नहीं है। जब सम्पत्ति नहीं है तो उसकी बसीयत करने का श्रिधकार किसे है। कन्या-दान भी श्रमुचित है। यह ज़बर्दस्ती का दान है; श्रत कुदान है। इसिलिये श्राचार्य सोमदेव ने कुदानों की निन्दा करने हुए लिखा है:—

हिरएयपशु भूमीनाम्कन्याशय्यानवाससाम् । दानैबंह्विषेश्चान्यैनं पापं मुपशास्यति ॥

चाँदी, पशु, ज़मीन, क्रम्या, शब्या, अन्न, वस्त्र आदि दानों से पाप शान्त नहीं होता। अगर विवाह का लक्षण कन्यादान होता तो वह कुदान में शामिल कभी न किया जाता। यह बान परिडतों के महामान्य त्रिवर्णाचार में भी पायी जाती है:—

कृत्याहस्ति सुवर्ण वाजि कपिला दासी तिलास्यन्दनं।
दमा गेहे प्रतिबद्धमत्र दश्धा दानं दिन्द्रिष्सितम्॥
तीर्थान्ते जिनशीतलस्य सुतरामाविश्वकार खयं।
लुब्धो वस्तुषु भूतिशर्म तनयो सोमुगडशालायनः॥
कृत्या, हाथी, सुवर्ण, घोड़ा, गाय, दासी, तिल, रथ, ज़मीन, ये दिहाँ को इष्ट दश प्रकार के दान हैं, जिन का,

शीतलनाथ के तीर्थ के अन्त में भृतिशर्मा के पुत्र मुगडशालाः यन ने आविष्कार किया था।

इससे सिद्ध है कि कन्यादान, जैनधर्म में नहीं है। शीतलनाथ म्यामी के पिंढले कन्यादान का रिवाज ही नहीं था! तां क्या उसके पिंढले विवाह न होता था? तब तो ऋषभदेव, भरत, जयकुमार सुलोचना श्रादि का विवाह न मानना पड़ेगा। कन्यादान को विवाह मानने से गान्धर्व श्रादि विवाह, विवाह न कहलायँगे। श्रीकृष्ण का रुक्मणी के साथ जो विवाह हुशा था उसमें कन्यादान कहाँ था? क्या वह विवाह नाजायज़ था? म्मरण रहे कि इसी विवाह के फलस्वरूप, रुक्मणी जी के गर्भ से तद्भवमान्तगामी प्रद्युम्न का जन्म हुशा था। ख़ैर, इस विषय में हम पिंढले बहुत कुछ लिख खुके हैं। मुख्य बात यह है कि कन्यादान विवाह का लन्नण नहीं है।

ब्राक्षेप (ग)—पुरुष मोका है, स्त्री मोज्य है। पुरुष जब ब्रनेक भाज्यों के भोगने की शक्ति रखता है तब क्यों नहीं एक भोज्य के ब्रभाव में दूसरे भोज्य को भोगे। (ब्रोलाल)

समाधान—पुरुष भोका है परन्तु वह भोज्य भी है। इसी प्रकार स्त्री भोज्य है परन्तु वह भोकी (भोगने वाली) भी है। इसलिये भोज्य-स्त्री के त्रभाव में, पुरुष को अधिकार है कि वह दूसरी भोज्य-स्त्री प्राप्त करें; इसी प्रकार भोज्य-पुरुष के त्रभाव में स्त्री को अधिकार है कि वह दूसरा भोज्य-पुरुष प्राप्त करे। शक्ति का विचार किया जाय तो पुरुष में जिन्नी स्त्रियों को भोगने की ताकृत है उससे भी ज्यादः पुरुषों को भोगने की ताकृत स्त्री में है।

जहां भोज्यभोजक सम्बन्ध होता है वहाँ यह बात देखी जानी है कि भोग से भोजक को सुख्वानुभव होता है और भोज्य को नहीं होना। स्त्री-पुरुष के भोग में तो दोनों को सुखानुभव होता है; इसिलिये उनमें से किसी एक को भोज्य या किसी एक को भोजक नहीं कह सकते। श्रमल में दोनों ही भोजक हैं। श्रगर स्त्री को भोजक न माना जायगा नो स्त्रियों के लिये कुशील नाम का पाप ही नहीं रहेगा; क्योंकि कुशील करने वाला (भोजक) नो पुरुप हैं न कि स्त्री। इस लिये स्त्री का क्या दोप है? हिंसा करने वाला हिंसक कह-लाता हैं न कि जिसकी हिंसा की जाय वह। चोरी करने वाला चोर कहलाता हैं न कि जिसकी चोरी की जाय वह। इसिलिये जो व्यभिचार करने वाला होगा वही व्यभिचारी कहलायगा न कि जिसके साथ व्यभिचार किया जाय वह। इसिलिये स्त्रियाँ सैकड़ों पुरुषों के साथ सम्भोग करने पर भी व्यभिचार पाप करने वाली न कहलायँगी, क्योंकि वे भोजक (भोग करन वालीं) नहीं हैं। श्रगर स्त्रियों को व्यभिचार का दोष लगना है तो कहना चाहिये कि उनमें भी भोक्तुत्व हैं।

भोक्तृत्व के लच्चण पर विचार करने से भी श्रियों में भोक्तृत्व मानना पड़ता है। दूसरी वस्तु की ताकृत को प्रहण करने की शक्ति को भोक्तृत्व कहते हैं (पर द्रव्यवीर्यादान-सामध्य भोक्तृत्वलच्चणम्—राजवार्तिक)। श्री पुरुष के भोगमें हमें विचारना चाहिये कि कौन किसकी ताकृत ग्रहण करता है श्रीर कौन श्रपनी शक्तियों को ज्यादः वर्बाद करता है। विचार करते ही हमें मालूम होगा कि भोक्तृत्व श्री में है न कि पुरुष में, क्योंकि सम्भोग कार्य में पुरुष की ज्यादः शक्ति नष्ट होती है। दूसरी बात यह है कि श्रीके रजको पुरुष ग्रहण नहीं कर पाता बर्लिक पुरुष के वीर्य को स्त्री ग्रहण करलेती है। राजवार्तिक के लच्चणानुसार, ग्रहण करना ही भोक्तृत्व है।

स्त्रीको जूँठी थालीके समान बतलाकर भोज्य उहराना अनुचित है, क्योंकि पुरुष को भी गन्ने के समान उहरा कर भोज्य सिद्ध कर दिया जायगा। यदि एक पुरुष के संगम से क्त्री जूँटी हो जाती है तो एक स्त्रीके संगम से पुरुष भी जूँटा हो जाता है। इसिलये अगर जूँटी स्त्री को सेवन करने वाला चांडाल या कुत्ता है तो जूँटे पुरुषको सेवन करने वाली चांडालिन या कुतिया है। अगर दूसरी बात ठीक नहीं तो पहिली बात भी ठीक नहीं है।

भोज्य भोजकके सम्बन्ध में यह ध्यान में रखना चाहिये कि यह उपभाग का प्रकरण है। भाजन वगैरह तो भोग हैं सौर वस्त्र वर्गैरह उपभोग हैं। स्त्री के लिये पुरुष उपभोग सामग्री है श्रीर पुरुष के लिये स्त्री उपभोग सामग्री है। इसलिये यहाँ जुँठी थाली श्रादि भोग सामग्री का उदाहरण ठीक नहीं हो सकता है। उपभाग में यह नियम नहीं है कि एक सामग्री का एक ही व्यक्ति उपभाग करें। जिस विस्तर पर एक ब्रादमी सा लेता है उसी पर श्रमर दूसरा लेटजावे तो वह जूँठा खानेवाला या उसके समान न कहलायेगा। एक साबुन की बट्टी का चार श्रादमी उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार कुर्सी, टेबुल, पलंग. चौकी, मोटरगाडी, रेलगाडी, चटाई, लाइकिल, मोती, माणिक आदि वस्तुओंका अनेक आदमी उपयोग कर सकते हैं. लेकिन इससे कोई जुँठन खाने वाले के समान नहीं कहलाता। इसलिये अगर थोडी देग के लिये स्त्री को भोज्य (उपभोग-सामग्री) मान लिया जाय तो भी उसके पुनर्विवाह को घृणित नहीं कहा जा सकता।

जिस समय माता, श्रपने बच्चे की सेवा करती है, उस समय माता बच्चे की उपभोग सामग्री है; इसिलये क्या माता श्रव दूसरे बच्चे की सेवा नहीं कर सकती? क्या वह जूँठी हो गई? एक नौकर अपने मालिक के हाथ पैर आदि दबाता (संवाहन करता) है तो क्या वह जूँठा होगया? भोग सामग्री श्रीर उपभाग सामग्रीमें बड़ा फ्रक है, यह सदा म्मरण रखना चाहिये। उपभोग सामग्री दुसरे के लिये घृणिन नहीं होजाती। हाँ, श्रगर एकाध चीज़ थोड़ो बहुत घृणित कहलावे भी, तो यह नियम कदापि नहीं कराया जा सकता कि उपभोग सामग्री हो जाने से घृणित हो ही गई। क्योंकि ऐसा मानने से कुर्सी चौकी शादि का दुवारा उपयोग करना भी घृणित कहलाने नगेगा।

श्राक्षेप (घ)—ऐमा कहीं न देखा सुना होगा कि एक स्त्री के शनक पुरुष हों. जिस प्रकार एक पुरुष के श्रनेक स्त्रियाँ होती हैं: यह सिद्धान्त कितना श्रद्रल हैं ? (श्रीलाल)

मगुधान--श्राचेपक के सिद्धान्त की श्रटलता का तिब्बन में-जिसे प्राचीनकान्तमें त्रिविष्टप या स्वर्ग कहते थे-दिवाला निकला हुआ है। वहाँ पर एक स्त्रीके एक साथ चार चार छः छः पति होते हैं । श्रीर श्रमेरिका, इंग्लैंड श्रादि देशी में एक पुरुष को एक से अधिक पत्नी रखने का अधिकार नहीं है। प्राकृतिक बात यह है कि एक पुरुप श्रीर एक स्त्रीका दाम्पत्य सम्बन्ध हो । हाँ, श्रगर शक्तिका दुरुपयोग करना हो तो एक पुरुष अनेक स्त्री रख सकता है आर एक स्त्री अनेक पुरुष रख सकती है। अटल नियम कुछ भी नहीं है। श्रगर थोड़ी देर के लिये आनंपक को बान मानली जाय कि एक स्त्री एक ही पुरुष रख सकती है तामी उसके पुनर्विवाह का श्राधि-कार छिन नहीं जाता । एक श्राभृपण एक समय में एक ही श्रादमी के काम में श्रा सकता है। क्या इसीलिये फिर कोई उसका उपयोग नहीं कर सकता ? स्त्री तो गतन है। गतन एक समय में एक ही श्रादमी की शोभा बढ़ाता है, लेकिन समया-न्तर में दूसरे के काम में भी आता है।

श्राक्षेप (ङ)—पक पुरुप अनेक स्त्रियों से एक वर्ष में

श्रमेक सन्तान उत्पन्न कर सकता है परन्तु एक स्त्री, श्रमेक पुरुषों को भी रखकर एक सन्तान से श्रश्रिक पैदा नहीं कर सकती। (श्रीलाल)

समाधान—यदि ऐसा है तो क्त्रियों का पुनर्विवाह तुरंत चालू कर देना चाहिये, भले ही पुरुषों का पुनर्विवाह रोक दिया जाय। क्योंकि अनेक सन्तान पैदा करने के लिये तो एक पुरुष ही काफ़ी हैं: इसलिये बहुत एरुष कुमार या विधुर रहें तो सन्तान संख्या की दृष्टि से कोई हानि नहीं है, किन्तु स्त्री तो एक भी कुमारी या विध्वा न रह जाना चाहिये: क्योंकि उनके वैधव्य या कौमार्य से संख्या घट जायगी। यह कहाँ का न्याय है कि जिसकी हमें अधिक ज़रूरत है वह तो व्यर्थ पड़ी रहे और जिसकी थोड़ी ज़रूरत है उसकी ज़्यादः कृदर की जाय। प्रकृति ने जो स्त्री पुरुष के बीच में अन्तर उत्पन्न कर दिया है, उससे मालूम होता है कि विधुर्गविवाह की अपेत्ना विधवा-विवाह कई गुणा आवश्यक है।

त्रास्तेष (च — सब विषय समान नहीं हुआ करते। एक हो सम्मोग किया से स्त्री को गर्भधारण आदि अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं और पुरुष को कुछ नहीं। अब कहाँ गये समान बताने वाले स्यायनीर्थ जी ? (श्रीलाल)

समाधान—म्बी पुरुषों में शारीरिक समानता नहीं हैं इसलिये उनके अधिकारों में भी विषमता होना चाहिये और उस विषमता में पुरुषों को अधिक अधिकार मिलना चाहिये यह नहीं कहा जासकता। अगर कोई कहें कि स्त्री पुरुष में शारीरिक विषमता हैं, इसलिये पुरुष के मरने पर स्त्री को भोजन करने का भी अधिकार नहीं हैं (उसे भूखों रह कर मर जाना ही उचित हैं), तो क्या यह उचित हैं? प्रकृतिविरुद्ध विषमता पैदा करने का हमें क्या अधिकार हैं? हाँ, अगर प्रकृति ने कोई ऐसी विषमता पैदा की होनी जिससे पुनर्विवाह का निषेध मालम होना तो कहने को गुँजाइश थी। अगर विधवा हो जाने से स्त्री का मासिकधर्म एक जाता, स्त्रीत्व के चिन्ह नए हो जाते या बिगड़ जाते तो कुछ अवश्य ही स्त्री के प्नर्विवाह का श्रिधिकार छीना जाता।

त्राक्षेपक नं जो विषमता बतलाई है उससे तो स्त्रियों को ही विशेष अधिकार मिलने चाहिये, क्योंकि कर्तव्य और अधिकार ये एक ही सिक्के के दो पृष्ठ (बाजू) हैं। इसलिये न्यायोचित बात यह है कि जहाँ कर्तव्य अधिक है वहाँ अधि-कार भी अधिक हैं सन्तानोत्पत्ति में स्त्रियों का जितना कर्तव्य है उसका शतांश कर्तव्य भी पुरुषों का नहीं है; इसलिये स्त्रियों को ज्यादः अधिकार मिलना चाहियें।

स्त्री सम्पत्ति है, इसके खगडन के लिये देखों प्रश्न पिंडला समाधान 'श्रो'। स्त्री मावज्ञीव प्रतिश्चा करती है और पुरुप भी करता हैं। खुलासे के लिये देखों प्रश्न पहिला समाधान ए (१-ए)।

श्रमरकोष श्रोर श्रनक्षयनाममाला के पुनर्भू शब्द का खुलासा '१—त' में देखिये। विवाद श्राठ प्रकार के हैं; उनमें विधवाविवाह नहीं है—इसका उत्तर श्राचेष "१—ज" मैं देखिये।

बाक्षेप (छ)—व्यभिचार को तीन श्रेणियाँ ठीक नहीं हैं। रखेल के साथ सम्भाग करना परस्त्रीसेवन की कोटि का हो पाप है। रखेल और विधवाविवाह में कुछ भेद नहीं है। परस्त्रीसेवन को व्यभिचार मान लेने से विधवाविवाह भी पाप सिद्ध हो गया: इसलिये सव्यसाची नित्रहस्थान पात्र है।

(विद्यानन्द्र)

समाधान-- यमिचार की तीन श्रेणियाँ श्रीलाल जी ने

मानी हैं: विद्यानन्द नहीं मानते हैं। होर, परस्रीसेवन में वेश्या-सेवन से अधिक पाप है जबकि रखैल स्त्री के साथ सम्भोग वेश्यासेवन से छोटा पाप है। इसका कारण संक्लेश की न्य-नता है। परस्रीसेवन में वेश्यासेवन की श्रवेचा इसलिये ज्यादः संक्षेशता है कि उसमें परस्रों के कुट्टियों का तथा पड़ोसियों का भय रहता है, और ज्यादः मायाचार करना पड़ता है। वेश्यासेवन में ये दानों वार्ते कम रहती हैं। रखैल स्त्री में ये दोनों बातें बिलकुल नहीं रहती हैं। व्यक्तिचार की उन दोनों श्रेणियों से यह श्रेणी बहुत छाटी है, यह बात विलक्कल स्पष्ट है। इस तीसरी श्रेणीकां व्यक्तिचार इसलिये कहा है कि ऐसी म्त्री से पैदा होने वाली सन्तान ग्रपनी सन्तान नहीं कहलाती: और इनका परस्पर सम्बन्ध समाज की अनुमति के बिना ही होता है और समाज की अनुमति के बिना ही छुट जाना है। विधवाविवाह में ये दोष भी नहीं पाये जाते। इससे सन्तान श्रपनी कहलाती है। बिना समाज को सम्मति के न यह सम्बन्ध होता है न ट्टता है। व्यभिचार का इससे कोई ताल्लुक नहीं। विवाह के समय जैसे श्रन्य कुमारियाँ कन्या (दुलहिन) कह-लाती हैं. उसी प्रकार विवाह के समय विधवा भी कन्या कह-लाती है। व्यभिचार की तीन श्रेणियाँ श्रीर विधवाविवाह का उनसे बाहर रहना इतना स्पष्ट है कि विशेष कहने की जकरत नहीं है। जब विधवाविवाह परम्त्रीसेवन नहीं है नव परस्त्री-सेवनको व्यभिचार मान लेनेसे व्यभिचार कैसे सिद्ध होगया ? माज्ञेपक, यहाँ पर श्रनित्रह में नित्रह का प्रयोग करके स्वयं निरनुयोज्यानुयोग नित्रहस्थान में गिर गया है।

ग्राक्षेष (ज)—जहाँ कन्या श्रीर वर का विवाहविधि के पूर्व सम्बन्ध हो जाता है वह गांधर्व-विवाह है। इसमें कन्या के साथ प्रवीचार होता है; इसलिये व्यक्तिचार श्रेणी से हलका है। कुन्ती का पागडु के साथ पहिले गान्धर्यविवाह हो चुका था। बाद में उस अधमेंदोप को दूर करने के लिये नहीं, किंतु अपनी कुमारी कन्या का विवाह करना माता पिता का धर्म है इस नीति वाक्य को पालने के लिये उनने अपनी कुमारी कन्या कुन्ती का विवाह किया। गान्धर्यविवाह के अधमें के दोष को दूर करने के लिये उन्हें कुन्ती का विवाह नहीं करना पड़ा, किन्तु पागडु को पात्र चुनना पड़ा। इसलिये विवाह व्यक्षिचार-दोप को दूर करने का अध्यर्थ साधन नहीं है। (विद्यानन्द)

समाधान—आदोपक ने यहाँ पर बड़ा विचित्र प्रलाप किया है। हमने कहा था कि विवाह के पहिले अगर किसी कमारी से सम्भोग किया जायमा तो व्यभिचार कहलायमा: अगर विवाह के बाद सम्भोग किया जायगा तो व्यभिचार न कहा जायगा। मतलब यह कि विवाह से व्यभिचार दोप दर होता है। इस वक्तव्य का उत्तर श्राचेपक से न बना। इसलिये उनने कहा कि विवाह के पहिले किसी कमारी के साथ संभोग करना व्यभिचार ही नहीं है। तब तो पंडित लोग जिस चाहे कुमारी लडकी के साथ संभाग कर सकते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में यह व्यक्तिचार नहीं है। तारीफ यह है कि व्यक्तिचार न मानने पर भी इसे अधर्म मानते हैं। व्यभिचार तो यह है नहीं, वाक़ी चार पापों में यह शामिल किया नहीं जा सकता, इसिलिये अब कीनमा अधर्म कहलाया ? आहोपक गान्धविवाह के लक्षण में भूल की है। प्रवीचार करना विवाह का अन्यतम फल हैं, न कि विवाह । गांधर्व विवाह में वर कस्या एक दूसरे से प्रतिज्ञाबद्ध होजाते है. तब प्रवीचार होता है। विवाह के पहिले पासडु श्रीर कुन्ती का जो संसर्ग हुन्ना था वह व्यमिचार ही था। अगर वह व्यभिचार न होता तो उस संसर्ग से पैदा होने

वाली सन्तान (कर्ण) छिपाकर नदी में न बहादी जाती। हम कह चुके हैं कि व्यभिचार से जो सन्तान पैदा होती है वह नाजायज्ञ कहलाती हैं श्रीर विवाह से जो सन्तान पैदा होती है वह जायज कहलाती है। कर्ण नाजायज सन्तान थे, इसलिये वे बहादिये गये। श्रीर इसीलिये पागडु कुन्ती का प्रथम संयोग व्यभिचार कहलाया न कि गान्धर्व विवाह । श्रव हमें देखना चाहिये कि वह कौरसा कारण है जिससे कुन्ती के गर्भ से उत्पन्न कर्ण तो नाजायज्ञ कहलाये, किन्तु युद्धिष्ठिर श्रादि जायज कहताये, श्रर्थात जिस संसर्ग से कर्ण पैदा हुए वह व्यभिचार कहलाया श्रीर जिससे युद्धिष्ठिर पैदा हुए वह व्य निचार न कहलाया।कारण स्पष्ट है कि प्रथम संसर्ग के समय विवाह नहीं हुआ था और द्वितीय संसर्ग के समय विवाह हो गया था । इससे विलकुल स्पष्ट है कि विवाह से व्यक्तिचार का दोप दर दोता है। इसलिये विवाह के पहिले किसी विधवा से संसर्ग करना व्यक्तिचार है और विवाह के बाद (विधवाविवाह होने पर) संसर्ग करना व्यक्तिचार नहीं है ।

श्रात्तेपक के कथनानुसार श्रगर पाएडु कुन्ती का प्रथम संयोग गान्धर्व-विवाह था तो कर्ण नाजायज्ञ संतान क्यों मान गये ? उनको छिपाने की कोशिश क्यों की गई ? इच्छाजी ने भी ठक्मणी का हरण करके रैवनक पर्वत के ऊपर उनके साथ गान्धर्व-विवाह किया था, परन्तु उक्मणीपुत्र प्रद्युमन तो नहीं छिपाये गये। दूसरी बात यह है कि जब पाएडु कुन्तीका गांधर्व-विवाह हो गया था तो उनके माता पिता ने कुन्ती का दूसरी बार विवाह (पुनर्विवाह) क्यों किया ? क्या विवाहिता का विवाह करना भी माता पिता का धर्म है ? श्रीर क्या तब भी वह करना बनी रही ? यदि हाँ, तो विधवा का विवाह करना

माता पिना या समाज का धर्म क्यों नहीं ? श्रीर वह कन्या भी क्यों नहीं ?

ब्राह्मेपक के होशहवास तो यहाँ तक बिगड़े हुए हैं कि एक बच्चा पैदा कर देने के बाद भी कुन्ती को कुमारी कन्या बनला रहे हैं। जब एक बच्चे की मां कुमारी कन्या हो सकती है तब बेचारी विधवा, कुमारी कन्या नहीं, सिर्फ़ 'कन्या' क्यों नहीं हो सकती ? कन्या के साथ कुमारी विशेषण लगा कर आदोपक ने यह स्वीकार कर लिया है कि कन्या कुमारी भी होती है और श्रकुमारी (विधवा) भी होती है।

त्राचिष (क)—कुमारी जैसे स्वस्त्री बनायी जा सकती है उस प्रकार विधवा नहीं बनायी जा सकती। क्योंकि कुमारी परस्त्री नहीं है। ग्राप कुमारी को परस्त्री कहने का साहस क्यों कर गये ? वह तो स्त्री भी नहीं है। भावी स्त्री है।

समाधान—कुमारी, स्त्री तो अवश्य है, क्योंकि वह
पुरुप अथवा नपुंसक नहीं है। परन्तु आद्योपक ने स्त्री शब्द
का मार्या अर्थ किया है। इस लिये उसी पर विचार किया
जाता है। आचार शास्त्रों में ब्रह्मचर्याणुवती को कुमारी के
साथ सम्भोग करने की मनाई है: इस लिये कुमारी परस्त्री है।
अपनी स्त्री के सिवाय अन्य स्त्रियों को परस्त्री कहते हैं: इसलियं भी कुमारी परस्त्री है। कुन्ती को अपनी संतान छिपाना
पडी: इस लिये भी सिद्ध होता है कि कुमारी परस्त्री है। राजनियमों के अनुसार भी कुमारी परस्त्री है। करणना कर लां,
अगर पाएडु अणुवती होते नो विवाह के बिना कुन्ती के साथ
सम्भोग करने से उनका अणुवत क्या नए न होता ? जैनशास्त्रों
के अनुसार उनका अणुवत अवश्य नए होता । बेकिन विवाह
करके अगर सम्भोग करते तो उनका अणुवत नष्ट नहीं होता।
क्या इससे यह नहीं माल्म होता कि विवाह के द्वारा परस्त्री,

स्वस्त्री बन गई है। ख़ैर! त्रगर आद्योपक की यही मंशा है कि कुमारी को परस्त्री न माना जाय, क्योंकि वर्तमान में वह किसी की स्त्री है-भावी स्त्री हैं, तो इसमें भी हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। परन्तु ऐसी हालत में विधवा भी परस्त्री न कहला- यगी, क्योंकि वर्तमान में वह किसी की स्त्री नहीं है। जिसकी थी वह तो मर गया, इसलिये वह तो भूत-स्त्री है। इसलिये कुमारी के समान वह स्वस्त्री बनाई जा सकती है।

त्राक्षेष (अ)—ित्रवाह किसी त्रपेत्ता सं व्यभिचार का दूर करने का कारण कहा भी जा सकता है। किन्तु कहा जा सकता है विवाह ही। विधवा सम्बन्ध की विवाह संज्ञा ही नहीं।

समाधान—शास्त्रों में जो विवाह का लक्षण किया गया
है वह विधवाविवाह में जाता है। यह बात हम प्रथम प्रश्न में
कन्या शब्द का अर्थ करते समय लिख आये हैं। लोक में भी
विधवाविवाह शब्द का प्रचार हैं, इसिलये संझा का प्रश्न
निरर्थक है। इस आद्येप को लिखने की ज़क्रत ही नहीं थी,
परन्तु यह इसिलये लिख दिया है कि आद्येपक ने यहाँ पर
विवाह को व्यभिचार दूर करने का कारण मान लिया है।
इसिलये विधवाविवाह व्यभिचार नहीं है।

म्राचिप (ट)—विवाह तो व्यभिचार की स्रोर रुजू कराने वाला है, अन्यथा भगवान महावीर को क्या सूक्षी थी जो उन्हों ने ब्रह्मचर्यव्रत पाला?

समाधान—विवाह तो व्यभिचार की झोर ठजू कराने वाला नहीं है, अन्यथा श्रीऋषभदेव आदि तीर्थंकरों को क्या स्भी थी जो विवाह कराया? सभी तीर्थंकरों को क्या स्भी थी जो ब्रह्मचर्याणुव्रत का उपदेश दिया? आचार्यों को क्या स्भी थी कि पुराणों को विवाह की घटनाओं से भर दिया और विवाहिविधि के विषय में प्रकरण के प्रकरण लिखे? विवाह
पूर्णब्रह्मचर्य का विरोधी है, ब्रह्मचर्याणुवृत का बाधक या व्यभिचार का साधक नहीं है। अगर यह बात मानली जाय तो
अकेला विधवाविषाह ही क्या, कुमारी विवाह भी व्यभिचार
कहलायगा। अगर व्यभिचार होने पर भी कुमारीविवाह
विधेय है नो विधवाविवाह भी विधेय है।

आक्षेप (ठ)—पुरुष इसी भव से मोच जा सकते हैं, पुरुषों के उच्च संस्थान संहनन होते हैं, उनके शिश्च मूर्जे होती है। स्त्रियों में ये बाते नहीं हैं: इसलिये उन्हें पुरुषों के समान पुनर्विवाह का अधिकार नहीं है। लच्चण, आहित, स्वभाव, शक्ति की अपेचा भी महान् अन्तर है।

समाधान--- ब्राजकल के पुरुष न तो मोच जा सकते हैं, न स्त्रियों से ऋधिक संहनन ग्ल सकते हैं। इसलिये इन्हें भी पुनर्विवाह का श्रिधिकार नहीं होना चाहिये। संस्थान तो म्त्रियों के भी पुरुषों के समान सभी हो सकते हैं (देखां गाम्मटसार कर्मकांड)। पुरुषों के शिश्न मुर्छे होती हैं और स्त्रियों के योनि और स्तन होते हैं। आदोपक के समान कोई यह भी कह सकता है कि पुरुषों को पुनर्विवाह का ऋधिकार नहीं है, क्योंकि उनके योनि और स्तन नहीं होते। लिक्न और मुँ छुँ ऐसी चीज़ नहीं है जिनके ऊपर पुनर्विवाह की छाप खुदी रहती हो। देवों के श्रीर तीर्थंकरादिकों के मुँछें नहीं होतीं, फिर भी उनके श्रधिकार नहीं छिनते। दाढ़ी के बाल श्रीर मुँ छैं नां सौन्दर्य की विघातक और उतने स्थान की मलीनता का कारण है। उनसं विशेषाधिकार मिलने का क्या सम्बन्ध? कीर, विषमता को लेकर स्त्रियों के अधिकार नहीं छीने जा सकते । संसार का प्रत्येक व्यक्ति विषम है । सूदम विषमना को अलग करदें ता स्थूल विषमता भी बहुत है। परन्त विषमता

के कारण अधिकार छीनना अन्याय है। अगर यह नियम बनाया जाय कि जो इतना विद्वान हो उसे इतने विवाह करने का अधिकार है और जो बिद्धान नहीं है उसे विवाहका अधिकार नहीं है. तो क्या यह ठीक होगा ? उसरी बात यह है कि जिस विषय का अधिकार है उसी विषय की समता, विषमता, योग्यता, श्रयोग्यता का विचार करना चाहिये । किसी के पैर में चोट श्रागई है तो बहुत से बहुत वह जुता नहीं पहिनेगा, परन्तु यह कपड़े भी न पहिने, यह कहाँ का न्याय है ? किसी भी अधिकार के विषय में प्राय चार बातों का विचार किया जाता है। योग्यता, श्रावश्यका, सामाजिक लाभ, स्वार्थत्याग। पुनर्विवाह के विषय में भी हम इन्हीं बातों पर विचार करेंगे हित्रयों में पुनर्विवाह की योग्यता तो है ही. क्योंकि पुनर्विवाह से भी वे सन्तान पैदा कर सकती हैं। संभोगशक्ति, रजोधर्म तथा गाहें स्थ्यजीवन के श्रम्य कर्तद्य करने की स्नामता उन में पाई जाती है। श्रावश्यका भी है, क्योंकि विधवा हो जाने पर भी उनकी कामवासना जाग्रत रहती है, जिसके सीमित करने के लिये विवाह करने की जरूरत हैं। इसी तरह सन्तान की इच्छा भी रहती हैं, जिसके लिये विवाह करना चाहिये। वैध-व्यजीवन बहुत पराश्चित, श्चार्थिक कपू, शोक, चिन्ता और संक्लेशमय तथा निराधिकार होता है, इसलिये भी उन को पुनर्विवाह की ब्रावश्यका है। कुछ इनीगिनी विधवाबी को छोड कर बाकी विधवाश्रों का जीवन समाज के लिये भार सरीखा होता है। वैधव्यजीवन के भीतर करें हो जाने सं बहुत से पुरुषों को स्त्रियाँ नहीं मिलतीं। इसलिये उनका जीवन दुःखमय या पतित हो जाता है। समाज की संख्या घटती है। विधवाविवाह से ये समस्याएं ऋधिक ऋंशों में हल हो जाती हैं: इसलिये विधवाविवाह से सामाजिक लाभ

हैं। स्वार्थस्याग तो उपादः है ही, क्योंकि स्त्रियाँ सेवाधर्म का पालन ज्यादह करती हैं। सन्तानीत्पत्ति में स्त्रियों को जितना कष्ट सहना पड़ता है, उसका शतांश भी पुरुषों को नहीं सहना पडता। विवाह होते ही स्त्री श्रपने पित्रगृह का त्याग कर देती है। मतलब यह कि चाहे विवाह के विषय में विचार कीजिये, चाहे विवाहके फल के बारे में विचार कीजिये, स्त्रियों का स्वार्थत्याग पुरुषों के स्वार्थत्याग से कई गुणा ज्यादह है। म्बियों में परुषों से विषमता जुरूर है, परन्तु वह विषमता उन बानों में कोई त्रुटि उपस्थित नहीं करती, जो कि पुनर्विवाह कं अधिकार के लिये आवश्यक हैं। बल्कि वह विषमता अधि-कार बढाने वालो ही है। क्योंकि पुरुष विधुर हो जाने पर तो किसी तरह गाईस्थ्यजीवन गौरव के साथ बिता सकता है, साथ ही ब्रार्थिक स्वातन्त्रय ब्रोर सुविधा भी रख सकता है: परन्तु विश्ववा का तो सामाजिक स्थान गिर जाता है श्रीर उसका श्रार्थिक कष्ट बढ जाता है। इसिलये विधुरविवाह की श्रपेत्ता विश्ववाविवाह की ज्यादः श्रावश्यका है। श्रीर स्वार्थ-त्याग में स्त्रियाँ ज्यादः हैं ही, इसलिये विभूरों को विवाह का अधिकार भले ही न हो, परन्त विधवास्त्रों को तो अवश्य होना चाहिये।

ग्राच्चेप (ड)—स्त्री पर्याय निद्य है। इसलिये उद्यपयांय (पुरुषपर्याय) प्राप्त करने के लिये त्याग करना चाहिये। (विद्यानन्द्र)

समाधान—स्त्रीपर्याय निद्य है, श्रथवा श्रत्याचारी पुरुष समाज ने सहस्राध्यियों के श्रत्याचारों से उसे निद्य बनाडाला है, इसकी मीमांसा हम विचारशील पाठकों पर छोड़ देते हैं। श्रापर शासेपक की बात मानली जाय तो पुरुषों की श्रपेका स्त्रियों को पुनर्षिवाह की सुविधा ज्यादः मिलना चाहिये, क्यों- कि पुरुषों को अपनी उच्चता के लिहाज़ से ज्यादः त्याग करना चाहिये। मुनिपद श्रेच्ठ है और श्रावकपद नीचा। श्रव कोई कहे कि मुनि उच्च हैं, इसलिये उन्हें रगडीबाज़ी करने का भी अधिकार हैं! गृहस्थ को तो मुनिपद प्राप्त करना है, इसलिये उसे रगडीबाज़ी न करना चाहिये? क्या उच्चता के नामपर मुनियों को ऐसे अधिकार देना उच्चित है? यदि नहीं, तो पुरुषों को भी उच्चता के नाम पर पुनर्विवाह का अधिकार न रखना चाहिये। अथवा स्त्रियों का अधिकार न स्त्रीनना चाहिये।

इसी युक्ति के बल पर इम यह भी कह सकते हैं कि स्त्रियाँ अधिक निर्वल और निःसहाय हैं; इसिलये स्त्रियों को पुरुषों की अपेका ज्यादः सुविधा देना चाहिये।

आच्ंिष् (ढ)—विषय-भागों की स्वच्छन्दता हरएक को देदी जाय तो वैराग्यका कारण बहुत ही कम मिला करें। छोटो अवस्था की विधवा का दर्शन होना कर्मवैचित्र्य का सूचक है, इससे उदासीनता आती है। (विद्यानन्द)

समाधान—पुरुष नो एक साथ या कम से इज़ारों िल्लयाँ रक्खे, फिर भी वैराग्य के कारणों में कमी न हो श्रीर स्त्री के पुनर्विवाह मात्र से वैराग्य के कारणों में कमी न हो श्रीर स्त्री के पुनर्विवाह मात्र से वैराग्य के कारण बहुत कम रह जायँ—यह तो विचित्र बात है! क्या संसार में दुःखों की कमी है जो वैराग्य उत्पन्न करने के लिये नये दुःख बनाये जाते हैं? क्या अनेक तरह की बीमारियाँ देखकर वैराग्य नहीं हो सकता? फिर चिकित्सा का प्रवन्ध क्यों किया जाता है? यदि श्राज जैनियों के वैराग्य के लिये संसार को दुःखी बनाने की ज़करत है तो जैनधर्ममें श्रीर आसुरीलीलामें क्या झंतर रह जायगा? यह तो रौद्रध्यान की प्रकर्यता है। जिनको वैराग्य पैदा करना है उन्हें, संसार वैराग्य के कारणों से भरा पड़ा है। मेघों श्रीर बिजलियों की स्लग्नंगुरता, दिन रात मृत्यु का दौरा, श्रनेक

तरह की बीमारियाँ श्रादि वैराग्य की श्रोर भुकाने वाली हैं।
पुराणों में ऐसे कितने मनुष्यों का उल्लेख है जिन्हें बालविधवाश्रों को देखकर वैराग्य पैदा हुश्रा हो ? कर्मवैचित्र्य की
म्चना पुगय श्रोर पाप दोनों से मिलती है। विधवा के देखने
से जहाँ पाप कर्म की विचित्रता मालूम होती है वहाँ विधवाविवाह से पुगय कर्म की विचित्रता मालूम होती है। जिस
प्रकार एक स्त्री मर जाने पर पुगयोदयसे दूसरी स्त्री मिल जाती
है, उसी प्रकार एक पुरुष के मर जाने पर भी पुगयोदय से
दूसरा पुरुष मिल जाता है। वैराग्य के लिये वालविधवाशों की
स्थित चाहना ऐसी निर्देयता, कर्ता श्रीर रुद्रता है कि जिसकी
उपमा नहीं मिलती।

पाँचवाँ प्रश्न

इस प्रश्न का सम्बन्ध विधवाविवाह से बहुत कम है। इस विषयमें हमने लिखा था कि वेश्या और कुशीला विधवा के मायाचार में अन्तर है। कुशीला विधवा का मायाचार बहुत है। हाँ, व्यक्तिगत दृष्टि से किसी के अन्तरङ्ग भावों का निर्णय होना कठिन है। इस विषयमें आन्तेषकों को कोई ज़्याद ऐतराज़ नहीं है, परन्तु 'विरोध तो करना ही चाहिये' यह सोच कर उनने विरोध किया है।

आच्रीप (क) - वेश्या, माया मूर्ति है। व्यभिचार ही उसका कार्य है। वह श्रहनिशि माया मूर्ति है। किन्तु यह नियम नहीं है कि कुशीला जन्मभर कुशीला रहे। (विद्यानन्द)

समाधान—यहाँ यह प्रश्न नहीं है कि पाप किसका ज्यादः है ? प्रश्न मायाचार का है। जो कार्य जितना छुपाकर किया जाता है उसमें उतना ही ज्यादः मायाचार है। वेश्या इस कार्य को छुपाकर नहीं करती, जबकि कुशीला को छुपाकर करना पड़ता है। व्यभिचार के लिये नहीं, किन्तु पैसों के लिये वेश्या क्रित्रम प्रेम करके किसी आदमी के साथ मायाचार करती है जबकि कुशीला विधवा अपने पाप का सुरचित रखने के लिये सारी समाज के साथ मायाचार करती है। अपने व्यभिचार को लुपाने के लिये ऐसी नान्याँ मुनियों की सेवा सुश्रूषा में आगे आगे रहती हैं, देव पूजा आदि के कार्यों में अप्रेसर बनती हैं, तप आदि के ढोंग करती हैं जिससे लांग उन्हें धर्मात्माबाई कहें और उनका पापाचार भूले रहें। समरण रहे कि व्याघ से गोमुख-व्याघ्र भयानक होता है। वेश्या अगर व्याघ्रों है नो कुशीला गोमुखव्याघ्री है। सम्भव है कोई स्त्री जन्मभर कुशीला न रहे। परन्तु यह भी सम्भव है कि कोई स्त्री जन्मभर वेश्या न रहे। जब तक कोई कुशीला या वेश्या है, तभी तक उसकी आत्मा का विचार करना है।

त्राक्षेष (ख)—प्रश्न में मायाचार की दृष्टि से अन्तर पूछा गया है अतः पाप-कार्य की दृष्टि से अन्तर वनलाना प्रश्न के बाहर का विषय है। (विद्यानन्द)

समाधान—हमने कहा था कि, "जब हम वेश्यासेवन श्रीर परस्रीसंवन के पाप में श्रन्तर बतला सकते हैं तब दोनों के मायाचार में भी श्रन्तर बतला सकते हैं।" इसमें श्रन्य पाप से मायाचार का पता नहीं लगाया है, परन्तु श्रन्य पाप के समान मायाचार को भी श्रपने झान का विषय बतलाया है। यह भूल तो श्राचेपक ने स्वयं की है। उनने लिखा है—"व्यभिचार एक पाप-पथ है। उसपर जो जितना श्रामे बढ़गया वह उतना ही श्रिधक सर्व दृष्टि से पापी एवं महामायावी है।" पाप के श्रन्तर से माया का श्रन्तर दिखला कर श्राचेपक स्वयं विषय के बाहर गये हैं।

ब्राचीप (ग)—सब्यसाची ने ब्रान्तरिक भावों का निर्णय

कित लिखा है: फिर भी माथाचार की तुलना की है। ये पर-स्पर विरुद्ध बातें कैसी? मन का हाल तो मनःपर्ययक्षानी ही जान सकते हैं। (विद्यानन्द)

समाधान— मनःपर्ययक्षानी को मन की बातका प्रत्यस् होता, है लेकिन परोस्त क्षप्ति तो श्रुतक्षान से भी हो सकती है। बचन, श्राचरण तथा मुखाकृति श्रादि से मानसिक भावों का अनुमान किया जाता है। श्राद्तेषकने स्वयं लिखा है कि "किस-का मायाचार किस समय श्रधिक है सो भगवान ही जानें, परन्तु वेश्या से श्रधिक कभी कुशीला का मायाचार युक्ति प्रमाण से सिद्ध नहीं होता।" क्या यह वाक्य लिखते समय श्राद्धेषक को मनःपर्ययक्षान था ? यदि नहीं तो भगवान के क्षान की बात उनने कैसे जानली?

श्रास्तेष (घ) — कुशीला, पितवता के वेष में पाप नहीं करती। जहाँ पित पानिवत होगा वहाँ तो कुशीलभाव हो ही नहीं सकते। (विद्यानन्द)

समाधान—आचेपक पितवता के वेष और पातिवत के अन्तर को भी न समक सके । वेश्याएँ भी सीता सावित्री आदि का पार्ट लेकर पितवता का वेष धारण करती हैं, परन्तु क्या वे इसी से पितवता होती हैं ? क्या कुशीलाओं का कोई जुदा वेप होता है ?

आक्षेप (ङ)—कुशीला हज़ार गुप्त पाप रती है, परन्तु जिन-मार्ग को दूषित नहीं करती । इसलिये विवाहित विधवा और वेश्या से कुशीला की कक्षा ऊँची कही गई है। (विद्यानन्द)

ममाधान—विवाहितविधवा और वेश्यासे कुशीला की कचा किस शास्त्र में ऊँची कही गई है ? ज़रा प्रमाण दीजिये ! हमने विश्ववाविवाह को धार्मिक सिद्ध कर दिया है, इसिलये विवाहित विश्ववा जिनमार्ग दृषित करने वाली नहीं कही जा सकती। अथवा जब तक विश्ववाविवाह पर यह घादिववाद चल रहा है तब तक विश्ववाविवाह की धार्मिकता या अश्वामिकता की दुहाई न देना चाहिये। नहीं तो अन्योग्याश्रय श्रादि दोप श्रायंगे। इस श्राचेप से यह वात श्रच्छी तरह सिद्ध होती है कि परिष्ठताऊ जैनधर्म के श्रमुसार कोई स्त्री ररष्टी बनजाय या हज़ार गुप्त पाप करे तो जिनमार्ग दृषित नहीं होता श्रीर छिनाल बनजाय तो भी नहीं होता. नवजात बच्चों के प्राण लेले तो भी नहीं होता, लेकिन श्रगर वह किसी एक पुरुष के साथ दाम्पत्य बन्धन स्थापित करले तो बेचारे पंष्टिताऊ जैनधर्म की मौत ही समिभियं। वास्तव में ऐसे जैनधर्म को व्यभिचार पन्थ समभना चाहिये।

श्चान्तेष (च)—इन्द्रियतृप्ति करने में ही प्रसन्नता मानते हां तो श्चाप शौकसे चार्बाक हो जाश्चां! (विद्यानन्द)

समाधान—गरडो बनाने के लिये, हज़ागें गुप्त पाप करने के लिये धर्मधुरन्धर कहलाकर लींडेबाज़ो करने के लिये, मृणहत्या करने के लिये द्यार कोई चार्चाक नहीं बनता तो विधवाविषाह के लिये चार्चाक बनने की क्या ज़रूरत है ? यदि जैनधर्म में इन्द्रियतृप्ति को बिलकुल स्थान नहीं है तो श्रविरत सम्यग्दृष्टि के लिये "णो इन्द्रियेसु विग्दों" श्रथात् 'श्रविरत सम्यग्दृष्टि जीव पाँच इन्द्रिय के विपयों से विरक्त नहीं होता' क्यों लिखा है ? जैनी लोग कोमल बिस्तर पर क्यों सोते हैं ? स्वादिए भोजन क्यों करते हैं ? लड़कां बह्यों के होने पर भी विवाद क्यों कराते हैं ? क्या यह इन्द्रिय विषय नहीं हैं ? श्रथवा क्या ऐसे सब जैनी चार्चाक हैं ? पुरुष जब दूसरा विवाह करता है तो क्या वैराग्य की भावना के लिये स्त्री लाता है ? या पिएडनों के बेद त्रिवर्णाचार के अनु-सार योनि-पूजा के लिये लाता है ? क्या यह इन्द्रिय-विषय नहीं है ? क्या विधवाविवाह में ही अनन्त इन्द्रिय-विषय एक-त्रित हो गये हैं ? क्या तुम्हारा जैनधर्म यही कहता है कि पुरुष तो मनमाने भोग भागें, मनमाने विवाह करें, उससे वीतरागता को धका नहीं लगता, परन्तु विधवाविवाह से लग जाता है ? इसी को क्या 'खोडो छोडो की धुन'' कहते हैं ?

त्र्याचिप (छ) — कुशीला अपने पापों को मार्ग-प्रेम के कारण छिपानी है। ""वह भ्रूणहत्या करती है फिर भी विवाहित विधवा या वेश्या से श्रुच्छी है। (विद्यानन्द)

ममाधान—श्रगर मार्ग प्रेम होता तो गुप्त पाप क्यों करती? भ्रणहत्याएँ क्यों करती? क्या इनसे जिनमार्ग दृषित नहीं होता? या ये भी जैनमार्ग के श्रङ्क हैं ? चोर छिपाकर धन हरण करता है, यह भी मार्गप्रेम कहलाया। अनेक धर्म-धुरन्धर लींडेबाज़ी करते हैं, परस्त्री सेवन करते हैं. यह भी मार्गप्रेम का ही फल समभना चाहिये! मतलब यह कि जो मनुष्य समाज को जितना श्रधिक घोजा देकर पाप कर लेता है वह उतना ही श्रधिक मार्गप्रेमी कहलाया! वाहरे मार्ग! श्रीर वाहरे मार्गप्रेमी!

व्यभिचारिणी स्त्री वेश्या क्यों नहीं बनजाती ? इसका उत्तर यह है कि वेश्याजीवन सिर्फ़ व्यभिचार से ही नहीं आजाता। उसके लिये अनेक कलाएँ चाहिये, जिनका कि दुरु-पयोग किया जा सके अथवा जिन कलाओं के जाल में अनेक शिकार फँसाए जासकें। कुछ दुःसाहस भी चाहिये, कुछ निमित्त भी चाहिये, कुछ म्वावलम्बन और निर्भयता मी चाहिये। जिनमें ये बातें होती हैं वे वेश्याएँ वन ही जाती है। आज जो भारतवर्ष में लाखों वेश्याएँ पाई जाती हैं उनमें से आधी से अधिक वेश्याएँ ऐसी हैं जो एक समय कुल-वधुएँ थीं। वे समाज के धर्मढोंगी नरिपशाचों के धक्के खाकर वेश्याएँ बनी हैं। व्यभिचारिणी क्त्री पुनर्विवाह क्यों नहीं करती? इसका कारण यह है कि पुनर्विवाह तो वह तब करे जब उसमें ब्रह्मचर्यागुबन की भावना हो, जैनधर्म का सद्या क्षान हो। जो क्त्री नये नये यार चाहती हो, उसे पुन-विवाह कैसे अव्छा लग सकता है? अथवा वह तैयार भी हो तां जिन धर्मात्माओं ने उसे अपना शिकार बना रक्खा है वे कब उसका पिंड छोड़ेंगे? पुनर्विवाह से तो शिकार ही निकल जायगा। कित्रयों की श्रक्षानना श्रीर पुरुषों का स्वार्थ ही कित्रयों को विधवाविषाह के पिंचत्र मार्ग से हटाकर व्यभिचार की तरफ ले जाता है।

छठा प्रश्न

कुशीला भ्रुणहत्याकारिणी को और इतकारित अनुमो-दना से उसके सहयोगियों को पाप-बन्ध होता है या नहीं ? इसके उत्तरमें हमने कहा था कि होता है और जो लोग विधवा-विवाह का विरोध करके ऐसी परिम्थित पैदा करते हैं उन को भी पाप का बन्ध होता है। इसके उत्तर में आचे पकों ने जो यह लिखा है कि "विधवाविवाह व्यभिचार है, उसमें अकलंक-देव प्रणीत लक्षण नहीं जाता, आदि" इसका उत्तर प्रथम प्रश्न के उत्तर में श्रुच्छी तरह दिया जा चुका है।

आक्षेप (क)—विधवाविवाह के विरोधी व्यभिचार को पाप कहते हैं तो पाप करने वाले चाहे स्त्रियाँ ही चाहे पुरुष, वह सबे ही पापी हैं। (श्रीलाल)

समाधान-पेसी हालत में जब विधवाविवाह पाप है तो विधुरविवाह भी होना चाहिये या दोनों हो न होना

चाहिये। क्योंकि जब पाप है तो 'सर्व ही पापी हैं'। व्यभिचार में तो श्राप सर्व ही पापी बतलावें श्रीर पुन-विवाह में विधुरविवाह को धर्म बतलावें श्रीर विधवाविवाह को पाप, यह कहाँ का न्याय है ?

श्राक्षेप (ख)—चोर चोरी करता है। गवर्नमेन्ट दगड देती है इसमें गवर्नमेन्ट का क्या श्रपराध ? (श्रीलाल)

ममाधान-गवर्नमेन्ट ने अर्थीपार्जन का अधिकार नहीं छीना है। ज्यापार से और नौकरी या भित्ता से मनुष्य अपना पेट भर सकता है। गवर्नमेन्ट अगर अर्थोपार्जन के रास्ते गेक्ट तो श्रवण्य हो उसे चोरो का पाप **सरो**गा । विधवाविषा**ह** के विरोधी, विधवा को पति ब्राप्त करने के मार्ग के विरोधी हैं, इसिलये उन्हें व्यभिचार या भ्रणहत्या का पाप श्रवश्य लगता है। यदि स्थितिपालक लोग बतलावें कि श्रमुक उपाय से विधवा पनि प्राप्त करले श्रीर वह उपाय सुसाध्य हो, फिर भी कोई व्यभिचार करे तो अवश्य म्थितिपालकों को बहु पाप न लगेगा। परन्तु जब ये लोग किसी भी तरह से पति प्राप्त नहीं करने देते तो इससे सिद्ध है कि ये लोग भ्रुणहत्या और व्यभिचार के पोषक हैं। अगर कोई सरकार व्योपार न करने दं, नौकरी न करने दे, भीखन माँगने दे और फिर कहे कि – 'त्म चोरी भी मत करो, उपवास करके ही जीवन निकास दों तो प्रत्येक श्रादमी कहेगा कि यह सरकार बदमाश है. इसकी मन्या चोरी कराने की है। ऐसी ही बदमाश सरकार के समान श्राजकत की पंचायतें तथा स्थितिपालक लोग हैं। इसमें इतनी बात और विचारना चाहिये कि अगर कोई सर कार चोरी की अपेचा व्यापारादि करने में ज्याद दराख दे तो उस सरकार की बदमाशी बिल्कुल नंगी हो जायगी। उसी प्रकार स्थितिपालकों की चालाकी भी नंगी हो जाती है. क्योंकि वे लोग कहते हैं कि व्यभिचार मले ही करलो, परन्तु विधवाविवाह मन करो ! विधवाविवाह करने के पहिले पंडित उद्यलाल जो से एक वुजुर्ग परिडत जी ने कहा था कि—"तुम उसे म्त्री के क्य में यों ही रखलों, उसके साथ विवाह क्यों करते हो ?" श्राप के सहयोगी विद्यानन्द जी ने पाँचवें प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि—'यद्यपि कुशीला भ्रूणहत्या करती है किन्तु किर भी जिनमार्ग से भय खाती है। उसमें म्वाभिमान लज्जा है। इसलिये वह विधवाविवाहित या वेश्या से शब्द्यी हैं"—क्या श्रव भी स्थितिपालक लोग व्यभिचारपोपकता का कलंक खिया सकते हैं ? उस सरकार को क्या कहा जाय जो चोरों की प्रशंसा करती है श्रीर व्यापारियों की निन्दा ?

आक्षेप (ग) — यदि किसी को स्त्री नहीं मिलती तो क्या द्याधर्म के नाम पर दूसरे दें दें? विध्वाविवाह के प्रचार हो जाने पर भी सभी पुरुषों को स्त्रियाँ न मिल जायेंगो नो क्या स्त्री वाले लोग एक एक घरटे को स्त्रियाँ दे देंगे।

ममाधान—सुधारकों के धर्मानुसार स्त्रियों का देना लेना नहीं बन सकता, क्योंकि स्त्रियाँ सम्पत्ति नहीं हैं । हाँ, स्थितिपालक परिडतों के मतानुपार घटे दो घंटे या महीनों वर्षों के लिये स्त्री दी जासकती है, क्योंकि उनके मतानुसार वह देने लेने की वस्तु है, भोज्य है, सम्पत्ति है । पुरुष की इच्छा के अनुसार नाचने के सिवाय उसका कोई व्यक्तित्व नहीं है । ख़ैर, लोगों का यह कर्तव्य नहीं है कि वे स्त्रियाँ दे दें, परन्तु उनका इतना कर्तव्य अवश्य है कि कोई पुरुष स्त्री प्राप्त करता हो या कोई स्त्री पित प्राप्त करती हो तो उनके मार्ग में रोड़े न अटकार्वे। यह कहना कि "विधवा अपने भाग्योद्य से पितहीन हुई; कोई क्या करें" मूर्खना और पच्चात है। भाग्यो- दय से तो विधुर भी वनता है शौर सभी विपत्तियाँ श्राती हैं।
उनका इलाज किया जाता है। विधुर का दूसरा विवाह किया
जाता है। इसी तरह विधवा का भी करना चाहिये। इसका
उत्तर हम पहिले भी विस्तार से दे चुके हैं। "पुरुपत्वहीन
पुरुषों की सिकारें होंगी" इस श्राद्मेष के समाधान के लिये
देखों "३ घ"।

आक्षेप (घ)—विधवाविवाह के विरोधियों को पापियों की कला में किस आगम युक्तितर्क के आधार पर आपने घसीट लिया ? (विद्यानन्द)

समाधान—इसका उत्तर ऊपर के (ख) नम्बर में है। उससे सिद्ध है कि कारित श्रीर श्रमुमोदन के सम्बन्ध से विधवाविवाह के विरोधी भ्रणहत्यारे हैं।

ग्रासिप (ङ)--पिराडित लोग श्रागम का श्रवर्णवाद नहीं करना चाहते । वे तो कहते हैं कि परलोक की भी सुध लिया करो।

समाधान—जिन पणिडनों के विषय में यह बात कही जारही है, वे वेचारे अज्ञाननमसाज्ञन जीव आगम का समस्तते ही नहीं। वे तो किंद्रियों को ही अमें या आगम समस्तते हैं और किंद्रियों के संडाफोड़ को आगम का अवर्णवाद। परलोक की सुध दिलाने की बात तो विचित्र है। जो लोग खुद तो चार रे पाँच पाँच औरतें हज़म कर जाते हैं और बालविधवाओं से कहते हैं कि परलोक की सुध लिया करो! उन धृष्टों से क्या कहा जाय ? जो खुद तो दूँ स दूँ स कर खाते हों और दूसरों से कहते हों कि "भगवान का नाम लो? इस शरीर के पोपने में क्या रक्खा है? यह तो पुद्गल है"—उनकी धृष्टता प्रदर्शनी की वस्तु है। वे इस धृष्टता सं उपदेश नहीं देते, आदेश करते हैं, जबर्दस्ती दूसरों का भृष्टों रखते हैं। क्या यह परलोक की

सुध क्त्रियों के लिये ही है ? मर्दों के लिये नहीं ? फिर जैनधर्म ज़बर्दस्ती त्याग कराने की बात कहाँ कहता है ? उसका तो कहना है कि ''ज्यों ज्यों उपशमत कषाया। त्यों त्यों तिन त्याग बनाया।''

श्राक्षेष (च)—पिएडतों के कठोरतापूर्ण शासन और पत्तपातपूर्ण उपदेशों के कारण क्लियाँ भ्रूणहत्या नहीं करतों, परन्तु जो उनके उपदेश से निकल भागनी हैं वे व्यभिचारि-णियाँ ही यह पाप करनी हैं।

मगाधान-इस बात के निर्णय के लिये एक द्रष्टान्त रखना चाहिये । चार विधवाएँ हैं । दो सुधारक श्रीर दो म्थितिपालक। एक सुधारक और एक स्थितिपालक विधवा ना पूर्ण ब्रह्मचर्य पाल सकती है और बाकी की एक एक नहीं पाल सकतों। पहिली से सुधारक कहते हैं कि 'बहिन! अगर तम पवित्रता के साथ ब्रह्मचर्य पालन करने की नैयार हो तो एक ब्रह्मचारीके समान हम आपकी पूजा करते हैं और अगर तम नहीं पाल सकती हो तो आज्ञा हो कि हम आपके विवाह का श्रायोजन कर दें।" वह बहिन कहती है कि श्रभी मैं ब्रह्म-चर्य पालन कर सकती हूँ, इसलिए श्रपना पुनर्विवाह नहीं चाहती। जब मैं अपने मनको वश में न ग्ख सकूँगी तो पुन-र्विवाह का विचार प्रगट कर दूँगी। दूसरी बहिनसे यही बात कही जाती है तो वह विवाह के लिये नैयार हो जाती है श्रीर उसका विवाह कर दिया जाता है। उसके विवाह को परिहत लोग ठीक नहीं समभते-स्थारक ठीक समभते हैं। परन्तु जब वह बहिन विवाह करा लेती है तो उसे संतान को छिपाने की कोई ज़करत नहीं रह जाती जिम्मसे बह भ्रणहत्या करें। इस तरह सुधारक पक्त में तो दोनों तरह की विधवास्रों का पूर्ण निर्वाह है। अब स्थितिपालकों में देखिये! उनका कहना

है कि 'विधवा विवाह घोर पाप है, क्योंकि स्त्रियाँ जुँठी थाली के समान है। ब्रब वे किसी के काम की नहीं । दोनों बहिनों को यह श्रवमान चुपचाप सहलेना पडता है, जिस में पहिली बहिन तो ब्रह्मचर्य से जीवन विनाती है श्रीर दूसरी वैधव्यका दाँग करती हैं। उसकी वासनाएँ प्रगट न हो जावें, इसिलेये वह विधवा-विवाह वालोंको गालियाँ देती हैं। इसलिये पंडिन लोग उसकी बडी प्रशंसा करते हैं। परन्तु वह बेचारी अपनी वासनात्रों को दमन नहीं कर पाती, इसलिये व्यभिचारके मार्ग में चली जाती है। फिर गर्भ रह जाता है। श्रव वह सोचती है कि विधवाविवाहवालों को मैंने आज तक गालियाँ दी हैं. इसिलये जब मेरे बचा पैदा होगा तो कोई क्या कहेगा? इस-लिये वह गर्भ गिराने की चेष्टा करती है। गिर जाता है तो ठीक, नहीं गिरता है तो वह पैदा होते ही बच्चेकी मारडालती है। वह बीच बीच में पुनर्विवाह का विचार करती हैं, लेकिन परिइतों का यह वक्तत्य याद आजाता है कि "विधवाविवाह सं तो जिनमार्ग द्वित होता है लेकिन व्यक्तिचार या भ्रणहत्या मं जिनमार्ग द्षित नहीं होता", इसलिये बह व्यक्तिचार श्रीर भ्र गुहत्या की तरफ भुक जाती है। सुधारक बहिन को तो पेसा मौका ही नहीं है जिससे उसे अपना दाम्पत्य छिपाना पड़े श्रीर भ्रुणदृत्या करना पड़े । उसके श्रगर सन्तान पैदा होगी तो वह हर्प मनायगी जबिक स्थितिपालक बहिन हाय २ करेगी और उसकी इत्या करने की तरकीव सोचेगी। इससे पाउक समभ सकते हैं कि हत्याग मार्ग कीन हे और दया का मार्ग कीन है ?

हम यहाँ एक ही बात रखते हैं कि कोई स्त्री विधवा-विवाह और गुप्त ज्यमिचार में से किस मार्ग का अवलम्बन करना चाहती हैं। सुधारक लोग विधवाविवाह की सलाह

देते हैं। अब परिहर्तों से हम पूजते हैं कि उनकी क्या सलाह है ? ब्रगर वे गुप्त व्यक्तिचार की सलाह देते हैं, तो उसके भीतर भूणहत्या की सलाह भी शामिल है क्योंकि भूणहत्या न करने पर व्यभिचार गुप्त न रह सकेगा। इसलिये इस सलाह सं परिडनों को भ्रणदत्या का दोवी होना ही पड़ेगा। अगर व विधवाविवाह की सलाह देते हैं तो भ्रणहत्या के पाप से बच सकते है। यदि बेइस पाप से बचना चाहते है तो उन्हें विधवाविवाह को उपिमचार श्रीर भ्रणहत्या से भी बुरा कहने की बात प्रायश्चित्त के साथ बापिस लेना चाहिये। ऐसी हालत में ये परिडत सुधारकों से जुद्दे नहीं रह सकते। क्योंकि सुधारक लोग भी व्यभिचार श्रादि की श्रेपेता विधवाविवाह को श्रद्या समभते हैं, पूर्णव्रह्मचर्य से विधवाविवाह को श्रद्या नहीं समभते। इस वक्तव्य से सिद्ध हो जाता है कि परिद्धत लोग भ्रुणहत्या श्रादिका प्रचार खुल्लमखुला भले ही न करते हों परन्तु उनके सिद्धान्त ही ऐसे हैं कि जिससे भ्रु गुहत्या का समर्थन तो होता ही है साथ ही उसको उत्तेजन भी मिलता है। श्रीर यह पाप विधवाविवाह करने वाली बहिनों को नहीं करना पडता, बल्कि उन्हें करना पडता है जो पगिडतों के कथनानुसार विधवाविवाह को गालियाँ देती हैं या उससे दूर रहती हैं।

आक्षेप (छ)—श्राप लिखते है कि स्थितिपालकों में सभी भ्रूणहत्या पसन्द नहीं करते परन्तु फ़ीसदी नब्बे करते हैं। इस परम्पर विरोधी वाक्य का क्या मतलब ?

सपाधान—इस म्रादेष से म्रादेषक ने म्रपने भाषा-विकान का ही नहीं, भाषाकान का भी दिवाला निकाल दिया है। पूर्णांश के निषेध में मल्पांश की विधि भी इन्हें परम्पर विरुद्ध मालूम होती है। ऋगर कोई कहे कि मेरे पास पूरा रुपया तो नहीं है, चौदह म्राने हैं। तो भी म्रादेषक यहां कहेंगे कि जब तुमने रुपयं का निषेध कर दिया तो चौदह आन की विधि च्यों करते हो ? क्योंकि चौदह आने ता रुपये के मोतर हो हैं। यह विराध नहीं, विराध प्रदर्शन को बोमारी है। 'एक के हान पर दो नहीं है' (एक मस्वेऽपि द्वयं नास्ति) के समान 'दा न हाने पर एक हैं का बात भी परस्पर विरुद्ध नहीं है। खेद हैं कि आसेप ह का इतना सा भी भाषाज्ञान नहीं हैं।

अप्राप्तेष (ज)—महली की श्रोपेजा बकरा ब्राह्य है या वकरा की श्रोपेजा महली ? स्विडान्तरिष्ट से टानों ही नहीं। (विद्यानन्द)

समाधान—विधवाविवाह श्रोग भ्रूग्हत्या इन दानों में समानता नहीं है किन्तु नगतमता है। श्रोगणेसी तगतमता है जैसी कि विधुगविवाह श्रागणहत्या में है। इसलिये मछली श्रोगवकरें का द्यान्त विषम है। जहाँ तगतमता नहीं वहाँ चुनाव नहीं हो सकता। असहिंसा श्रोगस्थावग हिंसा, श्रयुनवत श्रोगमहावत क समान व्यक्तिश्चागश्चाग विधवाविवाह में चुनाव हो सकता है जैसा कि विधुगविवाह श्रोग व्यक्तिचाग में होता है।

श्राक्षेप () 本)— चाण्का न कहा है कि राजा श्रोर पणिडन एक ही बार बालने है कन्या एक ही बार दी जानी है।(विद्यानन्द्र)

समाधान—हमने विववाविवाह को न्यायोचित कहा है। उसका विशेष करने के लिये ऊपर का नीतिवाक्य उद्धृत किया गया है। श्राचेषक ने भूल से न्याय और नीति का एक ही श्रर्थ समभ लिया है। श्रसल में नीति शब्द के, न्याय से श्रतिरिक्त तीन श्रर्थ है। (१) कानून, (२) चाल, ढग, पॉलिसी, (३) रीति विराज। ये तीनों ही बातें न्याय के विरुद्ध भी हो सकती है। दक्षिण के एक राज्य में ऐसा कानून है कि लडका बाप की सम्पत्ति का मालिक नहीं होता। यह कानून है परन्तु न्याय नहीं। प्रजा में फूट डालकर मनमाना शासन करने की पॉलिसी, नीति है, परन्तु यह न्याय नहीं है। इसी तरह "मिलजुल कर पश्चों में रिहंपे, प्राण आँय साँची नहीं कहिये" की नीति है परन्तु यह न्याय नहीं है। योगोप में ड्यूश्चल का रिवाज था श्रीर कहीं कहीं श्रव भी है, परन्तु यह न्याय नहीं कहा जा सकता, ज्योंकि इसमें सबल का हो न्याय कहलाता है। 'जिसको लाठी उसकी भेंस' यह भी एक नीति है परन्तु न्याय नहीं। इसलियं नीतिवाक्य का उद्धरण दंकर न्यायोज्यितता का विराध करना व्यर्थ है।

दसरा बात यह है कि चासक्य ने खुद स्त्रियों के पून-र्विवाह के कानून बनाये है जिनका उल्लेख २७ वें प्रश्न में किया गया था। इस लख में भी आगे किया जायगा। यहाँ सिर्फ एक वाक्य उद्धृत किया जाता है—'कुटुम्बद्धिलापे वा सुजा-वस्थैविंम्का यथेष्ट विन्देत जीवितार्थम्'। श्रर्थात् कुटुम्ब की सम्पत्ति का नाश होने पर श्रथवा समृद्ध बन्धुवाँघवीं सं छाड़े जाने पर कोई स्त्री, जीवननिर्वाद के लिये अपनी इच्छा के श्रानुसार श्रन्य विवाह कर सकती है। चाणक्यनीति का उन्नेख करने वाला जरा इस वाक्य पर भी विचार करें। साथ ही यह भी स्याल में रक्खे कि ऐसे ऐसे दर्जनों वाक्य चाण-क्य ने लिखे हैं। जब हम दोनों वाक्यों का समस्वय करते है तब चाणक्यनीति के श्लोफ सं पुनर्विवाह का जरा भी विरोध नहीं होता। उस श्लोक सं इतना ही मालूम होता है कि बाप को चाहिये कि वह अपनी पूत्री एक ही बार देवे। विधवा होने पर या कुट्स्वियों के नाश होने पर देने की ज़रूरत नहीं है। उस समय तक उसे इतना अनुभव हो जाता है कि वह स्वयं अपना प्नर्विवाह कर सकती है। इसलिये पिता को

फिर कोटुम्बिक श्रधिकार न बनाना चाहिये। श्रगर चाणुक्य-नीनि के उस बाक्य का यह श्रर्थन होना नो चाणुक्य के श्रन्य वाक्यों स समस्वय ही नहीं पाता।

श्राचिष (ञ)— श्रापनं कहा कि 'श्रगर हम खूब स्वा-दिश्ट भोजन करें श्रोर दुसरों को एक टुकड़ा भी न खाने दें तो उन्हें स्वाद के लिय नहीं तो जुधाशांति के लिये चोरी करनी ही पड़ेगी। श्रोर इसका पाप हमें भी लगेगा। इसी तरह श्रृणहत्या का पाप विध्ययाविवाह के विरोधियों को लगता है' परन्तु कीन किस को क्या नहीं खाने देता? कार्तिकेयानु श्रेचा में लिखा है कि 'उपकार तथा श्रपकार शुभाशुभ कर्म ही करें हैं। (विद्यानन्द)

समाधान-- उपकार अपकार तो कर्म करते हे परन्तु वभौका उदय नाकमों के विना नहीं श्राता। बाह्यनिमित्ती की नाकम कहते हैं (देखों गाम्मट लाग कर्मकागड़)। अशुभ क्रमी के नोकर्म बनना पाप है। पशु तो श्रपने कर्मीदय से मारा जाता है परन्तु कमेंद्रिय के नोकर्म कलाई की पाप का बन्ध होता है या नहीं ? विभवा को पापकर्म के उद्यं से पति। नहीं मिलता, परन्तु जो लाग पति नहीं मिलने दंते वे ता उसी कुमाई के समान उस पाप कर्म के नोकर्म है। यदि कार्िक-यानुवेचा का ऐसा ही उपयोग किया जाय नो पगिडन लोग गुट्ट बाँघ कर डाका डालना, स्त्रियों के स्नाथ बलात्कार करना श्रादिका श्रीगरोश करदें और जब कोई पूछे कि ऐसा क्यों करते हो ? तो कह हैं--- "हमने क्या किया ? उपकार तथा श्रपकार ना ग्रभाग्रभ कर्म ही करे हैं '। इस तरह से राजदराड श्रादि की भी काई ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि "उपकार श्रप-कार शुमाश्चम कर्म ही करे हैं । खैर साहिब ! ऐसा ही सही। नब ता जिस विधवा का कर्मीट्य आयगा उसका पुनर्विबाह

हो जायगा। न द्यायगा न हो जायगा। इसमें उस दम्पति को तथा सुधारकों को कोसने की क्याज़ करत ? क्योंकि यह सब तो 'शुभाशुभ कर्मही करे हैं"। बाह रे ! 'करे हैं'।

आक्षेप (ट)—कर्म की विचित्रता ही ता वैराग्य का कारण है। उन चुवानों पर नरम आना है इसिलये हम उन्हें शान्ति से इस कर्मकृत विधिविडम्बना को सहलेने का उपदेश देने हैं।" (विद्यानन्द)

समाधान—जी हाँ, श्रीर जब यह विधिविडम्बना उपदेशदाताओं के सिर पर आती है तब वे स्वयं कामदेव के
श्रागे नंगे नाचते हैं, मरघट में ही नये विवाह की बातचीत
करते हैं! यह विधिविडम्बना सिर्फ़ स्त्रियों को सहना चाहिये।
न सही जाय तो गुप्त पाप करके उपर से सहने का होंग
करना चाहिये। परन्तु पुरुषों को इसके सहने की जहरत
नहीं। क्योंकि धर्म पुरुषों के लिये नहीं है। वे तो पाप से भी
मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। श्रथवा यहाँ की श्राद्त के श्रमुसार
मुक्ति का भोटा पकड़ कर उसे वश में कर सकते हैं। उन्हें
पाप पुरुष के विचार की ज़हरन क्या हं?

वैराग्य के लिए कर्मविचित्रता की ज़करत है। इसलिये आवश्यक है कि सैकड़ों मनुष्य भृतों मारे जाँय, गरम कड़ाहों में पकाए जाँय, बीमारों की चिकित्सा बन्द कर दी जाय। इस से असुरकुमारों के अवतार पणिड़तों को और पञ्चों को वैराग्य पैदा होगा। अच्छा हो, ये लोग एक कुमाईख़ाना खोल दें जिस में कसाई का काम ये स्वयं करें। जब इनकी छुरी खाकर बेचारे दीन पशु चिल्लायेंगे और तड़पेंगे, तब अवश्य ही उनके खुन में से वैराग्य का सत्त्व खींचा जासकेगा। अगर किसी जगह विधवाओं की कमी हो तो पुरुषों की हत्या करके विधवाण पैदा की जाँय। क्योंकि उनके करण कन्दन और

श्राँसुश्रों में से वैराग्य का दोहन बहुत अच्छा होता है। यह वैराग्य न माल्म कैसा श्रिडियल टट्टू है कि श्राता ही नहीं है! इधर जैनसमाज में मुफ़्तख़ोरों की इतनी कमी है श्रीर जैन समाज के पास इतना धन है कि सुभता ही नहीं कि किसे खिलायें या कैसे खर्च करें!

सातवाँ प्रश्न

इसमें पूजा गया था कि आजकल कितनी विधवाएं पूर्ण पित्रता के साथ वेधव्यवत पालन कर सकती हैं। इसका उत्तर हमने दिया था कि बुद्धविधवाओं की छोड़ कर बाक़ी विधवाओं में से की सदी पाँच। यहाँ पूर्णपिविवता के साथ वेधव्य पालने की बात है। रोधोकर वेराण पालन करने वाली तो आधी या आधी से भी कुछ उपादा निकल सकती है। आद्येपकों ने उत्तर का मतलब न समभकर बकवाद शुरु कर दिया। श्रीलाल जी हमसे पूछते है कि .—

आसोपक—आप को व्यभिचारिणियों का ज्ञान कहाँ से हुआ ? क्या व्यभिचारियों का कोई अड़ा है जो खबर देता है या गवर्नमेगर रिपोर्ट निकलती है ?

समाधान—माल्म होता है आंख्रेपक भूगर्भ में स विल-कुल ताज़ं निकले हैं। अन्यथा आप किसी भी शहर के किसी भी मोहल्ले में चले जाइये और ज़रा भी गौर से जाँच की जिये, आपकी बुद्धि आपको रिपोर्ट दंदेगी। इस रिपोर्ट की जाँच का हमने एक अच्छा तरीका बतलाया था-विधुरों की जाँच। स्त्रियों में काम की अधिकता बतलाई जाती है। अगर हम ज्यानता ही मानलें तो विधुरों की कमज़ारियों से हम विध-वाओं की कमज़ोरियों का ठीक अनुमान कर सकते हैं। बुद्ध विधुरों को छोड़कर ऐसे कितने विधुर हैं जो पुनर्विचाह की कोशिश न करते हाँ ? किसी प्रान्त में या शहर में जाँच करली जाय नो मालूम होगा कि चालीस पैंतालिस वर्ष से कम उमर में विधुर होकर अपने पुनर्विवाह की कोशिश न करने वाले विधुर की मदी पाँच से भी कम हैं। जहाँ पर विधुरविवाह के समान विधवाविवाह का भी पूर्ण प्रचार है वहाँ की रिपोर्ट से भी इस बातका समर्थन होगा। क्या ऐसी स्पष्ट जाँच को धुस्टना कहते हैं?

इस वक्तव्य से विद्यानन्दजी के श्राक्षेपी का भी उत्तर हो जाता है। हाँ ! उनके बहुन से श्राक्षेप प्रकरण के बाहर हागये हैं, परन्तु उनका भी उत्तर दिया जाता है जिससे कहने को भी गुजाइश न रह जावे।

ग्राक्षेप (ख)—क्या ग्रभव्य में मोक्ष जाने की ताकृत नहीं हें ? ता कवल क्षानावरण का सम्द्राव कैसे प्रटित होगा ? राजवार्तिक देखियं ! (विद्यानन्द)

समाधान— श्राह्मेपक ने राजवार्तिक गौर से नहीं देखा। राजवार्तिक में लिखा है कि द्रव्यार्थिकनय से ना श्रमव्य में कवलकानादि की शक्ति है, परन्तु पर्यायार्थिकनय से नहीं है। इसलिये द्रव्यार्थिकनय से नां स्त्रियों में वंधव्य पानन की नो क्या, केवलकानादिक की भी शक्ति कहलायी। ऐसी हालन में नो प्रश्न की काई ज़करत ही नहीं रहती। श्रीर जब प्रश्न किया गया है तो सिद्ध है कि पर्यायार्थिकनय की अपेला है, श्रीर उस नय से श्रमव्य में मुक्तियोग्यना नहीं है। ज़रा राजवार्तिक के इस वाक्य पर भी विचार के जिये—"सम्यक्तवार्तियांयव्यक्तियोगाहों या सामव्या नदिपरीतांऽ मव्या श्रम्यं जिसमें सम्यक्तवादि को प्रगट करने की योग्यता हो उसे भव्य कहते हैं; उससे सिपरीत को श्रमव्य। मतलब यह है कि प्रकट करने की शक्ति श्राह्में की श्रमें सम्यक्त्वादि को प्रगट करने की योग्यता हो उसे भव्य कहते हैं; उससे सिपरीत को श्रमेंव्या से भव्य श्रमें

व्याका भेद है। हमने मांच जाने तक की बात कही है, शक्ति रूप में मौजूद रहने की नहीं। ख़ैर, यहाँ इस चर्चा से कुछ मतलब नहीं है। अगर ब्राचेषक को इस विषय की विशेषज्ञता का श्रामिमान है तो वे स्वतन्त्र चर्चा करें। इस उनका समान्धान कर देंगे।

ग्राक्षेप (ग)—श्राजकल भी स्त्रीजाति को पंचम गुण स्थान हो सकता है श्रीर पुरुषों को सप्तम गुणस्थात। इसलिये श्रवस्था का बहाना बताना श्रथमता संभी श्रथम है।

समाधान-गुणुस्थाना की चर्चा उठाकर श्राक्तेपक ने अपने पैरों पर आप ही कुल्हाडी मारी है। क्या आसं पक ने विचार किया है कि मनुष्यों में पञ्चम गुणस्थान के मनुष्य कितने हैं ? कुल मनुष्य २६ अङ्क प्रमाण है और पञ्चम गुणु-म्थानवाले मनुष्यों की संख्या ६ श्रङ्कप्रमाण । बीस श्रङ्क उपादा है। १६ श्रद्ध के दम सङ्घ होते हैं बीस श्रद्ध क १०० सङ्घ हुए। श्रर्थात पाँचवे गुग्रम्थान के मनुष्यों से कुल मनुष्य सो सङ्ख गुणे हैं। सो सङ्घ मनुष्यों में एक मनुष्य पश्चम गुणुस्थानवर्ती है। इस चर्चा से तो सी मैं पाँच तो क्या एक या श्राधा भी नहीं बैठना! फिर समक्त में नहीं त्राता कि पाँचर्दे गुण्म्थान में जीव होने से दूराचारियों का निषेध कैसे हो गया ? अनन्त सिदों के होने पर भी उनसे श्रनन्तगुरो संसारी हैं। श्रसंख्य सम्यग्हिष्ट्यों के होने पर भी अनन्तानन्त मिध्याहिष्ट हैं। इसलिये पाँच सदाचारिणी स्त्रियों के होने से क्या ६५ दरा-चारिणी नहीं हो सकतीं? फिर हमने ता बृद्धाओं को अलग रक्खा है और युवती विधवाओं में भी ६५ को द्राचारिएीं। नहीं, किन्तु पूर्ण वैधव्य न पालने वाली बतलाया है।

सीना राजुल श्रादि सतियों के दृशन्त से श्राचेषक की नहीं, किन्तु हमारी बात सिद्ध होती है। सतीत्व के गीत गाने थाले बतलायें कि आज कितनी स्त्रियाँ अग्निमें बैठकर अपने सतीत्व की परीचा दें सकती हैं? सीता और राजुल आज तो असाधारण हैं ही, परन्तु उस ज़माने में भी असाधारण थीं।

आसेपकने ज्योतिः श्लाइ जी आदि का उदाहरण देकर सिख किया है कि विधुर भी ब्रह्मचर्य से रहते हैं। इस सिख करने की धुन में आप अपने असली पत्त को जो बैठे। अगर ज्योतिः प्रसादजी आदि विधुरों के रहने पर भी फी सदी ६५ विधुर अपने पुनर्विवाह की कोशिश करते हैं अर्थात् निर्दोष वैधुर्य का पालन नहीं कर पाते तो शुद्ध वैधव्य पालन करने वाली अनेक विधवाओं के रहने पर भी फी सदी ६५ विधवाएँ शुद्ध वैधव्य पालन नहीं कर पानीं।

स्राक्षेष (घ)—विधुरों के समान विधवाओं के विवाह की आजा कीन दे ? क्या हम छुद्मस्य लोग ? शास्त्रों में बहु विवाह का उल्लेख पाया जाना है। शास्त्रकर्ता पुरुष होने से पत्तपानी नहीं कहें जासकते, क्योंकि न्याय और सिद्धान्त की रचनाएँ गुरुषरम्परा से हैं। यदि उन्हें पुरुषत्व का अभिमान होता तो शहों को प्जनप्रसाल, महावन प्रहण आदि से बंचित क्यों रखते ? यदि ब्राह्मणत्वका पत्तपात बनाया जाय तो उनने हीना-चारी ब्राह्मण को शहों से भी बुरा क्यों कहा ? इसलिये पत्त-पात का इल्ज़ाम लगाना पश्चता और दमनीय अविचारता है।

समाधान—हमारे उत्तरमें इस विश्वयका एक श्रद्धार भी नहीं है और न धुमा फिराकर हमने किसी पर पत्तपात का इस्ज़ाम सगाया है। यह हरिश का स्रोते शेर को जगाना है।

भारम्भ में इम यह कह देना चाहते हैं कि आदोपकने जैन शास्त्रों की जैसी श्राञ्चाएँ समभी हैं वैसी नहीं हैं। जैन शास्त्र तो पूर्ण ब्रह्मचर्य की श्राञ्चा देने हैं, लेकिन जो लोग पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते उनके लिये कुछ नीची श्रेणी का (विवाह आदि का) उपदेश देते हैं। इन नोची श्रेणियों में किस जमाने के अधिकांश मनुष्य किस श्रेणो का किस रूप में पासन कर सकते हैं इस बात का भी विचार रक्षा जाता है। भारतवर्ष तिब्बत और वर्तमान योगीय की परिस्थितियोंमें बड़ा फर्क है। भारतवर्ष में एक पति, श्रानंक पत्नियाँ रखा सकता है। तिस्वत में एक पत्नी अनेक पति ग्रुप सकती है। यागेप में पति, अनेक पत्तियाँ नहीं रख सकता, न पत्ती आनेक पति रख सकती है। यागप में अगर एक पत्नी के रहते हुए कोई दूसरी पत्नी से विवाह करले नो वह जैल में भेज दिया जायगा। क्या एंसी परिस्थिति में श्राचार्य, योगोवियन पुरुषों को बहुविवाहकी श्राक्षा देंगे ? जैनाचार्यों की दृष्टिमें भी वहाँ का बहुविवाह श्रना-चार कहलायगा। परन्तु भारत के लिये पुरुषों का बहुविवाह श्रनिचार ही हागा। निब्दत के लिये स्त्रियों का बहुविद्याह श्रति-चार होगा। तारार्य यह है कि पूर्ण ब्रह्म वय से उतर कर समाज का नैनिक माध्यम (Medium) जिन्न श्रेणी का रहता है उसी का ऋ।चार्य ब्रह्मचर्याखुवन कहने हैं। यही कारण है कि सामदेव और ब्राशायरजी ने वेश्यासेवों को भी ब्रास्ट्रवती मान लिया है। इसमें श्राश्चर्य की कुछ बात नहीं है क्योंकि यह नो जुदे जुदे समय और जुदे स्थानों के समाज का माध्यम है । इस विषय में इतनी बात ध्यान में रखने की है कि माध्यम चाहे जो कुछ रहा हो परन्तु उनका लक्ष्य पूर्ण ब्रह्मचर्य रहा है। इस-लियं बहुपत्नीक मनुष्य का उनने झितचारी कहा है । देखिये सागारधर्मामृत टीका "यदा तुम्बदारसन्तच्टो विशिष्टसन्तो-षाभावात् अन्यत्कलत्रं परिणयति तदाऽप्यस्यायमतिचारः स्यान्" अर्थात् विशिष्ट सन्ताप न होने के कारण जो दसरो स्त्री क साथ विवाह करता है उसको ब्रह्म चर्याखन में दोष लगता है।

श्रमत बात तो यह है कि ब्रह्मचर्याशुक्रत भी एक तरह का परिब्रह्वपरिमाणुब्रत हैं: परिब्रह परिमाण में सम्पत्ति तथा द्रान्य भोगोपभोग की वस्तर्श्रों की सर्वादा की जाती हैं। ब्रह्म-चर्य में काम सेवन सम्बन्धी उपभागसामग्री की मर्यादा की जाती है। परन्त जिस प्रकार श्रहिंसा के भीतर चारों ब्रत शामिल होने पर भी स्पष्टता के लिये उनका श्रलग व्याख्यान किया जाता है उसी प्रकार ब्रह्मचर्याणुवत में परिब्रह परिमाण वत से श्रमा ज्याच्यान किया गया है। परिग्रह परिमाणवतमें परिश्रह की मर्यादा की जाती है, परन्त बह परिश्रह कितना होना चाहिये यह बात प्रत्येक व्यक्ति के द्रव्य से त्रकालभाव पर निर्भर है । मर्यादा बाँघ लेने पर सम्राट भी श्रपरिग्रहासुबर्ता है और मर्यादाशस्य साधारण जिल्लमंगा भो पूर्ण परित्रही हैं। ब्रह्मचर्यासुव्रत के लिये श्राचार्य ने कह दिया कि श्रपनी काम-वासना को सीमित करो और विवाह को कामवासना की सीमा नियत कर दिया। जो वैवाहिक बन्धन के भीतर रहकर काम-संवन करता है वह ब्रह्मचर्याग्रवती है। यह बन्धन कितना ढीला या गाढा हो यह सामाजिक परिस्थिति और वैयक्तिक साधनों के ऊपर निर्भर है। यहाँ पर एक पुरुष का अनेक म्त्रियों के लाथ विवाह हा सकता है और विवाह ही मर्यादा है इसलिये वह ब्रह्मचर्यागुवती कहलाया । तिब्बत में एक स्त्री श्रनेक पुरुषों के साथ एक साथ ही विवाह कर सकती है और विवाह ही भर्यादा है इसलिये वहाँ पर श्रनेक पति वाली स्त्री भी अणुब्रह्मचारिणी है। अणुब्रह्मचर्य का भंग वहीं होगा जहाँ श्रविवाहित के साथ कामादि संवन किया जायगा। इससे साफ मालम होता है कि अगुब्रत के लिये आन्त्रार्थ एक अनेक का बन्धन नहीं डालते. ये विवाह का बन्धन डालते हैं। सामाजिक परिस्थिति और साधन सामग्री से जो जितने विवाह कर सके

उसे बही ऋणुब्त की सीमा है। एक पनिया अनेक पनिका प्रश्न सामाजिक या गजिकीय परिस्थिति का प्रश्न हैनिक धार्मिक प्रश्ना

ऊपर, निब्बन का उदाहरण देकर बहुपनिन्व का उल्लेख कर चुका हूँ। श्रार भी श्रमंक छाटी छोटा जानियों में यह रिवाज है। अगर ऐतिहासिक दृष्टि स देखा जाय तो एक दिन संसार के अधिकांश देशों में बहुपितत्व की प्रथा प्रचलित थी। बात यह है कि माना का महत्व पिना से अधिक है। माता को ही लक्षर कुट्रस्व की रचता होती है। इसलिये एक समय मानवश अर्थात माना के ही शासन की विधि प्रचलिन थी। उस समय बहुपनिविवाह अर्थान एक स्त्री के कई पनि हाने की प्रधा भी शुरु हो गई । पशिया की कुछ प्राचीन जानियों में श्रद मी इस प्रधा क चिन्ह पाये जाने हैं। कई पितयों में से जा सबसे बलवान श्रीर रचा करन में समर्थ हाना था धीरे धीरे उसका आदर अधिक हाने लगा अर्थात पट्टानी के समान पट्टपति का रियाज चला। जो बलवान और पत्नी का ज्यादा प्याग हाता था वही श्रद्धी तरह घरमें रह पाना था। यही रिवाज श्रक्तरेज़ों क हसबंड Husband शब्द का मूल हैं। इस शब्द का असली कप है Has baand) अर्थात घर में रहते बाला। सब प्रतियों में जो पत्नी के साथ घर पर रहता था वही धीरे श्रीरे ग्रहपति या हसबंह कहलाने लगा, और शक्ति हान स श्रीरे श्रीरे घर का पूरा आधिपत्य उस के हाथ में आगया। धर की मालिकी के बाद जब किसो पुरुष का जानि की सरदारी मिली तो पुरुषों का शासन शुरू हुआ, श्रीर बहुपनिश्व के स्थान पर बहुपत्नीत्व की प्रथा चस पडी। हिन्दू शास्त्रों में द्वीपदी की पाँच पति वासी कहा हैं और उसे महासती भी माना है। मले ही यह कथा कल्पिन

हो परन्तु भारतवर्ष में भी एक समय बहुपतिन्व के साथ सती-न्व का निर्वाह होता था, इस बात की सूचक श्रवश्य हैं। जैन-समाज में थी कि नहीं, यह जुदा प्रश्न है परन्तु भारतवर्ष में श्रवश्य थी।

मतलव यह है कि बहुपितत्व और बहुपत्नीत्व की प्रथा सामियक है। धर्म का उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं। धर्म ता अख्रवती का अविवाहित के साथ संभोग करने की मनाई करता है। विवाहित पुरुष या स्त्री, एक हो या अने के, धर्म की हिन्द में अख्रवतनाशक नहीं है। हाँ, धर्म तो मनुष्य को पूर्णबृह्म वर्थ की तरफ भुकाता है इसलिये बहुपत्नीत्व और बहुपितत्व के स्थान में एक पतित्व, और एक पत्नीत्व को अच्छा समभाता है और जिसका प्रचार अधिक सम्भव हो उसी पर अधिक ज़ार देता है। इतना ही नहीं, एक पत्नीत्व के बाद भी वह संभोग की राकथाम करता है। जैसे पर्व के दिन में विषय सेवन मत करों ! अहतुम्नान दिवस के सिवाय अन्य दिवसों में मत करों! आदि।

मुनियों के लिये जैसा ब्रह्मचर्य है आर्थिकाओं के लिये भी वैसा है। ब्रह्मचारियों के लिये जैसा है, ब्रह्मचारिएयों के लिये जैसा है, ब्रह्मचारिएयों के लिये भी वैसा है। बाक़ी पुरुषों के लिये जैसा है, बाक़ी स्त्रियों के लिये भी वैसा है। सामियक परिस्थित के अनुसार पुरुषों और स्त्रियों ने जिस प्रकार पालन किया आचार्यों ने उसी प्रकार उसका उल्लेख किया। आचार्य नो बहुपत्नीत्व और बहुपतित्व दोनों नहीं चाहते थे। ये नो पूर्णब्रह्मचर्य के पोषक थे। अगर वह न हो सके तो एकपित्व और एकपत्नीत्व चाहते थे। ज़बरद्दनी से हो या और किसी तरह से हो, स्त्रियों में बहुपतित्व की प्रधा जब नहीं थी तब वे उसका उल्लेख करके पीछे खिसकने का मार्ग क्यों बतलाते? पिछले

ज़माने में जब विधवाविवाद की प्रधा न गही या कम हो गई तब इस प्रधा का उल्लेख भी न किया गया। यदि इसी तरह बहुपत्नीत्व की प्रधा नष्ट हो जानी तो द्राचार्य इस प्रधा का भी उल्लेख न करने। माध्यम जितना ऊँचा होजाय उतना ही श्रच्छा है। श्रगर पिरिधितियों ने स्त्रियों का बृह्मचर्यविपयक माध्यम पुरुषों से ऊँचा कर दिया था तो इससे स्त्रियों के श्रिधकार नहीं जिन जाते। कम से कम धर्म तो उनके श्रिधिकारों में बाधा नहीं डालता। पुरुष समाज का माध्यम तो स्त्री समाज से नीचा है। इसलिये पुरुषों को तो स्त्रियों से कुछ कहने का श्रिधकार ही नहीं है। श्रव यहाँ एक प्रश्न यह खड़ा होता है कि विधवाविवाद का प्रचार करके स्त्रियों का वर्तमान माध्यम क्यों गिराया जाता है? इसके कारण निम्नलखित है।

- (१) यह माध्यम क्त्रियों के अपर ज़बरदस्ती लादा गया है, श्रोर लादन वाले पुरुष हैं जो कि इस दृष्टि में बहुत गिरं हुए हैं। इसलिये यह त्याग का पिन्चायक नहीं किन्तु दासता का परिचायक है। इसलिये जब तक पुरुष समाज इस माध्यम पर चलने को तैयार नहीं है तब तक स्त्रियों से ज़बर्द्स्ती इस माध्यम का पलवाना श्रम्याय है, श्रोर श्रम्याय का नाश करना धर्म है।
- (२) माध्यम वही रखना चाहिये जिसका पालन सङ्कलियत के साथ हो सके। प्रतिदिन होने वाली भ्रुणहत्याएँ भीर प्रति समय होने वाले गुप्त व्यभिचार आदि से पता लगता है कि स्त्रियाँ इस माध्यम में नहीं रह सकतीं।
- (२) आर्थिक कष्ट, घोग अपमान, तथा अन्य अतेक आपत्तियों से वैधव्य जीवन में धर्मध्यान के बदले आर्तध्यान की ही प्रचुरता है।
 - (४) स्त्री और पुरुष के माध्यम में इतनी विषमता है

कि पुरुषसमात का श्रीर स्त्रीसमात का श्रधःपतन हो रहा है। इस समय दोनों का माध्यम समान होना चाहिये। इसके सिये पुरुषों को बहुपरनीत्व की प्रधा का त्याग करने की श्रीर स्त्रियों का विश्वविवाह की जरूरन है।

- (५) जनसंख्या की दृष्टि सं समाज का माध्यम द्वानि-कारी है। भारनवर्ष में स्त्रियों की संख्या कम है, पुरुषों में बहुविवाद होता है, फिर फ़ीसदी १७ स्त्रियाँ श्रसमय में विधवा हो जाती है, इसलियं श्रनेक पुरुषों को, बिना स्त्रो के रहना पड़ता है। उनमें से श्रिधकांश कुमार्गगामी हो जाते हैं। श्रगर विधवाविवाद का प्रचार हो तो यह कमी पूरी हो सकती हैं तथा श्रनेक कुटुम्बों का सर्वनाश द्वाने से भी बचाव हो सकता है।
- (६) बहुपितत्व और बहुपत्नीत्व की प्रधा, सीमित होने पर इतनी विस्तृत है कि उसमें विषय वासनायों का तारहव हो सकता है। सामृहिक क्पमें इसका। पालन हो नहीं हो सकता इसिलिये ये दोनों प्रधाएँ त्याज्य है। किन्तु अपितत्व और अपत्तीत्व की प्रधा इतनी संकुचित है कि मनुष्य उसमें पैर भी नहीं पसार सकता। और सामृहिक क्पमें इसका पालन भी नहीं हो सकता। इसिलिये कुमार और कुमारियों का विवाह कर दिया जाता है। अपितत्व की प्रधा से जिस प्रकार कुमारियों की हाने हो सकतो है वही हानि विध्वायों को हा रही है इसिलिये उनके लिये भी कुमारियों के समान एकपितत्व प्रधा की आवश्यकता है।

जब कि बहुपरनीस्व और बहुपितस्व नक ब्रह्मचर्याणुवृत की सीमा हे तब एक पितस्वक्षप विधवाविवाह की प्रथा, न तो अणुवनकी विरोधिनी होस्पकती है और न आचार्यों की आक्षा-औकी आक्षाके प्रतिकृत्व हो सकती है। यहाँ पाठक विधवा- विवाह को बहुपितिस्व की प्रधा न समर्से । एक साथ अनेक पतियों का रखना बहुपितस्व है । एक की मृत्यु दो जाने पर दुसरा पित रखना एक पितस्व ही है क्योंकि इसमें एक साथ बहुपित नहीं होते।

पाठक इस लम्बे विवेचन से ऊब तो गय होंगे, परन्तु इसमें "विध्वविवाह की श्राक्षा कीन दं?". "पुराणों में बहु-विवाह का उल्लेख पाया जाता है" श्रादि श्राचेपों का पूरा समाधान हो जाता है। शास्त्रोंके कथन की श्रनेकान्त्रता मालुम हो जाती है। साथ ही ब्रह्मचर्याणुवन का रहस्य मालुम हो जाता है। श्राचेपकने पच्चपात के इल्ज़ाम को पश्चता श्रीर दमनीय श्रविचारता लिखा है। खेर, जैनधर्म तो इतना उदार है कि उसपर बिना इल्ज़ाम लगाये विध्वविवाह का समर्थन हो जाता है। परन्तु जो लोग जैनशास्त्रों को विध्वविवाह का विशेषी समस्त्रते है या जैनशास्त्रों के नाम पर बने हुए. जैनधर्म के विद्यह कुछ श्रन्थों को जैनशास्त्र समस्त्रते है उनसे इम दो दो बातें हम श्रपनी तरफ स नहीं, किन्तु उनके वकील की ईसियन से कहते है जिनको श्राचेपकने पशु बतलाया है।

श्रादोपक का कहना है कि "न्याय श्रोर लिखान्तकी रचनाएँ गुरु परम्परा से हैं". परम्तु उनमें स्वकृत्पित विचारों का सम्मिश्रण नहीं हुआ, यह नहीं कहा जा सकता। माणिक्यनंदि श्रादि श्राचारोंने प्रमाण को श्रपूर्वार्थश्राही माना है श्रीर धारावाहिक ज्ञानको श्रप्रमाण। परन्तु श्राचार्य विद्यानन्दीन गृहीतम्मिश्रीतं चा स्वार्थ यदि व्यवस्थित, तत्र लोके न शास्त्रेषु विज्ञानि प्रमाणताम्-कहकर धारावाहिक को श्रप्रमाण नहीं माना है। ऐसा ही श्रकलङ्कदेवने लिखा है (देखा श्लोकवार्तिक लिखा है । एसा ही श्रकलङ्कदेवने लिखा है (देखा श्लोकवार्तिक लिखा है स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ

अन्धेर है। रविषेण कहते हैं कि सीता जनक की पुत्री थी। रामको बनवास मिला था। वे श्रयोध्या में रहते थे। गुणभद्र कहते हैं सीता रावण की पृत्री थी। राम को बनवास नहीं मिला था। वे बनारस में रहते थे। दोनों कथानकों के म्थल सदम श्रंशोमें पूर्व पश्चिम कः सा फरक है। क्या यह गुरुपर-म्परा का फल है ? कोई लेखक कहना है कि मैं भगवान महा-बीर का ही उपदेश कहता हैं तो क्या इसीस गुरुपरम्परा सिद्ध होगई ? यदि गुरुपरम्परा सुरत्तित रही तो कथानकों में इतना भेद क्यों ? श्रावकों के मृतगुण कई तरह के क्यों ? क्या इस से यह नहीं मालूम होता है कि अनेक लंखकोंने द्वव्य दोत्र का लादि की दृष्टिसं अनेक तरह का कथन किया है। अनेकों ने जैनधर्म विरुद्ध श्रनेक लोकाचारी को जिनवाणी के नाम सं लिख मारा है: जैसे सामसेन आदि भट्टारकोंने यानिएजा आदि की घुणित बातें लिखी है । इसीलियं तो मोच्चमार्गप्रकाश में लिखा है कि "कोऊ सत्यार्थ पदनिके समृहक्ष्य जैन शास्त्रनि विषे श्रमत्यार्थपद मिलावै परन्तु जिन शास्त्र के पदनिविषे ता कषाय मिटावने का वा लोकिक कार्य घटावने का प्रयोजन है। श्रीर उस पापी ने जो श्रमत्यार्थ पद मिलाये हैं तिनि विषे कषाय पोषने का वा सौकिक कार्य साधने का प्रयोजन है। पेसे प्रयो-जन मिलता नाहीं, तातें परीचा करि ज्ञानी दिगावते भी नाहीं. कोई मर्ख होय सोही जैन शास्त्र नाम कि ठिगावें हैं।" कहिये । आगर गुरु परम्परा में ऐसा कचरा या विप न मिल गया होता तो क्यों लिखा जाता कि मूर्ख ही जैन शास्त्र के नाम से उगाये जाते हैं। तात्पर्य यह है कि गुरु परम्परा कं नाम पर बैठे ग्हना मुखता है। जैनी को तो कोई शास्त्र तभी प्रमाण मानना चाहिये जब वह जैन सिद्धान्त सं मिलान खाता है। अगर बह मिलान न खाबे तो श्रुत-

केवली के नाम से ही क्यों न लिखा गया हो, उसे कचरे में डाल दंना चाहिये। धृतीं की धृर्नता का छिपाना घोर मिथ्यात्व का प्रचार करना है। जैन सिद्धान्तों के विरुद्ध जाने पर भी ऐसे शास्त्रों का मानना घार मिथ्यात्त्री बनजाना है। गुरु परम्परा है कहाँ ? इवेताम्बर कहने है कि हमारे सुत्र भगवान् महाबीर क कहे हुए है। दिगम्बर कहते हैं कि कुन्दः कुन्द में लेकर भट्टारकों श्रीर श्रन्य श्रनेक पौगापन्थियों तक के बनाये हुए ग्रन्थ बीरसगवान की बाणी हैं। अब कहिये! किसकी गरु परम्परा ठीक हैं ? यों तो सभी अपने बाप के गीत गाते है परस्तु इतने से ही सत्यासत्य का निर्णय नहीं हो जाता। यहाँ तो गरुपरस्परा के नाम पर मक्खी हाँकते बैठा न रहना पड़ेगा। समस्त साहित्य की साज्ञी लेकर श्रपनी बुद्धि से जैनधमें के मृत लिखान्त खोजने पड़ेंगे श्रीर उन्हा सिद्धान्तों का कसीटी बनाकर स्वर्ण और पीतल की परीचा करना पहेगी, श्रीर धुनौ नथा पत्तपानियों का भगडाफोड करना पड़ेगा। यह कहना कि "प्राचीन लेखकी में पच्चपाती धर्न नहीं इप विस्तकुल धोखेबाज़ी या श्रज्ञानता है। माना कि बहुत से लेखकों ने श्रापेद्यिक कथन किया है जैसाकि इसी प्रकरण में ऊपर कहा जा चुका है परन्तु थोड़े बहुत निरे पत्त-पाती, उत्सृत्रवादी भ्रोर कुलजानि सद के प्रचारक घोर मिध्यान्त्री भी इत् हैं। अगर किसी लेखक ने यह लिखा हो कि "पुरुष तो एक साथ हजारों स्त्रियाँ रखने पर भी आगु-वती है परन्तु स्त्री, एक पति के मर जाने पर भी दूसरा पति रम्ब ना घार व्यक्तिचारिणी है उसका पुनर्विवाह का श्रधिकार ही नहीं है" तो क्या पत्तवात न कहलायगा ? पत्तवात के क्या सीग होते हैं ? यह पुरुषत्व की उन्मत्तना का तांडव नहीं तो क्या है ? पुरुषों ने शद्र पुरुषों को भी कुचला है: इससे नो सिर्फ़ यही सिद्ध होता है कि उनमें पुरुषत्व की उन्मत्तता के साथ द्विज्ञत्व की उन्मत्तता भी थी। "उनने पुरुषों को भी कुचला, इसलिये स्त्रियों को नहीं कुचला" यह नहीं कहा जासकता । मुमलमान श्रापम में भी लड़ते हैं, क्या इसलिये उनका दिन्दुओं से न लड़ना सिद्ध हो जाता है? कहा जाता है कि ''उनने दूराचारी द्विजों की भी तो निन्दा की है, इसक्रिये वे सिर्फुट्राचार के ही निन्दक हैं"। यदि ऐसा है तो दुग-चारी शुद्रों की और दुराचारिसी स्त्रियों की ही निन्दा करना चाहिये।स्त्रीमात्र को श्रीर शुद्र मात्र को नीचा क्यों दिखाया जाता है ? स्रमंरिका में श्रपराधी लोग दगड पाते है सीर बहुत से हब्शी नाममात्र के श्रवराध पर इसलिये जला दिये जाते हैं कि वे हब्शी है, तो क्या यह उचित है ? श्रपराधियों को दराइ देने से क्या निरंपराधियों को सताना जायज हो जाता है ? प्राचीन लेखकों ने अगर दुराचारियों को कुचला है तो सिर्फ इसीलिय उनका शृद्धों को श्रीर स्त्रियों को कुच-लना जायज नहीं कहला सकता।

यह पत्तपात पिशाच, उस समय बिलकुल नगा हो जाता है जब दुगचारी द्विज के अधिकार, सदाचारी शुद्र और सदाचारिणी महिला स उथादा समके जाते हैं। दुग-चारी द्विज अगर जीते बालकोंको मार मारकर खाजाय तो भी उसके मुनि बनने का और मोद्या जाने का अधिकार नहीं जिनता (देखा पद्मपुराण सोदास की कथा)। परन्तु शुद्र कितना भी सदाचारी क्यों न हो, उसका आत्मविकास कितना ही क्यों न हो गया हो वह मुनि भी नहीं बन सकता। भूठा, चोट्टा, ज्यभिचारी और लुखा द्विज अगर भगवान की पूजा करे तो कोई हानि नहीं. परन्तु शुद्र आरम्भत्यागी या उद्दिष्ट त्यागी ही क्यों न हो, वह जिन पूजा करने का अधिकारी

नहीं। क्या सदाचार या चारित्र की यही प्रशसा है? क्या इसी का नाम नि पचता है? म्त्री हो या शुद्र हो। प्रत्येक जीव को ऊंचा से ऊँचा धर्म पालने का अधिकार है। जो उनके अधिकारों को छीनते हैं वे सिर्फ़ पचपानी ही नहीं डाकू हैं। मनुष्य ज्ञानि के दुश्मन हैं। वे चाहे पूर्व पुरुषों के वंप में हा, चाहे आचार्य के वंप में हों, चाहे और किसी रंग में रगे हों, उनका नाम सिर्फ़ उनके नाम पर शूकने के लिये ही लेगा चाहिये।

पाठक देखें कि पत्तपान का दोप लगाना सन्य है या नहीं ! हमें यह वकालन इसलिये करनी पड़ी है कि अप्त बुद्धि और विधेक से काम लेने वालों की अध्यम पशु कहा जाना है। कीन अध्यम पशु हैं, इसका निर्णय पाठक ही करेंगे।

नवमा प्रश्न ।

"विवाह के बिना, कामलालसा के कारण जो सक्कोश परिणाम होते है, उन में विवाह होने से कुछ न्यूनता आती है या नहीं ?" इस प्रश्न के उत्तर में हमने कहा था कि संक्कोश परिणामों को कम करने के लिये विवाह किया जाता है और इस में बड़ी भारी सफलना मिलती है। हमने सागारधम्मों-मृत और पुरुषार्थसिद्धयुपाय के खोकोंसे अपने पत्त का सम-धन किया था। आत्रेषक कई जगह नो हमारे भाव को समभ नहीं पाय और बाक़ी जगह उन से उत्तर नहीं बन पड़ा।

न्नाक्षेप (क)—जब वृह्यचर्याश्रम पूर्ण कर युवा १६ वर्ष का होता है तब पितादि उस का विवाह करते हैं। ऐसी अवस्था में न किसी के विवाहक बिना संक्रोश परिणाम होते हैं न कुछ होता है। (श्रीलाल)

समाधान--कामलालसा रूप संक्रेशके बिना किसी का

विवाह करना राजवार्त्तिक के लत्त्रण के श्रनुसार विवाह ही नहीं कहला सकता। जैसे उबर न होने पर उबर की श्रीषधि देना हानिकारक है, उसी प्रकार काम वासनाक बिना उसका विवाह कर देना हानिकारक है। उस से तो नवीन काम उबर पैदा हो जायगा। ख़र, श्रगर १६ वर्ष के युवा में काम वासना नहीं है तो क्या २०—३० वर्ष के उस विधुर में भी नहीं है, जो विवाह के लिये श्रपनी सारी शिक्त लगा रहा है ? विवाह के होजाने पर वह थांड़ी बहुत निश्चिन्तता का श्रनुभव करता है या नहीं? वही निश्चिन्तता तो संक्लेश परिणामों में न्यूनता होती है उस प्रकार विधुरविवाह से मंक्लेश परिणामों में न्यूनता होती है उस प्रकार विध्वाविवाह से भो संक्लेश परिणामों में न्यूनता होती है उस प्रकार विध्वाविवाह से भो संक्लेश परिणामों में न्यूनता होती है, इसलिये विध्वाविवाह से भी विधेय है।

आश्लेष (स्व)—जिन पुरुषों के सर्वधा विवाह होने की आशा नहीं है, उन का काम नष्ट जैसा होजाता है। उन की इच्छा भी नहीं होती। जैसे किसी ने आलू जाना छोड़ दिया तो उसका मन आलु में पर नहीं चलता। गित्रमें जलत्यागियाँ को प्यास नहीं लगती। पुनः पुनः काम न सेवन करने से काम नष्ट हो जाता है। जिस विध्वा का पुरुष सङ्ग की आशा नहीं होती, उसका मन विकृत नहीं होता।

समाधान—आचेप क्या है, पागल के प्रलाप हैं। नपु-सक को विवाद और कामभोगकी आशा तो नहीं होती परन्तु उसकी कामवेदना को शास्त्रकारों ने सब से अधिक तीब बतलाया है। यदि साधन न मिलने से बृह्मचर्य होने लगता तो विधुर और विधवाओं में व्यक्तिचार क्या होता ? आलू छोड़ देना एक बात है और आलू न मिलना दूसरी बात है। बृह्म-चर्य एक बात है और दुर्भाग्यवश विधवा या विधुर हो जाना दूसरी बात है। रात्रि में जलत्यागियों को प्यास नहीं सगती, इसका कारण यह है कि वे संध्या को ही लोटे दो लोटे पानी गटक जाया करने हैं। स्वेर ! विधवा होने से जिनकी काम-वासना नष्ट हो जावे उनसे विवाह का श्रमुराध नहीं किया जाता परन्तु जो कामवासना पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती है उन्हें श्रवश्य ही विवाह कर लेना चाहिये।

श्रा स्ंप् (ग)—काम शान्ति को विवाह का मुख्य उद्दे-श्य बताना मूर्जता है। शुद्ध सन्तानोत्पत्ति व गृहस्थ धर्म का दानादिकार्य यही मुख्य उद्देश्य है। अत्यव काम गौण है, मुख्य धर्म ही है। (श्रीलाल)

समाधान— आहोपक यहाँ इतना पागल होगया है कि उसे काम में और कामबासना की निवृत्ति में कुछ अन्तर ही नहीं माल्म होता। हमने कामबासना की निवृत्ति को मुख्य-फल कहा है न कि काम को। और कामबासना की निवृत्ति को धर्मस्य कहा है। धर्म अगर मुख्य फल है तो कामबासना की निवृत्तिको धर्मस्य कहा है। धर्म अगर मुख्य फल है तो कामबासना की निवृत्ति ही मुख्य फल कहलायी। इसमें विरोध क्या है? पुत्रात्पत्ति आदि को मुख्यफल कहने के पहिले आसेपक अगर हमारे इन शब्दों पर ध्यान देता तो उसे इस तरह निर्मल यनाय न करना पडता—

"मान लीजिये कि किसी मनुष्य में मुनिवृत धारण करने को पूर्ण योग्यना हैं। ऐसी हालत में अगर वह किसी आचार्य के पास जावे नो वे उसे मुनि बनने की सलाह देंगे या आवक बन कर पुत्रोत्पत्ति की सलाह देंगे"?

यह कह कर हमने श्रमृतचन्द्र श्राचार्य के तीन एलांक उद्भृत करके बतलाया था कि ऐसी श्रवस्था में श्राचार्य मुनि बूत का ही उपदेश देंगे । मुनियत धारण करने से बच्चे पैदा नहीं हो सकते, परन्तु कामलालसा की पूर्ण निवृत्ति होती हैं। इससे मालुम होता है कि जैनधर्म बच्चे पैदा करने पर जोर नहीं देता, किन्तु कामलालसा की निवृत्ति पर ज़ार देता है। पूर्ण निवृत्ति में असमर्थ होने पर श्रांशिक निवृत्ति के लियं विवाह है। उससे सन्तान श्रादि की भी पूर्ति हो जाती है। परन्तु मुख्य उद्देश्य तो कामवासना की निवृत्ति ही रहा। अमृतस्बंद्र के पद्योंने यह विषय बिलकुल म्पष्ट कर दिया है। फिर भी श्राह्मेपक को पद्यों की उपयोगिना समक्ष में नहीं श्राती। ठीक है, समक्षने की श्रक्त भी तो चाहिये।

आक्षेष (च)—विवाहको गृहस्थाश्रमका मूल कहकर धर्म, अर्थ, काम रूप तो नियत कर दिया, परन्तु इससे आप हाथ थप्पड़ खाली। जब काम गृहस्थाश्रम रूप है तब उस की शान्ति क्यों ? काम शन्ति स तो गृहस्थाश्रम उड़ता है। काम तिवृत्तिको धर्म और प्रवृत्ति को काम कहना कैसा ? एक विषय में यह करूपना क्या ? और अर्थ इस का साधक क्या ? फल तो विवाह के तीन हैं, उलटा अर्थ साधक क्यों पड़ा ? साध्य को साधक बनादिया ? (श्रीलाल)

ममाधान—यहाँ तो आदोपक विलकुल हक्कावक्का हो गया है। इसलिये हमारे न कहने पर भी उसने काम को गृह-स्थाश्रमक्य समझ लिया है। काम की पूर्णक्ष से शानित हो जाय ता गृहस्थाश्रम उड़ जायगा और मुनिश्चाश्रम आजायगा। अगर काम की निवृत्ति ज़रा भी न हो तो भी गृहस्थाश्रम उड़ जायगा, क्योंकि ऐसी हालत में वहाँ व्यभिचारादि दोषों का दौरदौरा हो जायगा। श्रगर काम की श्रांशिक निवृत्ति हो श्रथांत् परदार विषयक काम की निवृत्तिक्षप स्वदार सन्तोष हो तो गृहस्थाश्रम बना रहता है। आज पक ऐसा जड़बुद्धि श्र

[%] स्रात्तेपकने ऐसे ही कटुक और एक वचनात्मक शब्दों का जहाँ तहाँ प्रयोग किया है: इसलिये हमें भी "शठम् प्रति

है कि वह अभी तक यह नहीं समक्ष पाया है कि कामवासना की आंशिक निवृत्तिका मनलब स्वदारसन्तोष या स्वपितसन्तोष है। जो लोग स्वदारसन्तोष को विवाह का मुख्य फल नहीं मानते वे जैनधर्म से बिलकुल अनिमक्ष निरं बुद्ध हैं। बेचारा श्रीलाख, काम निवृत्ति अर्थान् परदार निवृत्ति या परपुरुष-निवृत्तिको धर्म, और स्वदारप्रवृत्तिको काम कहनेमें चिकिन होता है। वाहरे श्रीलाल के पारिडत्य! गृहस्थाश्रम, धर्म अर्थ काम तीनों का साधक है, परन्तु उन तीनों में भी परस्पर साध्य साधकता हो सकती है। जैसे—धर्म, श्रथं काम का साधक है, इर्थ, कामका साधक है आदि। वेर, हमारा कहना इतना ही है कि कुमारी विवाह के जो जो फल हैं वे सब विधवा विवाहसे भी मिलते है; इसिलये विधवाविवाह भी विधेय है।

आक्षेप (इ.)—जो पुरुष विषयों को न छोड़ सके वह गृहस्थाधर्म धारण करे। यहाँ विषय शब्द से केवल काम को ही सुभी! (धीलाल)

समाधान—विषय तो पाँचों इन्द्रियों के होते हैं, परन्तु उन सब में यह प्रधान है। क्योंकि इसका जीतना सबसे अधिक कठिन है। जिसने काम को जीत लिया उसे अन्य विषयों को जीतने में कठिनाई नहीं पड़ती। इसलिये काम की मर्थादा करने वाला एक स्वतन्त्र अणुवत कहा गया है। अन्य भागोपभोग सामित्रयों के वत को तो गुणवत या शिचावत में डाल दिया है। उसका सातिचार पालन करते हुए भी दूती रह सकता है, परन्तु बृह्मचर्याणुवत में अतिचार लगने से वृत प्रतिमा नष्ट हो जाती है। क्या इससे सब विषयों में काम विषय की प्रधानता नहीं माल्म होती? प्रस्थकारों ने इस शास्त्रमाचरेत् "इस नीति के अनुसार ऐसा ही प्रयोग करना पड़ा है।

—सब्यसाची।

प्रधानना का स्पष्ट उल्लेख किया है 'विषयान-इएकामिन्या-दीन्'—सागारधर्मामृत टीका। क्या इससे काम की प्रधानता नहीं मालम होती ? विवाह के प्रकरण में तो यह प्रधानता श्रीर भी श्रधिक माननीय है, क्योंकि काम विषय को सीमित करने (श्रांशिक निवृत्ति) के सिये ही विवाह की आवश्यकता है। रसनेन्द्रिय ब्राग्रेन्द्रिय ब्रादि के निषयों को सीमित करने के लिये विवाह की जरूरत नहीं है। विवाह के बिना अन्य इन्द्रियाँ उच्छ जल नहीं होतीं, सिर्फ यही इन्द्रिय उच्छ जल होती है। इसलिये सागारधर्मामृत टीका में परविवाहकरण नाम के श्रतिचार की ब्याख्या में पत्र पत्री के विवाह की श्राव श्यकता बतलाते हुए कहा है कि 'यदि स्वकन्याविवाहो न कार्यते तदा स्वच्छन्दचारिणो स्यान् ततश्च कुलसमयलोकः विरोधः स्यात् विहिनविवाहात् पनिनियनस्त्रीत्वेन न तथा स्यात् । एष न्यायः पुत्रे ऽपि विकल्पनीयः' स्रर्थात् 'श्रगर अपनो पुत्री का विवाह न किया जायमा ता वह स्वच्छन्द्चारिणो हो जायगी, परन्तु विवाह कर देने से यह एक पति में नियत हो जायगी। इसलिये स्वच्छन्दचारिणी न होगी। यही बात पुत्र के लिये भी समक्त लेना चाहिये अर्थात विवाह से वह म्वच्छन्दचारों न होगा'। यहाँ पुत्र पुत्री के लिये जो बात कही गई है वह विभवा पुत्रीके लिये भी लागू है। श्राचेषक में श्रगर थोड़ी भी अक्ल होगी ता वह इन प्रमाणी सं समभ संबंगा कि विवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है, श्रीर वह विधवाविवाह संभी पूर्ण इत्यमें सिद्ध होता है। सागार-धर्मामृत के इस उल्लेख से श्राक्षेप नम्बर 'क' का भी समाधान होता है।

आक्षेप (च)—समाज की श्रपेत्ता से सन्तानोत्पत्ति को मुख्य बतलाना भूल है। समाज में १—२ लड़के न हुए न सही, परन्तु विवाह वाले के न हुए तो उसका नो घर ही चौपट है।

समाधान-न्याग के गीत गाने वाली की यहाँ पोल खुल गई। उनके ढोंगों का भगड।फोड होगया। श्ररे भाई! घर, गृहिणी को कहते हैं गृहं हि गृहिणीमाइ:--मागारधर्मामृत। लडका न हाने से न गृहिणी भरेगी, न गृही भरेगा, न दोनों के ब्रह्मचर्यास्त्रत में वाधा आयगी, न महावत धारस करने का श्रिधिकार छिन जायगा। मनुष्य जीवन के जो वास्तविक उद्देश्य हें उनका एक भी साधन नष्ट न होगा। क्या इसी का नाम चौपट हो जाना है ? बनाबटी धर्म के बेप में रंगे हुए ढोंगियों ! क्या यही तुम्हारा जीवन सर्वस्व है ? हाँ, सन्तान के न होने से समाज की हानि है, क्यों कि समाज माचा नहीं जाती न मृनि बनती है। श्रगर वह मृनि बन जाय तो नए हो जाय। एक एक दो दा मिलकर ही नो समाज है। सन्नान के श्रभाव में समाज नए हो। सकती है, परन्तु सन्तान क श्रमाव में व्यक्ति ना मान्न नक जासकता है। अब समस्रो कि सन्तान किसके लिये मुख्य फल कहलाया ? क्या इतने म्पष्ट प्रमाणी के रहते हुए भी तुम्हारा मुख्य गील का प्रश्न बना हुआ है ?

त्राक्षेप (छ)—कुमारी श्रोर विश्ववा को स्त्री समान समभक्तर समान कर्त्तव्य बनलाना भूल है। माना बहिन वधू सभी स्त्री है, परन्तु बहिन माना श्रभोज्य है, वधू भाज्य है।

(श्रीलाल)

स्माधान-भोजय-भोजक सम्बन्ध की नीच और बर्बर कल्पनाका हम समाधानकर चुके हैं। जो हमारी बहिन है वह हमारे बहिनंड की बहिन नहीं है। जो हमारी माता है वह हमारे पिता की माना नहीं है। हमारी वधू दूसरे की वधू नहीं है। इसिलिये यह भोज्याभोज्यना आपेक्तिक है। सर्वधा

श्रभोज्यना किसी में नहीं है। बहिन माता ग्रादि ये नातेदारी के शब्द हैं, इसलिये नातेदारी को श्रपेत्ता से इनकी भोज्याओं। ज्यता की कल्पना की है। कुमारी और विधवा ये अवस्था-विशेष के शब्द हैं, इसलिये इनकी मोज्याभीज्यता अवस्था के ऊपर निर्भर है। जबनक कुमारी या विधवा हैं तब नक अभोज्य है जब उस कमारी या विश्ववा का विवाह हो जायगा तब वह भोज्य होजायंगी। भोज्य तो वधू हैं, फिर भले ही वह कुमारी रही हो या विधवा । मातृत्व श्रीर भगनीत्व सम्बन्ध जन्म सं मरण तक स्थायी है। कोमार्य और वैधव्य ऐसे सम्बन्ध नहीं है। उनको बदलकर बध्र का सम्यन्ध्र म्थापित किया जाता है। स्त्री होने से ही कोई भोज्य नहीं होजाती, बधू होने से भोज्य होती है। मातृत्व, भगनीत्व अमिट है, कीमार्य और वैधव्य श्रमिट नहीं हैं। इसलियं माता श्रीर भगिनी के साथ विवाह नहीं किया जासकता किन्त कुमारी या विश्ववा के साथ किया जासकता है। श्राचीपक के शाचीप की श्रगर हम विध्र-विवाह के निषेध के लिये लगावें तो आ दोपक क्या उत्तर दंगा ? देखिये – ब्राह्में प – "कुमार श्रीर विधुर को पुरुष समान समभकर समान करींच्य बनलाना भूल हैं। पिता, भाई, पति सभी पुरुष हैं, परन्तु भाई और पिता अभोज्य है, पति भोज्य है"। श्राक्षेपक के पास इसका क्या उत्तर है ? वही उत्तर उसे विधवाशों के लिये लगा लेगा चाहिये।

आक्षेप (अ)—विधवाविवाह के पत्तपाती भी अपने धर की विधवाओं के नाम पर मुँह सकोड़ लेते हैं।

समाध।न — यह कोई आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक विधवा का विवाह ज़रूर करना चाहिये। अगर कोई विधवा विवाह नहीं करना चाहती तो सुधारक का यह कर्तब्य नहीं है कि वह ज़बदेस्ती विवाह करने का रिवाज तो नादिरशाह के अवतार स्थितिपालकों के घर में होता है।

श्रगर वास्तव में किसी सुधारक में श्रपने घर में श्राव-इयक होने पर भी विध्वविवाह को कार्यक्रप में परिस्त करने की शक्ति नहीं है तो उसकी यह कमज़ोरी है। वह नैष्ठिक सुधा-रक नहीं हैं, सिर्फ़ पाद्मिक सुधारक है। जिस प्रकार पाद्मिक श्रावकों के होने से नैष्ठिक श्रावकों का श्रमाव नहीं कहा जा सकता श्रीर न ये निद्दनीय हो सकते हैं, उसी तरह पाद्मिक सुधारकों के होने से नैष्ठिक सुधारकों का श्रमाव नहीं कहा जासकता श्रीर न उनकी निदा की जासकती है।

त्राचिए (क)—विधवाविवाह यूरुपियनी एवं मोहमडनीं (मुसलमानीं) में भी श्रनिवार्य नहीं है, क्योंकि यह नीच प्रधा हैं। (श्रीलाल)

समाधान—याराप में तो कुमारी और कुमारों का विवाह भी अनिवार्य नहीं हैं। फ्रॉल में तो इस कीमार्य का रिवाज इतना बढ़ गया हैं कि वहाँ जनसंख्या घर रही हैं। दूसरे देशों में भी कीमार्य का काफ़ी रिवाज हैं। इसिलये विवाह भी एक नीच प्रधा कहलाई। आलेपक को अभी कुछ मालूम ही नहीं हैं। विश्ववाविवाह अनिवार्य न होने के कई कारण हैं। एक कारण यह है कि विश्ववा और विश्वर होते होते किसी का आधा जीवन निकल जाता है व किसी का तीन चतुर्थांश या इससे भी ज्यादा जीवन निकल जाता है, ऐसे लोगों को इसकी आवश्यका का कम अनुभव होता है। इसिलये वे लोग विवाह नहीं करते। नीचता के हर से वहाँ विश्ववाविवाह नहीं रुकते। अगर किसो जगह विश्वर विवाह नीच प्रधा नहीं कहलाता और विश्ववाविवाह नीच प्रधा कहलाता हो सिद्ध

होता है कि वहाँ के लोग तीव् मिश्यात्वी, घोर अत्याचारी, महान् पत्तपानी और अत्यन्त मदांघ हैं। इन दुर्गुलों का श्रमुकरण करके जैनियों को ऐसे मदांघ पापी क्यों बनना चाहिये?

त्रात्तेष (त्र)—लॉर्ड घरानी में कृतई विधवाविवाह नहीं होता। विधवाविवाह से उद्य नीच का भेद न रहेगा।

समाधान—लॉर्ड घराने का मतलब श्रीमन्त घराने से है। लॉर्ड कोई जाति नहीं है। साधारण श्रादमी भी श्रीमन्त श्रीर महर्द्धिक बनकर लॉर्ड बन सकते हैं। इन सब में विधवा विवाह होता है। हाँ, साधारण विधवाशों की श्रपेद्धा लॉर्ड घराने की विधवाएँ कुछ कम संख्या में विवाह करानी हैं। यह उद्यता नीचता का प्रश्न नहीं, किन्तु साम्पत्तिक प्रश्न हैं। लॉर्ड घराने की श्रपार सम्पत्ति छोड़ कर विवाह कराना उन्हें उचित नहीं जँचता। जिन्हें जँचता है वे विवाह करा ही लेती हैं। दिल्ला के डेढ़ लाख जैनियों में, श्रार्थसमाजियों में, ब्रह्मसमान जियों में, विधवाविवाह होता है परन्तु वे मंगी चमार नहीं कहलाने।

आक्षेप (ट) — स्रजभान का जीवदया की पुकार मचा-कर विधवाविवाह को कर्तव्य बनलाना अनुचिन है। जीवदया धर्म है, न कि शरीर दया। मन्दिर बनवाना धर्म है और प्याऊ लगवाने से अधर्म है। अगर कोई व्यभिचारिणी काम-भिद्या माँगे तो वह नहीं दी जासकती। जो दया धर्मधृद्धि का कारण है, वही वास्तविक दया है। (श्रीलाल)

समाधान—वेचारा आद्येषक दान के भेदों को भी न समसा। उसे जानना चाहिये कि आत्मगुणों की उन्नति को त्राद्य में लेकर जो दान दिया जाता है वह पात्रदान है, न कि दयादान। दयादान तो शरीर को त्राद्य में लेकर हो दिया जाता है, फिर भले ही उससे धर्म किया जाय या न किया जाय। श्राह्मेपक प्याज लगवाने को श्रथमं कहता है, परन्तु सागारधर्मामृत में प्याज श्रीर सत्र को स्थापित करने का उप-देश दिया गया है —

> "सत्रमध्यतुकम्प्यानां सृजेदनुजिघृत्तया । सत्रमत्रप्रदानस्थानं, ऋषिशब्दात्व्रषां च" ॥

श्रधीन्—दीन प्राणियों के उपकार की इच्छा से सब (भोजनशाला जहाँ ग्रीबों को मुफ्त में भोजन कराया जाता है) श्रीर प्याऊ खालें। दान, गृहस्थों का मुख्य कर्तव्य है। जब श्रास्त्रिक दान के विषय का साधारण ज्ञान भी नहीं रखता तो गृहस्थधमें कैसे निभाना होगा? जो गृहस्थ प्यासों को पानी पिलाने में भी श्रधमें समभता है वह निर्देष तथा करू जीव जैनी कैसे कहला सकता है?

व्यभिचारिणि को कामभिन्ना नहीं दी जासकती, परन्तु श्रान्तेपक के मतानुसार व्यभिचारियों को कामभिन्ना दी जा सकती है, क्योंकि श्रगर द्वितीय विवाह कराने वाली स्त्री व्यभिचारिणी है, तो द्वितीय विवाह कराने वाला पुरुष भी व्यभिचारी है। क्या पुरुष का दूसरा विवाह धर्मबृद्धि का कारण है ? यदि हाँ, तो स्त्री का दूसरा विवाह भी धर्मबृद्धि का कारण है . जिसकी सिद्धि पहिले विस्तार से की जा चुकी है।

जो चार चार स्त्रियों को निगलजाने वाले की तो धर्मा-त्मा समस्ता हो, किन्तु पुनर्विवाह करने वाली स्त्रियों को व्यभिचारिणी कहना हो, उसकी धृष्टनापूर्ण नीचता का कुछ ठिकाना भी है!

आत्रेषक स्वीकार करता है और इम भी कह खुके हैं कि विवाहका लक्ष्य कामशान्ति, स्वदारसन्तोष, स्व-पतिसन्तोष अर्थात् ब्रह्मचर्याणुवत हैं। विवाह कामभित्ता नहीं हैं। क्या आत्तेपक अपनी बहिन बेटियों के विवाह को कामभित्ता समस्ता है? यदि नहीं, तो विधवाओं के विवाह को काम-भित्ता नहीं कह सकते। विधवाओं का विवाह धर्मबृद्धि का कारण है, यह बात हम पहिले सिद्ध कर खुके है।

आचिष (ठ)—विवाह सं कामलालसा घटनी है, इस का एक भी प्रमाण नहीं दिया । विवाह हाने पर भी काम-लालसा नष्ट नहीं हुई, उल्टो बढ़ों है, जैसे रावणादिक की। (विद्यानम्द)

समाधान-श्राबालगोपाल प्रसिद्ध बातको शास्त्र प्रमाणी की जरूरत नहीं हाती। फिर भी प्रमाण चाहिये नो श्राशाधर जी के इन प्रज्यों पर ध्यान दी जिये कि अगर पुत्र पुत्री का विवाह न किया जायगा ता वे स्वच्छन्द्रचारी हो जायँगे (देखां श्राह्मं प 'ङ') । विवाह से श्रगर कुलसमयलोकविरोधी यह स्वच्छन्दाचार घटता हे तो यह क्या कामलालसा का घटना न कहलाया ? विवाह होने पर भी धगर किसी की काम-लालसा नप्र नहीं होती तो इसके लिये हम कह चुके हैं कि उपाय १०० में दम जगह श्रमफल भी होता है। तीर्थें इरों के उपदेश रहने पर भी अगर अभव्य का उद्धार न हो, सूर्य के रहते पर भी श्रगर उल्लूको न दिखे नो इसमें तीर्थंड्रर की या मुर्य की उपयागिना नष्ट नहीं होती है। इसी नग्ह विवाह के हाने पर श्रगर किसी का दूराचार न रुके ता इससे उसकी उपयोगिता का अभाव नहीं कहा जा सकता । आहो एक न यहाँ व्यमिचार दोष दिखलाकर न्यायनभिवता का परिचय दिया है। इस दृष्टि से तां नीर्थंड्स स्रोर सूर्य की उपयांगिता मी व्यमिचरित कहलाई । श्राक्षेपक को जानना चाहिये कि कारण के सद्भाव में कार्य के श्रमाय होने पर व्यक्षित्रार नहीं होता, किन्तु कार्य के सन्द्रावमें कारण के अभाव होने पर व्यभि-

खार होता है। अग्नि कारण हैं: परन्तु उसके होने पर भी श्रगर धुश्राँन निकले तो अग्नि श्रोर धुश्राँका कार्य कारणभाव व्यक्ति-खरित नहीं कहलाता। हमने इसी बातके समर्थन में कहा था कि "चिकित्सा करने पर भी लोग मरते हैं, शास्त्री होने पर भी लोग धर्म नहीं समभते"। इस पर श्राप कहते हैं कि "वह चिकित्सा नहीं, चिकित्साभास है; वह शास्त्री, शास्त्री नहीं है"। बहुत ठीक, हम भी कहते हैं कि जिस विवाह के बाद काम-लालसा शान्त नहीं हुई, किन्तु बढ़ी है, वह विवाह नहीं, विवा हाभास है। वास्तविक विवाह तो कामलालसा को श्रवश्य शांत करेगा। इसलिये विधवाविवाह से भी कामलालसा की शांति होती है।

ग्राह्मेष (ड) - यह काई नियम नहीं कि विवाहके बिना प्रत्येक व्यक्ति को देखकर पापवासना जागृत हो जाय। वासु-पूज्य शकलङ्क त्रादि के विवाह नहीं हुए। क्या सभी ग्रसं-यभी थे?

समाधान—कामलालसा की आंशिक शांति के लिए विवाह एक औषधि हैं। वासुपूज्य आदि ब्रह्मचारी थे। उनमें कामलालसा थी ही नहीं, इसलिय उन्हें विवाह की भी ज़कारत नहीं थी। "अमुक आदमी सक्त बीमार है। अगर उसकी चिकित्सा न होगी तो मरजायगा"—इस के उत्तर में अगर यह कहा जाय कि—वैद्य के पास तो सौ दोसौ आदमी जाते हैं, बाक़ी क्यों नहीं मरजाते? तो क्या यह उत्तर ठीक होगा? अरे भाई! बीमार को औषधि चाहिये, नीरोगको औषधि नहीं चाहिये। इसी तरह कामलालमा वाले मनुष्य को उस की आंशिक शांति के लिए विवाह की आवश्यकता है, न कि ब्रह्मचारी को। इससे एक बात यह भी सिद्ध होती है कि विधाह का मृष्य उद्देश्य लड़के बच्चे नहीं हैं। बालइह्मचारियों के

सन्तान नहीं होती, फिर भी वे विवाह नहीं कराते। क्योंकि उन्होंने विवाह का मुख्य उद्देश्य विवाह के बिना ही पूर्ण कर लिया है। मुख्य उद्देश्य की पूर्ति होने पर गौगा उद्देश्य की पूर्ति के लिये कार्य नहीं किया जाता।

श्राच्चेष (ढ)—कामबासना के शान्त न होने के कारण विधवाविवाहके विरोधी, विधवाविवाहका विरोध नहीं करते, किन्तु उनसे विरोध कराने का कारण है भगवान महाबीर का सागम। साप उत्तर दें। श्रापके प्रमाण हमें जँचे तो हम साप के श्रान्दोलन में श्रापका हाथ बटावेंगे।

समाधान-नवसाँ प्रश्न भगवान के श्रागम के विचार का नहीं था। उसका विचार तो पहिले प्रश्नों में श्रच्छी तरह होगया। इसमें तो यह पूछागया है कि विवाहसे कामलालसा के परिणामों में न्यूनता श्राती है या नहीं ? यदि श्राती है तो विधवाविवाह आवश्यक और उचित है। यदि नहीं आती तो विधवाविवाह अनावश्यक है। इसीलिये हमने युक्ति और शास्त्र प्रमाणों से सिद्ध किया है कि विवाह से संक्रेशना कमती होती है। युक्ति और तर्क के बलपर हमारे श्रान्दोलन में वही शामिल होगा जो सत्यविय होगा, श्रात्मोद्धार का इच्छक होगा, देशसमाज का रचक होगा । सब्यसाची, टकं के गुलामों की पर्वाह नहीं करता। जिस प्रकार प्राचीन सब्य-साची ने कृष्णु का बल पाकर अपने गागडीब धनुष से निकले हुए वाणों से कौरव दल का श्रवसान किया था उसी प्रकार श्राधुनिक सध्यसाची भगवान महाबीर का बल पाकर श्रपंत बान गाराडीव से निकले हुए तर्करूपी वाणों से स्थितिपालक दल का अवसान करेगा।

श्राचोष (ए)—सञ्यसाची महोदय की दृष्टि में ज्यानि-चार को रोकने का उपाय विवाहमार्ग को उड़ाना है। आपको कुछ होश भी है कि श्राप ऊपर क्या कुछ लिख श्राये हैं ? पहिले उसे जलाकर खाक कर डालो तब दूसरी बात कहना।

समाधान-इमने कहा था कि "यदि विवाह होने पर भी किन्हीं लोगों की कामवासना शान्त नहीं होती तो इससे विधवाविवाह का निषेत्र कैसे ही सकता है। फिर तो विवाह मात्रका निषेध होना चाहिये।" पाठक देखें कि हमारा यह बक्तव्य क्या विवाह मार्गको उडाने का है ? हम नो विधवा-विवाह और कुमारी विवाह दोनों के समर्थक हैं। परन्तू जो लांग जिल कारण से विधवाविवाह श्रतावश्यक समभते हैं. उन्हें उसी कारण से कुनारीविवाह भी अनावश्यक मानना पड़ेगा। श्रमली बात तो यह है कि श्रगर किसी जगह विवाह (कमारीविवाह या विश्ववाविवाह) का फल न मिले तो क्या विवाहप्रया उडा देना चाहिये ? हमारा कहना है कि नहीं उड़ाना चाहिये। जब कि श्रांतिपक का कहना है कि उड़ा देना चाहिये, क्योंकि श्रास्त पक्त ने विश्ववाविवाह की प्रधा उड़ा देने के लिये उसकी निष्फलना का जिकर किया है। ऐसी निष्फलता कुमारीविवाह में भी हो सकती है, इसलिये श्राक्षेपक के कथनानुसार वह प्रथा भी उड़ा देने लायक ठहरी।

श्चाक्षेष (त)—श्चादिषुराण, मागारधर्मामृत, पं०मेथावी, पं० उदयनानजी, शीतनप्रसादजी, दयाचन्द गोयलीय श्चादि ने पुत्रीत्पत्ति के लिये ही, विवाह कामभोग का विधान किया है, कामवासना की पूर्ति को कामुकता बनलाया है।

समाधान—कामलालसा की पूर्ति कामुकता अले ही हो परन्तु कामलालसा की निवृत्ति कामुकता नहीं है। स्वस्त्रीरमण् को कामुकता अले ही कहा जाय, परन्तु परस्रोत्याग कामुकता नहीं है। यह कामलालसा की निवृत्ति है। हमने शास्त्रप्रमाणों से सिद्ध कर दिया है कि पूर्ण ब्रह्मवर्ष पालन करने की झस- मर्थना में ही गृहस्थ धर्म श्रङ्गीकार करना चाहिये। श्रमृतचंद्र जी श्रीर श्राशाधरजी के श्लोक हम लिख चुके हैं। फिर भी श्राद्योपक का पूछना है कि प्रमाण बताश्रो ! खेंर, श्रीर भी प्रमाण लीजिये।

सागारधर्मामृत के द्वितीय श्रध्याय का प्रथम इलोक— "त्याज्यानजस्त्र'" श्रादि पहिले ही लिखा जा चुका है। 'यदि कन्या विवाहों न कार्यते' श्रादि उद्धरण श्राह्मेप (ङ) में देखों।

'विषयसुखोपभागेनैव चारित्रमोहोदयोद्गेकस्य शक्य-प्रतीकारत्वात् तद्द्वारेणैव तस्मादवर्त्यात्मानमिव साधर्मिकमपि विषयेभ्यो व्युपरमयेत्। विषयेषु सुखभ्रान्तिकमभ्मिमुखपाकः जाम्। द्वित्वातदुष्योगेन त्वाजयेत्तास्म्यवत्परान्।'

श्रथीत्—चारित्रमोह का जब तीव उद्य होता है तो विषयसुत्व के उपमाग से ही उसका प्रतीकार (निवृत्ति) हो सकता है, इसिलिये उसका उपमाग करके निवृत्त होवे श्रीर दूसरे को निवृत्त करें।

सुख्यान्ति हट।ने का यह वक्तव्य विवाह की श्रावश्यकन्ता के लिये कहा गया है । छीर, श्रीर भी ऐसे प्रमाण दिये जासकते हैं। निवृत्तिमार्गप्रधान जैनधर्ममें निवृत्तिपरक प्रमाणों की कभी नहीं है। यहाँ पर मुख्य बात है समन्वय की, श्रधीत् जब विवाह का उद्देश्य कामलालमा की निवृत्ति श्रधीत् श्रांशिक श्रह्मचर्य है तब पुत्रोत्पत्ति का उज्लेख प्राचीन लेखकों ने क्यों किया ? नासमक्ष लोगों से तो क्या कहा जाय, परन्तु समक्षदार समक्षते हैं कि पुत्रोत्पत्तिका उज्लेख भी कामलालसा की निवृत्ति के लिये है। जैनधर्म प्रथम तो कहता है कि पूर्ण श्रह्मचर्य पालो। श्रगर इतना न हो सके तो विवाह करके श्रांशिक निवृत्ति (परदारनिवृत्ति) करो। परन्तु लस्य तो पूर्ण निवृत्ति है इसलिये धीरे धीरे उसके निवृत्ति श्रंश बढ़ाये जाते

हैं और उसमें कहा जाता है कि तुम्हें सन्तान के लिये ही सम्भोग करना चाहिये। जब उसका यह बात समभ में आजाती है तब वह ऋतुम्नान के दिन ही काम सेवन करता है।
इस तरह प्रति मास २६ दिन उसके ब्रह्मचर्यसं बीतने लगते हैं।
आचार्यों ने परदारितवृत्ति के बाद म्बस्त्रो सम्भोग-तिवृत्ति का
भी यथासाध्य विधान बतलाया है। इसलिये कहा है "सन्तानार्धमृतावंव"। अर्थात् सन्तान के लिये ऋतुकालमें ही सेवन
करें। इससे पाठक समभ गये होंगे कि सन्तान की बात भी
कामलालसा की निवृत्ति का बढ़ाने के लिये है।

श्राचार्यों ने जहां सन्तान के उत्पादन, लालन, पालन श्रादि की बानें लिखी है उसका प्रयोजन यही है कि "जब तुम श्रांशिक प्रवृत्ति श्रोग शांशिक निवृत्ति के मार्ग में श्राये हो तो परांपकार श्रादि गीए उद्दंशों का भी ख्याल रक्खा, क्योंकि ये कामलालसा की निवृत्ति कप मुख्य उद्देश को बढ़ाने वाले है, साथ ही परोंपकार रूप भी हैं।" यदि श्रम्नप्राप्ति का मुख्य उद्देश्य सिद्ध हो गया है तो भी भूमा की प्राप्ति का गीए। उद्दे-श्य भी हो इने योग्य नहीं है।

आक्षेप (थ)— कामलालसा की निवृत्ति तो वेश्यासेवन, परस्रीसेवन से भी हो सकती है, फिर विवाह की आवश्यकता ही क्या ?

समाधान—कामलालसाक जिस श्रंशकी निवृत्ति करना है, वह वेश्यासेवन श्रीर परस्त्रीसेवन ही है। इसी कामलालसा से बचने के लिये तो विवाह होता है। इससे विवाह का लह्य श्रोंशिक ब्रह्मचर्य या स्वदारसन्तोप कैसे सिद्ध हो। सकता है?

इससे पाठक समर्भेगे कि हमारे कथनानुसार विवाह मक्ते के लिये नहीं हैं, परन्तु तीव्र चारित्र मोह के उदय को शांत करने के लिये पैयोषधि के समान कुछ भोग भोगने पडते हैं जैसा कि अमृतचन्द्र श्राचार्य श्रोर श्राशाधरजी ने कहा है, जो कि हम लिख चुके हैं।

स्त्रीपुरुष के श्रधिकार भेद के विषय में कहा जा चुका है। विधवाविवाह को ज़हर श्रादि कहना युक्ति से जीतने पर गालियों पर श्राजाना है।

त्राक्षेप (द)—यदि विवाह से ही कामलालसा की निवृत्ति मानली जाय तो ब्रह्मचर्य छादि बनों की क्या श्रावश्यकता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का भी ना काम की निवृत्ति के लिये उपदेश है?

ममाधान—श्रमी तक श्राप कामलालसा की निवृत्ति की वुरा समभते थे। इसकं समर्थकों को श्रापने पागल, मोही, नित्यनिगोदिया (निगोदिया), श्रश्नानी, रष्टु नोते श्रादि लिख मारा था। यहाँ श्रापने इसे ब्रह्सचर्य का साध्य बना दिया है।

मैंर, कुछ ता ठिकाने पर श्राए। श्रव इतना श्रीर समभ लोजिये कि विवाद, ब्रह्मचर्य श्रणुवत का मुख्य साधक है। इसलिये विवाद श्रीर ब्रह्मचर्यवत के लद्य में काई विरोध नहीं है। ब्रह्मचर्यवत श्रन्तरङ्गसाधक हैं, विवाद वाह्यसाधक, इस लिये कोई निर्धक नहीं है। एक साध्य के श्रनेक साधक हाते है।

ग्राक्षेप (ध)—जिनकी कामलालसा प्रवल हें, वे विना उपदेश कही म्ययमैव इस पथ को पकड़ लेती हैं। फिर आप क्यों अपना श्रहित करते हैं?

समाधान—जिनकी कामलालसा प्रवल है, व सभी स्वय-मेव विधवाविवाह के मार्ग की नहीं पकड़तीं, वे व्यभिचार के मार्ग को पकड़ती है। उसकी निवृत्ति के लिये विधवाविवाह के स्नान्दोलन की ज़करत है। विवाह न किया जावे तो कुमारियाँ भी स्रपना मार्ग दूँढ लेंगी, लेकिन वह व्यभिचार का मार्ग होगा। इसलिये लोग उनका विवाह कर देने हैं। फल यह होता है कि व्यभिचार मार्ग बहुत कुछ रुक जाना है। ठीक यही बान विभवाओं के लिये हैं।

दसवाँ प्रश्न

'क्या विधवा हो जाने से ही आजन्म ब्रह्मचर्य पालन की शक्ति आजाती है ?' इसके उत्तर में इसने कहा था कि 'नहीं'। दुसरे ब्राच्नेपक (विद्यानन्द) ने भी हमारी यह बात म्बीकार करली है परन्त पहिले आचं पक कहते हैं कि यह धृष्टता है। इसका मतलब यह निकला कि संसार में जितनी विधवाएँ हुई हैं व सब व्यक्तिचारिएं। हैं। श्राह्मेपक की इस मूर्खनाके लिये क्याकहा जाय ? प्रत्येक विश्ववाब्रह्मचर्यनहीं पाल सकती है-इमका तो यही अर्थ है कि कोई कोई पाल सकती हैं. जिनके परिणाम विरक्तिरूप हों। इसलिये हमने लिखा था कि यह बात परिणामों के ऊपर निर्भर है। परन्त श्रीलाल. न तां परिणामों की बात समस्ता, न उस वाक्य का मतलव । श्रीलाल यह भी कहता है—'सरागता सं मृनि में भ्रष्टता नहीं त्राती, न पर पुरुष से रमणकप भाव से विधवा भुष्ट होती है। इस अपने शब्दों में इसका उत्तर न देकर श्रासीपक के परम सहयोगी पंज मक्जनताल के वाक्यों में लिखते हैं:--

'सरागता से विश्ववाएँ शीलभूष्ट ज़रूर कहलायँगी। मुनिभी सरागता से भूष्ट माना जाता है।' अब ये दोनों दोस्त श्रापस में निषट लें।

दोनों ही आजो पकों ने एक ही बान पर विशेष ज़ोर दिया है। "विधवाविवाह अधर्म है; उसको कोई तीसरा मार्ग नहीं हैं: विधवा का विवाह नहीं हो सकता, उसे विवाह नहीं, कराव या धरेजा कहते हैं। आप के पास क्या युक्ति प्रमाण है ? आप अपनी इच्छा से ही विधवाविवाह का उपदेश क्यों करते हो ?" श्रादि। इन सब बातों का उत्तर पहिले श्रद्धी नरह दिया जा चुका है। श्रव बारबार उत्तर देने की ज़करत नहीं है।

हाँ, श्रव दो श्राद्मेष रह जाते है जिनका उत्तर देना है। इनमें श्रन्य श्राद्मेषों का भी समावेश हो जाना है।

श्चाक्षेप_(क)—प्रत्येक मनुष्य में नो शराब के त्यागने की शक्ति का प्रगट हाना भी श्रानिवार्य नहीं है तब क्या शराब पी लोना चाहिये ?

सभाधान—विधवाविवाह की जैसी श्रीर जितनी उपयो-गिता है वैसी यदि शराव की भी हो तो पी लेना चाहिये।

- (१) विधवाविवाह परस्त्रीसंवन या परपुरुषसंवन संबचाता है। इसलिये झणुत्रन का साधक है। क्या शराब झणुवन का साधक है?
- (२) विधवाविवाह से भ्रुणहत्या रुकती है। क्या शराव से भ्रुण या कोई हत्या रुकती है ?
- (३) जैनशास्त्रों में जैसे विधवाविवाह का निषेध नहीं पाया जाता, क्या वैसा शराब का निषेध नहीं पाया जाता ?
- (४) पुरुषसमाज श्रपना पुनर्विवाह करती है और स्त्रियों को नहीं करने देना चाहती। क्या इसी तरह पुरुष समाज शराब पीनी है श्रीर क्या स्त्रियों को नहीं पीने देना चाहती?
- (५) जिस विधवा के सन्तान न हो श्रीर उसे सन्तान की श्रावश्यकता हो तो उसे विधवाविवाह श्रानवार्य है। क्या इसी तरह शराव भी किसी ऐसे कार्य के लिये श्रानवार्य है?
- (६) किसी को वैधव्य जीवन में श्रार्थिक कथ्ट है, इसिखिय विधवाविवाह करना चाहतो है, क्या शराब भी आर्थिक कथ्ट को दूर कर सकती है?

- (७) विधवाविवाह से जो सामाजिक और धार्मिक लाभ हमने सिद्ध किये हैं, क्या शराब से भी वे या वैसे लाभ आप सिद्ध कर सकते हैं?
- (=) विधवाएँ जिस तग्ह होन दृष्टि से देखी जाती हैं, क्या उसी तग्ह शगब न पीने वाले देखे जाते हैं ?

यदि मद्यपान में लाभ हो तो जिसमें उसके त्याग करने की शक्ति नहीं हैं उसको उसका विधान किया जासकता हैं, अस्यधानहीं।

पूर्ण ब्रह्मचर्य की शक्ति प्रगट न होना विधवाविवाह का एक कारण है। जब तक अन्य कारण न मिलें तब तक विधवाविवाह का विधान नहीं किया जाता है। उसके अन्य कारण मौजूद नहीं हैं इसीलिये उसका विधान किया गया है।

श्राक्षेष (ख)—कार्यों की बहुतसी जातियाँ हैं—(१)
मुनिधर्मविरुद्ध श्रावकानुरूप (२) गृहस्थविरुद्ध मुनिश्रनुरूप
(३) उभयविरुद्ध (४) उभयश्रनुरूप। विवाह प्रथम भेद

समाधान—विधवाविवाह भी विवाह है इसलिये वह मुनिधर्म के विरुद्ध होने पर भी श्रावकानुक्र है। श्राप विधुर-विवाह को विवाह मानते और विधवाविवाह को विवाह नहीं मानते-यह विलकुल पन्नपान और मिध्यात्व है। हम पहिले विधवाविवाह को विवाह सिद्ध कर चुके हैं।

बलाहै घट्य की शिक्ता जैनधर्म की शिक्ता नहीं हो सकती। आचार्यों ने विधवाविवाहका कहीं निपंध नहीं किया। हाँ, धूर्तता और मूर्खता पुराने जमाने में भी थी। सम्भव हैं आजकल के परिस्तों के समान कोई अज्ञानी और धूर्त हुआ हो और उसने जैनधर्म के विरुद्ध, जैनधर्म के नाम पर ही कुछ अंट संट लिख मारा हो। परन्तु ऐसी

कुपुस्तकों को पुराने जमाने का जैनगज़ट ही समस्ता चाहिये। वास्तव में कोई जैन अन्थ विभवाविवाह का विरोधी नहीं हो सकता और न कोई प्रसिद्ध जैनअन्थ है हो। नाना तरह की दीत्ताएँ जो शास्त्रों में पाई जाती हैं वे विशेष वृतियों के लिये ही हैं—साधारण अयुव्तियों के लिये नहीं।

बुद्धों को मुनि बनते न देखकर हम में चलमित श्रादि दोष कैसे पैदा होंगे ? इसमें तो यही सिद्ध होता है कि जब बुद्ध लोग बूह्मचर्य से नहीं रह पाने श्रीर उनका ब्रह्मचर्य से न रहना इनना निश्चित है कि भद्रवाहु ने पहिले से ही कह दिया है, तब विभवाएँ बृह्मचर्य से कैसे रहेंगीं ?

भद्रबाहु श्रृतकेवली ने बुद्धों के मुनि न होने की विशेष बात तो कही, परन्तु विधवाशों के विवाह की विशेष बात न कही, इससे मालुम होता है कि विधवाविवाह प्राचीनकाल सं चला श्राता है। यह कोई ऐसी विशेष श्रीर श्रुव्चित बात न थी जिसका कि चन्द्रगुप्त को दुम्बण्त होता श्रीर भद्रवाहु श्रुतकेवली उसका फल कहते। जो चाहे, जैसे चाहे, विचार करले, उसे स्वीकार करना पड़ेगा कि गृहस्थों के लिये जैनधर्म में विधवाविवाह विरोध की परमाणु बराबर भी गुआ्लायश नहीं हैं।

इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि धर्मविरुद्ध कार्य किसी हालत में (उससे बढ़कर धर्मविरुद्ध कार्य श्रतिवार्य होने पर) कर्तव्य हो सकता है या नहीं ? इसके उत्तर में हमने कहा धा कि हो सकता है। यह बात श्रनेक उदाहरणों से भी समकाई थी। विधवाविवाह व्यक्तिचार है श्रादि बातों का उत्तर हम दे चुके हैं।

श्राच्चेष (क)—जो कार्य धर्मविरुद्ध है, वह त्रिकाल में भी (कदापि) धर्मानुकूल नहीं हो सकता । पाँच पापों को धर्मानुकूल सिद्ध कीजिये। (श्रीलाल, विद्यानन्द) समाधान—यदि इस विषय में शास्त्रार्थ की दिष्ट से लिखा जाय तब तो जैसे को तैया ही उत्तर दिया जासकता है। जैनशास्त्रों में तो किसी अपेद्या से गधे के सीग का भी अस्तित्व सिद्ध किया गया है। परन्तु हमें पाठकों की जिज्ञासा का भी स्वयाल है इसलिये तद्मुकुल ही उत्तर दिया जाता है।

पाँच पापाँ में हिसा मुख्य है। परन्तु द्रव्य सेत्र काल गांच की श्रपेता स वह घानिकृत अर्थात् कर्तव्य हो जातो है। जैसे—युड में हिसा होता है, परन्तु सीता की धर्मरस्रा के लिये रामचन्द्र ने श्रमणित प्राणियों की हिसा कराई। श्रणु वृती युड में जाते हैं, ऐला शास्त्रों में स्पष्ट कथन है। श्रकरन मृतिको ग्ला करने के लिये सिंह को मार डाला श्रीर खुद भी मरा, पुगयबंच किया श्रीर स्वर्ग गया। मन्दिर चनवाने में तथा श्रन्य बहुत से परापकार के सारम्म कार्यों में हिसा होती है परन्तु बह पुरायवन्य का कारण कही गई है। जिन श्रमुतचन्द्र श्राचाय की दृहाई श्रासेपक ने दी है, ये ही कहते हैं—

श्रविधायापि हि हिसां हिसाफलभाजनं भवत्येकः।
हत्वाष्यपगं हिमां हिसाफलभाजनं न स्यात् ॥
कन्यापि दिशति हिमा हिसाफलमेकमेव फलकाले।
श्रन्यस्य सेव हिसा दिशत्यहिसाफल विफलम् ॥
हिसाफलमपरस्य तुददात्यहिसाफलं नात्यत् ॥
इतरस्य पुनर्हिसा दिशत्यहिसाफलं नात्यत् ॥
एक श्रादमी हिसा न करके भी हिसामागी हाता है,

द्सराहिसा न करके भी हिसाभागी नहीं होता। किसी की हिसा, हिसाफल देती है, किसी की हिसा, श्रहिमाफल देती है किसी कि श्रहिसा, हिसा फल देती है किसी कि श्रहिसा श्रहिस

क्या इससे यह बात नहीं सिद्ध होती कि कही दिसा भी

कर्तस्य हो जानी है और कही ऋहिंसा भी श्रकर्तस्य हो जाती है ? श्रङ्गलेदन पाप हे पणनत बालकों के कर्णलेद श्रादि में पाप नहीं माना जाता। किसी सती के पीछे कुछ मदमाश पडे हो तो उसके सतीत्व की रद्धा के लिये भूठ बोलना या उसे छिपा लेना (चारी) भी अनुचित नहीं है । परविवाहकरण श्रुणुवन का द्वण है परन्तु श्रुपनी सन्तान का विवाह करना या व्यक्तिचार की तरफ भूक्षको बालों को विवाह का उपदेश देना दवल नहीं है। परिग्रह पाप है परन्तु धर्मीपकरणीं का रखना पाप नहीं है। इस तरह पाँचों ही पाप अपेदा भेद सं कर्तव्याकर्तव्य रूप है। श्राक्षेपक एक नरफ तो यह कहते है कि धर्मविरुद्ध कार्य त्रिकाल में भी धर्मानुकल नहीं हो सकता परन्तु दुसरी तरफ, त्रिकाल की बात जाने दीजिये एक ही काल में, कहते हैं कि प्नविवाह विधवा के लिये धर्मविरुद्ध है आर विधुर के लिये धर्मानुकूल है। क्या यहाँ पर एक ही कार्य द्रव्यादि चत्रष्ट्य में से द्रव्यश्रपेक्ता विविधक्रप नहीं कहा गया है । ये ही लोग कहते हैं कि अप्रुटव्य से जिनपूजन धर्म है, परन्तु अंगी श्रगर ऐसा करे तो धर्म इब जायगा । यदि जिनपूजन किसी भी तरह अधर्म नहीं हो सकता तो भंगी के लिये अधर्म क्यों हो जायगा ? मतलव यह है कि द्रव्य लेख काल भाव की श्रपेला लेकर एक कार्य को विविधक्त में ये खुद मानते हैं। इसीलिये सप्तम प्रतिमा कं नीचे विवाह (भने ही वह विश्ववाविवाह हा) धर्मानुकुल है।बृह्मचर्य प्रतिमा से लेकर बह धर्म-विरुद्ध है।

श्राक्षेप (ख)—विवाह किया स्वयं सदा सर्वदा सर्वथा धार्मिक ही है। हाँ ! पात्र अपात्र के भेद से उसे धर्म-विरुद्ध कह दिया जाता है। समाधान—जहाँ पात्र (द्रव्य) द्यपात की ऋषेता है वहाँ सर्वधा शब्द का प्रयोग नहीं होना है। सुधारक यहीं तो कहने है कि द्रव्य (पात्र) सेत्र काल भाव की ऋषेता से किसी कार्य की धर्मानुकूलता या धर्माविरुद्धना का निर्णय करना चाहिये। इसलिये एक पात्र के लिये जा धर्माविरुद्ध है दूसरे के लिये वहीं धर्मानुकूल हो सकता है। ब्रह्मवर्थ प्रतिमाधारण करने वाली विध्या को विवाह धर्माविरुद्ध है, श्रन्य विध्याशों को धर्मानुकूल है। यहीं नो पात्रादि की श्रोपेत्ता है।

च्राचिष (ग)—मध्यसाची ने विवाह की धर्मानुकूल श्रर्थात् धार्मिक नो मान लिया। सालभगपहिले तो उसे सामाजिक, सामाजिक चिल्लातेथे।

समाधान—ब्रह्मचर्य प्रतिमा सं नीचे कुमार कुमारो श्रीर विधवा विधुर के लिये विवाह धर्मानुकूल है—यह मैं सदा सं कहता हूँ। परन्तु धर्मानुकूल और धार्मिक एक ही बात नहीं है। व्यापार करना, घूमना, भोजन करना, पेशाब करना श्रादि कार्य धर्मानुकूल ता है परन्तु धार्मिक नहीं हैं। धर्म का श्रक्क होना एक बात है श्रीर धर्ममार्ग में बाधक न होना दुसरी बात है।

त्र्राक्षेप (घ)—बहुत श्रनर्थको रोकनं कं लिये थोड़। श्रनर्थकरने की आज्ञा जैनधर्मनहीं देना।

समाधान—में पहिले ही लिख चुका हूँ कि एक अनर्थ को रोकने के लिये दूसरा अनर्थ मत करो परन्तु महान अनर्थ रोकने के लिये अल्प अनर्थ कर सकते हो । व्यभिचार अनर्थ रोकने के लिये ही तो विवाह अनर्थ किया जाता है। जिनने प्रवृत्यात्मक कार्य है वे सब अनर्थ या पाप के अंग्र हैं। जब वे कार्य अधिक अनर्थी को रोकने वाले होते हैं तब वे अनर्थ या पाप शब्द से नहीं कहे जाते। परन्तु हैं नो वे पाप ही। साधारण पाप की तो बात ही क्या है परन्तु अगुवत नक पाप कहा जासकता है (अगुवत अर्थात् थोड़ा वत अर्थात् बाक़ी पाप) जब अगुवत की यह बात है तब औरों की तो बात ही क्या है ? प्राण्यगढ सरोखा कार्य भी जैनसम्राटों ने अधिक अन्थों को रोकने के लिये किया है। निर्विकरुप अवस्था के पहिले जितने कार्य हैं वे सब बहु अन्थों को रोकने वाले थोड़े अन्थे ही हैं। प्रकृत बात यह है कि विधवाविवाह से व्यिम चार आहि अन्थों का निराध होता है इसलिये वह शाहा है।

श्राक्षेप (ङ)—जो पुरुष है वह सदापुरुष है।जो पाप है वह सदापाप है।

ममाधान—तव ता पुनर्विवाह, विधुरों के लिये छगर पुरुष हैं तो विधवार्झों के लिये भी पुरुष कहलाया।

त्राक्षेप (च)—म्बस्त्रीसंचन पाप नहीं, पुराय है । इसी-लिये यह स्वदारसंनीप अगुबन कहलाना है ।

ममाधान—स्वदारसंवन श्रीर स्वदारसंतोष में बड़ा श्रन्तर है। स्वदारसंवन में श्रम्बदारनिवृत्ति का भाव है। संवन में सिर्फ प्रवृत्ति है। स्वदारसंतोष, श्रगुव्रती को ही होगा। स्वदारसेवन तो श्रविरत श्रीर मिध्वान्वी भी कर सकता है।

श्राक्षेप (छ)—श्रपेत्ताभेद लगाकर तो श्राप सिद्धों की श्रपेता स्नातकों (श्रहेतों) को भी पापी कहेंगे।

समाधान—वकुल श्रादि की श्रपेत्ता पुलाक श्रादि पापी कहं जासकते हैं क्योंकि पुलाक श्रादि में क्याये हैं। काई जीव तभी पापी कहला सकता है जब कि उसके क्याय हो। क्यायरहित जीव पापी नहीं कहलाता। श्रहेत क्यायातीत हैं।

ग्राचिष (ज) — यदि धर्मविरुद्ध कार्य भी श्राह्म स्वीकार किये जाँय तब त्याज्य कीन से होंगे ?

समाधान-धर्मविरुद्ध कार्य, जिस अपेसा से अर्मानु-

कुल सिद्ध होंगे उसी अपेद्धा से ग्राह्य है। बाकी अपेद्धाओं से अग्राह्य। प्रत्येक पदार्थ के साथ सप्तसंगी लगाई जासकती हैं। अगर नास्तिसंग लगाते समय कोई कहें कि प्रत्येक पदार्थ को यदि नास्तिस्प कहोंगे तो अस्तिस्प किसे कहोंगे? तब इसका उत्तर यही हागा कि अपेद्धान्तर से यही पदार्थ अस्तिस्प भी होगा। इसी प्रकार एक कार्य किसी अपेद्धा से ग्राह्म, किसी अपेद्धा से ग्राह्म, विभी अपेद्धा से ग्राह्म, किसी अपेद्धा से ग्राह्म, विभी अग्राह्म से ग्राह्म, विभी ग्राह्म से ग्राह्म है। पूर्ण व्रह्मचारियों को ग्राग्राह्म।

बारहवाँ प्रश्न

"छोटे छोटे दुयमुँहे वस्रों का विवाह धर्मविरुद्ध है या नहीं"? इस प्रश्न के उत्तर में हमने ऐसे विवाह को धर्मविरुद्ध कहा था, क्योंकि उसमें विवाह का लज्ञण नहीं जाता। जब वह विवाह ही नहीं तो उससे पैदा हुई सन्तान कर्ण के समान नाजायज्ञ कहलाई । इसलिये ऐसे नाममात्र के विवाह के हो जाने पर भी वास्तविक विवाह की ह्यावश्यकता है।

आस्पे (क) — गद्रशहुमंहितामें लिखा है कि कन्या १२ की और वर सोलह वर्ष का होना चाहिये। इससे कम और अधिक विकार है। (श्रीलाल)

समाधान—भद्रवाहु श्रुतकेवली थे। दिगम्बर सम्प्र-दाय में उनका बनाया हुआ कोई प्रन्थ नहीं है। उनके दो हज़ार वर्ष बाद एक श्रज्ञानी धूर्त ने उनके नाम से एक जाली प्रन्थ बनाया श्रीर उसपर भद्रवाहु की छाप लगादी। सौर, पुरागों में शायद ही कोई विवाह १२ वर्ष की उमर में किया हुआ मिलेगा। धर्मशास्त्र नो यह कहता है कि जितनी श्रिष्ठक उमर नक ब्रह्मचर्य रहे उनना ही श्रच्छा। दूसरी बात यह है कि ठीक वारह वर्ष पूरे होने का नियम पल नहीं सकता । ये परिडत लोग शारदा विल के विरोध में कहा करने है कि १४ वर्ष की उमर रक्खी जायगी तो साइत न मिलने से १७ वर्ष की उमर होजायगी। परन्तु बारह वर्षके नियमके अनुसार भी तो साइत न मिलने पर १५ वर्षकी उमर होजायगी। पुरुषों के लिये १६ वर्ष से ज्यादा उमर में विवाह न करने का विधान किया जाय तो विधुर विवाह और यहुविवाह बन्द ही होजायँ, जिसके कि ये परिडत हिमायनी है।

त्र्याक्षेप (ख)—बालबिवाह को धर्मविरुद्ध श्रीर नाजाः यज्ञ करार दने से स्त्रियाँ छीनी जायँगी (श्रीलाल)

समाधान — स्त्रिगाँ छीनी न जायँगी परन्तु उन दोनों को फिर सम्बा विवाद करना पहेगा। इससे कोई नाजायज्ञ विवाद (बालविवाद) के लिये आयोजन न करेगा।

आश्चेष ग)—अगर भृत संमाता पिता ने बातविवाह कर दिया तो वह ट्रूट नहीं सकता। भूत से विष दें दिया जाय ता भी मरना पड़ेगा, धन चोरी चला जाय तो बह गया ही कहतायगा (श्रीताल)

समाधान—विष देने पर चिकित्मा के द्वारा उसे हटाने की चेष्टा की जाती है। चोरों हाने पर चोर को द्युड देने की श्रोर माल बरामद करने की कोशिश की जाती है। बालिविवाह हो जाने पर फिर विवाह करना मानो चोरी का माल बरामद करना है। श्राचेषक के उदाहरण हमारा ही पच समर्थन करते हैं।

त्राक्षेप मध)—गांधर्व विवाह का उदाहरण यहां लागू नहीं होता क्योंकि यहाँ ब्राह्मविवाह का प्रकरण है। (श्रीलाल)

सम्राधान—इसने कहा था कि विवाह में किसी खास विधिको श्रावश्यकना नहीं । गांधर्व विवाह में शास्त्रीय विधि नहीं है फिर भी वह विवाह है! इस टोप का निवारण आंखे-पक न कर सका नो कहना है कि यह ब्राह्मविवाह का प्रकरण है। परन्तु हमारा कहना यह है कि ब्राह्मविवाह के श्रितिरिक्त बाक़ी विवाह, श्राद्मेपक के मनामुमार विवाह हैं कि नहीं? यदि वे विवाह हैं श्रीर उनमें किमी खास विधिकी श्रावश्यकता नहीं है तो हमारा यह वक्तव्य मिस्र हो जाना है कि विवाह में किसी खास विधि की श्रावश्यकना नहीं है।

श्चान्तेष (ङ) छोटी श्रायुवाली विवाहिता स्त्री से उत्पन्न सन्तान को कर्ण के समान कहना उन्मत्त प्रकाप है। (श्रीलाल)

ममाश्राम—न्यायशास्त्र की वर्णमाला से शुन्य त्रा त्रेषक को यहाँ समानता नहीं दोखनी । यह उसकी मुर्खना के ही अनुक्रप है। कर्ण के जन्म में यदि कोई दोप था तो यही कि वे अविवाहिता की सन्तान थे। बालविवाह जब विवाह ही नहीं है तब उससे पैदा होने वाली सन्तान अविवाहिता की सन्तान कहलाई इसमें विषमता क्या है?

श्चात्तेष (च)—दुधमुँहे का श्रर्ध विवाह के विषय में नासमभ करने से तो शङ्कराचार्य भी दुधमुँहे कहलाये क्योंकि इसी चर्चामें वे मगडन मिश्र की म्त्री से हारे थे। श्रगर तत्का लीन समाज उनका विवाह कर देता तो श्रापकी नज़र में नाजा यज़ होता। (विद्यानन्द)

समाधान—अगर शहराचार्य विवाह के विषय में कुछ नहीं जानते थे तो उनका विवाह हो ही नहीं सकता था। समाज ज़बर्दस्ती उनका विवाह कराने की चेष्ठा करती तो यह विवाह तो नाजायज़ होता ही, साथ ही समाज को भी पाप लगता। विवाह के विषय में शहराचार्य को दुधमुँ हा कहना अनुचित नहीं है। न्यायशास्त्र में 'यालानाम् बोधाय' को टीका में बाल शब्द का यही श्रर्थ किया जाता है कि जिसने व्याकरण काव्य कोपादि तो पढ़ लिये परन्तु न्याय न पढ़ा हो। इसी तरह विवाह के प्रकरण में भी समस्ता चाहिये।

इस विषय में आहोषक ने शुरू में भी भूल खाई है। वास्तव में शङ्कराचार्य विवाह के विषय में अनिश्व नहीं थे। वे कामशास्त्र में अनिश्व थे और इसी विषय में वे पराजित हुए थे। विवाह में, कामवासना में और कामशास्त्र में बड़ा अंतर है। यह बात आहोषक को समभ्र लेगा चाहिये।

श्राक्षेप (छ)—पहिले गर्भस्य पुत्रपुत्रियों के भी विवाह होते थे और वे नाजायज्ञ न माने जाते थे। (विद्यानन्द)

समाधान-इम आचेप से तीन बातें ध्वनित होती है—(१) पुराने जमाने में श्राजक्लकी मानी हुई विवाहविधि प्रचलित नहीं थी क्योंकि इस विवाहविधि में बन्या के द्वारा सिद्धमंत्र की स्थापना की जाती हैं, सप्तपदी होती हैं, तथा बर कन्या को श्रीर भी कियाएँ करनी पडती हैं जो गर्भस्थ बर-कन्या नहीं कर सकते । (२) गर्भ में श्रगर दोनी तरफ पुत्र हों श्रीर माता पिता के बचन ही विवाह माने जाँग श्रीर बे नाजायज्ञ न हो सकें तो पुत्र पुत्रों में भी विवाह कहलाया। श्रथवा यही कहना चाहिये कि वह विवाह नहीं था। माना पिता ने सिर्फ सम्भव होने पर विवाह होने की बात कही थी। (३) जब गर्भ में विवाह हो जाता था तब गर्भ में ही लड़की सधवा कहलायी। दर्योधन श्रीर कृष्ण में भी ऐसी बात चीत हुई थी। द्योंधन के पुत्री उद्धिकुमारी हुई जो गर्भ में ही प्रद्युम्न की पत्नी कहलाथी। परन्तु प्रद्यम्न का हरण हो गया था इसलिये भानुकुमार के साथ विवाह वा आयोजन हुआ। गर्भस्य विवाह को श्राक्षोपक नाजायज मानते नहीं है इसलिये यह उद्धिकुमारी के पुनर्विवाह का आयोजन कह-

लाया। इस्निलिये ऋष श्राद्धे पक को या तो बालविवाह नाजा-यज्ञ मानना चाहिये या स्त्रो पुनर्विवाह जायज्ञ।

वालविवाह को नाजायज्ञ सिद्ध करने में किसी ख़ास प्रमाण के देने की ज़रूरत नहीं हैं। विवाह का लक्षण न जाने से ही वह नाजायज्ञ हो जाना है।

स्राक्षेप (ज)— ऋश्चर्य है कि कर्ण को श्राप बालविवाह की सन्तान कह कर नाजायज़ कह रहे हैं। बह तो गान्ध्रवे विवाह की सन्तान होने से नाजायज़ माना गया है।

समाधान—कुछ उत्तर न सृभने पर अपनी नरफ से भूटी बान लिखकर उसका खराइन करने लगना आद्योपक की आदत माल्म होती है, या आद्योपक में हमारे बाक्य को समक्ष्मने की योग्यता नहीं है। हमने कर्ण को अविवाहिता की सन्तान कहा है और बालविवाह में विवाह का लद्या नहीं जाना इसलिये उसकी सन्तान भी अविवाहिता की सन्तान कहलायी। कर्ण में और बालविवाह की सन्तान में अविवाहिता की व्यविवाह की सन्तान मामक लेना आद्यापक की अवृत्व को खूबी है। आद्येपक को उपमा, उपमेय, उपमान समान धर्म का बिलकुल ज्ञान नहीं माल्म होता।

कर्ण अगर गाम्धर्य विवाह की सन्तान होते तो उन्हें लियाकर वहा देने की ज़करन न होती, अथवा पाँचों पाँडव भी नाजायज़ होते। अगर यह कहा जाय कि कर्ण जनम के बाद कुन्ती का विवाह किया गया था तो मानना पढ़ेगा कि कर्ण जनम के पहिले कुन्ती का गान्धर्यविवाह नहीं हुआ, अथवा कर्ण जनम के बाद उसका पुनर्विवाह हुआ और एक बच्चा पैदा करने पर भी वह कन्या कहलाई। अगर कन्या नहीं कहलाई तो विवाह कैसे हुआ ?

आक्षेप (क्ष)—विवाह का चारित्र मोहनीय के उद्य के साथ न तो अन्वय है न ब्यतिरेक।

समाधान—यह वाक्य लिखकर ब्राह्मे पक ने श्रकलङ्काचार्य का विरोध तो किया ही है साथ ही न्यायशास्त्र में ब्राह्माः
धारण श्रक्षानता का परिचय भी दिया है। श्राह्मे पक श्रन्वय
व्यतिरेक का स्वरूप ही नहीं समस्रता। कार्य कारण का जहाँ
श्रविनाभाव बतलाया जाता है वहाँ कारण के सद्भाव में कार्य
का सद्भाव नहीं बताया जाता किन्तु कार्य के सद्भाव में कार्य
का सद्भाव वतलाया जाता है। कारण के सद्भाव में कार्य का
सद्भाव हो भी सकता है श्रीर नहीं भी हो सकता है। चारित्र
मोह के उदय (कारण) रहने पर विवाह (कार्य) हो सकता
है श्रीर नहीं भी हो सकता। श्रधान व्यभिचार वगेरह भी हो
सकता है। परन्तु विवाह (कार्य) के सद्भाव में चारित्र मोह
का उदय (कारण) तो श्रनिवार्य है। श्रगर वह न हो तो
विवाह नहीं हो सकता। यह व्यनिरेक भी स्पष्ट है।

चारित्रमांह के उदय का फल संभोग किया का जान नहीं हैं। ज्ञान तो ज्ञानावरण के स्वयांपश्यम का फल है। चारित्र मोहोदय तो कामलालसा पैदा करता है। त्रगर उसे परिमित करने के निमित्त मिल जाते हैं तो विवाह हो जाता है, अन्यथा व्यभिचार होता है। आसे पक ने यहाँ अपनी आदत के अनुसार अपनी तरफ से 'ही' जोड़ दिया है। अर्थात् 'चारित्र मोह का उदय ही' कहकर खण्डन किया है, जब कि हमने 'ही' का प्रयोग ही नहीं किया है। जब चारित्रमाह के उदय के साथ सहेद्य की बात भी कही है तब 'ही' शब्द को ज़बर्दस्ती धुसेड़ना बड़ी भारी धूर्तता है।

श्रकताङ्कदेव ने सद्वेद्य और चारित्रमोह लिखा है। आज्ञोपक ने उसका श्रमिश्रय निकाला है 'उपभोगान्तराय'। क्या गुज़ब का श्रमियाय है! श्राच्चे पक के ये शब्द बिलकुल उन्मच प्रलाप है 'विवाह साता-बेदनीय श्रीर उपमागान्त-राय के च्यांपशम से होता है—चारित्रमोह के उदय से नहीं, इसीलिये उन्होंने चारित्रमोहांद्यात् के पहिले सद्धेद्य पद डाल दिया है।" चारित्रमोह के पहिले सद्धेद्य पद डाल दिया, इसम एक के बदले में दो कारण होगये परन्तु चारित्रमोह का निपेध केमे हो गया श्रीर उसका श्रर्थ उपभोगान्तराय कैसे बन गया?

न्ना चोष (अ)—विवाह का उपादान कारण चारित्रमोह का उदय नहीं हे किन्तु वर बधु है।

ममाधान—हमने वहाँ "चारित्रमांह के उद्य से होने वाले रागपरिणाम" कहा है। यह परिणाम ही तो विवाह की पूर्व श्रवस्था है और पूर्व श्रवस्था को श्राप स्वयं उपादान कारण मानते हैं। विस्तृत कामवास्त्रना का परिचित कामवास्त्रा हो जाना ही विवाह है। श्रापने उपचार से परिणामो (वर कल्या) को उपादान कारण कह दिया है, परन्तु परिणाम के विना परिणामी वर कल्या नहीं हो सकते। बालविवाह में वर कल्या होते हो नहीं, दो बच्चे होते हैं। जब परिणाम नहीं तब परि-णामी कैसे ? यहाँ श्राह्मेपक श्रात्रग्रह में श्राप्रतिना नामक निश्रह कहकर निरनुयोज्यानुयाग नामक निग्रहस्थान में जागिरा है।

म्राक्षेप (ट)—जब म्राप विवाह के लिये नियत विधि मानने हैं तब उसके बिना विवाह कैसा ? नियन विधि शब्दका कुछ ख़याल भी है या नहीं ?

समाधान—गांधर्वविवाह को आप विवाह मानते हो। आपको दिए में भले ही वह अधर्म विवाह हो, परन्तु है तो विवाह हो। इस विवाह में आप भी नियत विधि नहीं मानते फिर भी विवाह कहते हैं। दूसरी बात यह है कि किसी नियत विधि का उपयोग करना न करना इच्छा के ऊपर निर्भर हैं। किसी एक नगर से दूमरें नगर को यात्रा करने के लिये रेलगाड़ी चलतो है। इस तरह यात्रियों के लिये रेलगाड़ी नियत करही गई है परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि वहाँ मोटर से, घोड़ से या अपने पैरों स यात्रा नहीं हो सकती। रेलगाड़ी को यात्रा के साधनों में मुख्यता भले ही देवी जाय परन्तु उस अनिवार्य नहीं कह सकते। इसी तरह नियत शास्त्रविधिकों भले ही कोई मुख्य समसे परन्तु अनिवार्य नहीं कह सकते। अनिवार्य नो चारित्रमोह आदि ही है। रेलगाड़ी के अभाव में यात्रा के समान विवाह विधि के अभाव में भी विवाह हो सकता है।

श्राक्षेप (ठ)—प्रद्युम्न को गांधर्वविवाह से पैदा हुआ कहना धृष्टना है। गांधर्वविवाह जान हे कर्ण, इस से वे नाजा-यज् है।

समाधान—कर्ण के विषय में हम पहिले लिख चुके हैं और इस प्रश्न के आत्ते प'छु' के समाधानमें भी लिख चुके है। कर्ण व्यभिचारज्ञान हे गांधर्यविवाहांत्पन्न नहीं। रुक्मिणी का अगर गांधर्यविवाह नहीं था तो बतलाना चाहिये कि कीन सा विवाह था। प्रारम्भ क चार विवाहों में आप लोग कन्या-दान मानते है। रैवतकगिरि के उत्पर कन्यादान किसने किया था? वहाँ तो रुक्मणो, रुप्ण और बलदंच के सिवाय और कोई नहीं था। गांधर्यविवाह में "स्वेच्छ्या अन्यान्यसम्बन्य" होता है। रुक्मणी ने भी माता पिता आदि की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा से सम्बन्ध किया था। गांवर्यविवाह व्यभिचार नहीं है जिससे प्रदामन व्यभिचारजात कहला सर्के।

यहाँ पर श्राक्ते पक श्रपने साथी श्राक्ते पक के साथ भी भिड़ गया है। विद्यानन्द कहते हैं --गांधर्वविवाह, विवाहविधि शुन्य श्रधममें विवाह है इस से उत्पन्न संतान मोत्त नहीं जा-सकती । जबकि श्रीलाल जी कहते हैं—"गांधर्वविवाह भी शास्त्रीय है श्रतः उससे उत्पन्न संतान ज्यों न मोत्त जाय"। जब दो भूँठें मिलते हैं तब इसी तुरह परम्पर विरुद्ध बकते हैं।

तेरहवाँ प्रश्न

क्या सुधारक और क्या विगाडक ब्राजनक सभी बाल-विवाह को गुड़ा गुड़ी का खेल कहते गहे हैं । हमने ऐसे बग वधु को नाटकीय कहा है। ऐसी हालत में उसका वैधव्य भी नाटकीय रहेगा। बास्तव में तो वह कुमारी ही रहेगी। इस-लिये परनीत्व का जबतक अनुभव न हा तब तक वह पत्नी या विधवा नहीं कहला सकती। आदोपकों में इतनी अकल कहाँ कि वे पत्नीत्व के अनुभव में और सम्भाग के अनुभव में भेद समभ सकें। पहिला आचे पक (श्रीलाल) कहता है कि सप्त-पदी हो जाने से ही विवाह होजाता है। परन्त किसी बालिका से तोते की तरह सप्तपदी रटवा कर कहला देना या उस की तरफ से बोल देना ही तो सप्तपदी नहीं है। सप्तपदी का क्या मतलब है और उससे क्या जिस्मेदारी आ रही है इसका अनु भव तो होना चाहिये। यही तो पन्नीत्व का श्रवभव है। बाल-विवाह में यह बात (यही सप्तपर्दा) नहीं हो सकती इसलिये उसके हा जाने पर भी न कोई पति पत्नी बनता है न विश्ववा विधुर। उपर्युक्त पत्नीत्व के श्रानुभव के बाद श्रीर सम्भोग के पहिले वर मर जाय ता वधू विधवा है। जायगी, श्रीर उसका विवाह पुनर्विवाह ही कहा जायगा। परन्तु नासमभ श्रवस्था में जो विवाह न। टक होता है उससे कोई पत्नी नहीं बनती ।

त्राक्षेप (क)—विवाह का स्थापना निक्षेपका विषय कहना सचमुच विद्वत्ता का नद्गा नाच है। तब तो व्यभिचार भी विवाह कहनायगा। (विद्यानन्द) मपाधान—जहाँ विवाह का लज्ज नहीं जाता और फिर भी लाग विवाह की कल्पना करते हैं तो कहना ही पड़ेगा कि वह विवाह स्थापना निज्ञेप से हैं, जैसे कि नाटक में स्थापना को जाती हैं। श्राज्ञंपक का कहना है कि व्यभिचार में भी स्थापना निज्ञेप से परस्रों में स्वस्त्री की स्थापना करली जायगी। परन्तु यही बात तो हमारा पज्ज हैं। स्थार पना तो व्यभिचार में भी हो सकती हैं परन्तु व्यभिचारों वर बधू नहीं कहला सकते। इस तरह नासमभ बालक बालिकाओं में भी वर बधू की स्थापना हो सकती हैं परन्तु वे वास्तव में वर बधू नहीं कहला सकते।

चौदहवाँ प्रश्न

इस प्रश्न में यह पूछा गया हैं कि पत्नी बनने के पिहले क्या कोई विधवा हां सकती है श्रीर बत ग्रहण करने में ब्रती के भावों की ज़रूरत है या नहीं? इसका मनलब यह है कि श्राजकल विवाद नाटक के द्वारा बहुतसी बालिकाएँ पत्नी बना दो जातो हैं परन्तु वास्तव में वे पत्नी नहीं होतीं। उनका (उस नाटकीय पति के मर जाने पर) विधवा न कहना चाहिये। बन ग्रहण करने में भावों की ज़रूरत है। बालविवाद में विवादानुकूल भाव ही नहीं होते। इसलिये उस विवाद से कोई किसी तरह की प्रतिक्षा में नहीं बँधता।

श्रीलाल नं वे ही पुरानी बार्ने कही हैं, जिसका धव (पित) मर गया है वह विधवा श्रवश्य कही जायगी श्रादि। परन्तु यहाँ तो यह कहा गया है कि वह नाटकीय पित वास्तविक पित ही नहीं है। फिर उसका मरना क्या श्रीर जीना क्या? उसका पित क्या श्रीर पर्यन्तर क्या?

आक्षेप (क) — आठ वर्षकी उमर में जब अन लिया

जा सकता है तब =॥ या ६ वर्ष की उमर में भावपूर्वक विवाह क्यों न माना जाये ? (श्रीलाल)

समाधान—इसमें माल्म होता है कि आन् पक आठ वर्ष से कम उमर के विवाह को अवश्य ही नाजायज़ समसता है। ख़ैर, अब हम पूछते हैं कि जब आठ वर्ष में बत अहण किया जा सकता है तब आन् पक के मनगढ़का शास्त्रकारों ने विवाह के लिये बारह वर्ष की उमर क्यों रक्खी? आठ वर्ष की क्यों नहीं रक्खी? इससे माल्म होता है कि साधारण बत अहण करने की अपेन्ता वैवाहिक बत अहण करने में विशेष योग्यता की आवश्यकता है। अर्थान पिरपुष्ट शरीर, गाहंक्थ्य जीवन के भार सम्हालने की योग्यता और हद्य में उठती हुई वह कामवासना जिसके नियमित करने के लिये विवाह आव-श्यक है, अवश्य होता चाहिये। अगर किसी असाधारण व्यक्ति में आठवर्ष की उमर में ही ये वार्ते पाई जाँय तो वह बालविवाह न कहलायगा, और इन बातों के न होने पर कितनी भी उमर में बह विवाह हो, वह नाजायज़ कहलायगा। भले ही तुम्हारे मनगढ़का शास्त्रकार १२ वर्ष का राग अलापते रहें।

एक बात यह भी है कि शास्त्रों में आठ वर्ष की उमर में वन ग्रहण करने की योग्यता का निर्देश है। परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि प्रत्येक आठ वर्ष का वालक, मुनि या आवक के वृत ग्रहण कर सकता है, या आठ वर्ष से अधिक उमर में वन ग्रहण करने वाला मनुष्य पाणी हो जायगा। आठ वर्ष की उमर में केवलझान तक बनलाया है परन्तु क्या इसी लिए हरएक आदमी का इस उमर में केवलझानीत्व मनाया जाने लगे? कहा जायगा कि अकेली उमर हो जाने से क्या होता है? अन्य श्रन्तरङ्ग बहिरद्ग निमित्त नो मिलना चाहिये। वस! विवाह के विषय में भी हमारा यही कहना है कि अकेली उमर हो जाने से क्या होता है, उसके लिये अन्य अन्तरक बहिरक निमित्त तो मिलना चाहिये। यदि चिचाह के लिये वं निमित्त १४ वर्ष की उमर कं पहिले नहीं मिलते तो उसके पहिले होने वाले विवाह (नाटक) नाजायज़ हैं। इसलिये उन विवाहीं के निमित्त से सधवा विधवा शब्द का प्रयोग न करना चाहिये।

आस्पेप (ख)—अमरकांपकार ने पाणिगृहीती को पत्नी कहा है, इसलिये पाणिगृहीता वालिका चाहे वह १ वर्ष की क्यों न हो अवश्य ही पतिवियांग होने पर विभवा कहला-यगी। (विद्यानन्द)

स्पाधान—पाणिगृहीनी का अगर शब्दार्थ ही लिया जाय नव नो विवाह नाटक के पहिले ही वे सध्या विध्या कहलाने लगेंगी क्योंकि छोटी र बालिकाओं के हाथ बाप, माई और पड़ौसियों के द्वारा पकड़े ही जाया करते हैं। अगर पाणिगृहीती का सतलव विवाहिता है तो माना पिना के द्वारा किसी से हाथ पकड़ा देने ही से बालिववाहिता नहीं कही जासकती है। इसीलिये एक वर्ष की बालिका किसी भी हालत में विध्या या सध्या नहीं कहला सकती। विध्या-विवाह, धार्मिक हिए से व्यक्तिवार है—इस बात का उत्तर पहिले अच्छी तरह अनेक बार दिया जा चुका है।

आशिष (ग) — अनग्रहण करने में अतीके भावीकी ज़रू-रत है भी और नहीं भी है। छः वर्ष के बच्चे को पानी छान-कर पीने का अत दिला दिया और तीस वर्ष के आदमीने अत नहीं लिया। इनमें कीन अच्छा है ? क्या उस वच्चे को पुराय-बन्ध न होगा ?

समाधान-- आद्योपक ने 'वनप्रहण करने में भावों की

जारूरत नहीं हैं इसके लिये कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं दिया । छ: वर्ष का बच्चा अगर कोई अच्छो किया करता है तो क्या श्राक्षेपक के मनानुसार बह बनी है ? क्या श्राचार्यों का यह लिखना कि ब्राट वर्ष से कम उस्र में बत नहीं हो सकता भुठ है ? या श्रादेशक ही जैनधर्म से श्रनभिक्ष है ? छोटे बच्चे में भी कुछ भाव ना होने ही है जिसमे वह प्रायबन्ध या पापवन्ध करता है। जब एकेन्ट्रिय होन्द्रिय ग्रांदि जीव भाव-रहित नहीं है तब यह तो मनुष्य है। प्रस्तु यहाँ प्रश्न तो यह है कि उसके भाव, बनब्रहण करने के क्षायक हाते हैं या नहीं ? श्रधीन उसके वं कार्य वनरूप है या नहीं ? हां सकता है कि वह तीस वर्ष के श्रादमी संभी श्रच्छा हो, परन्तु इससे वह वृतो नहीं कहला सकता। कल्याणमन्दिर का जो बाक्य (यस्मान्क्रिया प्रतिफलन्ति न सात्रशस्याः) हमने उद्देषुत किया है उसके पीछे समस्त जैनशास्त्रों का बलाहै। वह हर तरह की परीचा से सी टक्ष का उत्तरता है। आचे पक हमें मिद्धमेन के सदभिप्राय से श्रनभिन्न बनलाते है परन्तु बास्तव में ब्राह्मेपक ने स्वय कल्याणमन्दिर और विषापहार के इलोकों का माव नहीं समक्षा है। दोनों इलोकों के मार्भिक विवेचन से एक स्थतन्त्र लेख हो जायगा। वास्तव में सिद्ध-सन का श्लोक अक्तिमार्ग की तरफ घेरणा नहीं करता किन्त परिडत धनवज्ञय का श्लोक भक्तिमार्ग की तरफ प्रेरणा करता है। उनका मनलब है कि बिना नाव के भी अगर लोग भगवान को नमक्कार करेंगे तो सधर जायँगे । सिद्धसंन का श्लोक पंसी मिक को निरर्थक बतलाना है। सिद्धसेन कहते हैं ऐसी मावश्च्य भक्ति नो इजारों बार की है परन्तु उसका कुछ फल नहीं हुआ। सिद्धसेन के श्लोक में तथ्य है, वह समभदारी कं लिये हैं और धनअप के श्लोक में फुसलाना है। वह

बर्बी (श्रज्ञानी) के लिये है। बर्बी को फुसलाने की बातों को जैनसिद्धान्त के समभने की कुञ्जी समभना मूर्खता है।

ब्राजकल शायद ही किसी ने भावशून्य किया की वन कहने की घृष्टना की हो। जो धर्म शुल्कलेश्याधारी नवमधैवे-यक जाने वाले सुनि को भी (भावशून्य होने से) मिध्यादृष्टि कहता है, उसमें भावशून्य किया से ज़न बतलाना अस्तन्तव्य अपराध है।

आक्षेप (घ)—यद्यपि समन्तभद्र स्वामी ने श्रभिप्राय-पूर्वक त्याग करना वृत कहा है किन्तु इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि बाल्यावस्था में दिलाए गये नियम उपनियम सब शास्त्रविरुद्ध हैं। बाल्यावस्था में दिये गये वृत को श्रकलङ्क ने जीवन भर पाला। (विद्यानन्द)

समाधान—समन्तभद्र के द्वारा कहे गये वृत का लक्षण जानते हुए भी आक्षेपक समभते हैं कि बिना भाव के वृत शहण हो सकता है। इसका मतलब यह है कि वे जाति स्वभाव के अनुसार जैनधर्म और समन्तभद्र के विद्रोही हैं या अपना काम बनाने के लिये जैनी वेप धारण किया है। खैर, बाल्या-वस्था के नियम शास्त्रविरुद्ध भले ही न हो परन्तु वे वृतरूप अवश्य ही नहीं हैं। अकलङ्क के उदाहरण पर तो आक्षेपक ने जरा भी विचार नहीं किया। अकलङ्क अपने पिना से कहते हैं कि जब आपने बन लेने की बात कही थी तब वह वृत आठ दिन के लिये थोड़े ही लिया था, हमने तो जन्मभर के लिये लिया था। इससे साफ माल्म होता है कि वृत लेने समय अकलङ्क की उमर इतनी छोटी नहीं थी कि वृत न लिया जासके। उनने भावपूर्वक वृत लिया था और उसके महत्व की और उत्तरदायित्व को समभा था। क्या यही भावशून्य वृत का उदाहरण है ?

श्रास्तेष (ङ) — वृत दो प्रकार के हैं — निवृत्ति रूप, प्रयु-त्ति रूप। श्रमकर्म में प्रवृत्ति करना भी वृत है। यद्यपि बच्चों की श्रमकर्म की प्रवृत्ति में काई भाव नहीं रहता. फिर भी वे वृती कहे जा सकते हैं। (विद्यानस्ट्)

समाधान—जब कि वृत भावपूर्वक होते हैं तब वृतों के भेद भावशुरूय नहीं हो सकते। जीव का लक्षण चेतना. उसके सब भेद प्रभेदों में श्रवश्य जायगा। जीव के प्रभेद यदि जलच्य, श्रलच्य, नभच्य हे तो इससे नोका, रेलगाड़ी या वायु-यान, जीव नहीं कहला सकते, क्योंकि उनमें जीव का लक्षण नहीं जाता। इसलिये भावशुरूय कोई कार्य वृत्त का भेद नहीं कहला सकता। जा फल फुल या जल भगवान को चढ़ाया जाता है क्या वह वृती कहलाता है ? यदि नहीं, तो इसका कारण क्या भावशुरूयना नहीं है ? क्या भावशुरूय जिनद्र्शनादि कार्यों को इन कहने वाला एकाध प्रमाण भी श्राप दे सकते हैं ?

श्चाद्मेष (च)—संस्कारों को श्रनावश्यक कहना जैन सिद्धान्त के मर्म को नहीं समभाना है। इधर श्चाप संस्कारों से योग्यता पैदा करने की बात भी कहते हैं। ऐसा परस्पर-विरुद्ध क्यों कहते हैं? (विद्यानन्द)

स्माधान—वृत और संस्कारों को एक समस कर आद्योपक के गुरु ने घार भूर्खना का परिचय दिया था। हमने दोनों का भेद समसाया था जो कि श्रब शिष्य ने स्वीकार कर लिया है। वृत श्रीर संस्कार जुदे जुदे हैं इसलिये वे 'संस्कार श्रनावश्यक हैं' यह श्रथं कहाँ से निकल श्राया, जिससे पर-स्परिवरोध कहा जासके ? श्राद्योपक या उसके गुरु का कहना नो यह है कि "कि बाल्यावस्था में भी संस्कार होते हैं इस-लिये वृत कहलाया"। इसी मूर्वना को हटाने के लिये हमने कहा था कि "संस्कार से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है और वह प्रभाव प्रायः दूसरों के द्वारा डाला जाता है, परन्तु चूत दूसरों के द्वारा नहीं लिया जा सकता। संस्कार तो पात्र में श्रद्धा, समक्ष और त्याग के बिना भी डाले जासकते हैं परन्तु व्यत में इन तीनों की श्रत्यन्त श्रावश्यकता रहती है"। जब वूत श्रोर संस्कार का भेद इतना स्पष्ट है तब बाह्यावस्था में संस्कार श्रस्तित्व बतलाना मूर्खता श्रीर धोखा नहीं तो क्या है? संस्कार श्रावश्यक भले ही हों परन्तु वे बत के भेद नहीं हैं।

आक्षेप (छ)— ग्रुम कार्य दूसरों के द्वारा भी कराये जा सकते है, श्रीर उनका फल भी पूरा पूरा होता है। ग्रुम कार्य में जबरन प्रवृत्ति कराना अधर्म नहीं है। हाँ, यदि कोई विधवा कहें कि मैं तो वैधव्य नहीं लूँगी तब उस पर ज़बर्द्स्तो वैधव्य का 'टीका' मढ़ना भी उचित नहीं है। यदि कोई विधवा कहें कि मेरा विवाह करा दो तो वह भी श्रागमविरुद्ध है।

समाधान—युभ कार्य कराये जा सकते है। जो करा-यगा उसे कदाचित् पुरायबन्ध भी हो सकता है। परन्तु इससे यह कहाँ भिद्ध हुन्ना कि जिससे किया कराई जा रही है वह भावपूर्वक नहीं कर रहा है। यदि कोई कराता है न्नीर कोई भावपूर्वक करता है तो उसे पुरायबन्ध क्यों न होगा ? परन्तु यह पुरायबन्ध भावपूर्वकता का है। ऊपर भी इस प्रक्षका उत्तर दिया जा चुका है।

त्राप म्बीकार करते हैं कि श्रिनिच्छापूर्वक वैधाद्य का टीका न मढ़ना चाहिये। सुधारक भी इससे ज्यादा श्रीर क्या कहते हैं? जब उसे वैधाद्य का टीका नहीं ,सगा ना वह आगमविकद क्यों?

पन्द्रहवाँ प्रश्न ।

१२, १३, १४ और १५ वें प्रश्न बालविवाहविषयक हैं। इस में बालविवाह की नाजायज विवाह सिद्ध किया गया है। जो लोग सम्यग्द्रष्टि हैं वे तो विधवाविवाह के विरोधी क्यों होंगे. परन्त जो लोग मिध्यात्व के कारण से विधवाविवाहको ठीक नहीं समस्ते उन्हें चाहिये कि बालविधवा कहलाती हुई स्त्रियों के विवाह को स्वीकार करें क्योंकि बालविधवाएँ वास्तविक विधवाएँ नहीं हैं। एकबार न्यायशास्त्रके एक सुप्र-सिद्ध श्राचार्य ने (जो कि दिगम्बर जैन कहलाने पर भी तीब्र मिथ्यान्व के उदयसं या श्रन्य किसी लौकिक कारणसं विधवाः विवाह के विरोधी बन गये हैं) कहा था-कि तुम बड़े मूर्ख हो जो बालविधवाओं को भी विधवा कहते हो। इसी तग्ह पकवार गांपालदास जी के मुख्य शिष्य श्रीर श्रमेशास्त्र के बडे भारी विद्वान कहलाने वाले परिवटन जी ने भी कहा था-कि 'अञ्चतयोनि विभवाओं के विवाह में तो कोई दोष नहीं है'। यहाँ पर भी बालविवाह के विषय में चम्पतराय जी साहब ने जो तनिकयाँ उठाई हैं उनके उत्तरों से यही बात साबित होती है। विवाह का सम्बन्ध ब्रह्मचर्यागुवृत से है। जिनका बाल्या-वस्था में विवाद होगया वे ब्रह्मचर्याणुबत बाली कैसे कहला सकती हैं ? इसलिये उनका विवाहाधिकार तो कुमारी के समान ही रिद्धत है। ऋगर वे महावृत या सप्तम प्रतिमा धारण करें तब तो ठीक, नहीं तो उन्हें विवाह करलेना चाहिये। यद्यपि हम कह चुके हैं कि बालविधवाएँ विधवा नहीं हैं परन्तु कोई विधवा हो या विधुर, कुमार हो या कुमारी, ऋगर वह ब्रह्मचर्य प्रतिमाया महाब्रत प्रहण नहीं करता तो विवाह की इच्छा करने पर विवाह कर लेना अधर्म नहीं है।

आश्चेष (क)—प्रश्नकर्त्ता का प्रश्न समक्ष कर तो उत्तर देते। जो मनुष्य ब्रह्मचर्यागुब्रन धारण नहीं करता उस का विवाह करके क्या करोगे ? वह तो माना वहिन को स्त्री समक्षता है। (श्रीलाल)

समाधान—हमारे उपर्युक्त वक्तव्यको पढ़कर पाठक ही विचारें कि प्रश्न कीन नहीं समस्ता है। जिसने ब्रह्मचर्यश्रणुक्रत नहीं क्रिया है, उसे ब्रह्मचर्यश्रणुष्ट्रत देने के लिये ही तो विवाह है। इस श्राचेपक ने विवाह को ब्रह्मचर्यवृत रूप माना है। यहाँ कहता है कि ब्रह्मचर्यवृत्तरहित का विवाह क्यों करना श्रथीत् ब्रह्मचर्यवृत क्यों देना ? मतलव यह कि श्रवृतीको वृत देना निर्थक है! कैसा पागलपन है!

ग्राभेष (ख)—क्या दोत्ता श्रीर विवाह यही दो श्रवः स्थाएँ हो सकती हैं। (विद्यानन्द)

समाधान—को दीचा नहीं लेता और विवाह भी नहीं करना उससे कोई ज़बर्द्स्ती नहीं करना। परन्तु उसे विवाह करने का श्रिधकार है। श्रिधकार का उपयोग करना न करना उसकी इच्छा के उत्पर निर्भर है। उपयोग करने से वह पापी न कहा जायगा।

आक्षेष (ग)—जब आप विधुर विधवा आदि जिस किसी को विवाह करने का अधिकार देने हैं नव तो एक वर्ष की अवाध बच्ची भी विवाह करावें। आपने नो बाल, बुद्ध, अनमेल विवाह की भी पीठ ठोकी। (विद्यानन्द)

समाधान—इससे तो यह बात कही गई है कि वैधव्य, विवाहमें बाधक नहीं है। रेवर्ष की बच्ची का विवाह तो हो ही नहीं सकता यह इस अनेक बार कह खुके हैं। बालविवाह का जैनधर्म और इस विवाह ही नहीं सानते हैं। विवाह के अन्य अन्तरक्ष बहिरक्ष निमित्त मिल जाने पर कोई भी विवाह कर सकता है। हमारा कहना तो यह है कि वैधव्य उसका बाधक नहीं है।

सोलहवाँ प्रश्न

"जिसका गर्भाशय गर्भधारण के योग्य नहीं हुआ उस को गर्भ रह जाने से प्रायः मृत्यु का कारण होजाता है या नहीं ?" इस प्रश्न के उत्तर में वैद्यक शास्त्र के अनुसार उत्तर दिया गया था। श्राद्मेषकों को भी यह बात मंजूर है। परन्तु उसके लिये १६ वर्ष की श्रवस्था की बात नहीं कहते। श्राद्मेषकों ने इसपर ज़ोर नहीं दिया। इस अपने मूल लेखमें जो कुछ लिख चुके हैं उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है।

भ्रान्तेष (क)—सन्तानोत्पादन के लिये हृष्टुपृता की आवश्यकता है, उमर की नहीं। (श्रीलाल, विद्यानन्द)

समाधान—सन्तानोत्पादन के लिये हुएपुण्नाकी श्राव-रयकता है श्रीर हुण्पुण्ना के लिये उमर की श्रावश्यकता है। हाँ, यह बान ठीक है कि उमर के साथ श्रन्य कारण भी चाहियें। जिनके श्रन्य कारण बहुन प्रवल हो जाते हैं उनके एक दो वर्ष पहिले भी गर्भ रह जाना है, परन्तु इससे उमर का बन्धन श्रनावश्यक नहीं होना, क्योंकि ऐसी घटनाएँ लाख में एकाध ही होती हैं। श्रीलाल स्वीकार करते हैं कि कई लोग २०-२४ वर्ष तक भी सन्तानोत्पत्ति के योग्य नहीं होते। यदि यह ठीक है तो श्रीलाल को स्वीकार करना चाहिये कि १२ वर्ष की उमर में विवाह का नियम बनाना या रजस्वला होने के पहिले विवाह कर देना श्रमुचित है। यदि विवाह श्रीर सन्तानोत्पा-रन के लिये हुएपुण्ना का नियम रक्खा जाय तब १२ वर्ष का नियम यूट जाता है श्रीर बालविवाह सृत्यु का कारण है—यह बान सिद्ध हो जाती है।

सत्रहवाँ प्रश्न

'पाँच लाख झौरतों में एक लाख तेतालीस हज़ार विधवाएँ क्या शोमा का कारण हैं ?'' इसके उत्तर में हमने कहा था कि—''वैधव्य में जहाँ त्याग है वहाँ शोमा है अन्यथा नहीं। जहाँ पुनर्विवाहका अधिकार नहीं, वहाँ उसका त्याग ही क्या ?'' इस प्रत्न का उत्तर आदाक नहीं दे सके हैं। श्री लालजी तो तलाक की बात उठा कर यूरोप के नावदान सूँघने लग लये हैं। 'विधवाविवाह वाली ऊँची नहीं हो सकती' उसे आर्थिका बनने का अधिकार नहीं, आदि वाक्यों में कोई प्रमाण नहीं है। हम इसका पहिले विवेचन कर खुके हैं। आगे भो करेंगे।

ग्रासिप क)—विधवा गृहम्थ है, इसिवये वह सौभाग्यवितयों से पृज्य नहीं हो पाती।

समाधान—गृहम्थ तो ब्रह्मचर्यप्रतिमाधारी भी है। फिर भी साधारण लोगों की अपेका उसका विशेष सन्मान होता है। इसी प्रकार विधवाओं का भी होना चाहिये, परन्तु नहीं होता। इसका कारण यही हैं कि उनका वैधव्य त्यागरूप नहीं है। अगर कोई विधुर विधाहयोग्य होने और विवाह के निमित्त मिलने पर भी विवाह नहीं कराता तो वह प्रशंसनीय होता है। इसी प्रकार पुनर्विवाह न कराने वालो विधवाएँ भी प्रशंसापत्र हो सकती हैं अगर उन्हें पुनर्विवाह का अधिकार हो और वे विवाह योग्य हो तो। हाँ, उन विधुरों की प्रशंसा नहीं होती जो चार पाँच बार तक विवाह करा चुके हैं अधवा विवाह की कोशिश करते २ अन्तमें ब्रह्मचारी परिश्रहत्यागी आदि वन चरितार्थ करते हुए, अन्तमें ब्रह्मचारी परिश्रहत्यागी आदि वन गये हैं। विवाह की पूर्ण सामग्री मिल जाने पर भी जो

विवाह नहीं कराते वे ही प्रशासनीय हैं चाहे वे विधुर हाँ या विभवा।

ग्राह्मेष (ख)—पुनर्विवाह वाली जातियों में वैधव्य शोभा का कारण हैं। क्या इससे सिद्ध नहीं होता कि पुनर्विवाह न करने वाली शोभा का कारण और करने वाली ग्रशोभा का कारण हैं? (विद्यानन्द)

समाधान - उपवास और भूखे मरने का बाह्यक्य एकसा मालुम होता है, परन्तु दोनों में महान् अन्तर है । उपवास म्बंच्छापूर्वक हे. इसलिये त्याग है, तप है । भूखों मरना. विवश्ता से हैं इसिलिये वह नारकी मराखा सक्रीय है। एक समात ऐसी है जहाँ काने की स्वतन्त्रता है। एक ऐसी है जहाँ सभी को भूजों मरना पड़ता है । पहिली समाज में जो उप-वास करते है वे प्रशंसनीय होते हैं, परन्तु इसीलिये भूखीं मरने वाली समाज प्रशासनीय नहीं कही जासकती: फिर ऐसी हालत में जब कि भूखों मरने वाले चुरा चुरा कर खाते हों। पुनर्विवाह करने वाली जातिमें वैभव्य प्रशंसनीय है क्योंकि उस में प्राप्य भोगों हा त्यांग किया जाता है, प्तर्विवाहशून्य समाज में एंना चीजों का त्याग कहा जाता है जा श्रप्राप्य हैं। तब तो गधे के सींग का त्यागी भी बड़ा त्यागी कहा जायगा । जिन जातियों में पुनर्विवाह नहीं होता उनकी सभी स्त्रियाँ (भले ही वे विधवा हों) पुनर्विवाह कराने वाली स्त्रियों से नीची हैं क्यों कि नपुंसक के बाह्य ब्रह्मचर्य के समान उनके वैधव्य का काई मुख्य नहीं है। सारांश यह कि पुनर्विवाह वाली जानियाँ की विधवाओं का स्थान पहिला है (उपवासी के समान): पुनर्विवाहिताओं का स्थान दुसरा है (संयताहारी के समान) पुनर्विवाहशून्य जाति को विधवाशों का स्थान तीसरा है (भूकों मरने वालों के समान)।

श्राप्तेष (ग)—विधुर श्रीर विधवाश्रों का श्रगर एकसा इलाज हो तो दोनों को शास्त्रकारों ने समान श्राडा क्यां नहीं दी ? (विद्यानन्द)

समाधान--जैनधर्म ने दोनों को समान श्राह्मा दी है। इस विषयमें पहिले विस्तारसे लिखा जा सुका है। देखा 'अध'।

आक्षेप (घ)—स्त्रीपर्याय पुरुषपर्याय से निद्य है। इस लिये जो विधवाएँ पुरुषों के समान पुनर्विधाह का अधिकार चाहनी हैं, वे पहिले पुरुष बनने के कार्य संयमादिक पालकर पुरुष वनलें। बाद में पुरुषों के समान पुनर्विवाह की अधिकारी वनें। (विद्यानन्द)

मगाधान--- श्रगर यह कहा जाय कि "भारतवासी निद्य हैं इसिलिये ग्रगर वे स्वराज्य चाहते है तो श्रंश्रेज़ों की निस्वार्थ सेवा करके पूर्य कमार्थे और मरकर श्रंशेज़ी के घर जन्म लंबें" तो यह जैसी मुर्खता कहलायगी इसी तरह की मर्खता श्राक्षेपक के बक्तब्य में है । बर्नमान विधवार्ष श्रगर मर के पुरुष बन जायँगी तो क्या परलोक में विधवा बनने के लिये पगिडत लोग अवतार लेंगे ? क्या फिर विश्रवाएँ न रहेंगी ? क्या इसमे विश्ववाश्री की समस्या हल हो जायेगी ? क्या म्रगहत्याएँ न होंगी ? क्या विपत्तिग्रस्त लोगों की विपत्ति दूर करने का यही उपाय है कि पारलोकिक सम्पत्ति की भूठी श्राशा से उन्हें मरने दिया जाय ? ख़ैर, जिन विधवाश्रों में ब्रह्म चर्च के परिसाम है वे तो पुरखोपार्जन करेंगी परन्तु जो विध-वाएँ सदा मानसिक सौर शारीरिक व्यभिचार करती रहती हैं, भोगों के अभाव में दिनगत रोती हैं श्रोर हाय हाय करती हैं, वे क्या पुरायांपार्जन करेंगी ? दुःकी जीवन व्यतीत करने से ही क्या पुगयबन्ध हो जाता है? यदि हाँ, तब सातवें नरक के नारकी को सब से बड़ा तपम्बी कहना चाहिये। यदि

नहीं, तो वर्तमान का वैधन्य जीवन पुरायोगार्जक नहीं कहला सकता ।

ऋठारहवाँ प्रश्न

इस प्रकृत में यह पूछा गया था कि जैनसमाज की सख्या घटने से समाज की हानि है या लाभ ? हमने संख्याघटी की वात का समर्थन करके समाज की हानि वतलाई थी। श्रीलाल तो गवर्नमेन्द्र की रिपोर्ट का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करते। किम्बदन्ती के अनुसार कम्भकर्ण ६ महीने सोता था, परन्तु हमारा यह त्राविषक कुम्मकर्ण का भी कुम्मकर्ण निकला। यह जन्म से लेकर बुढापेनक सो ही रहा है। खेर, विद्यानन्ड ने संख्याबदी की बात स्वीकार करली है। दोनों बासेपकों का कहना है कि संख्या घटती है घटने दो जाति रसातल जाती हे जाने हो, परन्तु धर्म को बचाओं ! विधवाविवाह धर्म है कि अधर्म-इस बात की यहाँ चर्चा नहीं है। प्रश्न यह है कि संख्या घटने से हानि है या नहीं ? यदि है तो उसे हटाना चाहिये या नहीं ? हरएक विचारशील आहमी कहेगा कि संख्याघटी राक्ता चाहिये। जब विधवाविवाह धर्मानुकृत है श्रीर उससे संख्या बढ़ सकती है तो उस उपाय की काम में लानाचाहिया।

आस्पेष (क)—जैनी लोग पापी होगये इसलिये उनकी संख्या घट रही हैं।

समाधान—धान विलक्कल ठीक है। सैकडों वर्षों सं जैनियों में पुरुषत्व का सद बढ़ रहा है। इस समाज के पुरुष स्वय तो पुनर्विवाह करते हैं. और स्त्रियों को रोकते हैं, यह अत्याचार, पत्तपात क्या कम पाप है? इसी पाप के फल से इनकी संख्या घट रही है। पूजा न करने आदि से संख्या घटती तो म्लंडलों की संख्या न बढ़ना चाहिये थी। आक्षेप (ख) — मुसलमान लोग तां इसलिये बढ़रहें हैं कि उन्हें नरक जाना है। और इस निष्ठष्ट काल में नरक जाने वालों की अधिकता होगी। (श्रीलाल)

समाधान—आप कह चुके हैं कि जैनियों में पापी हो गयं इसलिये संख्या घटी। परन्तु इस चक्तव्य से तो यह माल्म होता है कि जैनियों की संख्या पाप से बढ़ना चाहिये जिसमें नरकगामी आदमी मिल सकें। इस नरक के दूत ने यह भी स्वीकार किया है कि "नीच काम करने से नीच को जिनना पाप लगना है उससे कई गुणा पाप उच्च को लगना है", अर्थात् जैनियों को स्यादा पाप लगना है। इस सिद्धानत के अनुसार भी जैनियों की संख्या बढ़ना चाहिये क्योंकि इस समाज में पैदा होने से खूब पाप लगेगा और नरक जल्दी भरेगा। एक नरफ पाप से संख्या की घटो बनलाना और दूसरी नरफ पाप से संख्या की चुद्धि बनलाना चिचित्र पागलपन है।

त्राक्षेप (ग)—विधवाविवाह श्रादि सं, प्लेग हैज़ा आदि सं समाज का सफ़ावट हो जायगा। (श्रीलाल)

सम्भित्न—विधवाविवाह से स्फाचट होंगा इसका उत्तर तो योरोप अमेरिका आदि को परिस्थिति देगो। परन्तु विधवाविवाह न होने से जैनसमाज सफाचट हो रही है यह तो प्रगट ही है।

ग्राक्षेप (घ)—समाज न गहने का डर वृथा है। जैन-धर्म तो पंचमकाल के अन्त नक रहेगा। (श्रीलाल)

समाधान—विधवाविवाह के न होने से संख्या घट रही है। जैनियों की जिन जातियों में पुनर्विवाह है उनमें संख्या नहीं घट रही है। श्रगर पुनर्विवाह का रिवाज चाल न होगा तो संख्या नए हो जायगी। परन्तु जैनधर्म का इतना हास तो नहीं हो सकता इससे सिद्ध है कि विश्ववाविवाह का प्रचार ज़कर होकर रहेगा। अथवा जिन जातियों में विश्ववाविवाह का रिवाज है वे ही जातियाँ अन्त तक रहेंगी। रही चिन्ता की बात सो जो पुरुष है उसे तो पुरुषार्थ पर ही नज़र रखना चाहिये। कोरी भवित्रव्यता के भरोसे पर बैठकर प्रयत्न से उदासीन न होना चाहिये। तीर्थं कर अवश्य मोत्त्रगामी होते हैं फिर भी उन्हें मोत्त के लिये प्रयत्न करना पड़ता है। इसी तरह जैनधर्म पंचमकाल के अन्त तक अवश्य रहेगा परन्तु उसे तब तक रहने के लिये विश्ववाविवाह का प्रयत्न अवश्य करना चाहिये।

यह स्त्रास्त्रतिचार का प्रकरण नहीं है। इसका विवे-चन कुछ हो चुका है। बहुन कुछ खागे भी होगा।

आक्षेष (ङ)—विध्यविवाह से तो बचे खुचे जैनी नास्तिक हो जावेंगे, कौड़ी के तीन तीन विकेंगे। जैनधर्म यह नहीं चाहना कि उसमें संख्यावृद्धि के नाम पर कुड़ाकचरा भर जाय। (विद्यानन्द)

समाधान—आदोपक कूड़ाकचरा का विरोधी है परन्तु विधवाविवाह वालों को कूड़ाकचरा तभी कहा जामकता है जब विधवाविवाह धर्मविरुद्ध सिद्ध हो। पूर्वोक्त प्रमाणों से विधवाविवाह धर्मावुकूल सिद्ध है इसलिये आदोपक की ये गालियाँ निर्धिक हैं। विधवाविवाहोत्पन्न तो व्यभिचारजान है हो नहीं, परन्तु व्यभिचारजातना से भी कोई हानि नहीं है। व्यभिचार पाप हैं (विधवाविवाह व्यभिचार नहीं हैं) व्यभिचारजातता पाप नहीं हैं अन्यथा रविषेणाचार्य ऐसा क्यों लिखते—

चिन्हानि विटजानस्य सन्ति नांगेषु कानिचित् । स्रनार्यमाचरन् किञ्चिजायते नीचगाचरः॥ व्यभिचारज्ञातता के कोई चिन्ह नहीं होते। दुराखार से ही मनुष्य नीच कहलाता है।

यदि व्यभिचारजात शुद्ध ही कहलाता है तो रुद्ध भी शुद्ध कहलाये। जब रुद्ध मुनि वनते हैं तब आपको शुद्ध मुनि का विधान भी मानना पहुंगा । तन्द्रवमोत्तगामी व्यभिचार जात सुदृष्टि सुनार पर विवेचन तो आगे होगा ही ।

आक्षेप (च)—जैनधर्म नहीं चाहता कि उसमें संख्या-वृद्धि के नाम पर कूड़ा कचरा भर जाय। यदि ६० म बढ़ते हैं ता ६० म मुक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं। जैनधर्म स्वयं अपने में बढ़ा हुई संख्या ६० म को सिद्धशिला पर सदा के लिये स्थापन कर देता है। (विद्यानन्द)

मपाधान—उदाहरण देने के लिये जिस बुद्धिकी आव श्यकता है उस तरह को साधारण बुद्धि भी आसंपक में नहीं मालूम होती । आसंपक संख्यात्रृद्धि के नाम पर कूड़ा कचरा न भरने की बात कहते हैं और उदाहरण कूड़ा कचरा भरने का दे रहे हैं । व्यवहारराशि में से छः महीन आठ समय में ६० जीव मांस जाते हैं और नित्यनिगोद से इतने ही जीव बाहर निकलते हैं । जैनधर्म अगर ६० जीव सिद्धालय को भेजता है तो उसकी पूर्ति निगोदियों से कर लेता है । अगर जैनधर्म को संख्या घटने की पर्वाह न होती तो वह सिद्धालय जाने वाले जीवों की संख्यापूर्ति निगोदियों सरीखे तुच्छु जीवों से करने को उताह न हो जाता।

इस उदाहरण सं यह बात भी सिद्ध होती है कि जैन-धर्म में कूड़ कचरे को भी फलफूल बनाने की शक्ति है। बह कूड़ें कचरे के समान जीवों को भी मुक्त बनाने की हिम्मत रखना है। जैनधर्म उस चतुर किसान के समान है जो गाँव भर के कूड़ें कचरे का खाद बनाता है श्रीर उससे सफल खेती करता है। वह मोच्च भेजने के लिये देवलोक में से प्राणियों को नहीं चुनता बल्कि उस समृद्द में से चुनता है जिस्म का श्रिथिक भाग कुड़े कचरे के समान है। खेत में जितनी मिट्टी है उतना श्रनाज पैदा नहीं होता परम्तु इसीलिये यदि कोई मूर्ख किसान यह कहें कि जिनना श्रनाज पैदा होता है उतनी ही मिट्टी रक्खों बाक़ी फेंकदों तो वह पागल विफल प्रयन्त करेगा। श्रगर हम चाहते हैं कि दस लाख सखें जैनी हों तो हमें जैन समाज में १०-१२ करोड़ भले बुरे जैनी तैयार रखना पड़ेंगे। उनमें से १० लाख सखें जैनी तैयार हो सकेंगे। जैनधर्म तो सिद्धालय भेजने पर मो संख्या की श्रुटि नहीं सहता श्रीर हम कुगति छोर कुधर्म में भेज करके भी संख्याश्रुटि का विचार न करें तो कितनी मर्खता होगी।

उन्नीसवाँ प्रश्न

जैन समाज में श्रविवाहितों की काफ़ी संख्या है। इसका कारण बलाई घट्य की कुप्रधा है। जैन समाज में कुमारियों की संख्या १ लाज इप हज़ार ५१४ हैं जब कि कुमारों की संख्या २ लाज इप हज़ार ५१४ हैं जब कि कुमारों की संख्या २ लाज ह हज़ार २६५ हैं। इनमें से ६३२४६ कुमार तो ऐसे हैं जिनकी उमर बीस वर्ष से ज्यादा हैं। इस उमर के इने मिने कुमारों को खोड़ कर बाक़ी कुमार श्रविवाहित रहने वाले ही हैं। एक तो कुमारियों की सख्या यों हो कम है परन्तु तीन चार वर्ष तक के लड़कों के लिये विवाहयोग्य लड़कियाँ आगे पैदा होंगी इस आशा सं कुमारियों की संख्या सन्तोषप्रद मानली जाय तो ६१३७१ विधुर मौजूद हैं। ये भी अपना विवाह कुमारियों से ही करते हैं। फल इसका यह होता है कि ६३२४६ पुरुष बीम वर्ष की उमर के बाद भी कुमार रहते हैं। यद ये ६१३७१ विधुर विध्वाशों से हाई। करें तो २० वर्ष सं

श्रिषिक उमर के कुमारों की संख्या ६३ हज़ार से श्रिषिक के खान में दो हज़ार से भी कम रह जाय। जब तक विधवाविवाह की सुप्रधा का प्रचार न होगा तब तक यह विषमता दूर नहीं हो सकती।

त्रम्तर्जातीय विवाह से भी कुछ सुभीता हो सकता है क्यों कि क़रीब ४२०० कुमारियाँ ऐसी हैं जिनकी उमर २० वर्ष से ज्यादा होगई हैं परन्तु उनका विवाह नहीं हुन्ना । छोटी जातियों में गोर्य बर न मिलने से यह परिस्थिति ऐंदा हो गई है। बड़ी जातियों को भी इस्प कठिनाई का स्वामना करना पड़ता है। अन्तर्जातीय विवाह का प्रचार करने के साथ विधवा विवाह के प्रचार की भी ज़रूरत है क्यों कि विधवाविवाह के बिना अविवाहितों की समस्या हल नहीं होसकती।

श्रीलालजी यह स्वीकार करते हैं कि 'लड़का लड़की समान होते हैं परन्तु लोग श्रविवाहित इसलिय रहते हैं कि व गरीब है'। इस मले श्रादमी को यह नहीं स्मता कि जब लड़का लड़की समान हैं तो गरीबों को मिलने वाली लड़की कर्वां कर्तां चली जाती हैं? भले श्रादमी के लड़के भी तो एक स्त्री रखते हैं। हाँ, इसका कारण यह स्पष्ट है कि विधुर लोग कुमारियों को हज़म कर जाते हैं। ऐसे श्रविवाहित कुमारों की संख्या बहुत उपादा है जिनके पास पश्चीस पचास हज़ार रुपये की जायदाद भले ही न हो या जो हज़ार दो हज़ार रुपये देकर कन्या ख़रीदने की हिम्मत न रखते हैं। फिर भी जो चार श्रादमियों की गुज़र लायक पैदा कर लेते हैं। लड़कियों को लखपित लेजाँय या करोड़पित ले जाँय परन्तु यह स्पष्ट है कि विवाहयांग्य उमर के ६३ हज़ार कुमारों, को लड़कियों नहीं मिल रही हैं। जब इनके लिये लड़कियाँ हैं ही नहीं तब ये लखपित भले ही बन जाँय परन्तु इन्हें श्रविवाहित रहना

ही पड़ेगा। अगर इनमें से कोई विवाहित हो जायगा तो इसके बदले में किसी दूसरे को अविवाहित रहना पड़ेगा। धन से लड़ियाँ मिल सकती है परन्तु धन स लडकियाँ बन तो नहीं सकती। इसलिये जब तक विधवाविवाह की सुप्रधा का प्रचार नहीं होता तब तक यह समस्या हल नहीं हा सकती।

द्यान्तेष (क)—श्रविवाहित रहने का कारण ना हमने कर्भोदय समभ रक्खा है। यह (चलाई घट्य) नया कारण तो श्रापने खुब ही निकाला। (विद्यानन्द)

समाधान—कर्मोदय ता अन्तरक कारण है और वह तो ऐस हर एक कार्य का निमित्त है। परन्तु यहाँ तो वाह्य कारणों पर विचार करना है। विध्वविवाह का प्रचार भी अपन अपने कर्मोदय के कारण है फिर आप लाग क्यों उसके वरोध में हा हल्ला मचाते हैं? चारो करना, खत करना, बला-त्कार करना आदि अनक अन्याय और अन्याचारों का निमित्त कर्मोदय है फिर शासनव्यवस्था की क्या आवश्यकता? कर्मो-दय स बीमारा हुआ करतो है फिर चिकित्सा और संवा की कुछ ज़करत है कि नहीं? कर्मोदय स लदमी मिलती है किर व्यापारादि की आवश्यकता है कि नहीं? मनुष्य गव दैव की गुलामी के लिये नहीं है प्रयक्त के लिये हैं। इसलिये भले ही कम अपना शक्ति आज्ञमाव परन्तु हमें तो अपने प्रयक्त स काम लेन। चाहिये।

'विध्याविवाह कर लेने पर मो कोई विवाहित न कह-लायगा क्योंकि विध्वाविवाह में विवाह का लच्चण नहीं जाता' इसका उत्तर हम दें चुके हैं, श्रीर विध्वाविवाह को विवाह सिद्ध कर चुके हैं।

बीसवाँ प्रश्न

यहाँ यह पूछा गया है कि ये विश्ववाएँ न होतीं तो संख्यावृद्धि होती या नहीं। बहुत जातियों में विधवाविद्याह होता है और सन्तान भी पैदा होती है इसलियं संख्यावृद्धि को बात तो निश्चित है। जहाँ विधवाविवाह नहीं होता वहाँ भ्रणहत्या श्रादि से तथा दस्या विनैक्या श्रादि कहलाने वाली स्तान पैदा होने से विधवाश्री के जननीत्व का पना सगता है। विद्यानन्द जी का यह कहना निर्धिक प्रलाप है कि ऋगर वे बन्ध्या होती तो ? बन्ध्या होती तो सन्तान न बढ़ती सिफ् ब्रह्मचर्यासुबन का पालन होता। परन्त जैतसमाज की सब विधवार्षे बन्ध्या है इसका कोई प्रमाण नहीं है बल्कि उनके श्रवनध्यापन के बहुत स प्रमाण हैं। श्रीलाल का यह की ग भूम है कि विधवाविवाह वाली जातियों की संख्या घट रही है। कोई भी शादमी—जिसके शाँखें है—विधवाविवाह श्रीर सन्तानवृद्धि की कार्यकारणज्यापि का विशेष नहीं सकता। रोग से, भूखों मर कर या ब्रस्य किसी कारण से कहीं की मृत्यसंख्या अगर वह जाय तो इस में विधवाविवाह का कोई अपराध नहीं है। उससे तो यथासाध्य संख्या की पूर्ति ही होगी। परन्तु बलादुबैधव्य से तो संख्या हानि ही होगी ।

विभवविवाह से व्यक्तिचारनिवृत्ति नहीं होती, इसका खगडन हम पहिले कई बार कर चुके हैं। सुदृष्टि की चर्चा के लिये सलग प्रश्न हैं। वहीं विचार किया जायगा।

आक्षेप (क)—माता वहिन आदि सं भोग करने मैं भो सन्तान हो सकती है। (श्रीलाल)

समाधान-किल दिन माताओं और बहिनों को पुत्र

श्रार माई को छोड़ कर दुनियाँ में श्रीर कोई पुरुष न मिलेगा श्रार पुरुषों का माँ विहन छोड़ कर श्रीर कोई स्त्री न मिलेगी, माई बहिन में श्रीर माँ वेट में गुन व्यक्तिचार की मात्रा बढ़ जावेगी, श्रुणहत्याएँ हाने लगेंगी, उनकी कामवासना को स्वीमित करने के लिये श्रीर कोई स्थान न रहेगा, उस दिन माँ वेटे श्रीर विहन भाई के विवाह की समस्या पर विचार किया जा सकता है। श्राचेषक विश्ववाविवाह से बढ़ने वाली सख्या के ऊपर मां यहिन के साथ शादी करने की बात कह कर जिस घार निलंजना का परिचय दे रहा है, क्या यह परिचय विश्वरविद्याह क विषय में नहीं दिया जालकता? सन्तान के बहाने से श्रुपता पुनर्विवाह करने वाले विश्वर, श्रुपनी माँ बहिन से शादियाँ क्याँ नहीं करते? जा उत्तर विश्वरविवाह वे लिये हैं वही उत्तर विश्ववाविवाह के लिये हैं।

इस प्रश्न में यह आतिएक अन्य प्रश्नों से अधिक लड-लड़ाया है. इसलिये कुछ भी न लिखकर यह असभ्य कथन नथा लेंडरा आदि शब्दों का प्रयाग किया है।

आशिष्—(ख) श्रठारहवे प्रश्न में श्रापने कहा था कि प्रतिवर्ष जैनियों की संख्या अहजार घट रही है। श्रव कहते हैं कि बढ़ रही है। ऐसे हरजाई (रिपार्ट का हम विचार नहीं करने। (विद्यानन्द)

सम्प्रिन् श्रापके विश्वास न करने से रिपार्ट की उपयोगिता नष्ट नहीं होती, न वस्तुस्थिति वदल जाती है। पशु के आँख मींचने से शिकारी का श्रम्तित्व नहीं मिट जाता। वैनियाँ को जनसंख्या प्रतिवर्ष सात हुआर घट रही है परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि जैनियाँ के किसी घर में जनसंख्या बहती नहीं है। ऐसे भी घर हैं जिनमें दा से दस श्राद्मी हो गये होंगे परन्तु वे घर कई गुर्गे है जिनमें दस से

दं श्रादमो हो गह गये हैं। कहीं वृद्धि और कहीं हानि तो होती हो है परन्तु श्रोसुन सात हज़ार हानि का है। किसी किसी जातिमें संख्या बढ़ने से जैन समाज को संख्याहानि का निषेध नहीं किया जा सकता। जिन जातियों में विधवाविवाह का रिवाज है उनमें संख्या नहीं घटती है, या बढ़ती है। साथ ही जिन जातियों में विधवाविवाह का रिवाज नहीं है उनमें इतनी संख्या घटती है कि विधवाविवाह वालो जातियों की संख्या-वृद्धि उस घटी का पूरा नहीं कर पाती।

श्रासिप (ग)—हमारी दृष्टि में तो विधवाविवाह से बहुत वाली संख्या निर्जीव है। (विद्यानन्द्र)

समाधान—इसका उत्तर ता युराप श्रमेरिका श्रादि देशों क नागरिकों की श्रवस्था से मिल जाता है। प्राचीनकाल क व्यमिचारजात सुदृष्टि श्रादि महापुरुप भी ऐसे श्राह्मेपकों का मुँहतोड़ उत्तर देते रहे हैं। विशेष के लिये देखों (१८ छ)

स्रासिप (घ्र)—विधुग्न्व के दृग करने का उपाय शास्त्रा में है। साध्य के लिये झीवध विधान है श्रमाध्य के लिए नहीं। एक हो कार्य कही कर्नव्य श्रोग सफन होता है, कही श्रकर्नव्य श्रोग निष्फल।

समाधान—विधुरत्व आर वैवन्य के तियं एक ही विधान है. इस विषय में इस लाल में अनेक बार लिखा जा चुका है। असाध्य के लिये आपध का विधान नहीं है परन्तु असाध्य उसे कहते हैं जो चिकित्सा करने पर ना दूर न हा सके। वैधन्य नो विधुरत्व के समान पुनर्विवाह से दूर हा सकता है, इसलिये वह असाध्य नहीं कहा जा सकता। एक ही कार्य कहीं कर्तन्य और कहीं अकर्तन्य हो जाता है इसलिये कुमार कुमारियों के लिये विवाह कर्तन्य और विधुर विधवाओं क लिये अकर्तन्य होन। चाहिये। पुनर्विवाह यदि विधुरों के लिये अकर्तन्य नहीं है तो विभवात्री के लिये भी श्रक्तव्य नहीं कहा जा सकता।

श्राक्षेप (ङ)—मोत्त जाने वाले ६०८ जीवों की संख्या में कमी न श्राजाय इसलिये हम विधवाविवाह का विरोध करने हैं। (विद्यानन्द)

समाधान—जैनधर्मानुमार छः महीने आठ समय में ६० मजीव मोज जाने का नियम अटल है। उसकी रज्ञा के लिये आजेपक का प्रयत्न हास्यास्पद है। फिर आजेपक जहाँ भरत- जेज में) प्रयत्न करता है वहाँ तो मोज्ञका द्वार सभी बन्द ही है। तीसरी बात यह है कि विधवाविवाह से मोज का मार्ग बन्द नहीं हाता। शास्त्रों की आजाएँ जो पहिले लिखी जा चुकी है और खुद्दि का जीवन इस बात के प्रवल प्रमाण हैं।

आक्षेष (च)—सन्यसाची, तुम श्रोरतों की भाँति विलख विलख कर क्यों रारहे हो ? तुम्हें श्रीरत कीन कहता है ? तुम श्रपने श्राप श्रीरत बनना चाहो ता १। डबल के बताशे भेजदो। यहाँ से एक नाबीज भेजदिया जायगा। तुम तो न श्रीरत हो न मर्द। सन्यसाची (श्रुर्जुन) नर्पुसक हो। (विद्यानन्द)

समाधान—श्राहेपकों को जहाँ श्रपनी अझानता का मात्राधिक परिचय होगया है वहाँ उनने इसी प्रकार गालियाँ दी है । ये गालियाँ हमने इनके संडपन की पोल खोलने के लिये नहीं लिखी हैं परन्तु इनके टुकड़खोरपन को दिखाने के लिये लिखी हैं। श्राह्मपक १। पैसे के बनाशों में मुके स्त्री बना देने का या दुनिया में प्रसिद्ध कर देने को तैयार है। जो लोग १। पैसे में मर्द को स्त्री बनाने के लिये तयार हैं वे भरपेट रोटियाँ मिलने पर धर्म को अधर्म श्रीर अधर्म को धर्म कहने के लिये तयार हा जायँ नो इसमें क्या श्राक्ष्य हैं! जो लोग इन पंडिनों को दुकड़ों का गुलाम कहते हैं वे लोग कुछ नरम शब्दों का

ही प्रयोग करते हैं। श्राह्मेशक ने ताबीज़ बाँधने की बात कह-कर अपने गुप्त जीवन का परिचय दिया है। ताबीज़ बाँधने वाले बगुलामक ठगाँ से पाठक श्रविचित न होंगे। रही नपुं-सकता की बात सो यदि कीरबदल को पाप का फल चलाने बाला श्रोर उसी भव से मोल जाने बाला श्रर्जुन नपुंसक है तो ऐसी नपुंसकता गौरब की बस्तु है। उस पर श्रनन्तपंगा-पश्चिं का प्रथक न्याञ्जावर किया जा सकता है।

हमने एक जगह लिखा है कि 'हमने विश्ववाविवाह का विरोध करके स्त्रियों के मनुष्पाचित अधिकारों को हड़पा इस्तिये आज हमें दुनियाँ के सामने औरत बनके रहना पड़ता है। कभी २ एक आदमी के छारा 'हम' शब्द का प्रयोग समाज के लिये किया जाता है। यहाँ 'हम' शब्द का अर्थ 'जैनसमाज' स्पष्ट है। परस्तु जब कुछ न बना तो आद्योपक ने इसी पर गालियाँ देना शुक्क कर दी।

इस तरह के बाक्य तो हम भी श्राचे पक के बक्तव्य में स उद्भृत कर सकते हैं। १ म वें प्रश्न में श्राचे पक ने एक जगह लिखा है कि "हम विश्ववाशों के लिये तड़प रहे हैं, उन्हें श्रपनी बनाने के लिये छुटपटा रहे हैं।" श्रव इस श्राचों पक से कोई पूछे कि 'जनाव ! श्राप ऐसी बद्माशी क्यों कर रहे हैं।

श्वाक्षेप (छ)—यदि जैनधर्म का सम्बन्ध रक्त मांस सं नहीं है तो उसके भक्तण करने में क्या हानि? (विद्यानन्द)

सम्भिन्न हानि नो मलसूत्र मधुमद्य आदि के भन्नग्र करने में भी है तो क्या जैनधर्म के लिये इन सब चीज़ों के उपयोग की भी आवश्यकता होगी? जिसके भन्नग्र करने में भी हानि है उसको जैनधर्म का आधार स्तम्भ कहना गृज़ब का पारिष्ठत्य है। यहाँ तो आन्तेषक के ऊपर ही एक प्रश्न

खड़ा होता है कि जब आप रक्त मांस में गुद्धि समसते हैं तो उसके भक्तण करने में क्या दोष ?

श्चाक्षेष (ज)— द्रव्यवेद (स्त्री) पाँचवें तक क्यों ? भाव-येद नवमें तक क्यों ? क्या यह सब विचार रक्त माँस का नहीं हैं। (विद्यानन्द)

समाधान—वेद को रक्तमांस समझना भी श्रद्भुत पागिडत्य है। लैर, वह प्रश्न भी श्राच्चे पक के ऊपर पड़ता है कि एक ही माता पिता से पैदा होने वाले भाई वहिन की रक्त-शुद्धि तो समान है फिर स्त्री पाँचवें गुण्यान तक ही क्यों? यदि स्त्रियों में रक्त माँस की शुद्धि का श्रभाव माना जाय तो क्या उनके सहोदर भाइयों से उनकी कुल जाति जुदी मानी जायगी? श्रीर क्या सभी स्त्रियाँ जारज मानी जायँगी?

श्राक्षेप (क्ष)—विना वज्र वृष्यमनागच संहनन के मुक्ति प्राप्त नहीं होती। कहिये श्रुवीर श्रुद्धि में धर्म है या नहीं ?

समाधान—संहनन को भी रक्त मांस शुद्धि समझना विचित्र पागिडत्य है। क्या व्यभिचारजातों के बज्ज बृषभना-राच संहनन नहीं होता? क्या मच्छों के बज्ज बृषभनाराच संहनन नहीं होता? यदि होता है तो इन जीवों का शरीर ब्राह्मी सुन्दरी सीता कादि देवियों और पञ्चमकाल के श्रुतकेवली तथा श्रुतेक श्राचारों के शरीर से भी शुद्ध कह-लाया क्योंकि इनके बज्जबृपभनाराच संहनन नहीं था। कहीं रक्त शुद्धि का शर्थ कुलशुद्धि जातिशुद्धि करना, कहीं संहनन करना विक्षिमता नहीं तो क्या?

श्राक्षेप (ञ)—सुभग श्रादि प्रकृतियों के उदय से पुरायात्मा जीवों के संहनन संस्थान श्रादि इतने प्रिय होते हैं कि उन्हें छाती से चिपटाने की लालसा होती है।

(विद्यानन्द्र)

मयाधान — इसीलिये तो शरीर के साथ जैनधर्म का कुछ सम्बन्ध नहीं है। शरीर के श्रच्छे होने से उसे छाती से चिपटाने की लालसा दोती है परन्तु किसी को छाती से चिपटाने से मोच नहीं मिलता, मोच दूर भागता है। धर्म श्रीर मोच के लिये तो यह विचार करना पड़ता है कि "पल कथिर राधमल थैली, की कस बसादि तें मैली। नब्रह्मर बहे घिनकारी, अस्म देह करें किम यारी॥"

श्राक्षेप (ट)—जहाँ रक्त मांस की शुद्धि नहीं है, वहाँ धर्मसाधन भी नहीं है, यथा स्वर्ग श्रादि। (विद्यानन्द)

समाधान-देशों के शरीर में रक्तमांस की ग्रुद्धि नहीं है परन्तु श्रग्नद्धि भी तो नहीं है। यदि श्रगीर का धर्मसे सम्ब-न्ध होता तो देवों को मोच्च बहुत जल्दी मिलता। समन्तमद्र स्वामी ने ब्राप्तमीमांसा में तीर्थंकर भगवान को लक्ष्य करके कहा है कि "भगवन् ! शारीरिक मद्दव तो आपके समान देवों में भी है इसिलये श्राप महान * नहीं हैं"। इससे हो बातें सिद्ध होती हैं। पहिली तो यह है कि परमात्मा बनने के लिये या परमातमा कहलाने के लिये शरीर शुद्धि की बात कहना मुर्खना है। दूसरी यह कि देवीं का शरीर भी शुद्ध होता है फिरू भी वेधर्मनहीं करपाते। अगर 'रक्त मांस की शुद्धि' शब्द को हो एकडा जाय तो भागभूमिजों के यह शुद्धि होती है, फिर भी वे धर्म नहीं कर पाते हैं। पशुक्रों के यह शुद्धि नहीं होती किन्त फिर भी से इन सबसे अधिक धर्म पंचमगुणस्थान और शक्त संश्याधारण कर सेते हैं। शरीरश्रुद्धिधारी भोगभूमिज तो सिर्फ चौथा गुण्यान और पीन लेश्या तक ही धारण करपाते हैं।

श्रध्यातमं बहिरच्येप विद्रहादिमहोदयः । दिव्यः सत्यो दिवीकस्त्वप्यस्ति रागादिमत्सु सः ।

म्लेटलु और सुदृष्टि के मोत्तरामन तथा पूज्यपाद और रिवर्षण श्रादि श्राचार्यों के प्रमाणों स व्यभिचार जात श्रादि भी मात्त जा सकते हैं यह बात लिखी जा चुकी है ।

इक्कोसवाँ प्रश्न ।

श्रह्णसम्याहाने से मुनियां को श्राहार में किनाई होती
है। यद्यपि श्राजकल मुनि नहीं है, फिर भी श्रगर मुनि हों तो
वे सब जगह विहार नहीं कर सकते क्योंकि श्रनेक प्रान्तों में
जेनी हैं ही नहीं श्रोर जहां है भी वहां प्रायः नगरों में ही हैं।
मुनियों में श्रगर इतनी शक्ति हो कि वे जहाँ चाहे जाकर नये
जेनी बनावे श्रीर समाज के अपर प्रभाव हालकर उन नये
जेनी बनावे श्रीर समाज के अपर प्रभाव हालकर उन नये
जेनियाँ को समाज का श्रद्ध स्वीकार करायें ना यह समस्या हल
हा सकती है। परन्तु हर जगह तुरन्त ही नये जैनी बनाना श्रीर
उिहण्ट्यागपूर्वक उनसे श्राहार लैना मुश्किल है, इसलिये जैन
समाज का बहुसंस्थक हाने की श्रावश्यकना है। विधवाविवाह
मंख्यावृद्धि में कारण है, इसलिये विधवाविवाह मुनिधर्म के
श्रीस्तत्व के लिये भी श्रम्यतम साधन है।

आक्षेप (क) — जब मार्ग में जैन जनता नहीं तब जो भक्त गृहस्थ अपना काम धन्धा छोड़ कर मुनिसेवामें लगें उस क समान दूसरा पुगय नहीं। मुनियों को हाथ से रोटी बनाकर लाने की सलाह देना धुएता है।

समाधान—मुनियां को ऐसी सलाह देना घृष्टता होगी परन्तु ढाँगियाँ को ऐसी सलाह देना परम पुराय है। जेनशास्त्रों क अनुसार उद्दिष्टत्याग क बिना कोई मुनि नहीं हो सकता श्रीर उद्दिष्टत्याग इसलिये कराया जाता है कि वे शारस्भजन्य हिंसा के पाप से बचैं। निमन्त्रण करने में विशेषारस्भ करना पहना है। उद्दिष्टत्याग में सामान्य शारस्य ही रहता है सामान्य श्रारम्म के श्रातिनिक जितना श्रारम्भ होता था उससे बचने के लिये उद्दिष्टत्याम का विधान है। इस ज़रासे श्रारम्भ के बचाने के लिये अगर श्रावकों को घर बटोर कर मुनियों के पीछे बलना पड़े और नये नये सानों में नये तरह से नया श्रारम्भ करना पड़े तो यह कीडी की रक्षा के नाम पर हाथीं की हत्या करना है। दर्जनों कुटुम्बी परदेश में जाकर मुनियों के लिये इतना उपादा श्रारम्भ करें तो इस कार्य को कोई महामद्ध मिथ्याहिष्ट ही पुगय समभ सकता है। इसकी श्रपेक्षा तो मुनि कहलाने वाला ज्यक्ति हाथ से पकाके साले तो ही श्रद्धा है।

ग्राक्षेप (ख)—ग्रज्ञूनों के हाथ लगने से जल श्रपेय हो यह श्रम्थेर नहीं है। उपदेश शक्यानुष्ठान का ही होता है। गेहुँ जाद्य है श्रीर खान श्रखाद्य ।जिनके हृदय में भक्की चमार श्राह्मण सब एक हो उस मुए की हृष्टि में सब सम्धेर ही रहेगा। (श्रीलाल)

समाधान—पगिडनदल की मृद्रनापूर्ण मिध्यास्ववर्धक मान्यता के अनुसार शद्ध के स्पर्श से जलाशय का जल भी अपेय होजाना है। इस्पर इसने कहा था कि जलाशयों में नो खर्य शद्धों से भी नीच जलचर रहते हैं। इस्पर आद्येपक का कहना है कि वह अशक्यानुष्ठान है। खेर! जलाशयों को जल चरों के स्पर्श से बचाना अशक्यानुष्ठान सही परन्तु खलचर पशुआं के स्पर्श से बचाना तो शक्य है। फिर खलचर पशुआं के स्पर्श से बचाना तो शक्य है। फिर खलचर पशुआं के स्पर्श से बचाना तो शक्य है। फिर खलचर पशुआं के स्पर्श से जलाशयों का जल अपेय क्यों नहीं मानते? पशुआं के स्पर्श से अपेय न मानना और मनुष्यों के स्पर्श से अपेय न मानना और मनुष्यों के स्पर्श से अपेय मानना और अस्प्रस्ता की बात निकालते हो। खाहते हो उन्हीं के विषय में अस्प्रस्ता की बात निकालते हो।

खात का स्पर्श रस गन्ध वर्ग मभी घृणित हैं। उसमें कृमि ब्रादि भी रहते हैं इसलिये वह अखाद्य है। गेहूँ में ये बुराइयाँ नहीं हैं इसलिये खाद्य है। क्या श्रासेपक बतलायमा कि जीवित प्राणियों को निगल जाने वाले मगर मञ्जी में तथा अन्य ब्रशुचिभोजी पशुश्रों में ऐसी कीनसी विशेषता है जिससे वे शुद्रों से भी श्रञ्जे समसे जाते हैं।

हमारे सामने नो ब्राह्मण और शुद्ध दोनों बराबर हैं। जो सदाचारी है यही उच्च है। नुम सरीखे सदाचारशतुओं और धर्मभ्वंसियों में ही सदाचार का कुछ मृत्य नहीं है। नुम लोग शैतान के पुतारी हो इसलिये दुराचारी को इतना धृणित नहीं समभते जितन। शुद्ध का। हम लोग भगवान महावीर के उपासक हैं इसलिये हमारी हिए में शुद्ध भी भाई के समान है। सिफ द्राचारी निंछ है।

द्याक्षेप (ग)—जबनक शरीर में जीव है नव नक बट हाड़ मांस नहीं मिना जाता। (श्रीसाल)

समाधान—तत्र तो शृद्धका शरीरभी हाड़ मांसन गिना जायगा। फिर उसके हाथके जल से श्रीर उससे छुए हुए जलाशयक जल तक से इतनी ग्रुणा क्यों ?

विद्यानन्द ने हमारे लेख में भाषा की गृहितमाँ निकालने की असफत चेध्टा की हैं। हिन्दी में विगक्ति चिन्ह कहाँ लगाना चाहिये, कहाँ नहीं, इसके समक्षते के लिये आसंपक की कुछ अध्ययन करना पहुँगा। 'खाने नहीं मिलता'-यहाँ 'का' लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर 'को' लगाना पेसा अतिवाय हो तो 'मैं जाने भी न पाया कि उसने पकड़ लिया' इस वाक्य में जाने के साथ 'को' लगाना चाहिये और 'जाने के भी न पाया' लिखना चाहिये। 'उयादा' 'उयादह' 'उयादह' 'उयादह' 'उयादह' 'उयादह' 'उयादह' साथ सीमांना

का यह स्थल नहीं है। ऐसी अप्रस्तुत बातों को उठाकर आदी-पक, अर्थान्तर नामक निष्ठहस्थान में गिर गया है।

ग्राक्षेप (घ)—नोटिसबाज़ी करते करते किसका दम निकला जाना है। गर्मी की बीमारी मुम्बई में हो सकती है। यहाँ तो नवाबी ढाठ है। (विद्यानन्द)

सभाषान—नोटिसवाज़ी का गर्मी की बीमारी से क्या सम्बन्ध ? ब्रोर गर्मी की बीमारी के ब्रभाव का नवाबीढाठ में क्या सम्बन्ध ? ये बीमारियाँ तो नवाबी ठाठ वालों को ही हुआ करनी हैं। हाँ, इस वक्तव्य से यह बात ज़रूर सिद्ध हो जाती है कि श्रास्त्रिक, समाजसेवा की ब्रोट में नवाबी ठाठ से ख्व मीज उड़ा रहा है सो जब तक समाज अन्धी श्रीर मृद्द है तब तक बोई भी उसके माल से मीज उड़ा सकता है।

श्रात्तेष (ङ)—दुनियाँ दूसरों के दोष देखती है परन्तु दिल कोजा जाय तो भवने से बुरा कोई नहीं है।

(विद्यानन्द)

ममाधान—क्या इस बात का ख़याल आलेपक ने सुधारकों का कोसते समय भी किया है? मुनियेषियों के विरुद्ध जो हमने लिखा है वह इसलिय नहीं कि हमें कुछ उन गरीब दीन जन्तुओं से द्वेप हैं। वे बेचारे ता भूख और मान कथाय के सताये हुए अपना पेट पाल रहे हैं और कथाय की पूर्ति कर रहे हैं। ऐसे निरुष्ट जीव दुनियाँ में अगिष्ठित हैं। हमारा तो उन सब से माध्यस्थ्य भाव है। यहाँ जो इन ढोंगियों की समा-सोचना की है वह सिर्फ़ इसिल्ये कि इन ढोंगियों के पोछं स्था मुनिधम बदनाम न हो जाय। अनाद्यविद्या की बीमारी से लोग यो हो मर रहे हैं। इस अपध्य सेवन से उनकी बीमारी और न बढ जाय।

ग्राक्षेप (च (—मृनियाँ के साथ श्रावक समृह का चलना नाजायज्ञ मजमा नहीं है।

समाधान—केवली को छोड़कर और किसी के साथ श्रावकसमूह नहीं चलना। हाँ, जब मट्टारकों की सृष्टि हुई और उनमें से जब पिछले मट्टारकों ने धर्मसेवा के स्थान में समाज से पूजा कराना और नवाबी ठाठ से रहना ही जीवन का ध्येय बनाया तब अवश्य ही उनने ऐसी श्राझाएँ गढ़ डालीं जिससे उन्हें नावबी ठाठ से रहने में सुमीता हो। प्राचीन लोगों के महत्व बढ़ाने के बहाने उनने श्रापन म्वार्थ की पुष्टि की। पीछे भोले मनुष्यों ने उसे अपन। लिया।

श्राचिप (छ)—रोटी तो श्राठवी प्रतिमा घारी भी नहीं बनाता। फिर मुनियों से ऐसी बात कहना तो श्रमभ्य जोशकी चरम सीमा है। (विद्यानन्द)

समाधान—जिन श्रसंभय ढाँगियों के लिये रोटी बनाने की बात कहा गई है वे मुनि, श्राठवीं प्रतिमाधारी या पहिली प्रतिमाधारी तो दूर, जैनी भी नहीं हैं, निकृष्ट मिथ्यादृष्टि हैं। दूसरी बान यह है कि श्रारम्भ त्याग में श्रारम्भत्याग तो होना चाहिये। परन्तु ये लोग पेटपूजा के लिये जैसा घार श्रारम्भ कराने हैं उसे देखकर एक उद्दिष्ट्याशी नो क्या श्रारम्भ भी शरमिन्दा हो जायगा। विशेष के लिये देखो २१-क। श्रक्कृत के विषय में २१-ख में विचार किया गया है।

आक्षेप (ज) — मुनियों के लिये अगर केवल अप्रासुक भोजन का ही विचार किया जाना तो मूलाधार आदि में १६ उद्गम दोष और ४६ अन्तराय टालने का विधान क्यों है ? (विद्यानन्द)

समाधान—दोष और अन्तराय के भेद प्रभेद जो मूला-धार आदि में गिनाये गये हैं वे तीन बातों को लदय करके। १ मोजन श्रप्रासुक तो नहीं है, २ सुनि को कोई कथाय भोगा-कांचा श्रादि तो उत्पन्न नहीं होती है, ३ दाता में दाता के योग्य गुण हैं कि नहीं। भोजन के विषय में तो प्रासुकता के निवाय श्रीर कोई विशेषण डालने की ज़करत नहीं है। शुद्ध जल से प्रासुकता का भड़ होजाता है या कोई श्रीर दोष उपस्थित हो जाता है, इस बान का विधान भी मुलाधार में नहीं है। भोज्य के विषय में जितने दोष लिखे गये हैं वे सिर्फ इसी लिये कि किसी तरह से वह श्रप्रासुक तो नहीं है। जानिमह का नहा नाच दिखाने के लिये जल के विषय में श्रिवचारशस्य शर्तें तो इन मदान्ध ढोंगियों की ही हैं। जैनधर्म का इनके साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है।

बाईसवाँ प्रश्न ।

इस प्रश्नका सम्बन्ध भी बालविवाह से हैं। इस विषयमें पहिले बहुत कुछ लिखा जा चुका है। इस विषयमें श्राह्मेपकों का लिखना बिलकुल हास्यास्पद है। अस्तु

आक्षेप (क)—विवाह करके जो ब्रह्मचर्य पालन करें बह अवश्य पुराय का हेतु हैं। (श्रीलाल)

समाधान—क्या विवाह के पहिले बृह्यचर्य पाप का हेतु है ? बृह्यचर्य को किसी समय पाप कहना कामकीटता का परिचय देना है।

आक्षेप्रंख)—जिनेन्द्र की आशाका भक्त करना पाप है। बारहवर्ष में विवाह करने की जिनेन्द्राक्षा है। (श्रीसास)

समाधान—जिनेन्द्र, विवाह के लिये कम से कम उमर का विधान कर सकते हैं, परन्तु ज्यादा से ज्यादा उमर का नहीं। १२ वर्ष का विधान जिनेन्द्र की आहा नहीं है। कुछ लेखकों ने समय देखकर ऐसे नियम बनाये हैं, और ये कम से कम उमर के विधान हैं। श्रन्यथा १६ वर्ष से श्रधिक उमर के कुमार का विवाह भी पाप होना चाहिये। ऐसी तुच्छ श्रीर बृह्मचर्यविरुद्ध श्रामाश्रों को जिनेन्द्रकी श्राज्ञा बतलाना जिने-नद्रका श्रवणंवाद करना है।

ग्राक्षेप (ग)—जो बृह्मचर्य भी न ले और संस्कार भी समय पर न करे वह अवश्य पापी है। ब्राह्मी श्रादिने तो जीवन भर विवाह नहीं किया इस्नितये उन का बृह्मचर्य पाप नहीं है। (श्रीलाल)

समाधान—संस्कार, बृतादि की याग्यता प्राप्त करानेके लिये है। जब मनुष्य पूर्ण वृह्मच्चर्य का पालन नहीं कर सकता तब आंशिक वृह्मचर्य के पालन कराने के लिये विवाहकी आवर्ष्यकता होती है। विवाह संस्कार पूर्णवृह्मचर्य की याग्यता प्राप्त नहीं कराता इस्तिये जबतक कोई पूर्णवृह्मचर्य पालन करना चाहता है तबतक उसे विवाह संस्कार की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों में ऐसी सैकडों कुमारियों के उन्नेख है जिनने बडी उमर में, युवती हो जाने पर विवाह किया है।

निश्लया—विवाह के समय 'शातादरी दिग्गजकुम्भशो-भिस्तनद्वयानूननयीवनस्था' अर्थात् गजकुम्भके समान म्तन-वाली थी। पद्मपुराण ६५—७४।

जयचन्द्रा—सूर्यपुरके राजा शकधनुकी पुत्री जयचन्द्रा को अपने कप श्रीर गुणों का बड़ा घमगढ़ था। इसलियं पिता के कहने पर भी उस ने किसी के साथ शादी न कराई। अन्त में वह हरिषेण के उत्पर रीभी श्रीर अपनी सखोके द्वारा सांत समय हरिषेण का हरण करा लिया। फिर हरिषेण से विवाह कराया। वैवाहिक स्वातंत्र्य श्रीर उमर के बन्धन का न मानने का यह श्रव्हा उदाहरण है। पद्मपुराण इ पर्व। पश्चा—गाना, बजाना सील रही थी। श्रीकराठको देखा नो मोहिस होगई श्रीर माना पितादि की चोरी से श्रीकराठ के साथ चल दी। पिता ने श्रीकराठका पीछा किया किन्तु लड़ाई के श्रवसर पर पश्चा ने कहला दिया कि मैं अपनी इच्छा से श्राई हूँ, मैं इन्हीं के साथ विवाह कर्क गी। श्रन्तमें पिता चला गया श्रीर इसने श्रीकराठसं विश्वाह कर लिया। देपर्य पश्चपुरास्।

श्रञ्जना--विवाह के समय 'कृतिकुम्मनिमस्तनी' गज कुम्भके समान स्तन बाली अर्थात् पूर्ण युवती थी। पश्चबुराण १५--१७।

के क्या—गाना नाचना आदि अने क कलाओ में प्रवीण, दशरथ को युद्ध में सहायता देनेवाली के कया का वर्णन जैसा पद्मपुराण २४ वें पर्व में विस्तार से मिलना है वह १२ वर्ष की लड़की के लिए असम्भव है।

आठकुमारियाँ — चन्द्रवर्धनिवद्याध्यनकी आठलड़ कियाँ। सीता स्वयस्था के समय इनने लहमण को मन ही मन वर लिया था परन्तु विवाह उस समय न हा पाया। जब लहमण रावण से युद्ध कर रहे थे उस समय भी ये लहमण को देखने पहुंची। युद्ध के बाद विवाह हुआ। ये एक ही माता से पैदा हुई थी इसलिये अगर छोटी की उमर १२ वर्ष की हो तो बड़ी की उमर १८ की ज़कर होगी। फिर सीता स्वयस्था के समय जिनने मन ही मन लह्मण का वरण किया उनका उस समय विवाह न हुआ, कई वर्ष बाद लंकाविजय के बाद विवाह हुआ, उस समय तक उनकी उमर और भी ज्यादा बढ़ गई।

आठ गन्धर्व कन्याएँ — एक ही माता सं पैदा हुई इस-तियं इनकी उमर में अन्तर था। परन्तु वे एक लाथ रामखन्द से विवाही गईँ। विवाह के योग्य उमर हो जाने पर इच्छित वर के न मिलने से इन्हें वाट देखाते रुकना पड़ा।

लाङ्कासुन्दरी—इनुमान के साथ इसने घोर युद्ध किया। पश्चपुराण के प्रदेषें पर्व में इसका चरित्र पढ़ने से इसकी प्रोडना का पना करना है।

पुराणों में ऐसे सैकड़ों उल्लेख मिलते हैं जिनसे युवती-विवाह का पूर्ण समर्थन हाता है। कर्याएँ कोई प्रतिक्षा कर लेती या किसी खास पुरुष को चुन लेती जिसके कारण उन्हें वर्षी बाट देखनी पड़ती थी। ऐसी सबस्था में १२ वर्ष की उमर का नियम नहीं हो सकता। कन्याओं के जैसे वर्णन मिलते हैं उनसे भी उनके यीवन और परिपक्वबुद्धिता का परिचय मिलता है जा १२ वर्ष की उमर में असम्भव है।

इन उदाहरणों से यह बात भी सिद्ध हो जाती है कि पुराने समय में कत्या को स्वतन्त्रता थो और उन्हें पति पसंद करने का अधिकार था । इस स्वतन्त्रता और पसन्दगी का विरोध करने वाले शास्त्रविरोधी और धर्मलोधी हैं।

श्रासिप (घ) — यदि ब्रह्मचर्य की इतनी हिमायत करना है तो विधवा के लिये ब्रह्मचर्य का ही विधान क्यों नहीं बनाया जाता?

ममाधान—चाहे कुमानियाँ हो या विधवाएँ हो हम दानों के लिये बलाद् बृह्मचर्य भीर बलाद्विवाह बुरा लमभते हैं। जो विधवाएँ ब्रह्मचर्य से रहना चाहे, रहें। जो विवाह करना चाहें, विवाह करें। कुमारियों के लिये भी हमारा यही कहना है। कुमारी भीर विधवा जब तक बृह्मचर्य से रहेंगी नब नक पुरायबन्ध होगा।

आक्षेप (क) — जो लांग यह कहते हैं कि जितना जहा कर्ष पत सके उतना ही अच्छा है वे ब्रह्मचर्य का अर्थ ही नहीं समभते। ब्रह्मचर्य का ग्रर्थ मजबूरी से मैथुन का अभाव नहीं है किन्तु ज्ञातमा की छोर ऋजु होने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। कोई कन्या मनमें किसी सुन्दर व्यक्ति का चितवन कर रही है। क्या भ्राप उसे ब्रह्मचारिणी समभते हैं?

(विद्यानन्द

समाधान—कितनी अच्छी बात है! माल्म होता है खिषी हुई सुधारकता असावधानी से खुलक पड़ी है। यही बात तो सुधारक कहते हैं कि विधवाओं के मैथुनाभाव को वे बूझ चर्य नहीं मानते क्यांकि यह विधवाओं को मजबूरी से करना पड़ता है और यह मजबूरी निरुपाय है। कुमारियों के लिये यह बात नहीं है। उन्हें मजबूरी से बूझ चर्य पालन नहीं करना पड़ता। फिर उनके लिये विवाह का मार्ग खुला हुआ है। विवाहसामग्री रहने पर भी अगर कोई कुमारी विवाह नहीं करती तो उसका कारण बूझा चर्य ही कहा जासकता है। विधवाओं को अगर विवाह का पूर्ण अधिकार हो और फिर भी अगर वे विवाह न करें तो उनका वैधव्य बृह्मचर्य कहलायगा।

द्माक्षेप (च) — सबको एक बाट पानी विलाना—एक डंडे से हाँकना नीतिविक्छ है।

समाधान—एक बाट से पानी पिलाया जाता है और एक डराडे से बहुत से पशु होंके जाते हैं। जब एक बाट श्रीर एक डराडे से काम चलता है तब उसका विरोध करना फ़िज़ूल है। कुमार कुमारी और विधुरों को जिन परिखितियों के कारण विवाह करना पड़ता है वे परिखितियाँ यदि विधवा के लिये भी मौज़ूद हैं तो वे भी विवाहघाट से पानी पी सकती हैं।

नेईसवां प्रश्न।

इस प्रश्त का मञ्चन्य विज्ञातीय विवाह से अधिक है। विज्ञातीय विवाह के विषय में इतना लिखा जा जुका है कि अब जो कुछ लिखा जाय वह सब विष्येषण ही होगा।

आक्षेप (क)—मामदेव कहते हैं कि जातियाँ ह्यादि है।(श्रीताल विद्यानन्द)

सम्भिन्न जानियाँ दो नग्ह की हैं — किएतन, श्रकतिन । पक्तित्य श्रादि श्रकतिपत जानियाँ हैं । बाको ब्राह्मण क्षत्रियादि किएन जानियाँ हैं । एकेन्द्रिय श्रादि केकिएन जानियाँ श्रनादि नहीं है अन्यथा दनकी रचना ऋष्यदेव ने की या भरत ने का — यह बान शास्त्रों में क्यों लिखी होती?

क्यान्तेष (स — निमचन्द्र सिद्धान्तचकवर्ती ने १२ सम्ब जानियाँ कही हैं। (श्रीसास)

ममाधान— आदेवक अगर किसी पाठशाला में जाकर गोम्मटमार पढले तो वह नेमिचन्द्रको समभते लगेगा। नेमि-चन्द्र ने सिर्फ पाँच ही जातियों का उल्लेख किया। १२ खरब जानियों का उल्लेख बनाने के लिये हम आसेपक को खुनौनी देने हैं। १२ लच कोटी कुलों का उल्लेख नेमिचन्द्र ने ज़कर किया है परन्तु उन कुलों को जाति समभ लेना घोर मूर्खना का परिचय देना है। गोम्मटसार टीका में ही कुल मेदों का अर्थ शरीरोत्पादक वर्गणाधवार किया गया है। अर्थात् शरीर बनने के लिये जिननी नरह की वर्गणाप लगती हैं उतने ही कुल हैं। एक हो यानिसे पैदा हान वाले शरीरों के कुल लाखों हाने हैं क्योंकि यानिभेद्से कुलके भेद लाखों गुले हैं और एक ही जानि—में चाहे वह किएयन हा या अकहिएन — लाखों तरह की योनियाँ होती हैं। इसलिये योनिया कुलको जातियाँ कहहेना बिलकुल मूर्खता है। शास्त्रकारों ने भी योनिभेद और कुलभेदों को जाति नहीं कहा। नार्गकयों में जातिभेद नहीं है फिर भी लाखों योनियाँ और मनुष्यों की अपेद्धा दुगुने से भी अधिक कुल हैं।

श्राभेष (ग)—कालकी पत्तरनाके श्रमुखार जानियोंकी संक्षाएँ भी बदल गई । (विद्यानन्द)

समाधान—नो पुराने नाम सिलाना चाहियें या अन्य किसी कप में इनका उल्लेख होता चाहिये।

आच्चेप् (घ)—जाति एक शब्द है, उसका वाच्य अगर गुणक्ष है नो अनादि अनन्त है। अगर पर्यायक्कप है नो औच्य क्या है। जो औच्य है वही जानियों का जीवन है।

(विद्यानन्द)

समापान—महणना को जाति कहते हैं। सहशता गुण पर्याय श्रादि सभी में हो सकती है। द्रव्य गुण की सहशता श्रनादि है और पर्याय की सहशता सादि है। वर्तमान जातियाँ (जिनमें विवाह की चर्चा है) तो न गुणक्य हैं न पर्यायक्य। वे तो बिलकुल किएत हैं। नामनिस्य स श्रिषक इनका महत्व नहीं हैं। यदि इनको पर्यायक्य माना जाय तो इनका मृल जीव मानना पड़ेगा। इसलिये श्रास्ते पक के शब्दानुसार 'जीवत्व' जाति कहलायगी। जीव को एक जाति मान कर उसका पुद्यल धर्म श्रथमं से विवाह करने का निषेध किया जाय ता कोई श्रापन्ति नहीं हैं।

जिन्म प्रकार कलकतिया, शंगाली, विहारी, लखनशी, कानपुरी आदि में अनादिन्य नहीं है उसी प्रकार ये जातियाँ हैं।

यदि आक्षेपक का दल इन उपजातियों को अनादि

अनन्त मानता है, अठे काल में भी ये जातियाँ बनी रहती हैं तो यह मानना ही पड़ेगा कि विजातीय विवाह आदि से इन जातियों का नाश नहीं हो सकता। जब जाति का नाश करना अस्प्रमव है तो उसकी रक्षा करने की जिन्ता मुर्खेता है।

श्राक्षेप (ङ)—श्रनुमानतः इन जातियाँ का नवीनत्व श्रसिख है। (विद्यानन्द)

समाधान— भागभूमियां में जातिभेद नहीं था। ऋष्य-भदेव ने तीन जातियाँ बनाई। भरत ने चौथी। इसमे इतना तो सिद्ध हो गया कि ये भरत के पीछे की है। इसके बाद किसी अन्य तीर्थंकरादि ने इनकी रचना की हो ऐसा उझे ख कहीं नहीं है। हाँ, ऐतिहासिक प्रमाण इतना अवश्य मिलता है कि दुएनसंग के ज़माने में भारत में सिफ् 38 जातियाँ थीं और आज करीब ४ हजार हैं।

इससे मालूम होता है कि पिछले डेढ़ दो हज़ार वर्षों में जातियों का ज्वार आता रहा है उसी से ये जातियाँ बनी हैं। जेब तक जैतियों का सामाजिक बल रहा तब तक इन जातियाँ की सृष्टि करने की ज़रूरत हो ही नहीं सकती थी। बाद में इनकी सृष्टि हुई है।

चौबीसवाँ प्रश्न।

इस प्रश्न में यह पूछा गया था कि विश्ववाविवाह से इनके कीन कीन अधिकार छिनते हैं। यह बात हमने अनेक प्रमाणों से सिख की है कि इनके कोई अधिकार नहीं छिनते। परन्तु श्रीलाल ने तो बिसकुल पागलपन का परिचय दिया है। यह बात उसके आसेपों से मालूम हो आयगी।

भासेप (क)—जो अधिकारी होकर अधिकार सम्बन्धी किया नहीं करता वह धिकारी बन जाता है। समाधान—कांई इस मालेवक से पूछे कि तुके मुनि बनने का मधिकार है या नहीं ? यदि है, तो तू मुनि क्यों नहीं बनता ? अब तुके धिकारी कहना चाहिये ? क्या मालेवक इतना भी नहीं समक्षता कि मनुष्य को भर्म करने का पूर्ण अधिकार है परन्तु धर्म उतना ही किया जासकता है कि जितनी शिंक होती है। (विशेष के लिये जैनजगत् वर्ष अबद्ध ७ में 'योग्यता म्रीन अधिकार' शीर्षक लेख देखना चाहिये।

"याहप वाले मांसभत्ती हैं इसिलये जो हिन्दुस्थानी योहप जाते हैं उनका वे श्रपमान करते हैं क्योंकि योहप जाने वाले भारतीय धर्मकर्मश्रूत्य हैं"। श्रीलाल के इन शब्दों के विषय में कुछ कहना वृथा हैं। भारतीय स्नूतास्नूत खंड़ देते हैं या पोप परिस्तों की श्राक्षा में नहीं चलते इसिलये उनका विलायत के लोग श्रपमान करते हैं, ऐसा कहना ज़ब-ईस्त पागलपन के सिवाय श्रीर क्या कहा जा सकता है?

आशिष (ज)—सुमुख आदि के दशन्त से व्यभिचार की पुष्टि नहीं होती । वे तो त्याग करके उसम गति गये। दानादि करके उसमगति पारं। इसमें कीनसा आश्चर्य हैं?

(श्रीसास)

समाधान—धर्म से हो उत्तम गित मिलती हैं, प्रम्तु इस सिद्धान्त को तुम लोग कहाँ मानते हो। तुम्हारा तो कहना है कि ऐसा आदमी मुनि नहीं बन सकता, दान नहीं दे सकता, यह नहीं कर सकता, वह नहीं कर सकता। अब तुम यह स्वीकार करते हो कि व्यभिचारी भी दान दे सकता है, मुनि या आर्थिका के वृत ले सकता है। यही तो हम कहते हैं। विवाह से या व्यभिचार से मोल कोई नहीं मानता। तुम्हारे कहने से भी यह सिद्ध हो जाता है। जैनधर्म के झतु- सारभी उन जातियों के कोई अधिकार नहीं खिन सकते। सुदृष्टि के लिये अलग प्रश्न है।

विद्यानन्द्रजी की बहुतस्ती बार्ती की कालोचना प्रथम प्रश्न में हो चुकी है।

स्राक्षेप (ग) विधवाविवाह की सन्तान कभी मोक्षा-धिकारिगी नहीं हो सकती। विध का बीज इसलिये भयक्कर नहीं है कि यह विध बीज है परन्तु विधवी जोत्पादक होने से भयक्कर है। (विद्यानन्द)

समाधान—यह विचित्र बात है। विषयोज आगर स्वतः भयहूर नहीं है तो उस के खारे में कोई हानि न होती चाहिये, क्योंकि पेट में जाकर वह विषयीज पैदा नहीं कर सकता। व्यभिचारी तो वास्तविक अपराधी है। उस के तो अविकार खिने नहीं और उस की निरपराध सन्तान का अधिकार खिन जाय यह अन्धेर नगरी का स्थाय नहीं तो क्या है? स्वैर।

रिवरिण आचार्य के कथना तुमार व्यभिचार जात में कोई दृष्ण नहीं होता। यह हम पहिले लिख चुके हैं। सुदृष्टि के उदाहरण में भी यह बात मिद्ध होती है।

आक्षेप (घ)—सञ्यसाची का यह कहना कि 'विधवा-विवाह तो व्यक्तिचार नहीं है। उससे किसी के अधिकार कैसे छिन सकते हैं"? यह बात सिद्ध करती है कि व्यक्तिचार से अधिकार जिनते हैं।

ममाधान—हमारी पूरी बात उद्घृत न करके आलेपक ने पूरी धृतंता की है। समाज की आँखों में धृल भौकता चाहा है। पूरी बात यह है 'व्यभिचारजात सुदृष्टि सुनार ने मुनि दीक्षा ली और मोक्ष गया। यह बात प्रसिद्ध ही है। इससे मालूम होता है कि व्यभिचार से या व्यभिचारजात होने से किसी के श्रधिकार नहीं छिनते। विधवाविवाह तो व्यक्तिचार नहीं है। उससे किसी के श्रधिकार कैसे छिन सकते हैं ?'

पञ्चीसवाँ प्रश्न ।

जिन जातियों में विश्ववाविवाह होता है उन में कोई मुनि बन सकता है या नहीं ? इसके उत्तरमें द्विण की जातियाँ प्रसिद्ध हैं। शांतिसागर की जाति में विश्ववाविवाह का श्राम-तौर पर रिवाज हैं।

आक्षेप (क)—जिनधरानों में विध्यवाधिवाह होता है उन धरानेके पुरुष दीचा नहीं लेते । पटेल धरानों में विध्यवाधिवाह बिलकुल नहीं होता। कोई खंडेलवाल अगर विध्वाधिवाह करने नो समग् खंडेलवाल जानि दृषिन नहीं हो सकती।

समाधान—शांतिसागरका भूठापन अच्छी तरह सिख किया जाचुका है। सामना हो जाने पर जैसा वे मुँह छिपाने हैं उससे उनकी कुलई बिलकुल खुल जानी है। पट्टैल घरानेके विषय में लिखा जा चुका है। खुद शान्तिसागर के भनीजे ने विधवाविवाह किया है। यह बात जैनजगन् में सप्रमाण निकल चुकी है।

यह ठीक हैं कि एक खगडेलवालके कार्यमें वह जातीय रिवाज नहीं बन जाता है। परन्तु शगर में कहीं वर्षोंसे हज़ारों खगडेलवाल विध्या-विवाह कराते हों, वे जाति में भी शामिल रहते हों, उनका रोटी बेटी व्यवहार लव जगह होता हो. तब बह रिवाज ही माना जायगा। शान्तिसागर जो की जाति में विध्याविवाह ऐसा ही प्रचलित है।

आसिप (ज)—यदि अनिधकारी होकर भी कोई दस्सामृति बनजाय तो मृतिमार्ग का बह विद्यत रूप उपादेय कदापि नहीं हो सकता। (विद्यानन्द) समाधान—शान्तिसागर का मृति बनना अगर विकृत रूप है तो दस्सों को मृति न यनने देने याले शान्तिसागर को मृति क्यों मानते हैं? अगर मृति मानते हैं तो किसी का मृति बनन का अधिकार नहीं छिन सकता।

होना और सकता में कार्य कारण भाव है। जहाँ होना है वहाँ सकता अवश्य है। अगर कोई स्वर्ग जाता है तो इससे यह बात आप ही सिद्ध हो जाती है कि वह स्वर्ग जा सकता है। जब शास्त्रों में ऐसे मुनियों के बनने का अल्ल खंह, उन्हें माल तक प्राप्त हुआ है तब उन्हें मुनि बनन का अधिकार नहीं है ऐसा कहना मुखंता है।

सक्षे शास्त्रोमें कही किसीका कोई त्रधिकार नहीं छीना गया। श्रुच्छे काम करने का श्रधिकार कभी नहीं छीना जा सकता। श्रथवा नर्रावशाचि राज्ञस ही ऐसे श्रधिकारों का छीनने की गुस्ताखी कर सकते हैं।

छर्बीसवौ प्रश्न ।

विधवाविवाह के विराधियों का यह कहना है कि उसस पैदा हुई सन्तान मोद्याधिकारियों नहां होती। इमारा कथन यह है कि विधवाविवाह से पैदा हुई सन्तान व्यक्तिचार-जात नहीं है और मोद्याधिकारी तो व्यक्तिचारजात भी होते है। आराधना कथा काप में व्यक्तिचारजात सुदृष्टि का चरित्र इसका ज़बईस्त प्रमाण है।

आक्षेप (क)—सुदृष्टि न्वयं अपने वीर्थ्य सं पैदा हुये थे । (श्रीकाल) विनाहित पुरुष से भिन्नवीर्थ द्वारा जो सन्तान हा वह न्यभिवारजात सन्तित है । "बाह्यस्य, स्त्री, वैद्य इन तीन वर्णों की कांई स्त्री यदि परपुरुषगामिनी हो जाय तो परपुरुषात्पन्न सन्तान मोस्न की अधिकारिस्ती नही

हें क्योंकि वहाँ कुलशुद्धिका श्रभाव है। यदि उसी स्नो के उपभिचारिणी होने के पहिले स्वपित से कोई सन्तान हो तो वह सन्ति त्रिविध कर्मों का स्वयं करने पर मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। विद्यानन्द)

समाधान—कोई अपने वीर्य से पैदा हो जाय तो उसकी व्यक्तिचारजातता नष्ट नहीं हो जाती । कोई मनुष्य वेश्या के साथ व्यक्तिचार करें और शीध ही मर कर अपने ही वीर्य से उसी वेश्या के गर्भ से उत्पन्न हो जाय तो क्या वह व्यक्तिचारजात न कहलायगा। विद्यान्द का कहना है कि परपुरुपामिनी होने के पहिले उत्पन्न हुई सन्ति को मोद्याधिकार है परन्तु सुदृष्टि की पत्नी तो उसके मरने के पहिले ही परपुरुपगमिनी हो चुकी थी। तब वह मोत्त क्यों गया? किसलिकार शलोकों से यह बात विलक्तल सिद्ध है कि वह पहिले ही व्यक्तिचारिणी हो गई थी—

वकारूयो दुष्ट्योस्तस्या गृहे छात्रः प्रवर्तते ।
तेन सार्क्ष दुगाचार सा करोति स्म पापिना ॥ ५ ॥
एकदा विमलायाश्च वाक्यतः सोऽपि वककः ।
सुदृष्टि मारयामास कुर्वन्तं कामसंबनम् ॥ ६ ॥
अर्थात् विमला के घर में वक नाम का एक बदमाश छात्र रहता था, उस पापी के साथ वह व्यक्तिचार करती थी ।
एक दिन विमला के कहने से कामसंबन करते समय उस वक ने सुदृष्टि को मार डाला ।

इससे मालूम होता है कि मुद्दिष्ट के मरने के पहिले उसकी क्ष्री व्यक्षिचारिषी हो चुकी थी, मुद्दिष्ट अपनी व्यक्षि-चारिषी क्ष्रों के गर्भ से पेदा होकर मोक्ष गया था। उनके लिये सज्जा आना चाहिये जो हाइ माँस में शुद्धि अशुद्धि का विचार करते हैं और जब उन विचारों की पुष्टि शास्त्रों से नहीं होती तो शास्त्रों की ब⊦तों को छिप।कर लोगों को आँखों में घृल भौकते हैं।

ग्राक्षेष (ज)-- सुदृष्टि सुनार नहीं था । (श्रीलाल, विद्यानन्द)।

समाधान—पुराने समय में प्रायः जाति के अनुसार ही लोग आजीविका करने थे, इस्तिये आजीविका के उल्लेख स उसकी जाति का पता लग जाना है। अगर किसी को वर्मकार न लिखा गया हा परन्तु ज्ने बनाने का बात लिखी हा, साथ ही पेसी कोई बात न लिखी हा जिसस वह जमार सिद्ध न हो तो यह मानना ही पड़ेगा कि वह चमार था। यहा बात सुदृष्टि की है। उसन रानी का हार बनाया था। और मरने के बाद दूसरे जन्म में भी उसने हार बनाया। अगर वह सुनार नहीं था तो। (१) पहिले जन्म में वह हार बंगा बनाता था? (२) ब्रह्मचारी नेमिदत्त ने यह क्यों न लिखा कि यह था ता वैश्य परन्तु सुनार का धन्धा करना था? (३) दूसरे जन्म में जब राजकर्मचारी सब सुनारों के यहाँ चक्कर लगा रहे थे तब अगर वह सुनार नहीं था ता उसके यहाँ क्यों आये?

सुदृष्टिकं सुनार होने के काफ़ी प्रमाण है। आज से १६ वर्ष पहिले जो इस कथा का अनुवाद प्रकाशित हुआ था और जो स्थितिपालकों के गुरु पं० धन्नालानजी का समर्थित किया गया था उसमें भी सुदृष्टि को सुनार लिखा है। उसकी व्यक्तिवारज्ञातना पर ना किसी को सन्दृह हो हो नहीं सकता। हाँ, धाखा देने बालों की बात दुसरी है।

सत्ताईसवाँ प्रश्न ।

सोमसेन त्रिवर्णाचार का इम प्रमाण नहीं मानते परन्तु

विधवाविवाह के विरोधी परिष्ठत इसकी पूर्ण प्रमाण मानते हैं, यहाँ तक कि उस पत्त के मुनिवेषी लोग भी उसे पूर्ण प्रमाण मानते हैं। जिस प्रकार कुरान पर अपनी श्रद्धा न होने पर भी किसी मुसलमान की समभाने के लिये कुरान के प्रमाण देना अनुस्तित नहीं हैं उसी प्रकार श्रिवणीबार को न मानते हुये भी स्थितिपालकों की समभाने के लिये उसके प्रमाण देना अनुस्तित नहीं है।

त्रिवर्णाचार में दो जगह विध्ववाविवाह का विधान है स्रोर दोनों ही स्पष्ट हैं—

गर्भाधान पुंस्तवने सीमन्तास्त्रयने तथा। बधुप्रवेशने रगडापुनर्विवाहमंडने ॥ =-११६ ॥ पूजने कुलदेव्याश्च कत्यादाने तथेव च। कर्मध्वेतपूर्वे भार्या दक्तिणे त्यवेषयेत् ॥ =-११७ ॥ गर्भाधान पुंस्तवन सीमन्तास्त्रयन बधूप्रवेश, विधवा-विवाह, कुलदेवीपूजा और कत्यादान के समय स्त्री को दाहिनी श्चार बैठावे।

इस प्रकरण से यह वान विलक्क लिस्ड हो जाती है कि
सोमसेन जी को स्त्री पुनर्विवाह स्वीकृत था। पीछे के लिपिकारों या लिपिकार को को यह वान पसन्द नहीं आई इसलिये
उनने 'रगडा' की जगह 'शूद्धा' पाठ कर दिया है। पं० पन्नालाल जी सोनी ने दोनों पाठी का उन्ने ल अपने अनुवाद में
किया था परन्तु पीछे से किसी के बहकाने में आकर छुपा
हुआ पत्र फड़वा डाला और उसके बदले दूसरा पत्र लगवा
दिया। अब बह फटा हुआ पत्र मिल गया है जिससे वास्तविक बात प्रकट हो गई है। दूसरी बात यह है कि इन इसोकों
में मुनिदान, पूजन, अभिषेक, प्रतिष्ठा तथा गर्भाधानादि
संस्कारों की बात आई है इसलिये यहाँ ग्रद्ध की बात नहीं

श्रासकती क्योंकि ग्रन्थकार के मतानुसार शृद्धों को इन कार्यों का श्रिकार नहीं है। इसलिये वास्तव में यहाँ 'रगडा पुन-विवाह' पाठ ही है जैसा कि प्राचीन प्रतियों से सिद्ध है।

श्रव ग्यारहर्वे अध्याय के पुनर्विवाह विधायक अंत्रोकों को भी देख सेना चाहिये। १७१ वें ऋोक में लाधारण विवाह-विधि समाप्त हो गई है परन्तु गुन्धकार को कुछ विशेष कहना था मा उनने १७२ वें श्लोक संलगाकर १७७ वें श्लोक तक कहा है। परन्त दमरी आवृत्ति में परिस्तों ने १७४ वें श्लोक में "क्रथ परमतस्मृतिबचनम्" ऐसा बाक्य श्रीर जोड्ड दिया जो कि प्रथमावृत्ति में नहीं था। स्वैर, वे कही के हो परस्तु स्रोम-सेनजी उन्हें जैनधर्म के श्रनुकृत समभते हैं इसलिये उन की उद्भृत करके भी उनका खगडन नहीं करते। इसीलिये पन्ना-लाल जी ने १७२ वें श्लोक की उत्थानिका में लिखा है कि---'परमतके श्रानुसार उस विषयका विशेष कथन करते हैं जिस का जैनमत के साथ कोई विरोध नहीं है। देस लिये यहाँ जो पाँच श्लोक उद्दधून किये जाते हैं उनके विषयमें कोई यह नहीं कह सकता कि ये तो यहाँ वहाँ के है इनसे हमें क्या सम्बन्ध ? दुसरी बात यह है कि सोमसेन जी ने यहाँ वहाँ के श्लोकों से यों तो मन्धका आधा कलेवर भर रक्खा है, इसलिये यहाँ वहाँ के श्लोकों के विषय में सिफ इतना ही कहा जा सकता है कि यह रचना दूसरों की है परन्तु मत तो उन्हीं का कहलायगा। कीर, उन श्लाकी का देखिये-

विवाहे दम्पती स्थातां त्रिगतं ब्रह्मचारियाँ।

श्रतंकृता बध्ध्येव सह शब्धासनाशनो ॥ ११—१७२ ॥
विवाह होजाने के बाद पति पत्नी तीन गत्रि तक ब्रह्मचर्य से गहें। इस के बाद बध् श्रतकृत की जाय और वे दोनों
साथ सोबें साथ बैठें और साथ मोजन करें।

वध्वा सहैव कुर्वीत निवासं श्वग्रुरालये। चतुर्शदिनमञ्जेव केचिदेवं वदन्ति हि॥

वर, बधू के साथ ससुरात में हो निवास करे परस्तृ कोई कोई कहते हैं कि चौथे दिन तक ही निवास करें।

चतुर्थीमध्ये झायन्ते दापा यदि वरस्य चेत्। दत्तामिष पुनर्दद्यात् पितान्यसमे विदुर्बुधाः॥११-१७४ चौथी गत्रि को यदि वरके दोष (नपुंसकत्वादि) मालूम हो जायँ तो पिता को चाहिये कि दो हुई-विवाही हुई-कन्या फिर से किसी दूसरे वर को दे दे श्रर्थात् उस का पुनर्विवाह करदे ऐसा बुद्धिमानों ने कहा है।

प्रवरैक्यादिदोषाः म्युः पतिसङ्गाद्धां यदि । दत्तामपि हरेहद्याद्न्यस्मा इति केचन ॥ ११-१७५ श्रगग पतिसङ्गम के बाट माल्म पढ़े कि पति पिक्ष के प्रवर गात्रादि की एकता है तो पिता श्रपनी दी हुई कन्या किसी दूसरे को देदे ।

कली तु पुनरुद्वाहं वर्जयंदिति गालवः। कम्मिक्षिदेश इच्छन्ति न तु सर्वत्र कंचन ॥११-१७६ परन्तु गालव ऋषि कहने हैं कि कलिकालमें पुनर्विवाह न करे श्रीर कोई कोई यह चाहते हैं कि कहीं कहीं पुनर्विवाह किया जाय सब जगह न किया जाय।

दिवाण प्रांतमें पुनर्विवाहका निवाज होने से भट्टारक जी ने उस प्रान्त के लिये यह छूट चाही है। यो तो उनने पुनर्विवाह को क्रावश्यक माना है परन्तु यदि दूसरें प्रांत के लोग पुनर्विवाह न चलाना चाहें तो भट्टारक जी किसी किसी प्रान्त के लिये खासकर दिवाण प्रान्तके लिये खासश्यक समस्रते हैं। पाठक देखें इन श्लोकों में स्त्रीपुनर्विवाह का कैसा ज़बर्दस्त समर्थन है। यहाँ पर यह कहना कि वह पुरुषों के पुनर्विवाह

का निषेधक है घोर अज्ञानना है। १७४-१७५ वें श्लोकों में करण कें पुनर्शन या पुनर्जिवाह का प्रकरण है। १७६ वें श्लोक में पुनर्जिवाह के विषय में कुछ विशेष विधि वनलाई गई है। विशेष विधि सामान्यविधि की अपेसा रखनी हैं इसलिये उसका सबन्ध ऊपर के दोनों श्लोकों सहो जाना है जिनमें कि स्वीपुनर्विवाह का विधान हैं।

'कली त पुनरुद्वाह' 'कलिकाल में तो पुनर्विवाह' यहाँ पर जा 'तु' शब्द पड़ा है वह भी बतलाता है कि इसके ऊपर पुनर्विवाह का प्रकरण रहा है जिसका आंशिक निषेध सालव करते हैं। यह 'तुं शब्द भी इतना जबदंस्त है कि १७६ वें शलाक का सम्बन्ध १७५ वें अहोक से कर देशा है और ऐसी हालतमें पुरुष के प्नर्विवाह की बात ही नहीं आती।

दूसरी बात यह है कि पुरुषों के पुनर्विवाह का निर्णय किसी काल के लिये किसी प्राचीन मुद्रिय ने नहीं किया। हाँ एक प्रतिके रहते हुए दूसरी पत्नीका निर्णय किया है। परन्त विश्व होजाने पर दूसरी पत्नीका निर्णय नहीं किया है न ऐसी पत्नी को सोगपत्नी कहा है। इसलिये सोगपत्नी के निर्णय को पुनर्विवाहका निर्णय समझलेना श्रत्नन्त्र्य शाब्दिक श्रक्षान है। सनलब यह कि न तो पुरुषों का पुनर्विवाह निष्य है न यहाँ उस का प्रकरण है, जिससे १७६ वें अप्रोक्तवा अर्थ बदला जा सके। यह कहना कि हिन्दू प्रत्यकारों ने विश्ववाविवाह का कही विश्वान नहीं किया है विलक्षित सृत्व है। नियोग और विश्ववाविवाह के विश्वानोंसे हिन्दू स्मृतियाँ गरी पड़ी हैं। इस का बलेख श्रीनन्मति श्रादि जैन प्रस्थकारों ने भी किया है।

स्थितिपालक पिण्डित १७५ वें ऋोक के 'पितिसङ्गाद्धो' शब्दों का भी भिथ्या अर्थ वन्ते हैं। पितसङ्ग शब्द का पाणि-पीडन अर्थ करना हद दर्जे की धोखेबाज़ी हैं। पितसङ्ग = पित- "सम्भोग" यह सीधा सञ्चा अर्थ हरेक आदमी समस्ता है। १७४ वें श्रुंकि के चतुर्थी शब्द का भी पाणिपोड़न अर्थ किया है और इधर पतिसक शब्द का भी पाणिपोड़न अर्थ किया जाय तो १७५ वाँ श्रुंकि विलक्कल निर्धक हाजाता है: उसलिये यहाँ पर पाणिपोडन अर्थ लोक, शास्त्र और अस्थ-रचमा की दृष्टि से विलक्कल भुद्धा है।

श्रांशहर का अर्थ है 'वोत्रे', परन्तु ये परिष्ठत करते हैं 'विहले': परन्तु न तो किसी कोष का प्रमाण देने हैं और न साहित्यिक प्रयोग बतलाने हैं। परन्तु श्राधः शब्द का श्रधं पीत्रे या बाद होता है: इसके उदाहरण नो जिनने चाहे मिलेंगे। जैस अर्थामक श्रथित् भोजनान्ते पीयमानं जलादिकम्-भोजन के श्रन्त में विया गया जलादिक। इसी नरह ''अर्थालिखन क्रांक' शब्द का श्रथे हे 'इसके बाद लिखा गया क्रांक' न कि 'इसके पहिले लिखा गया श्लोक'। इसलिये 'वितसक्काद्यः' शब्द का श्रथे हुआ 'सम्भोग के बाद'। जब सम्मोग के बाद कत्या दूसरे को दो जासकती है तब स्त्रीपुनर्विवाह के विधान की स्पटता श्रीर क्या होगी ?

अगर 'श्राघः' शब्द का अर्थ 'पहिलो' भी कर लिया जाय ता भी रे७४ में शलोक से क्ष्रीपुनर्बिवाह का समर्थन ही होता है। 'सम्भोग के पहिलो' शब्द का मतलब हुआ 'समपदी के बाद' क्योंकि सम्भोग समपदी के बाद होता है। यदि सम-पदी के पहिले तक ही पुनर्दान की बात उन्हें क्वीकृत होती तो ये पतिसक्त शब्द क्यों डालते ! समपदी शब्द ही डालते । समपदी के हो जाने पर विवाह पूर्ण हो जाता है और जब सम-पदी के बाद पुनर्दान किया जा सकता है तो क्श्रीपुनर्शवाह सिद्ध हो गया।

त्रिवर्णाचार में यदि एकाध शब्द ही स्त्रीपनविंबाह-

माधक होता तो बात दूमरी थी, परन्तु उनने तो अमेक प्रकरणों में अनेक तरह से म्क्रीपुनर्विवाह का समर्थन किया है। इस त्रिवर्णाचार में ऐसी बहुत कम बातें हैं जो जैनधर्म के अनुकूल हों। उन बहुत थोड़ो बातों में एक बात यह भी है। इस लिये त्रिवर्णाचार के भक्तों का कम से कम विध्वाविवाह का तो पूर्ण समर्थक है। ना चाहिये।

इतना तिखने के बाद जी। कुछ अ। दीपकी के आदिप रह गये हैं उनका समाधन किया जाता है।

श्राक्षेप (क)—गालव ऋषि तो पुनर्विवाह का नि-पंघ कर रहे हैं। श्राप विधान क्यों समक्त बैठे? (श्रोलाल, विद्यानन्द)

ममाधान—गालव ऋषि ने सिर्फ किलकाल के लिये पुनर्विवाह का निषेध किया है। इसिलये उनके शब्दों से ही पहिले के युगों में पुनर्विवाह का विधान सिद्ध हुआ। तथा इसी खोक के उत्तरार्ध से यह भी सिद्ध होता है कि कोई आवार्य किसी किसी देश के लिये कलिकाल में भी पुनर्विवाह वाहते हैं। इसिलये यह खोक विधवाविवाह का समर्थक है।

भोगपत्नी आदि की बातों का खराइन किया जा खुका है। श्रीलालजी ने जो १७२ में श्रादि श्लोकों का श्रर्थ किया है वह बिलकुल बेबुनियाद तथा उनकी ही पार्टी के पंडिन पन्नालाल जी सोनी के भी विरुद्ध हैं। इन श्लोकों में रजस्वला होने की बात तो एक बच्चा भी न कहेगा।

आक्षेप (ख)---मनुस्मृति में भी विधवाविवाह का निषंध है।

समाधान--- आसेपक यह बात तो मानते ही है कि हिन्दु शास्त्रों में परस्पर विरोधी कथन बहुत है। इसलिये वहां विधवाविवाह और नियोग का एक जगह जोरदार समर्थन पाया जाता है तो दूसरी जगह ब्रह्मचर्य की महत्ता के लिये दोनों का निषेध भी पाया जाता है। अगर परिस्थिति की दृष्टि से बिचार किया जाय तो इन सबका समन्वय हो जाता है। स्वैर, मनुस्मृति तथा अन्य स्मृतियों में विधवाबिबाह या स्त्री पुनर्विबाह के काफी प्रमाण पाये जाते हैं। उनमें से कुछ ये हैं—

> या पत्या वा परित्यका विधवा वा म्वयेच्छ्या। उत्पादयेत्पुनभूत्वा स पौनर्भव उच्यते॥ मनुम्मृति ६-१७५॥

सा चेद्रस्तयं।निः स्याद् गतप्रत्यागत।पि वा। पौनभवेन भन्नां सा प्नः संस्कारमहीत ॥ ६-१७६॥

पित के द्वारा छोडी गई या विधवा, अपनी इच्छा से दूसरे की भाषा हो जाय और जो पुत्र पैदा करें वह पौनर्भव कहला-यगा। यदि वह स्त्री अल्लतयांनि हो और दूसरे पित के साथ विवाह करें तो उसका पुनर्विवाह संस्कार होगा। (पौनर्भवेन भन्ना पुनर्विवाहास्यं संस्कारमर्हति) अथवा अपने कीमार पित को छोड़ कर दूसरे पित के साथ चली जाय और फिर लीट-कर उसी कीमार पित के साथ शाजाय तो उनका पुनर्विवाह संस्कार होगा। (यहा कीमार पितमुत्सुज्यान्यमाश्चित्य पुनस्तमेव प्रत्यागता भवति तदा तेन कीमारेण भन्नांपुनविवाहा स्यं संस्कारमहीति)। यहां पुनर्विवाह को संस्कार कहा है इसलिये यह सिद्ध है कि वह व्यभिन्नारस्य या निद्यनीय नहीं है।

हिन्दुशास्त्रों के अनुसार कलिकाल में पाराशरस्मृति
मुख्य है। 'कली पाराशराः स्मृताः' । पाराशरस्मृति में बो
पुनर्विवाह विसकुत स्पष्ट है—

नष्टे मृते प्रवक्तिते क्लीवं च पतिते पती । पंचलापस्य नारीणां पतिरम्यो विधीयते । ४-३० ॥ पति के खो जान पर, मर जान, संन्यामी होजाने, नपुं-मक होने नथा पतित हाजाने पर स्त्रियों का दृमरा पति कर सेने का विधान है।

पित शब्द का 'पती' कप नहीं होना-यह बहाना निकाल कर श्रातालजी नथा श्रम्य लोग 'श्रपती' शब्द निकाः लते हैं श्रार श्रपति का श्रथं करते हैं-जिसकी सिर्फ सगाई हुई हो। परन्तु यह कारा श्रम है। क्योंकि इस श्लोक को जैताचार्य श्रीश्रमितगति ने विभवाविवाह क समर्थन में ही उद्भृत किया है। देखियं धर्मपरीक्षा —

पन्यौ प्रवितिते क्लाबे प्रमध्ये पतिते सृते।

पंचम्बापत्सु नागणां पितरन्यो विश्वीयते ॥ ११-१२॥
दुमरी बात यह है कि झगर यहाँ 'श्रपती' निकलता
होता तो 'श्रपतिरन्या विश्वीयत' पंचा पाठ रखना पडता जा
कि यहाँ नहीं है और न खुन्दाभक्ष के कारण यहाँ झकार
निकाला जा सकता है।

तीसरी बात यह है कि अपित शब्द का अर्थ 'जिस्की सिर्फ सगाई हुई हो ऐस्वा पित' नहीं होता। अपित शब्द के इस अर्थ के लिये काई नमना पेश करना चाहिये।

चौथो बात यह है कि पित शब्द के कप हिर सरी से भी चलते हैं। श्लोंकि पित का अर्थ जहाँ साधारणतः स्वामी, मालिक यह होता है वहाँ समास में ही जि संबा होती है इसलिये वहाँ 'पती' ऐसा कप नहीं बन सकता। परन्तु जहाँ पित शब्द का लाक्षणिक अर्थ पित अर्थान् 'विवाहित पुरुष' अर्थ लिया जाय वहाँ असमास में भी जि संबा हो जाती है जिससे पती यह कप भी बनता है। 'पित समास एव'इस सूत्र की तत्वबोधिनी टीका में खुलासा तौर पर यह बात लिख दी गई है और उसमें पाराशरस्मृति का "पितिते पती" वाला श्लोक भी उद्धृत किया गया है जिससे भी मालूम होता है कि यहाँ 'श्रपती' नहीं है 'पती' है। "श्रथ कथं सीतायाः पत्रंग नमः" इति, 'नस्टे मृते प्रविज्ञित द्वािषे च पतिते पत्ती। पंचम्बापत्सु नागीणां पितरस्यां विश्वीयते' इति पाराशान्श्च। श्रश्नाहुः पितिरिति श्रास्थातः पितः तत्कगीति तदाचस्टे इति णिचि टिलांपे श्रच इः इत्यौणादि कप्रस्थयं ग्रेरिनिटि इति गिलांपे च निस्पन्नोऽयं पितः "पति समानः एव इत्यत्र न गृह्यतं, लालिणकत्वादिति"।

वित शब्द के धिसंक्षिक रूपों के और भी नम्ने सिलते हे नथा वैदिक संस्कृत में ऐसे प्रयोग बहुलता से पाये जाते है। पहिले हम यजुर्वेद के उदाहरण दंते हैं—

नमा रुद्रायातवायिन चित्राणां प्रतये नमः, नमः स्वायकः इन्स्ये बनानां प्रतये नमः । १६। १८।

इसी तरह 'कदाणां पनये नमः' 'पत्तीनां पनये नमः' श्रादि बहुत से प्रयोग पाये जाते हैं।

स्वयं पाराशर ने---जिनके इलांक पर यह विवाद चल रहा है---अन्यत्र भी 'पती' प्रयोग किया है। यथा---

जारेण जनयंद्गभै मृतं त्यक्तं गते पती ।

तां त्यजेद्वरे राष्ट्रं पिततां पापकारिणीम् ॥ १०-३१ ॥
अर्थात् पित के मर जाने पर या पित से छोड़ी जाने
पर जो स्त्री व्यभिचार से गर्भ धारण करें उस पापिनी को देश
से निकाल देना चाहिये । अर्थात् पाराशरजी यह नहीं चाहते
कि कोई स्त्री व्यभिचार करें । विध्वता या पितहीन स्त्री का कर्तव्य है कि वह पुनर्विवाह करले या ब्रह्मचर्थ से रहे, परन्तु व्यभिचार कभी न करें । जो स्त्रियाँ ऊपर से तो विध्वाविवाहको
या उसके प्रचारकों को गालियाँ देती है भीर भीतर ही भीतर
व्यभिचार करती हैं वे सचमुच महापापिनी हैं।

हेमकोष में भी पती शब्द का प्रश्नोग हुआ है। 'श्रयो धूर्ते नरे पती'। यहाँ पर श्रव और पति शब्द को पर्यायवाची कहा है और पति शब्दका पती रूप लिखा है।

ब्यास स्मृति में भी प्तये प्रयोग है। 'दासीवादिष्ट-कार्येष भार्या भर्त्तुः सदा भवेत् । ततोन्नसाधनं कृत्वा प्तये विनिवेद्य तत् ॥ २-२७ ॥

यहाँ पतिके प्रति भार्याके कर्त्तां व्यवतलाये हैं । यहाँ भी सगाई वाला पति द्वार्थ नहीं किया जा सकता है।

> शशिनीव हिमार्तानां घर्मानांनां रवाविव । मनोन रमतेस्वीणां जरा जीर्णेन्द्रिये पर्ती॥

> > मित्रलाभ-हिनापदेश।

इस इलोक के अर्थ में अपतो निकालने की चेएा करके श्रीलालजी ने थोखा देने की चेएा की है। इतना ही नहीं यहाँ पर भी अपनी आदत के अनुसार उलटा चोर कोतचाल को डाँटे की कहाबत चारनार्थ की है। आप कहते हैं कि 'यहाँ भी सगाई वालें (अपति) बुढ़े दुल्हें की बात हैं। ताउजुब यह है कि यहीं पर यह बात भी कहते जाते हैं कि विवाह तो १२-१६ की उस में हुआ होगा। जब विवाह के समय वर की उस आप १६ बतलाते हैं तब क्या वह जन्म भर तो पित बना रहा और बुढ़ापें में अपित बन गया ? बिलहारी है इस कल्पना की! लैंग, जरा यह भी देखिये कि इलोक किस प्रकरण का है।

कौशाम्बी में चन्द्रनदास सेठ रहता था। उसने बुढ़ापे में धनके बलसे सीलावती नामकी एक विश्वसपुत्री से शादी करली, परन्तु सीलावती को उस बूढ़े से सन्तोष न हुआ; इस-लिये वह व्यभिचारियी होकर गुप्त पाप करने सगी। इसी मौके पर यह श्लोक कहा गया है जिसमें 'पती' रूप का प्रयोग है। अब पाठक हो सोचें कि क्या वह बुद्दा सगाई बाला दूरहा था ? श्रीलालजी घोखा तो देते ही है परन्तु उसके भीतर कुछ मर्यादा रहे तो श्रच्छा है।

ख़ैर, ये सब ग्रमाण इतने ज्यादा ज़बर्दस्त हैं कि 'पती' कप में किसी को सन्देह नहीं रह सकता। इसिलिये पाराश्रर ने विधवाविवाह का विधान किया है, यह स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त मनुस्मृति के प्रमाण दिये गये हैं। आवश्यकता होने पर और भी प्रमाण दिये जा सकते हैं। जैन विद्वान यह कह सकते हैं कि हम हिन्दू स्मृतियाँ नहीं मानते परन्तु उन्हें यह कभी भूलकर भी न कहना चाहिये कि उनमें विधवाविवाहका विधान नहीं है। हिन्दू पुराण और हिन्दू स्मृतियाँ विधवाविवाह की पूर्ण समर्थक है।

आक्षेप (ग)— नान्यिमन विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः। श्रन्यिमन हि नियुं जाना धम हन्युः सनातनः॥ नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीर्त्यते क्विचित्। न विवाहविधावुकः विधवावेदनं पुनः॥ मनुस्मृतिके ये दोनों श्लोक विधवाविवाहकं विरुद्ध हैं। (श्रीकाल)

सम्भिन्न हम कह चुके है परिस्थिति के अनुसार अने क तरह की आशार एक ही स्मृतिमें पाई जाती हैं। इसिनये अगर एक पुस्तक में एक विषय में बिधि निषेध है तो उसका समन्वय करने के सिये अपेदाा दूँ इना चाहिये। अन्यथा जिस मनुस्मृति में क्त्री पुनर्विवाह की आशा है और उसे संस्कार कहा है उसी में उसका विरोध कैसा? स्टृतियों में समन्वय और मुख्यगी खताका वहा मूल्य है। ख़ेर, परन्तु इन इलांकों को तो श्रीकाल जीने ठीक ठीक नहीं समका है अन्यथा ये इलांक कभी उद्घृत न किये जाते। पाठक इनके अर्थ पर विचार करें, पूर्वापर सम्बन्ध देखें और नियोग तथा विधवाविवाह के भेट को समर्भे। ये इलोक नियोगप्रकरण के हैं।

नियोग में सन्तानीत्पत्ति के लिये सिर्फ एक बार सभाग करने की खाझा है। नियोग के समय दोनों में सम्मोग किया विज्ञकुल निर्लिप्त होकर करना पड़नी है नथा किसी भी नरह की रसिकता से दूर रहना पड़ना है। देखिये—

> ज्येष्ठो यबीयसो भार्यो यबीमान्वात्रज्ञस्त्रियम् । पतितो भवतो गन्यः नियुक्तावण्यनापदि ॥६-५=॥

श्चगर विश्ववा क सन्तान हो (श्रनापदि=सन्तानाभाव विना) तो उसका उपेष्ठ या देवर नियाग करे तो पनित हा जाने हैं।

> देवराद्वा सर्पिष्ठाद्वा स्त्रिया सम्यङ्गियुक्तया । प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिजये ॥ ६-५६ ॥

सन्तान के नाश हाजाने पर गुरु जनों की श्राक्षाम विधि-पूर्वक देवर से या और सिंपड से कुटुस्बी में) इच्छित सनान पैदा करना चाहिये। (श्रावश्यकता हाने पर एक से श्रीवक सन्तान पैदा की जाती है। हिन्दू पुराणों क श्रानुसार धृतराष्ट्र पांडु और विदुर नियोगज सन्तान है)।

> विधनायां नियुक्तस्तु घृताक्तां वाग्यतां निशि । एक्सुरवाद्येरपुत्रं न क्वितीयं कथचन ॥ ६-६० ॥

विधवा में (आवश्यकता होने पर सधवामें भी) सतान के लिये नियुक्त पुरुष, सारे शरीर में घी का लेप करें मीन रक्खें और एक ही पुत्र पैदा करें।

> विधवायां नियागार्थे निवृष्ते नु यथाविधि । गुरुवच स्नुषावच वर्तेयातां परम्परम् ॥ ६-६२ ॥

नियोग कार्य पूरा हो जाने पर फिर भौजाई या बहु के समान पवित्र सम्बन्ध रक्खे।

नियुक्ती तो विधि हित्वा वर्तेयातां तु कामतः।
तावुमी पतितो स्यातां स्नुषागगुरुतत्वपगी ॥१८-६३॥
यदि नियोग के समय कामवासना से वह सम्भोग करे
तो उसे भीजाई या भ्रातृबधू के साथ सम्भोग करने का पाप सगता है, वह पतित हो जाता है।

पाठक देखें कि यह नियोग कितना कठिन है। साधारण मनुष्य इस विधिका पालन नहीं कर सकते। इसलिये आगे चलकर मनुस्मृति में इस नियोगका निषेध भी किया गया है। वेही निषेधपरक इलोक पंडित लोग उद्धृत करते हैं और विधिपरक इलोकों को साफ छोड़ जाते हैं।

हिन्दू शास्त्र न तो नियोगके विरोधी हैं, न विधवाविवाह के। उनमें सिर्फ़ नियोग का निषेध, कलिकाल के लिये किया है क्योंकि कलियुग में नियोग के योग्य पुरुषों का मिलना दुर्लभ है। यही बात टीकाकारने कही है—"श्रयं च स्वोक्तनियोग-निषेधः कलिकालविषयः"। वृहस्पति ने तीन श्लोकों में तो श्रीर भी श्रिधिक खुलासा कर दिया है। इसलिये हिन्दूशास्त्रोंसे विधवाविवाह का निषेध करना सर्वथा भूल है।

आक्षेप (घ)—चाणिकाने पुनर्विवाह की आज्ञा नहीं दी परन्तु पति के पास जाने की आज्ञा दी है। विद्तालाभे का अर्थ छोड़कर दूसरा पति करने का अर्थ तो इस अर्थेरी दर-बार को हो सुआ।

सम्धिन — श्रीलालजी जान ब्रमकर बात को छिपाते हैं श्रम्यथा ''यथादसमादाय प्रमुश्चेयुः'' श्रादि बाक्यों से पूर्व-विवाह सम्बन्ध्ंके दूर जानेका साफ़ विधान है। स्नैर, पहिली बात तो यह है कि उन वाक्योंका श्रमुवाद छुपी हुई पुलक में सं क्षिया गया है। हमारे विषय में अर्थ बदलने की कुकल्पना आप मले ही करें, परन्तु अनुवादक के विषय में इस कल्पना की कांई ज़करत नहीं है। इसके अनुवादक वेदरल विद्याभा-स्कर, न्यायनीर्थ, सांख्यतीर्थ और वेदान्त विशारद हैं।

दूसरी बात यह है कि 'विद्तु लाभे' धातु का प्रयोग विवाह अर्थ में होता है। मनुम्मृति में विन्देत देवरः का पर्याय वाक्य भर्तुः सोदर भ्राता परिण्येत् किया है। इसी तरह श्रांक ६-६० में 'विन्देत सहशं पति' का 'वरं स्वयं वृणोतं पर्याय वाक्य दिया है। खुद कीटिलीय अर्थशास्त्र में विद्तु धातु का प्रयोग वरण के अर्थ में हुआ है। जैसे—ततः पुत्रार्थी द्वितीयो विन्देत अर्थात् पहिली की से अगर १२ वर्ष तक पुत्र पैदा न हो तो पुत्रार्थी दूसरी शादी करले। यहाँ विन्देत का अर्थ शादी करें ही है। इसी तरह और भी बहुत से प्रयोग हैं। पहिले हमने थोड़े से प्रमाण दिये थे, अब हम ज़रा अधिक देंगे। उन में पेसे प्रमाण भी होंगे जितमें विद्तु का अर्थ पास जाना न हो सकेगा।

"मृते भर्ता रिधर्मकामातदानीमेवास्थाप्याभरणं शुल्क शेषं च समेत ॥ २५ ॥ सब्ध्वा वा विन्दमाना सवृद्धिकमुगयं दाप्येन ॥ २६ ॥ अर्थात् पति के मरने पर ब्रह्मचर्य से रहने वासी स्त्री, अपना स्त्रो धन और अविशिष्ट शुल्क (विवाह के समय प्राप्त धन) से से । अगर इस धन को प्राप्त कर वह (विधवा) विवाह करें तो उससे ब्याज सहित वापिस लें सिया आय।

पाठक विचार कि यहाँ "विन्दमाना" का अर्थ विवाह करने वाली है न कि पति के पास जाने वाली क्यों कि पति तो मर चुका है। और भी देखिये—

'कुटुम्बकामातु श्वसुरपतिद्तं निवेशकाले सभेत ॥२७॥

निवेशकालं हि दीर्घप्रवासे व्याख्याम्यायः ॥२०॥ यदि विधवा दूसरा घर बसाना चाहे ऋर्थात् पुनर्विवाह करना चाहे तो श्व-सुर और पति द्वारा दी हुई सम्पत्ति को वह विवाह समय में ही पा सकती है। विवाह का समय हम दीर्घ प्रवास के प्रक-रण में कहेंगे।

इसी दीर्घप्रवास प्रकरण के वाक्य हमने प्रथम लेख में उद्धृत किये थे। इससे मालूम होता है कि वहाँ पुनर्विवाह का ही ज़िकर है न कि पति के पास जाने का।

"श्वसुर प्रातिलोम्येन वा निविधा श्वसुर पतिद्तं जीयंत" ॥ २६ ॥ श्वसुरको इच्छाके विरुद्ध विवाह करने वाली वधू से, श्वसुर ग्रीर पति से दिया गया धन ले लिया जाय ।

इससे मालूम होता है कि महाराजा चन्द्रगुप्त के राज्य में श्वसुर अपनी विधवा वधू का पुनर्विवाह कर देता था। अगर श्वसुर उसका पुनर्विवाह नहीं करता था तो वह बधू हो अपना स्वीधन छोडकर पुनर्विवाह कर लेती थी।

श्वातिहस्ताद्भिमृष्टाया झातया यथागृहीतं द्युः॥ ३०॥ न्यायोपगतायाः प्रतिपत्ता म्त्रीधनं गोपायेत्॥३१॥ अगर उसके पीहर वाले (पिता भ्राता आदि) उसके पुनर्विवाह का प्रबन्ध करें तो वे उसके लिये हुए धन को दे हैं, क्योंकि न्यायपूर्वक रत्तार्थ प्राप्त हुई म्त्री की रत्ता करने वाला पुरुष उसके धन की भी रत्ता करें।

पतिदायं विन्द्माना जीयेत ॥ ३२ ॥ धर्मकामाभुजीत ॥ ३३ ॥ दूसरे पतिकी कामना वाली क्त्री पतिका दिस्सा नहीं पा सकती श्रीर ब्रह्मचर्य से रहने वाली पासकती है।

पुत्रवती विन्दमानास्त्रीधनं जीयेत ॥ ३४ ॥ तत्त् स्त्रीधनं पुत्रा हरेषुः ॥ ३५ ॥ पुत्रभरणार्थं वा विन्दमाना पुत्रार्थं स्फाती कुर्यात् ॥३६॥ कोई स्त्री पुत्र वाली होकरकेभी अगर पुनर्विवाह करें तो यह स्त्री धन नहीं पासकती । उसका स्त्री धन उसके पुत्र ले लें। ग्रगर पुत्रोंके भरण पोषण के लिये ही वह पुन-विवाह करें तो वह श्रपनी सम्पत्ति पुत्रोंके नाम लिख दें।

हम नहीं समझते कि इन प्रकरणी में कोई पुनर्विवाहका विधान न देखकर पति के पास जाने का विधान देख सकेगा। इस ग्रन्थ में परदेश में गये हुए दीर्घप्रवासी पति को तो छोड़ देने का विधान है, उसके पास जाने की तो बान दुसरी है।

> नीचन्वं परदेशं वा प्रस्थिता राजकिल्विषी। प्रासामिष्टन्ता पतिनस्त्याज्यः कलीयोऽपित्रा पति ।

नीच, दीर्घप्रवासी, राजदाही, घातक, पतित श्रीर नपुं सक पतिको स्त्री छोड़ सकती है। हमें खेद के साथ कहना पड़ता है कि श्रीलालजी या उनके साथी किसी भी विषय का न तो गहरा श्रध्ययन करते हैं न पूर्वापर सम्बन्ध देखते हैं और मनमागा चिलकुल बेबुनियाद लिख मारते हैं। खेर, श्रव हम हम्मश्रवास श्रीर दीर्घप्रवास के उद्धरण देते हैं जिनके कुछ श्रंश पहिले लेख में दिये जा चुके हैं।

'हस्यप्रवासिनां शुद्ध वैश्य स्विय ब्राह्मणानां भार्याः संव त्सरोत्तर कालमाकां सेरक्षप्रवाता, संवत्सराधिकंप्रवाताः ॥२६॥ प्रतिविश्वताहिगुणं कालं ॥२०॥ श्रप्रतिविहिताः सुखावस्या विस्ट पुः परं चत्वारिवर्षागयष्टौ वाक्षातयः । तनो यथाव्यमादाय प्रमुख्येयः ॥ २६ ॥

थोड़े समय के लिये बाहर जाने वाले शूद्ध वैश्य चत्रिय भौर बाह्यणों की क्त्रियाँ अगर पुत्रहीन हों तो पक वर्ष और पुत्रवती इससे अधिक समय तक प्रतीच्चा करें। यदि पित आजीविका का प्रवन्ध कर गया हो तो इससे दूने समय तक प्रतीच्चा करें। जिनकी आजीविका का प्रवन्ध नहीं है, उनके बंधु बाँधव चार वर्ष या आठ वर्ष तक उनका भरण पोषण करें। इसके बाद प्रथम विवाह के समय में दिया हुआ धन वापिस लेकर दुसरी शादीके लिये आज्ञा देदें।

पाठक देखें कि यहाँ 'प्रमुञ्जेयुः' किया है। इसका ऋर्थ 'ख़ोड़ दें' ऐसा होता है। पति के पास सेंज दें ऐसा ऋर्थ नहीं होता। पित के पास से पिता के पास, या पिता के पास से पित के पास काने जाने में मुञ्ज या छोड़ देने का व्यवहार नहीं होता। इसिलिये सम्बन्ध बिच्छेद के लिये ही इस शब्द का व्यवहार हुआ है।

ब्राह्मण्मधीयानं दश वर्षारयप्रजातः, द्वादश प्रजाता राजपुरुपमायुः स्यादाकाङ्क्षेत ॥३०॥ सवर्णनश्च प्रजाता नाप वादं सभेन ॥ ३१ ॥

पढ़ने के लिये विदेश गये ब्राह्मण की सन्तानहीन स्त्री दशवर्ष तक, संतान वाली १२ वर्ष तक श्रीर राजकार्यप्रवाली की जीवनपर्यन्त प्रतीक्षा करें । हाँ, श्रगर किसी समान वर्ण के पुरुष से वह गर्भवती होजाय तो वह निन्दनीय नहीं हैं ।

यहाँ पर प्रतीक्षा करने के बाद पित के पास जाने की बात नहीं लग सकती। जब ऐसी हालन में परपुरुष से गर्भ-बती होजाने की बात भी निन्दनीय नहीं है तब उनके पुनर्विवाह की बात का ता कहना ही क्या है।

कुटुम्बर्क्सिलांपे वा सुखावस्थैविमुक्ता यथेष्ट' विन्देत जीवितार्थम् ॥ ३२ ॥ कुटुम्बकी सम्पत्ति नष्ट हाने पर या उनके द्वारा छोड़े जाने पर जीवन निर्वाह के लिये इच्छानुसार विवाह करे।

श्रीतालजी विन्देत का द्यर्थ करते हैं पतिके पास जावे। इम सिद्धकर चुके हैं कि विन्देत का श्रर्थ के विवाह करें हैं। साथ ही इस् प्रम्थ का सारा प्रकरण ही स्त्री पुनर्विवाह का है यह बात पहिले उद्धरणों से भी सिद्ध हैं। 'यथेष्ट' शब्द से भी विवाह करने की बान सिद्ध होती हैं। इच्छानुसार पति के पास जावे—यहाँ इच्छानुसार शब्द का कुछ प्रयोजन ही नहीं मालूम होना, जब कि, इच्छानुसार विवाह करें—इस वाक्य में इच्छानुसार शब्द आवश्यक मालूम होना है।

श्रापद्गतावाधर्मविवाहस्कुमारी परिगृहीतारमनाख्याय प्रांपितं श्रुयमाणं समनीर्था न्याकाङ्क्तेत ॥३३॥ सवत्सरं श्रुयमा-एमाख्याये ॥३४॥ प्रोषितमश्रयमाणं पञ्चनीर्थान्याक ङ्क्तेत ॥३५॥ दश श्रमयाग्रम् ॥ ३६ ॥ एक देशदत्त शुल्कं त्रीग्रीतीर्थान्यश्रय-माणुम् ॥३७॥ अयमाणुम् सप्ततीर्थान्यकाङ्क्षेत ॥३=॥ दत्त शुल्कं पञ्चर्तार्थान्यश्चयमाणुम् ॥३६॥ दश श्रयमाणुम् ॥४०॥ ततः परं धर्मस्थैविस्ए। यथेएम् विन्देत् ॥४१॥ निर्धनता सं आपद्रप्रस्त कुमारी (श्रज्ञतयोनि) चिसका चार धर्मविवाहों में सं कोई विवाह हुआ और उसका पति बिना कहे परदेश चला गया हो नो वह सान मासिकधर्म पर्यंत प्रतीक्षा करे। कहकर गया हो तो एक वर्ष तक। प्रवासी पति की खबर न मिलने पर पाँच मासिकधर्म तक। खबर मिलनेपर दश मासिकधर्म तक प्रतीदा करें। विवाह के समय प्रतिशात धन का एक भाग ही जिसने दिया हो ऐसा पति विदेश जानेपर ब्रगर उसकी ख़ाबर न मिले तो तीन मासिकधर्म तक और खबर मिलने पर सात मासिक धर्म तक उसकी प्रतीक्षा करे। धगर प्रतिशात धन सारा देदिया हो तो खबर न मिलने पर तीन और खबर मिलने पर सात मासिकधर्म तक प्रतीचा करे । इसके बाद धर्माधिकारी की श्राक्षा स्रोकर इच्छानुसार दूसरा विवाह कर स्रे (यहाँ भी यथेष्टं शब्द पड़ा हुआ है।)। साथ ही धर्माधिकारीसे आक्रा लंने की बात कही गई है। पुनर्विवाह के सिये ही धर्माधिकारी की भाडा की ज़रूरत है न कि पति के पास जाने के लिये। फिर

जिस पति की ख़बर ही नहीं मिली है उसके पास वह कैसे जा सकती हैं ?

दीर्घप्रवासिनः प्रविज्ञितस्य प्रेतस्य वा भार्यासप्ततीर्थान्याकांस्तेत ॥ ४३ ॥ संवत्सरं प्रज्ञाता ॥ ४४ ॥ ततः पतिसोद्यं गच्छेत् ॥ ४५ ॥ बहुष् प्रत्यासत्रं धार्मिकं भर्म समर्थं कनिष्ठमभार्यं वा। तद्भावेऽप्यसोद्यं स्वित्तः कुल्यं वासत्रम् ॥ ४० ॥ एतेषां एव एव कमः ॥ ४८ ॥

दीर्घप्रवासी, संन्यासी या मर गया हो तो उसकी स्त्री सप्त मासिकधर्म तक उसकी प्रतोद्धा करे। ग्रगर सन्तान वाली हो तो एक वर्ष तक प्रतीद्धा करे, इसके बाद पति के भाई के साथ शादी करले। जो भाई पतिका नज़दीकी हो, धार्मिक हो, पालन पोषण कर सके श्रीर पत्नी रहित हो। श्रगर सगा भाई न हो तो पति के वंश का हो या गोत्र का हो।

यहाँ तो श्रीलाल जी पित के पास जाने की बात न कहेंगे? क्योंकि पित तो संन्यासी हो गया है या मर गया है। फिर पित के भाई के पास जाने की श्राहा क्यों है? अपने भाई या पिता या श्वसुर के पास जाने की क्यों नहीं? फिर पित का भाई भी कैसा? जिसके पत्नी न हो। क्या श्रव भी श्रीलाल जी यहाँ विवाह की बात न समर्भेंगे।

ग्राक्षेष (क)-ग्राचार्य सोमदेवजी ने जिन स्मृतिकारी के विषय में लिखा है यह सब चर्चा सगाई बाद की है। वैणावों के किसी प्रन्थ में भी विश्ववाविवाह की श्राक्षा नहीं है। (श्रीकाल)

समाधान—"विकृतपत्यृदापि पुनर्विवाहमहैतीति स्मृ-तिकाराः" विकृतपति कं साथ विवाही गई स्त्री भी पुनर्विवाह कर सकती है। स्मृतिकारों के इस वकव्य में सगाई की ही भुन सगाये रहने वासे श्रीसास जी का साहस धन्य है। 'ताबिद्धवाहो नैबस्याद्यायवत्सप्तपदी भवेत्' तब तक विवाह
नहीं होता जब तक सप्तपदो न हो जाय। इसिलिये जिस स्त्री
को विवाही गई कहा है वह अभी तक वाग्दत्ता ही बनी हुई
है, ऐसी बात श्रीलाल जी ही कह सकते हैं। फिर पुनर्विवाह
शब्द भी पड़ा हुआ है। यह पुनर्विवाह शब्द ही इतना स्पष्ट
है कि विशेष कहने की ज़रूरत नहीं है। खैर, श्रीलाल जी इस
वाक्य का जो चाहे अर्थ करें परन्तु उनने यह बात मानर्ला है
कि सोमदेव जी को इस वाक्य में कुछ आपित्त नहीं है।
अन्यथा उन्हें इस वाक्य के उद्घृत करने की क्या ज़रूरत
थी, जब कि खराइन नहीं करना था। वैष्णावों के प्रन्थों में पुनविवाह की कैसी आज्ञा है यह बात हम इसी लेख में विस्तार
से सिद्ध कर चुके हैं।

प्रश्न अट्टाईसवाँ

इस प्रश्न में यह पूछा गया था कि श्रगर किसी श्रबोध करना के साथ कोई बलात्कार करे तो फिर उसका विवाह करना चाहिये या नहीं। हमने उत्तर में कहा था कि ऐसी हालत में कर्या निरपराध है। इसलिये विधवा-विवाह के विरोधों भी ऐसी कर्या का विवाह करने में सहमत होंगे: क्योंकि उसका विवाह पुनर्विवाह नहीं है, श्रादि। श्रीलाल जी का कहना है कि 'उसी पुरुष के साथ उसका विवाह करना चाहिये या वह ब्रह्मचारिणों रहे, तीसरा मार्ग नहीं जँचता।' जब तक मिध्यात्व का उदय है तब तक श्रीलालजी को कुछ जँच भी नहीं सकता। परन्तु श्रीलालजी, न जँचने का कारण कुछ भी नहीं सतता सके हैं इसलिये उनका यह बक्टय दुरा- श्रह के सिवाय श्रीर कुछ नहीं है।

भ्राक्षेप (क)-ऐसी कन्या का विवाह बज्ञातकार करने

वाले पुरुष के साथ ही करना चाहिये। पाग्रहु और कुन्ती के चारित्र से इस प्रश्न पर प्रकाश पडता है। (विद्यानन्द)

समाधान—पाण्डु और कुन्ती का सम्बन्ध बलातकार नहीं था जिससे हम पाण्डु को नीच और राज्ञसी प्रकृति का मनुष्य कह सकें। और ऐसी हालत में पाण्डु अपात्र नहीं कहा जा सकता। बलातकार तो शैतानियत का उग्र और बीमत्सक्ष्य है। बलातकार सिर्फ कुशील ही नहीं है, किन्तु वह घोर राज्ञसी हिंसा भी है। इसलिये बलातकार के उदार हरण में पाण्डु कुन्ती का नाम लेना भूल है। हम पूछते हैं कि बलातकार, विवाह है या नहीं ? यदि विवाह है तो फिर विवाह करने की आवश्यकता क्या है ? अगर विवाह नहीं है तो वह कन्या अविवाहिता कहलाई; इसलिये उसका विवाह होना चाहिये।

आस्तेष (ख)—विलाव श्रगर दूध को जूठा करदे तो वह अषेय हो जाता है, यद्यपि इसमें दूध का श्रपराध नहीं है। इसी प्रकार बलात्कार सं दूषित के कर्या भी, समस्ता चाहिये। (विद्यानन्द)

समाधान—इस दृष्टांत में श्रानेक ऐसी विषमताएँ हैं जो दृ्ध के समान कन्या को त्याउय सिद्ध नहीं करतीं। पिहली तो यह है कि दूध जड़ है। यह श्रागर नाली में फैंक दिया जाय तो दृ्ध को कुछ दुःख न होगा। इसलिये हम दृ्ध के निरपराध होने पर भी उसकी तरफ से लापबीह रह सकते हैं। परन्तु कन्या में सुख दुःख है। उसकी पर्धाह करना समाज का कर्तव्य है। इसलिये कन्या के निरपराध होने पर हम ऐसा कोई विधान नहीं बना सकते, जिससे उसको दुःख या उसका अपमान हो।

दूसरी विषमता भोज्य भोजक की है। स्त्री को हम

भोज्य कहें श्रीर पुरुष को भोजक, यह बात सर्वधा श्रमुचित है। क्योंकि जिस प्रकार स्त्री, पुरुष के लिये भोज्य है उसी प्रकार पुरुष, स्त्री के लिये भोज्य है। इसीलिये स्त्री जूटी हो श्रीर पुरुष जूटा न हो, यह नहीं कहा जा सकता। जब पुरुष जूटा हाकर के भी स्त्री के लिये भोज्य रहता है तो स्त्री भी क्यों न रहेगी?

तीसरी बात यह है कि स्त्री पुरुष के सम्बन्ध को श्राह्मेंपक ने गांग मान लिया है जबिक वह उपभाग है। गांग का विषय एक बार ही भांगा जाता है, इस्लिये उसमें जूठा-पन श्राजाता है: परन्तु उपभाग श्रांकबार भांगा जाता है। सभ्य श्राह्मों अपना ही जूठा भांजन दूसरे दिन नहीं खाता जबिक एक ही वस्त्र को श्रांककबार काम में लाता रहता है। श्रगर स्त्री को भांज्य माना जाय तो जिस स्त्री को श्रांज भांगा गया उसको फिर कभी न भागना चाहिये। तब नो हर एक पुरुषको महीनमें चार चार छः छः स्त्रियोंकी श्रावश्य-कता पड़ेगी श्रन्थथा उन्हें जुठी स्त्री से ही काम चलाना पड़ेगा।

स्त्री श्रीर पुरुषके सम्बन्धमें तो दोनों ही सुकानुभव करते हैं, इसिलिए कीन किसका जुढ़ा है यह नहीं कहा जा सकता। फिर भी जो लोग स्त्रियों में जुटेपन का व्यवहार करते हैं वे माता को भी जुटा कहेंगे, क्योंकि एक बच्चे ने एक दिन जिस माता का दूध पीलिया वह दूसरे दिन के लिये जुटी हो गई। श्रीर दूसरे बच्चे के लिये श्रीर भी श्रीयक जुटी हो गई। इतना ही नहीं इस दृष्ट से पृथ्वी, जल, वायु श्रादि जुटे कहलायंगे, सारा संसार उच्छिष्टभय हो जायगा, क्योंकि किसी भी इन्द्रिय का विषय होने से जब पदार्थ उच्छिष्ट माना जायगा नो स्पर्श करने से पृथ्वी, जल श्रीर वायु जुटी कहलायगी श्रीर श्रांकों से दें ब लेने पर सारा संसार जुटा कहलायगा। यदि

रसना इन्द्रिय के विषय में ही उच्छिष्ट श्रनुच्छिष्ट का व्यवहार किया जाय तो कन्याको हम उच्छिष्ट नहीं कह सकते, क्योंकि वह चबाने खाने की वस्तु नहीं है, जिससे वह जूटे दूधके समान समभी जाय।

उन्तीसवाँ प्रश्न ।

"त्रैवर्णिकाचार से तलाक के रिवाज का समर्थन होता है।"—यह बात हमने संदोप में सिद्ध की थी। परन्तु ये दोनों श्रादोपक कहते हैं कि उसमें तलाक की बात नहीं है। भले ही तलाक या (Divorce) श्रादि प्रचलित भाषाओं के शब्द उस ग्रन्थ में नहीं परन्तु वैवाहिक सम्बन्ध के त्यांग का विधान श्रवश्य है श्रीर इसी को तलाक कहते हैं—

श्रप्रज्ञां दशमें वर्षे स्त्री प्रजां द्वादशे त्यजेत्।

मृतप्रज्ञां पंचदशे सद्यस्त्विप्रवादिनीम् ॥११-१६७॥

व्याधिता स्त्रीप्रज्ञा वन्ध्या उनमत्ता विगतार्तवा!

श्रद्धा सभते त्यागं तीर्थता न तु धर्मतः ॥११-१६८॥

श्रगर दस वर्षे तक कोई संतान न हा तो दसवें वर्षमें,
श्रगर कन्याएँ ही पैदा होती हों तो बारहवें वर्षमें, श्रगर संतान जीवित न रहती हो तो १५वें वर्ष में स्त्री को छोड़ देना चाहिये ॥१६७॥
श्रोर कठोर भाषिणी हो ता तुरन्त छोड़ देना चाहिये ॥१६७॥
शोगिणी, जिसके केवल कन्याएँ ही पैदा होती हों, बन्ध्या, पागल, जो रजस्वला न होती हो ऐसी स्त्री श्रगर दुष्ट न हो तो उसके साथ संभोग का ही त्याग करना चाहिए; बाक़ी पत्नीत्व का व्यवहार रखना चाहिए ॥१६८॥ इससे मालूम होता है कि १६७ वें श्रोक में जो त्याग बतलाया है उसमें स्त्री का पत्नीत्व सम्बन्ध भी श्रलग कर दिया गया है। यह तलाक़ नहीं तो क्या है?

श्रीलाल जी कहते हैं कि दिल्ल में तलाक का रिवाज ही नहीं है। सौभाग्य से दिल्ल प्रान्त श्राज भी बना हुआ है। कोई भी श्रादमी वहाँ जाकर देख सकता है कि चतुर्थ पंचम संतवाल श्रादि दिगम्बर जैनियों में विधवाविवाह श्रीर तलाक का रिवाज श्रामतौर पर चालू है या नहीं। बिलक वहाँ पर विधुर कुमारियों के साथ शादी नहीं करते। इसलिये कुमा-रियों के साथ पहिले किसी श्रन्य पुरुष की शादी करदी जाती है इसके बाद तलाक दिलाया जाता है फिर उस विधुर के माथ उस तलाक वाली स्त्री की शादी होती है। इसके श्रिति-रिक्त श्रन्य स्त्रियाँ भी तलाक देती हैं, पुनर्विवाह करती हैं।

द्विण्प्रान्त में नलाक का अभाव बतला कर श्रीलाल जीया नो कूपमण्डूकता का पश्चिय देग्हे हैं या समाज को श्रोखा देग्हे हैं।

नीसवाँ प्रश्न ।

पुराणों में विश्ववा-विवाह का उल्लेख क्यों नहीं मिलना, इसके कारणोंका सप्रमाण दिग्दर्शन किया था। दोनों की आले पकों से यहां पर भी कुछ जराडन नहीं बन सका है। परन्तु इस प्रश्नमें विद्यानन्द जीने तो सिर्फ अपनी अनिच्छाही ज़ाहिर की है, परन्तु परिडन श्रीलालजी ने श्रग्ड बराड लिख मारा है। बल्कि शृष्टताका भी पूर्ण परिचय दिया। जैनजगत् आदि पत्रों का काला मुँह करने का उपदेश दिया है। ख़ैर, यहाँ हम संसेप में अपना वक्तव्य देकर आलेपोंका उत्तर देंगे।

श्र—पुराणों में विधवा-विवाह का उल्लेख नहीं है भीर विधुर विवाह का उल्लेख नहीं है। परन्तु यह नहीं कहा जास-कता कि पहिले जमाने में विधुर विवाह नहीं होते थे। न यह कहा जासकता है कि विधवाविवाह नहीं होते थे। म्राज्ञकल भी प्रथम विवाह के समय ही विशेष समारोह किया जाता है। द्वितीय विवाह के समय विशेष समा-रोह नहीं किया जाता। इसी तरह पहिले ज़माने में भी स्त्री पुरुषों के प्रथम विवाह के समय विशेष समारोह होता था; द्वितीयादि विवाहों के समय नहीं। रामचन्द्र म्रादि के प्रथम विवाह का जैसा उल्लेख मिलता है वैसा द्वितीयादि विवाहोंका नहीं मिलता। इसी तरह स्त्रियोंके भी प्रथम विवाहका उल्लेख मिलता है द्वितीय विवाहों का नहीं।

इ—पुरुषोंकं द्वितीयादि विवाहींका जो साधारण उच्चेल मिलता है वह उन के बहुपत्नीत्व का महत्व बतलाने के लिए है। पुराने जमानेमें जो मनुष्य जिनना बड़ा वैभवशाली होना था वह उतनी ही अधिक न्त्रियाँ रखना था। इसीलिए चक्कवर्सी के ६६ हज़ार, अर्द्धचक्रीकं १६०००, बलभद्वकं म००० तथा साधा-रण राजाओं के सैकड़ों स्त्रियाँ होनी थीं। स्त्रियाँ अपना पुनर्वि-वाह तो करतीं थीं, परन्तु उनका एक समय में एक ही पति होना था; इसलिये उनके बहुपनित्व का महत्व नहीं बतलाया जासकना था। तब उनके दूसरे विवाहका उच्चेल क्यों होता?

ई—ग्राजकल लोग श्रपनी लड़िक्यों का विवाह जहाँ तक बनता है कुमार के साथ करते हैं, विधुरके साथ नहीं। ख़ास-कर श्रीमान् लोग तो श्रपनी लड़की का विवाह विधुरों के साथ कदापि नहीं करते। परन्तु इस परसे यह नहीं कहा जासकता कि श्राज विधुरविवाह नहीं होता, या विवाह करने वाले विधुर जातिच्युत समसे जाते हैं। इसी प्रकार पुराने समय में लोग यथाशक्ति कुमारियों के साथ शादी करते थे श्रीर श्रीमान् लोग तो विधवाशों के साथ शादी करना ही नहीं चाहते थे। परन्तु इससे विधुर विवाह के समान विधवाविवाह का भी निषेध नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि स्त्रियों को विवाह के

बाद एक कुटुम्ब छोड़ कर दूसरे कुटुम्ब में जाना पड़ता है। इसिलाये भी श्रीमन्त घरानों की स्त्रियाँ पुनर्विवाह नहीं करती थीं, क्योंकि ऐसी श्रवस्थाने उन्हें ग़रीब घरमें जाकर रहना पड़ता था। चूँकि श्रीमान लोगों को तो कुमारियाँ ही मिल जाती थीं इसिलाये वे विश्ववाशों से विवाह नहीं करते थे। ग़रीब घरानों में होने वाले वैवाहिक सम्बन्धों का महत्व न होंने से शास्त्रों में उनका उल्लेख नहीं है।

उ—प्रायः कुमारियाँ ही स्वयम्बर करती थीं और म्ब-यम्बर बड़े २ विग्रहों के तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के स्थान थे; इसिलिए शास्त्रों में स्वयम्बर का ज़िकर आता है। विधवाओं का स्वयम्बर न होने से विधवाविवाह का ज़िकर नहीं आता।

ऊ—िहन्दू पुराणों में द्रीपदी के पाँच पित माने गये हैं। दिगम्बर जैन लेखकोंने द्रीपदी के प्रकरणमें इस बातका खराडन किया है। हिन्दू शास्त्रों के श्रमुसार मन्दोदरी का भी पुनर्विवाह हुआ था, परन्तु मन्दोदरी के प्रकरण में उसके पुनर्विवाह का खराडन नहीं किया गया. इससे मालुम होता है कि दिगम्बर जैन लेखक बहुपनित्व (एक साथ बहुत पित रखना) की प्रथा के विरोधी थे, परन्तु विधवाविवाह के विरोधी नहीं थे।

म्य-हमारे पुराण जिस युग के बने हैं उस युग में भारत में सतीप्रधा ज़ोर पकड़ रही थी, विधवाविवाहकी प्रधा लुक्ष होरही थी। ऐसी अवश्वामें दिगम्बर जैन लेखकोंने ज़माने का रुख़ देखकर विधवाविवाह वाली घटनाश्रीको अलग कर दिया, परन्तु कोई आदमी विधवाविवाह को जैनधर्म के विरुद्ध न समभले, इसलिये उनने विधवाविवाहका विरोध नहीं किया।

ल्र—हिन्दू पुराणों से और स्मृतियों से वैदिक धर्माव-लिम्बर्यों में विधवाधिवाह का रिवाज सिद्ध है। गौतम गण्धर ने हिन्दू पुराणों की बहुतसी बातोंका खराइन किया, परन्तु विधवाविवाहका खराडन नहीं किया। इससे भी विधवाविवाह की जैनधर्मानुकूलता मालूम होती है।

ए—प्रथमानुयोग, पुराय और पापका फल बतलाने के लिये है, इसलिये उसमें गीतिरिवाजों का उल्लेख नहीं होता है। इसलिये उसमें ऐसे किसी भी विवाहका उल्लेख नहीं है जो ग्रसाधारण पुराय या पुराय फल का द्योतक न हो। उत्पर हम कह खुके हैं कि विधवाविवाह में हेसी ग्रसाधारणता न होने से उसका उल्लेख नहीं हुआ।

ऐ—ऐसी बहुन बातें हैं जो जैनधर्मके श्रतुकूल हैं, शास्त्रोक्त हैं, परन्तु पुराणों में जिनका उल्लेख नहीं हैं—जैसे विवाहमें होनेवाली सप्तपदी, वैधव्यदीक्ता, दीक्तान्वय क्रियाएँ श्रादि।

श्रो—परस्त्रीसंवन श्रादि का जिस प्रकार निन्दा करने के लिये उच्चे ख है, उस नरह शास्त्रमें विधवाविवाहका खराडन करने के लिए उच्चे ख नहीं है।

श्री—भगवान महावीर के द्वारा जितना प्रथमानुयोग कहा गया था उतना श्राजकल उपलब्ध नहीं है। सिर्फ मोटी मोटी घटनाएँ रह गई हैं इसलिए भी विधवाविवाह सरीखी साधारण घटनाश्रों का उल्लेख नहीं है।

उपर्यक्त बारह छेदकों में मेरे वक्तव्य का सारांश आगया है और आसेपों का खरडन भी हो गया है। फिर भी कुछ बाक़ी न रह जाय, इसिलिये आसेपकों के निःसार आसेपोंका भी समाधान किया जाता है। लेखनशैली की अनिभिन्नता से श्रोलालजी ने जो आसेप किये हैं उन पर उपेसा दृष्टि रक्खी जायगी।

ब्राक्षेप (क)--दमयन्तीने अपने पति नलको दूँ दने के

तिये खयम्बर रचित्या तो क्या हिन्दु शास्त्रीमें पुनर्विवाह सिख होगया ? [श्रीतात्व]

समाधान—दमयन्ती पुनर्तिवाह चाहती थी, यह हम नहीं कहते: पग्नतु उस समय हिन्दुओं में उसका रिवाज था यह बात सिद्ध होजाती है। दमयन्ती के स्वयम्बर का निमन्त्रण पाकर किसीने इसका विरोध नहीं किया—सिर्फ दमयन्ती के पति नल को छोड़कर और किसी को इसमें आश्चर्य भी न हुआ। सब राजा महाराजा स्वयम्बर के लिये आये। यदि विधवाः विवाहका निवाज न होता तो राजा महाराजा क्यों आते?

ग्राक्षेष (ख) — ग्रन्तराल में चाहे धर्म कर्म उठ जाय परन्तु सजातीयविवाह नष्ट नहीं हुआ करता है। [श्रीलाल]

समाधान—अन्तरालमें धर्मकर्म उठ जाने पर भी श्रगर सजातीय विवाद नष्ट नहीं हुआ करता ता इससे सिद्ध हो जाता है कि सजातीय विवाह से धर्मकर्म का कुछ सम्बन्ध नहीं हैं। ऐसी हालन में सजातीय विवाद का कुछ महत्व नहीं रहता।

सजातीय विवाह का बन्धन तो पौराणिक युग में कभी रहा हो नहीं। जातियाँ तो सिर्फ़ ज्यापारिक च्रेत्र के लिये थीं। भगवान ऋषभदेव के समय से जातियाँ हैं और उनके पुत्र सम्राट् भरतने ३२००० विवाह म्लेच्छ कन्याओं के साथ किये थे। तीर्थं इरों ने भी म्लेच्छों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध किये थे। जानुलाम और प्रतिलोम दोनों तरहके उदाहरणों से जैन-पुराण भरे पड़े हैं। विजातीयविवाह और म्लेच्छ कन्याओं से हाने वाले विवाहक फलस्बरूप होने वाली सन्तान मुकिगामी हुई है इसकेभी उदाहरण और प्रमाण बहुतसे हैं। यहाँ विजान तीय विवाह का प्रकरण नहीं है। विजातीय विवाह की अर्चा उठाकर श्रीलाल जी धृप के इरसे भट्टी में कृद रहे हैं। मन्त-

राल में विजातीय विवाह रहे चाहे जाय परन्तु जब उस समय जैनधर्म की प्रवृत्ति नहीं थी तब वैदिकधर्म के अनुसार विधवाविवाह का रिवाज अवश्य था और पोछे के जैनी भी उन्हीं की सन्तान थे।

आक्षेप (ग)—मुसलमानों में भी सैय्यद का सैय्यद के साथ श्रीर मुग़ल का मुग़ल के साथ विवाह होता है।

(श्रीलाल)

समाधान—विधवा विवाह के विगंध के लिये ऐसे ऐसे आचेप करने वाले के होश हवास दुहस्त हैं इस बात पर मुश्किल से ही विश्वास किया जा सकता है। सैय्यद सैय्यद से विवाह करे इसमें विधवाधिवाह का खराडन क्या हो गया? बहिक इससे तो यही सिद्ध हुआ कि जैसे मुसलमान लोग (श्रीलाल जी के मतानुसार) सजातीय विवाह करते हुये भी विधवाविवाह करते हैं तो अन्यत्र भी सजातीय विवाह होने पर भी विधवाविवाह हो सकता है। इसलिय अन्तराल में सजातीयविवाह के बने रहने से विधवाविवाह का अभाव सिद्ध नहीं होता। फिर मुसलमानों में विजातीयविवाह न होने की बात तो धृष्टा के साथ धोखा देने की बात है। जहाँगीर बादशाह की माँ हिन्दु और बाप मुसलमान था। मुसलमानों में आधे से अधिक हिन्दुरक्तमिश्रित हैं। आज भी मुसलमान लोग चाहे जिस जाति की स्त्री से शादी कर लेते हैं।

आक्षेप (घ)—विज्ञातीयविवाह सं एक दो सन्तान के बाद विनाश हो जाता है। वनस्पतियों के उदाहरण सं यह बात सिद्ध है।

समाधान--- आलेपक को बनस्पति शास्त्र या प्राणि शास्त्र का ज़रा अध्ययन करना चाहिये। प्राणिशास्त्रियों ने विजातीय सम्बन्धां सं कैसी विचित्र जातियां का निर्माण किया है और उनकी कैसी वंशपरमारा चल रही है, इस बान का पता श्राप को थोड़े श्रध्ययन से ही लग जाता। किसी मुर्ख माली की अधूरी बात के आधार पर सिद्धान्त गढ़ लेता श्राप ही सरीखे क्रपमंड्रक का काम हो सकता है। खैर, मान लीजिये कि विजातीय सम्पर्क की वंश परम्परा नहीं चलती. परन्तु मनुष्य में ना विजातीयविवाह की वंशपरम्परा चलती है। जहाँगीर हिन्दू माँ श्रीर मुसलमान बाप से पैदा हुआ था। इसके बाद के भी श्रनेक बादशाह इसी तरह पेंदा हुण जिनकी परम्परा श्राज तक है। कई शताब्दियों तक तो वह वंश राज्य ही करता रहा। बाद में (८५७ के खातन्डय युद्ध के बाद मा उसी वंश के बहुत स मन्द्य गरीबी की हालत में गुड़ार करते थे श्रीर उनमें बहुत से श्राज भी बने हुए हैं। यदि यह सिद्धान्त मान लिया जाय कि विजानीयविवाह की सन्तान परम्परा अधिक नहीं चलनी नो इससे विजातीय विवाह का निषेध नहीं होगा किन्तु मनुष्यों में होने वाला विजातीय विवाह, विजातीय नहीं है अर्थात् मनुष्यमात्र एक जानि के है यही बान लिख होगी. क्योंकि मनुष्यों में विजा-नीय सम्बन्ध से भी वश परम्परा चलती रहती है।

त्राक्षेष (ङ)—क्या श्रेणिक के समय में रामायण श्रादि ग्रन्थ बन गये थे ?

समाधान—ये प्रनथ बहुत प्राचीन है यह बात ऐतिहा-सिक प्रमाणों से सिद्ध है। साथ ही अपने पद्मपुराण में भी यह तिखा है।

> देखिये पद्मपुरक्षण द्विनीय पर्य---श्रूयंते लोकिके श्रन्थे राज्ञसाः रावणादयः॥ २३०॥

पवंविधं किलग्रन्थं रामायगमुदाहृतं ॥ २३७ ॥ श्रश्रद्धेयमिदं सर्वं वियुक्तम्पपत्तिमिः ॥ २४८ ॥

ये सब श्रेणिक के मुंह से निकले हुए वाक्य हैं। रामा-यण का नाम तक श्राया है। श्रेणिक ने रामायण की श्रन्य बातों की तो निन्दा की, परन्तु विधवाविवाह की कहीं भी निन्दा न की, न गोतम ने ही निन्दा की, इससे विधवाविवाह की जैनधर्मानुकूलना सिद्ध होती है।

आतिप (च)--- अय कुछ न बना तो एक खाँक दी बना कर लिख दिया। इस मायाचार का कुछ ठिकाना है! (श्रीलाल)

समाधान--

यथा च जायते दुःखं सद्भायामात्मयोषिति।
नगन्नरेण सर्वेषामियमेव व्यवस्थितः॥१४-१६२॥
इस श्लोक में यह बताया गया है, कि परस्त्री
रमण से परस्त्री के पित को कष्ट होता है इसलिय पगन्त्री
सेवन नहीं करना चाहिये।यह श्लोक पद्मपुगण का है जिसे
श्रीलाल जी ने मेरा कह कर मुक्ते मनमानी गालियाँ दी हैं।
इतना ही नहीं ऐसे अच्छे श्लोक के खरडन करने की भी
श्रसफल चेष्टा की है। पगन्तु इससे हमाग नहीं पद्मपुगण
का खरडन श्रीर श्राचार्य रविषेण का श्रयमान होता है।

इस श्लोक से यह बात सिद्ध होती है, कि परस्त्री रमण से पति को कष्ट हाता है, इमलिये वह पाप है। इसी आधार पर यह कहा जाना है कि विधवाबिवाह से पति को कष्ट नहीं होता, क्योंकि पति मर गया है इसलिये विधवा-विवाह पाप नहीं है। ऐसी सीधी वात भी श्रीलाल जी न समभें तो बलिहारी इस समभ की।

श्रीलाल जी ने यह स्वीकार किया है कि 'श्रपनी विश्वा-

हिना को छोड़ कर शेष सब में व्यामचार है चाहे वह कुमारी हो सथवा हो या विधवा हो?। श्रीलालजी के इस वक्त क्य का हम पूर्ण समर्थन करते हैं श्रीर इसीसं विधवा-विवाह का समर्थन भी हो जाता है। जिस प्रकार कुमारी के साथ रमण् करना व्यभिचार है, किन्तु कुमारी को विधाहिना बना कर रमण् करना व्यभिचार नहीं है। उसी प्रकार विधवा के साथ रमण् करना व्यभिचार नहीं है। उसी प्रकार विधवा के साथ रमण् करना व्यभिचार है परन्तु विधवा के साथ विवाह कर लेने पर उसके साथ रमण् करना व्यभिचार नहीं है। विधवा के साथ विवाह करने पर उसे श्रविवाहिना नहीं कहा जा सकता, जिसमे यहाँ व्यभिचार माना जावे। इस तरह श्रीलाल जी के वक्त व्य के श्रनुसार भी विधवा-विवाह उचित ठह-रता है।

आतोप (छ)— महर्षिगण श्राठ विवाह बताने वालों की हम माने या नीमी प्रकार का ये विश्ववा-विवाह बनाने वाले तुम्हारी माने ।

समाधान—विधवा विवाह नवमा भेद नहीं है किन्तु जिस प्रकार कुमारीविवाह के ब्राठ भेद हैं उसी प्रकार विधवा विवाह के भी ब्राठ भेद हैं। इस विषय में पहिले विस्तार से लिखा जा चुका है।

आक्षेष (ज)—प्राचीन समय में लोग विधवा होना अच्छा नहीं समभते थे। यदि पहिले समय में विधवाविबाह का रिधाज होता तो फिर विधवा शब्द से इतने डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। (विद्यानन्द)

समाधान—आज मुसलमानों में ईसाइयों में या अन्य किसी समुदाय में, जिसमें कि विधवाविवाद होता है, क्या विधवा होना अञ्जा समभा जाता है? यदि नहीं तो क्या वहाँ भी विधवा विवाह का अभाव सिद्ध हो जायगा? आजकल या प्राचीन जमाने में क्या लोग श्रपनी स्त्री का मरजाना श्रच्छा समसते थे १ यदि नहीं तो विधुर होना मी बुरा कहलाया। तब तो विधुर विवाह का भी श्रभाव सिद्ध हो जाना चाहिये।

प्राचीन ज़माने में विधवा को अच्छा नहीं समसते थे, इससे विधवाविवाद का अभाव सिद्ध नहीं होता बलिक सद्भाव सिद्ध होता है। विधवा होना अच्छा नहीं था, इसिलये विधवा विवाहके द्वारा उसे सधवा बनाते थे। क्योंकि जो चीज़ अच्छी नहीं होती उसे इटाने की कोशिश होती है। निराग अगर रोगी हो जाय तो उसे फिंग निरोग बनाने की कोशिश की जाती है। इसी प्रकार सधवा अगर विधवा हो जाय तो उसे फिंग सधवा बनाने की कोशिश की जाती थी। इस तरह विद्यानन्द का तर्क भी विधवा विवाह का समर्थन ही करता है।

इस प्रश्न में कुछ श्रास्तेष ऐसे भाई जो कि पहिले भी किये जा चुके हैं श्रीर जिनका उत्तर भी विस्तार से दिया जा चुका है। इसलियं श्रव उनको पुनरुक्ति नहीं की जाती।

इकतीसवाँ प्रश्न।

'सामाजिक नियम या व्यवहार धर्म बदल सकते हैं या नहीं इसके उत्तर में हमने कहा था कि बदल सकते हैं, क्योंकि व्यवहार धर्म साधक है। जिस्स कार्य से इमें निश्चय धर्म की प्राप्ति होगी वहीं कार्य व्यवहार धर्म कहसायगा। प्रत्येक व्यक्ति की योग्यना और प्रत्येक समय की परिस्थिति एकसी नहीं होती। इसलिये सदा और सब के लिये एकसा व्यवहार धर्म नहीं हो सकता। अनेक प्रकार के मृत्यगुण, कभी चार संयम, कभी पांच संयम, किसी को कमगडलु रक्षना. किसी को नहीं रखना ऋदि शास्त्रोक्त विधान व्यवहार धर्म की विविधता बतलाते हैं।

सामाजिक नियमों के निषय में विद्यानन्द कहते हैं कि "सामाजिक नियम व्यवहार धर्म के साधक हैं अतः उनमें तबदीली करना मांचा मार्ग की ही तबदीलो हैं "सामाजिक नियमां में रहोबदल करने और मोज्ञमार्ग में रहोबदल करने का एक ही अर्थ है।" परन्तु इनके सहयोगी परिडन श्रीलाल जी कहते हैं कि ''सामाजिक नियम भिन्न भिन्न देशों में श्रीर भिन्न भिन्न कालों में श्रीर भिन्न भिन्न जातियों में प्रायः भिन्न भिन्न हुआ करते हैं। लौकिक विधि उसी रूप में करना चाहिये जैसी कि जहाँ हो"। इस तरह ये दानों आर्चेपक आपस में ही भिड़ गये हैं। यह कहने की जरूरत नहीं कि विद्यानन्दजी ने सामाजिक नियम का कुछ अर्थ ही नहीं समभा श्रौर वे प्रलापमात्र कर गये हैं। सामाजिक नियमों के विषय में श्रीलालजी का कहना ठीक है श्रीर वह हमारे वक्तव्य की टोका मात्र है। श्रीलालजी कहते हैं कि सामाजिक नियम धर्म की छाया में ही रहते हैं। हमने भी लिखा था कि सामा-जिक नियम धर्मपोषक होना चाहिये। श्रब ट्यवहार धर्मविष-यक मतःभेद गह जाता है, इसलिये उसके श्राचेषों का समा-भान किया जाता है।

आक्षेप (क)—व्यवहार धर्म निश्चय का साधक है। न संसारी श्रात्मा की श्रवस्था पलटती है न निश्चयधर्म की, न उसके साधक व्यवहार धर्म की। (श्रीलाल)

समाधान—किसी भी द्रव्य की शुद्धावस्था दो तरह की नहीं होती परन्तु अशुद्धावस्था अनेक तरह की होती है, क्योंकि शुद्धावस्था स्वापेच है और अशुद्धावस्था परापेच है। पर द्रव्य अनन्त हैं इसलिये उनके निमित्त से होने वाली श्रशुद्धि भी श्रनन्त तरह को हैं। इसिलये उनका उपचार भी श्रनन्त तरह का होगा। लोक श्रीर शास्त्र दोनों ही जगह साध्य की एकता होने पर भी साधन में भिन्नता हुश्रा करती है। श्रीलालजी का यह कहना विलकुल सूठ है कि संसारी श्रात्माश्रों की श्रवस्था नहीं पलटती। श्रगर संसारी श्रात्मा की श्रवस्था न पलटे तो सब संसारियों का एक ही गुणस्थान, एक हो जीवसमास श्रीर एक ही मार्गणा होना चाहिये। निम्नलिखित बातों पर दोनों श्राह्मेपकों को विचार करना चाहिये।

१—मनुष्य श्रगर श्रयुवत पातं तो वह पानो छानकर श्रीर गर्म करके पियेगा, जब कि श्रयुवती पश्च पेसा न कर सकेगा। वह बहताहुश्रा पानी पीकरकेभी श्रयुवती बनारहेगा। व्यवहार धर्म श्रगर एक हे तो पशु श्रीर मनुष्य की प्रवृक्ति में श्रन्तर क्यों?

२—कोई कमगडलु श्रवश्य रक्खेगा, कोई न रक्खेगा, यह श्रन्तर को ?

३—िकसी के श्रनुसार तीन मकार श्रीर पाँच फल का त्याग करके ही [बिना श्रणुवर्तों के] मूलगुण घारण किये जा सकते हैं, किसी मत के श्रनुसार मधु संवन करते हुएभी मूल-गुण पालन किये जा सकते हैं क्योंकि उसमें मधु के स्थान पर चूत का त्याग बतलाया है। इस तरह के श्रनेक विधान क्यों हैं? श्रगर कहा जाय कि इस में सामान्य विशेष श्रपेसा का भेद है तो कीनसा सामान्य श्रीर कीनसा विशेष हैं? श्रीरइस श्रपेसा भेद का कारण क्या है?

४—२२ तीर्थं इरों के तीर्थ में चार संयमों का विधान क्यों रहा ? श्रीर दों ने पाँच का विधान क्यों किया ? [कोई सामायिकका पालन करे, कोई छेदोपस्थापना का, यह एक बात है, परन्तु छेदोपस्थान का विधान न होना दूसरी बात है।]

ऐसे और भी बहुत से उदाहरण दिये जा सकते हैं। परन्तु इन सबके उत्तरमें यही कहा जासकता है कि जिस व्यक्ति में जितनी योग्यता होती है या जिस युग में जैसे व्यक्तियों की बहुलता रहती है व्यवहार धर्मी का रूपभी वैसा ही होता है। हाँ, व्यवहार धर्मी को क्षेत्र रहती है। अगर निश्चय साधकता सामान्य की हिएसे व्यवहार धर्मी एक कहाजाय तो किसीको विवाद नहीं है परन्तु वाह्य इत्य की हिए से व्यवहार धर्मी में विविधता अवश्य होगी।

श्रव इस कसोटी पर हम विश्ववाविवाह को कसते हैं। धार्मिक दृष्टि से विवाह का प्रयोजन यह है कि मनुष्य की कामवासना सीमित हो जाय। इस प्रयोजनकी सिद्धि कुमारी विवाह से भी है और विश्ववाविवाह से भी है। निश्चय साध-कता दोनों में एक समान है। श्रार दोनों श्राचेपक निश्चय साधकता सामान्य को दृष्टि में रखकर व्यवहार श्रम्में को एक तरह का माने तो कुमारीविवाह श्रीर विश्ववाविवाह दोनों एक सरीखे ही रहेंगे। दोनों की समानता के विषय में हम पहिले भी बहुत कुछ कह सुके हैं।

आत्तेप (ख)—जो लोग श्रजितनाथसं लेकर पार्श्वनाथ तक के शासन में छेदोपम्थापनाका श्रभाव बतलाते हैं उनकी विद्वत्ता दयनीय है। (विद्यानन्द)

समाधान—मेरी विद्वत्ता पर दयान की जिये, दया की जिये उन बट्टकंर खामी की विद्वत्ता पर जिनने मूलाचारमें यह बात लिखी है। देखिये— बाबीसं तित्थयमा सामाइय संजमं उसदिसम्ति । ब्रेट्स ठावणियंपुण भयवं उसहो य वीरोय ॥ ५३३ ॥

'श्रर्थात् बाईस तीर्थेङ्कर सामायिक संयम का उपदेश देते हैं भीर भगवान् ऋषभ श्रीर महाबीर छेदोपस्थापना का। भ्रगर श्राप बट्टकेर म्वामी की विद्वत्ता पर दया न बतला सर्के तो श्रपनी विद्वत्ता को दयनीय बतलावें, जो कूप-मगडूक की तरह हंस के विशाल श्रन्भव को दयनीय बतला रही हैं।

त्राक्षेप (ग)—बिना व्यवहारका श्राक्षम्बन लिये मोस्र मार्ग के निकट पहुंच नहीं हो सकती। (विद्यानन्द)

ममाधान—व्यवहार का निषेध में नहीं करता, न कहीं किया है। यहाँ तो प्रश्न व्यवहार के विविध कर्षो पर है। कुमा-रीविवाह में जैसी व्यवहार धर्मता है वैसी ही विधवाविवाह में भी है। यहाँ व्यवहार के दो रूप बतलाये हैं—व्यवहार का अभाव नहीं किया गया।

श्राक्षेप (घ) — जब पथ भ्रष्टता हो चुकी तो लड्य तक पहुंच ही कैसे होगी ?

समाधान—मार्ग की विविधता या यान की विविधता पध्यस्ता नहीं है। कोई बी० बी० सी० आई० लाइनसे देहली जाता है, कोई जी० आई० पी० लाइन सं, कोई ऐक्सप्रेस सं, कोई मामूली गाडी से, कोई फ़र्स्टक्कास में, कोई धर्छ-क्कास में, परन्तु इन सब में पर्याप्त विविधता होने पर भी कोई पध्यस्ट नहीं हैं। क्योंकि समय-भेद मार्ग-भेद होने पर भी दिशाभेद नहीं हैं। विधवाविवाह, कुमारीविवाह के समान निर्गाल कामवासनाको दूर करता है। इसलिये दोनोंकी दिशा एक है, दोनों ही लह्यके अनुकूल हैं, इसलिये उसे पथ-भ्रस्ता नहीं कह सकते। इस तरह विधवाविवाह जैनधर्म के अनुकूल लिख हो गया। मैं विधवाविवाह के प्रत्येक बिरोधी को निमन्त्रण देता हूँ कि उसे विधवाविवाह के विषय में अगर किसीभी तरहकी शहूर हो तो वह ज़कर पूछे। मैं उसका अन्त तक समा-धान कक्षा।



* त्रावश्यक सूचना *

देहली में एक जैनबाल-विधवा-विवाह-सहायक सभा स्थापित है। वे सज्जन जो विधवाविवाह के सिद्धान्त से सहमत हों या जो सभा के मेम्बर होना चाहें या जिन्हें अपने लड़के या लड़की का ऐसा सम्बन्ध कराना स्वीकार हो, वह नीचे लिखे पते पर पत्र-स्यवहार करें:—

> मन्त्री— जैन बाल-विधवाविवाह सहायक सभा दरीबा क्लॉ, देहली ।

इस पुस्तक के प्रकाशन में अन्यत्र प्रकाशित महानुभावों के अतिरिक्त श्रीमान् बाबू राजकृष्ण प्रेमचन्द्र कोल मर्चेन्ट ने मी प्रदान किये हैं—धन्यवाद।

अन्य उपयोगी पुस्तकें

₹.	शिक्ताप्रद शास्त्रीय उ	द्राहरण—लंग	त्रक-श्री	मान्		
	परिष्ठत जुगल	किशोर जी मु	स्तार	मृल्य	JII	
₹,	विवाह स्तेत्र प्रकाश	29	•••	मृल्य	(=)	
३. जैनजाति सुदशा प्रवर्त्तक—लेखक-श्रीमान वाबू						
	स्रजभान जी	***	• • •	• •	7)	
	मंगला देवी-	٠,	,,	23	7)	
	कुवारी की दुर्दशा	59	11	12	-)	
€.	गृहस्य धर्म-	• •	75	71)11	
	राजदुलारी	49	49	11	Hy	
ቘ.	म. विधवा-विवाह और उन के संरक्षकों से अपील					
	लेखक—ब्र० शी			11	اال	
₹.	उज्ञलेपाश बदमाश—		योध्याञ	साद		
	गोयलीय देहर्न	ì	*	51	7)	
	श्रवलाश्री के श्राम्	***	33	73	り	
११. पुनर्लग्न मीमांसा—ले०-बाबू भोलानाथ						
	मुख्तार बुलन्दः		•••	**)11	
	विधवा-विवाह समाध			ची ,,	اال	
१३. सुधारसंगीतमानाले०-पं० भूरामत						
	मुशरफ़ जेपुर		•••	35	اال	
₹8.	जैन-धर्म और विधर	बा∙विवाइ (प	हिला भ	ाग),,	7)1	
१५.	जैन-धर्म और विधव	।। विवाह (दु	सरा भा	ग),,	17)	
मिलने का पताः—						
ला० जौहरीमल जैन सर्राफ्, दरीबा कलाँ, देहली						



विधवा विवाह समाधान

लेखक:--

श्रीयुत "मब्यसाची

प्रकाशकः---

जैन बाल विधवा सहायक सभा

दरीया कलाँ, देहली।

शान्तिचन्द्र जैन के प्रवस्थ से चैतन्य' प्रिन्टिङ्ग प्रेस विजनौर में छुपी ।

प्रथमावृत्ति / पौष (२०००) वीर नि० सम्बन् २४५५ /

* धन्यवाद *

- ゆっと - 図-C (かゆ-

श्रीमान पं० "सव्यसाची" जी ने इस श्रपूर्व विष्ठता।
पूर्ण लेख द्वारा जो श्रनेकों युक्तियों से विश्ववा विवाह का समाध्यान किया है, यह सभा उसके उपलज्ज में लेखक महोदय के प्रति श्रत्यन्त कृतक है श्रीर जिन निम्नांकित सज्जनों ने हमारे उद्देश्य से प्रेम भाय धारण करके इस रहस्य पूर्ण तिबन्ध के छुपाने में हमारी श्राधिक सहायता की है यह सभा हृदय से उनकी श्राभारी है: -

- १०) ला० भोलानाथ जैन (दरख़शाँ) मुस्तार बुलन्दशहर
- १०) ला० फाहनचन्द्र रामलाल पंजावी श्रमृतस्यर ।
- राजऋष्ण प्रेमचन्द्र कोल मर्चेट देहली।
- ३०) कुल जोड़।

मन्त्री

जैन बाल विधवा सहायक सभा देखी।

विधवा विवाह

[लेखक--एक ''सब्यमाची"]

विधवा विवाह के विषय में इस समय काफ़ी चर्चा चल रही है। विधवा विवाह के प्रचारनों का कहना है कि इससे धर्म में विशेष हानि नहीं है और वर्तमान अवस्था को देखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक है। विरोधी इसको हर तरह धर्म विरुद्ध कहते हैं, महापातक समभते हैं और उन्हें इस बात का दुख है कि विधवा विवाह प्रचारकों को भेजन के लिये आठशं नरक क्यों नहीं है ? खेर !

सामाजिक दृष्टि से विधवा विवाह कैसा है इस विषय पर में इस लेख में विशेष विचार न करूंगा। मुक्ते तो धार्मिक दृष्टि से इस विषय पर विचार करना है। यद्यपि में पंडित नहीं हूँ फिर भी थोड़ी सी संस्कृत जानता हूँ। धर्म शास्त्रों का भी स्वाध्याय किया है। विद्वानों की सङ्गति का भी सौभाग्य मिला है। इससे मेरी इच्छा हुई कि इस विषय पर में भी कुछ अपने विचार प्रगट करूं। यह बड़े विद्वानों के बीच में मुक्त सरीखे च दु व्यक्ति के पड़ने की ज़रूरत तो नहीं है, बिक्त यह एक प्रकार की धृष्टता है, फिर भी समय ऐसा आगया है कि चुप रहना भी वड़े साहस का काम है।

मेरे विचार से विधवा-विवाह धर्म विरुद्ध अथवा पाप

नहीं है। श्रथवा दसरे शब्दों में इसे यों कहना चाहिये कि यह उतना ही बडा पाप है जितना कि कुमारी विवाह। जो लोग यह कहते हैं कि "विधवा विवाह श्रादर्श नहीं है, लेकिन " उनके शब्दों से भी मैं सहमत नहीं हूँ। 'लेकिन' 'किन्तु' 'पर-न्तु' लगा कर विधवा-विवाह को नीची दृष्ट से देखना मैं समभ का फेर समभता हूँ। ब्रादर्श तो ब्रह्मचर्य है, उससे उतरती अवस्था विवाह हैं: फिर चाहे वह विथवा के साथ हो या कन्या के साथ । विवाह पाप होने पर भी, जिन युक्तियों श्रीर श्रावश्यकताश्री से हम कुमारी विवाह को उचित समभते हैं, उन्द्रीं युक्तियों श्रीर श्रावश्यकताश्रों से विश्रवा∗विवाह भी उचित है। कन्या का विवाह इस लिये किया जाता है कि जिससे सन्तान चले और कन्या दगचारिणी न हो जावे। यद्यपि श्रभी तक वह दुगचारिणी हुई नहीं है, सिर्फ़ दुगचा-रिणी होने की सम्भावना है। इसी प्रकार विश्ववान्विवाह भी इसी लिये किया जाता है जिससे कि सन्तान चले और वह दराचारिणी न हो जावे। भलें ही वह अभी तक दराचारिणी न हुई हो, सिर्फ सम्भावना ही हो।

जो लोगयह कहने लगते हैं कि "विश्ववाश्चोंने क्या श्रापके पास दर्ग्वास्त भेजी हैं ?" उनको यह भी सोचना चाहिये कि कुमारी कन्यायें भी क्या दर्ग्वास्त भेजती हैं ? कुमारियों के विषयमें तो भ्रृणहत्या श्लोर गुप्त व्यभिचार की भी शिकायतें यहाँ सुनने में नहीं श्लातीं, फिर भी श्लाप उनका विवाह कर देते हैं: तब विश्ववा समाज तो भ्रूण हत्या, गुप्त व्यभिचार श्लादि कार्यों द्वारा ज़बरद्द्र दर्ग्वास्त भेजती हैं, फिर उनका विवाह क्यों न किया जाय ? विश्ववा विवाह के निषेश्व के लिये लोग

जल्दी सं सीता और श्रञ्जनाका नाम लेने लगते हैं,परन्तु सीता श्रीर श्रञ्जना को वैधव्य कब भोगना पड़ा ? पुराणों में विध-वार्श्रों का उल्लेख नहीं के बराबर है श्रीर जो मिलती हैं वे श्रार्जिका के रूप में। हम मानते हैं कि उस समय भी श्रनेक विधवार्ये गृहवास करती थीं, परन्तु इससे भी उनके विवाह का निषेध नहीं होता । भगवान ऋषभदंव की पुत्रियों (ब्राह्मी, सुन्दरी) ने श्राखगड ब्रह्मचर्य पाला था । क्या उनका उदाहरण देकर हम कुपारी विवाह का निषेध कर सकते हैं? श्रीर क्या सीता श्रञ्जनाको भी पापिनी कह सकते हैं?यदि नहीं तां सीता श्रञ्जना का उदाहरण देकर हम वर्तमान में विधवा विवाह का भी निषेध नहीं कर सकते । जैसे ब्राह्मी श्रीर संदरी का उदाहरण देकर हम कुमारी विवाह और विधवा विवाह का निर्पेध नहीं कर सकते, उसी प्रकार पवनंजय का उदाहरण देकर पुरुषों के पुनर्विव।हका भी खगडन नहीं किया जासकता। पत्रनंजय श्रञ्जना को वाईस वर्ष छोड़े रहा । फिर भी उसने दूसरा विवाह न कराया। श्राजकल कितने पुरुष भर जवानी में बाईस वर्ष तक संयम रख सकते हैं ? स्त्रियों के लिये तो ब्राह्मी, सुन्दरी, सीता ऋदि ऋदिश हैं. परन्तु पुरुषों के लिये क्या बास्पुज्य, मिल्लिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ महाबीर, पवनजय श्रादि श्रादर्श नहीं है ? बात यह है कि श्रादर्श से हम रास्ते का पता लगा सकते हैं, उसकी तरफ मंह करके चल सकते हैं .लंकिन समाज का प्रत्येक व्यक्ति उसके अपर श्राकृढ नहीं हो सकता।

जब हम देखते हैं कि अपने तीन तीन चार चार विवाह करने वाले पुरुष विधवा विवाह का निषेध करने हैं तब हमें उनकी बेशरमी पर ताज्जुब होता है। अरे भाई ! तुम मर्द हाकर जब काम की ज़रासी चपेट नहीं सह सकते,तो विचारी क्षियाँ कैसे सहेंगी। जिस काम को तुम स्वयं करते हो, उसी पर तुम दूसरों को दगड देना चाहते हो। मला इस बेहयाई का कुछ ठिकाना है। जो विधवा विवाह के विरोधी हैं, उन्हें चाहिये कि वे एक अलग समाज स्थापित करें जिसमें न तो पुरुषों का पुनर्विवाह होता हो न स्त्रियों का।

बहुत से लोग विधवा-विवाह के निषेध के लिये स्त्रियों को आगे करने लगे हैं । परन्तु हम कुमारी विवाह के निषेध के लिये सैकड़ों कन्यात्रों को खड़ा करटें. तो क्या आप कुमारी विवाह बन्द कर देंगे ? बात यह है कि शताब्दियों की गुलामी ने स्त्रियों के शरीर को ही नहीं, किन्तु श्रात्मा श्रीर हृदय को भी गुलाम बना दिया है । उनमें श्रव इतनी हिम्मत नहीं है कि वे हृदय की बात कह सकें। श्रमेरिका में जब गुलामी की प्रथा के विरुद्ध श्रवाहमलिकन ने युद्ध छेडा तो स्वयं गुलामों ने लिकन साहिव के विरुद्ध श्रपने मालिकों का पत्त लिया श्रीर जब वे स्वतन्त्र हो गये तो भी मालिकों की शरण में पहुँचे। गुलाभी का ऐसा ही प्रभाव पडता है। ज़रा स्वतन्त्र नारियों से श्राप ऐसी वात कहिये, यूराप की स्त्रियों से विधवा विवाह के विरोध करने का श्रनुरोध कीजिए, तब श्रापको मालम हो जायगा कि स्त्रीहृदय क्या चाहता है ? हमारे देश की लज्जाल स्त्री कार्य कर सकती है, पर कह नहीं सकती। एक विधवा सं--जिसके चिह्न वैधव्य पालन कं अनुकूल नहीं थे--एक महाशय ने विधवा-विवाह का जिकर

किया तो उनको पचासों गालियाँ मिलीं, घर वालों ने गालियां दीं और विचारों की बड़ी फ़ज़ीहन की, परन्तु कुछ दिनों बाद वह एक आदमी के घर में जाकर वेठ गई। इसी तरह निकड़ां विधवाएँ अजैनों के साथ भाग सकती हैं, भ्रूण-हत्या कर सकती हैं, गुन व्यभिचार कर सकती हैं, परन्तु मुँह से अपना जन्म सिद्ध अधिकार नहीं मांग सकती। प्रायः प्रत्येक पुरुष को इस बात का पता होगा कि एंसे कार्यों में स्त्रियाँ मुँह से 'ना' 'ना' करती हैं श्रोर कार्य से 'हां' 'हां' करती हैं। इसलिये स्त्रियों के इस विशेध का कोई मृहय नहीं है।

श्रव हम इस विषय में विचार करते हैं कि क्या विश्वा विवाह पाप है स्रोर स्रगर पाप है तो कौनसा ? विधवाविवाह के विरोधियों का कहना है कि यह व्यक्तिचार है । अगर पूछा जाय कि व्यक्तिचार किसे कहते हैं तो उत्तर मिलेगा कि पर-पुरुष या परस्त्री के साथ रमण करना। अगर पृछा जाय कि परपुरुष श्रीर परस्त्री किसे कहते हैं ? तो उत्तर मिलेगा कि पुरुष का जिस स्त्री के साथ विवाह न हुआ हो वह पर स्त्री, श्रीर स्त्री का जिस पुरुष के साथ विवाह नहीं हुशा, वह पर पुरुष है। विवाह के पहिले अगर कोई पुरुष, किसी कुमारी के साथ ब्रमुचित सम्बन्ध करं, तो भी उसे व्यक्तिचार कहेंगे: लेकिन विवाह होने के बाद वह सम्बन्ध व्यक्तियार न कहला-येगा । इस में यह बात साफ़ माल्म होती है कि विवाह में ऐसी खुबी है जो व्यक्तिचार के दोप को अपहरण कर लेती है ! जो आज परपुरुष है विवाद होने के बाद वह स्वपुरुष बन जाता है, जो श्राज परस्वी है विवाह होजाने के बाद वह ही स्वस्त्री वन जाती है। जो विधवा श्राज परस्त्री है वह विवाह

हो जाने पर स्वस्त्री हो जावेगी: जो पुरुष, एक विधवा के लिये त्राज परपुरुष है वही विवाह हो जाने पर स्वपुरुष होजा-यगा। फिर श्रव व्यभिचार कहीं रहा। क्या स्वस्त्री श्रीर स्व-पुरुष के साथ सम्बन्ध करना भी व्यभिचार है ? यदि विवाह हो जाने पर भी हम व्यभिचार व्यभिचार चिल्नाने रहें तव नो पूर्ण ब्रह्मचारी के सिवाय सभी व्यभिचारी कहलायेंगे।

कहा जाता है कि विभवा का नो विवाह ही नहीं हो सकता, फिर वह व्यभिचार का दोप कैसे दूर होगा ? ठीक हैं: श्रगर विधवा का विवाह न हो सके तब ता व्यक्तिचार का दोष बना ही रहेगा। लेकिन हमें कोशिय तो करनी चाहिये कि विश्ववाका विवाह हो सकता है या नहीं ? यदि कर सकेंगे तो ठीक है, न कर सकेंगे तो यश क्या है। श्रगर विधवा-विवाह करते हो बज्ज पड जाय, स्त्री का जीवन समाप्त हो जाय या पुरुष का जीवन समाप्त हो जाय, मासिकधर्म वन्द्र हो जाय, स्त्रीत्व के चिन्ह नष्ट्र हा जावें तव समभना चाहिये कि विध्वा-विवाह हो ही नहीं सकता । श्रगर ऐसी बात नहीं है तब नो श्रालमी बन कर पड़े रहन से क्या फायदा है ? यदि श्राप स्वयं नहीं कर सकते तो जो लोग कर सकते हैं उन्हें शावाशी तो दीजिये। जो काम श्रापके लिये प्रसम्भव है वह उन्होंने सम्भव करके दिखा दिया: यह क्या कम बहादुरी है ? यदि ब्राप कहें कि न करना चाहिये. इस लिये नहीं हो सकताना हम पूछते हैं कि क्यों न करना चाहिये ? जब विवाह में यह ताकृत है कि व्यभिचार का दोष दूर कर देता है तब, ज़रूरत पड़ने पर उसका उपयोग क्यों न किया जाग्र १

श्रनेक भाई कहेंगे कि शास्त्रों में 'कन्यादानं विवाहः' लिखा हुआ है। इस लिये विधवा का विवाह नहीं हो सकता। यदि कन्यादान विवाह का लक्षण माना जावे तव तो गंधर्व विवाह को विवाह ही न कहना चाहिये; क्योंकि उसमें स्त्री और पुरुष परस्पर एक दूसरे को स्वीकार करलेते हैं—कन्या का दान नहीं किया जाता। इससे मान्म होता है कि शास्त्रों में विवाह के जो लक्षण मिलते हैं वे किसी समय की विवाह प्रथा के प्रदर्शकमात्र हैं। विवाह का व्यापक लक्षण है 'स्त्री पुरुष का एक दूसरे को स्वीकार करना'।

कन्या शब्द के ऊपर जब हम नज़र डालते हैं तब हमें इसमें श्रीर ही रहम्य दीखता है। कत्या शब्द का श्रर्थ भोग' श्रियवाहिता लड़की करते हैं। लेकिन कन्या शब्द का श्रर्थ पुत्री भी होता है। विवाहित हो जाने पर भी यह कहा जाता है कि श्रमुक पुरुष की कन्या है। विवाह में कन्यादान (पुत्रीदान) शब्द के प्रयोग करने का मतलब यह है कि कन्या दान करने का सबसे बड़ा श्रिधिकार पिता को है। पिता को श्रियकार है कि वह कुमारी कन्या के समान विध्वा का भी दान करें।

दूसरी बात यह है कि 'कन्या' शब्द का अर्थ 'विवाह योग्य स्त्री' है चाह वह कुमारी हो या विभवा | संकड़ों वर्षों से भारतवर्ष में कुमारी विवाह का ही विशेष चलन रहा है इस लिये कुमारी श्लीर कन्या दोना ही शब्द पर्यायवाची बन गये हैं। देखिये कोपकार ने 'कन्या शब्द का अर्थ 'म्बी सामान्य' बनाया है। कन्या कुमारिका नार्यो राशिभेटोपधाभिदोः (विश्वलो-चन)। इसने मानूम होता है कि कन्या कुमारी को भी कहते हैं और स्त्रोमात्र का भी कहते हैं। इसलिय विधवा को भी कन्या कह सकते हैं। यह न समिभेये कि यह अर्थ सिर्फ़ कोप में लिखने के निये ही हैं, शास्त्रकारों ने इसका प्रयोग भी किया है। इसका उदाहरण भी लीजिये—

सुप्रीय की स्त्री सुतारा, दो वचीं की माता हो गई
थीं। फिर भी साहस्माति विद्याधर उसके ऊपर आसक्त
था। यह सोचता है कि वह कन्या (सुतारा) मुक्ते कर्य भिले
गी—'केनो ग्रायेनतां कन्यां लाक्ये नित्रु तिदाथिनी'। जब दो
बचीं की माता को कन्या कहा आ सकता है तब विध्या
को कन्या क्यों नहीं कहा जा सकता ? ऐसे व्यापक अर्थ
में कन्या क्यों नहीं कहा जा सकता ? ऐसे व्यापक अर्थ
में कन्या क्यों नहीं कहा जा सकता ? ऐसे व्यापक अर्थ
में कन्या क्यों नहीं कहा जा सकता ? ऐसे व्यापक अर्थ
में कन्या क्यों नहीं कहा जा सकता ? ऐसे व्यापक अर्थ
में कन्या शब्द का प्रयोग आर भी मिलता हैं: जैसे—'देवकन्या'
आदि। विवाह के लक्षण क फर में पड़ कर जा लोग विध्यवाविवाह का निर्ध्य करते हैं, उनसे हम कह देना चाहते हैं कि
वास्त्रविक विवाह का लक्षण 'सड़े चचारित्रमोहोद्या डिवहनं विवाहः' है जिसमें कन्या और विध्या का कोई प्रश्न ही
नहीं है। कन्याशब्द का प्रयाग एक सत्रय के न्याज के अनुसार है। दूसरी वात यह है कि शब्द का अर्थ वहुत ज्यापक है।

कई लांग कहने लगते हैं कि "कन्या तो देने की चीज़ हैं। जिसको वह दी जाती है, वह उसी की सम्पत्ति हो जाती हैं: फिर किसी इसरें को लेने का क्या ऋिवकार हैं"। इसके उत्तर में हम पहिले यही निवेदन करेंगे कि स्त्री किसी की सम्पत्ति नहीं है। जैन धर्म कहता है कि महाबत न पाल सकते के कारण जैसे पुरुष एक स्त्री को श्रहण करके ऋणु-

वत पालना है उसी प्रकार स्त्री भी महावत न पाल सकने के कारण एक पुरुष को ग्रहण कर श्रुखबत पालती है; इसमें कोई किसी की सम्पत्ति नहीं कहलाती।सीताकी जनश्रीग्रापीता हो चुकी तब रामचन्द्र ने फिर घर में रहने की उनसे प्रार्थना की, परन्तु सीताने रामचन्द्र की प्रार्थना नामंजर की श्रीर श्रार्थिका की दीचा लेली । क्या सम्पत्ति, मालिक की इच्छ। के विरुद्ध चनी जा सकती है ? अब जरा और भी विचार की जिये — श्रमर म्त्री, पुरुष की सम्मत्ति है तो पुरुष के मरने के बाद ग्रैं। समस्त सम्पत्ति का स्वामी उसका पुत्र होता है उसी ब्रहार उनहां स्त्रो का अर्थात अवनी माना का भी स्वामी तुत्र कहलायंगा। क्या जिज्ञवाविज्ञाह के विरोधियों की यह यान इष्ट है ? यदि यह स्वामी नहीं है तो मानना चाहिए कि वह पिता की सम्बन्ति नहीं थी। उसने तो श्राणवत पालन के लिये एक पुरुष का सहारा लिया थाः श्रव बही महाब्रत पालेगी या वैबन्ध दीचा लेगी अथवा छठवीं दितमा के आगे न वह सकंगा ता प्रार्थिवाह करेगी । उसने अपनी प्रतिवा के अनुसार पति क जीवन भर साथ दिया । अब वह दुसरा प्रवस्थ करने के लिये स्वतस्त्र है। यदि इतने भर भी लोग स्त्रों को सम्पत्ति समभे तब यह कहना पड़ेगा कि पति के मरते पर उसका दलरा पति होना ही चाहिये: क्योंकि सम्पत्ति लावारिस नहीं रह सकती । अगर वह लावारिस रहेगी तव तो प्रत्येक आदमी उसका मन माने रूपमें प्रयोग करेगा । तव हमारी मा बहिनं क्या बन जावेंगी 🕑 यह ऋल्पना भी

 श्रपण्डत नेकांगम शर्मा के शब्दों में श्राजकल की बहुत सो विश्ववाएं पब्लिक प्रापर्टी—सार्वजनिक सम्पत्ति- श्रमहा है। यदि प्रत्येक श्रादमी उनका उपयोग न कर सकेगा तो यह कहना पड़ेगा कि "श्रम्वामिकस्य द्रव्यस्य दामादो मेदिनीपितः" जिसका कोई स्वामी नहीं होता उसका स्वामी राजा होता है। श्राजकल हमारे यहाँ राजा है—श्रंश्रं जा लोग, तब सब विधवाओं के स्वामी वे ही हो जावेंगे।

स्त्रियों को सम्पत्ति समभने वाले दानवों से हम पूछते हैं कि तुम लोग अपनी इन गन्दी करूपनाओं से अपनी मां विहन और वेटियों को कितना नीचे गिरा देते हो? उनका कैसा अपमान करते हो, उनके सतीत्व पर कैसे आचे प करते हो. इसकी करूपना करते ही आँखों में खुन टपकने लगता है और जी चाहता है कि.......

कुछ लोगों का यह कहना है कि जिस्म प्रकार मनुष्य अनेक थालियों में भोजन कर सकता है लेकिन हमारी भूठी थालीमें दूसरा पुरुष भोजन नहीं करता, उसी प्रकार एक पुरुष अनेक भित्रयों का सेवन कर सकता है, लेकिन अनेक पुरुष एक स्त्री का सेवन नहीं कर सकते, क्योंकि पुरुष भोजक है और स्त्री भोज्य है। यदि स्त्री को थाली मान लिया जाय तो भी विधवाविवाह का विरोध नहीं हाता। क्योंकि जिस प्रकार मांजने थोने के बाद थाली फिर काम में लाई जाती है और दूसरे पुरुष के भी काम में आ सकती है, उसी प्रकार मासिक धर्म के बाद दितीय पुरुष के साथ स्त्री का सम्बन्ध होना अमुचिन नहीं कहा जा सकता।

दूसरी बात यह है कि म्त्री पुरुष का भोज्य भोजक सम्बन्ध नहीं है, यदि है तो दोनों ही भाजक श्रीर दोनों ही भोज्य हैं। सीधी बात यही है कि भोग के कार्य में दोनों को बन गई हैं। घर वालों से लेकर बाहर तक के सभी पुरुषों की कुट्टि उन पर रहती है। स० जा० प्र०। सुख होता हैं: अगर मोज्य भोजक सम्बन्ध होता तो मोज्य (म्बी) को सुख न होना चाहिये था: अगर स्वी को मोज्य माना जाय तो स्वी को कुशील के पाप का यन्ध न होना चाहिये: क्योंकि भोगने वाला तो पुरुष है स्वी ने तो भोग किया ही नहीं है, फिर पाप कैसा? तीसरी वात यह है कि वेश्या को भी हमें निर्दोप मानना पड़ेगा: क्योंकि वह तो भोज्य हैं। जैसे थाली का एक पुरुप कृंठा करे या दस, वह अपवित्र होती है, किन्तु इसमें उसका दोप नहीं माना जाता। इसी प्रकार वेश्या का दोप या अपराध भी नहीं माना जाता। इसी प्रकार वेश्या का वात, सो तो सधवा विधवा और वेश्या सभी अपवित्र हैं। क्योंकि आपके मत से वे भी कुंठी थाली के समान हैं। ऐसी हालत में हमें सववा विधवा और वेश्या सवको समान सन्मान और धार्मिक व सामाजिक अधिकार देना पड़ेगा। कुंर!

भाक्ता किस कहते हैं ?

श्रव ज़रा इस पर भी विचार की जिये । राजवार्तिक में लिखा है "परदृष्य वीर्यादान सामध्ये भोक्तृत्वलचणम" दूसरे दृष्य की नाकृत को ग्रहण करने की सामध्ये को शोक्तृत्व कहते हैं। स्त्री पुरुष के भोग में हमें विचार करना चाहिये कि कीन किसकी ताकृत को ग्रहण करना है। श्रथवा कीन श्रपनी शिल्यों को ज़्यादह वर्वाद करना है। विचार करने ही हमें मालृम होगा कि भोक्तृत्व स्त्री में है, पुरुष में नहीं। क्यों कि इस कार्य में पुरुष की जितनी शिंक नष्ट होती है उतनी स्त्री की नहीं। दूसरी वात यह है कि स्त्री की 'रज' को पुरुष ग्रहण नहीं कर पाता विक पुरुष के वीर्य को स्त्री ग्रहण कर लेती है। ग्रहण करना ही भोक्तृत्व है। यह यात राजवार्तिक

कं लच्च से साफ मालूम होती है। मतलब यह है कि पुरुष को भोजक श्रीर स्त्री का भोज्य कदावि नहीं कहा जा सकता। थाली के उदाहरण के स्थान पर गन्ने का उदाहरण रखने से यह वात श्रोर भी श्रविक स्पष्ट हो जाती है । पुरुष श्रगर स्त्री को थाली के श्रनुसार भूंठी करके फेंक देना चाहते हैं तो स्त्रियां भी ऐसा ही कर सकती हैं। इस उदाइरण में बहुपरनी को शंका का भी समाधान होजाता है। कहा जाता है कि पुरुष तो एक ही समय में श्रातेक स्त्रियों को रख सकता है लेकिन एक स्त्री अनेक पुरुषों को नहीं रख सकती । इस तरह स्त्रियाँ हीन हैं। इसका उत्तर गन्ने के उदाहरण में है । श्रनेक व्यक्ति एक गन्ने के श्रनेक भागों को चूस सकते हैं: इस लिये वह गन्ना बड़ा नहीं हो जाता श्रौर न किसी का दसरा गन्ना चूसने का श्रधिकार छिन जाता है। दुसरी बात यह है कि एक पुरुष की श्रनेक स्त्री होता या एक स्त्री के श्रनेक पुरुष होना यह देश देश का रिवाज है । यहाँ एक पुरुष अनेक स्त्री रखता है: तिब्बत में एक स्त्री श्रनेक पति रखती है। शक्ति सब में सब तग्ह की हैं: उपयांग होना देशकाल के ऊपर निर्भर है। इसलिये थाली वगैरह के उदाहरण देकर या भोज्य भोजक सम्बन्ध बता कर विधवा विवाह का निषंध करना निरर्थक है।

कई लोग कहने लगते हैं कि शास्त्रों में ब्राह्म प्राजा-पत्य स्त्रादि स्त्राठ तरह के विवाह लिखे हैं। उनमें विधवाविवाह का नाम क्यों नहीं हैं? इसका उत्तर विलकुल सीधा हैं। ऐसे भाइयों को देखना चाहिये कि इन स्त्राठों भेदों में कन्या (कुमारी) विवाह का उन्नेख कहाँ हैं? तथा सजातीय विवाह, बिजातीय विवाह, स्रजुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह स्त्रादि का भी उन्नेख कहाँ हैं? मतलब यह है कि जैसं कुमारी का विवाह आठ तरह का होता है, उसी तरह विधवा का विवाह भी आठ तरह का होता है। जैसे सजातीय विवाह आठ तरह होता हैं, उसी प्रकार विजातीय विवाह भी आठ तरह का ही होता हैं: सब तरह के विवाहों में ये आठ भेद हो सकते हैं। आधर्य हं इस हलकी सी बात को भी विधवा विवाह के विगेषी समक नहीं पाते।

कई लोग कहते हैं कि "पुरुषों को प्रकृति ने ही अधिक श्रधिकार दिये हैं श्रीर स्त्रियोंको थोड़े श्रधिकार दिये हैं। देखो! पुरुष वर्ष भर में सौ दौ सो बच्चं भी पैदा कर सकता है श्रौर स्त्री सिर्फ एक ही बच्चा पैदा कर सकती हैं" इसका उत्तर भी बहुत सरल है। यदि ऐसा है तो पुरुषों का पुनर्विबाह तुरन्त रोक देना चाहिये और म्त्रियों को पुनर्विवाह तुरन्त चालू कर देना चाहिये, क्योंकि सी सन्तान पैदा करने के लिये एक पुरुष से ही काम चल सकता है: इसलिये निन्यानवे श्रगर न हों या कुवारे रहें तो भी कोई हानि नहीं है लेकिन स्त्री तो एक भी कुमारी या विधवा हो जायगी तो एक वद्या घट जावंगा। यह कहां तक न्याय है कि जिस चीज की हमें श्रधिक जरूरतहै वह तो व्यर्थ पड़ी रहे श्रीर जिसकी जहरत हमें थोड़ी है उस की उपादा कदर की जाय। मनलय यह है कि प्रकृति ने जो स्त्री पुरुष में श्रन्तर उत्पन्न कर दिया है उससे भी मालूम होता है कि विध्र विवाह की अपेत्ता विश्ववाविवाह सौ गुना श्रधिक श्रावश्यक है।

कई सज्जन कहने लगते हैं कि विधवाएँ तो पाप कर्म के उदय से होती हैं: उन्हें श्रपने कर्म का उदय शान्ति से सह लेना चाहिये; विवाह करने की क्या ज़रूरत हैं? बहुत ठीक है, परन्तु दुःख इतना ही है कि यह सारी कर्म की फिलासफ़ी महिलाओं के सिर ही मढ़ दी गई हैं। जैसे विधवाएँ पाप कर्म के उदय से होती हैं, उसी प्रकार क्या विधुर पाप कर्म के उदय से नहीं होते ? फिर लोगों ने जब विध्रपन मिटाने का इलाज उचित समभा है तब वैधन्य मिटाने का इलाज उचित क्यों नहीं समभा जाय। ब्रानावरण कर्म के उदय से मनुष्य श्रद्धानी होता है नव शिक्षा का प्रवन्ध क्यों नहीं किया जाता है। निर्वल को सवल क्यों बनाया जाता है ? हम पूछते हैं कि कर्मी के उदय को सफल बनाने का क्या विरोधियों ने ठेका ले रक्खा है ? तब तो स्त्री वेद के उदय को सफल बनाने के लिये विधवा का विवाह करना अत्यन्त आवश्यक है । जरा श्रौर भी विचार कीजिये। यदि श्रसाता वेदनीय श्रादि के उदय को सफल बनाना आवश्यक है, तब आपके घर में यदि कोई बीमार पड जाय तब भूल करके भी उसका इलाज न करना चाहिये। पाप कर्म के उदय को सहकर कर्मी की निर्जाग करने का श्रवकाश देना चाहिये। जो लोग रोगियों की चिकित्सा करते हैं वे वैसे ही पापी हैं. जैसे विधवाविवाह के प्रवारक। श्रगर पाठशाला खोलने वाले. श्राहार दान देने वाले. श्रीपधा-लय खोलने वाले, परिचर्या करने वाले तथा श्रन्य तरह की श्रापत्तियों को दूर करने वाले श्रच्छे हैं --पाप कर्म के उदय की भोग कर कर्मों की निर्जरा करने का अवकाश छीनने का पाप उन्हें नहीं लगता—तव विधवाविवाह के प्रचारक भी दोषी नहीं कहे जा सकते।

श्रसली बात तो यह है कि श्रगर पापकर्म के उदय सं मनुष्य को कोई दुःख उठाना पड़े तो उसे सहना चाहिये। परन्तु दूसरों का यह कर्तव्य नहीं है कि वे पापकर्म के उदय को स्थिग रखने की कोशिश करें श्रीर उसे ज़बर्दस्ती सहन करने के लिये वाध्य करें। उस पुरुष को भी सहन करने का ढोंग नहीं करना चाहिये। श्राज समाज में ऐसी कितनी विधवाएँ हैं जो स्वेच्छा से वैधव्य की वेदना को शान्तरूप से सहने को तैयार हों ? अगर ऐसी देवियां हैं तो बड़ी खुशी की बात है, अगर नहीं हैं तब तो उनसे निर्जरा की आशा नहीं की जा सकती। बल्कि दिन रात के आर्त ध्यान से वे नीच गित का ही बँध करती हैं। अृण हत्या और गुप्त व्यभिचार से यह बात स्पष्ट जाहिर होती हैं कि विधवा विवाह की ज़रूरत है। इस प्रकार के तर्क वितर्क से यह बात साफ़ ज़ाहिर हो जाती है कि विधवा विवाह धर्म विरुद्ध नहीं हो सकता। अब जुरा नज़ीरों पर विचार की जिये—

देवगति में स्राम तौर पर विधवा विवाह चालू है। जिन देवियों का पति (देव) मर जाता है, वे श्रपने स्वामी के स्थान पर पैदा होने वालं देव की पत्नी हो जाती हैं। इतने पर भी उनके सम्यक्त्व और शक्क लेश्या में कोई अन्तर नहीं श्राता। न उनके जिन दर्शनादि सम्बन्धी श्रधिकार कोई छीनता है। यदि कहा जाय कि उनका शरीर वैक्रयिक है जो कभी श्रपवित्र नहीं होता. तो यह भी कहा जा सकता है कि नारियों का शरीर रक्त मांसमय श्रीदारिक है जो कभी पवित्र नहीं रहता। चाहे वह श्रविवाहित रहे या एक वार विवाहित या वह बार विवाहित। धर्म श्रधमं चमड़े में रहने की बम्तु नहीं हैं: उसका सम्बन्ध श्रात्मा से हैं। श्ररे भाई : धर्म अधर्म तो चर्मकार भी चमड़े में नही ढूँ हता, फिर ब्राव लोग क्या उससे भी गये बीते हां ? बैर ! जो कुछ हो. परन्त इतना तो सिद्ध हुवा कि विधवाविवाह का विरोध. सम्यक्तव (जैन धर्म) श्रीर शुक्क लेश्या से नहीं है । श्रागर तिर्यञ्चगति के ऊपर नज़र डाली जाय तो हमें यह भी मानना पडता है कि देशविरित से भी इसका विरोध नहीं है। किन्त सब से बड़ी उदारता तो हमें अपने धर्म प्रन्थों में मिलती है। कोई मनुष्य चाहे वह कितना भी व्यभिचारी या पापी रहा हो, उसे मुनि बतने का अधिकार है। कोई स्त्री चाहे वह कितनी ही व्यभिचारिणी रही हो, उसे आर्थिका बनने का अधिकार है। देखों राजा मधु का चरित्र—उसकी रखेल रानी चन्द्राभा ने आर्थिका बत लिये: कह की माता ज्येष्ठा एक मुनि के साथ फंस गई,लड़का पैदा हुआ बाद में वह फिर आर्थिका बन गई। प्राथिका शास्त्रों में भी ऐसी भ्रष्ट आर्थिकाओं तक को फिर आर्थिका की दीजा दे देने का विधान हैं है। सुहष्टि सुनार तो व्यभिचारिणी स्त्रों की सन्तान होने पर भी मोज गया। इन सब उदाहरणों से साफ मानुम होता है कि व्यभिचार से भी मनुष्य के अधिकार नहीं छिन सकते। फिर विधवा विवाह तो ब्रह्मचर्याणु ब्रत का साधक है। उससे धर्म हानि तो कैसे हो सकती है।

यहाँ हमने खास लास वानों पर संतेष में प्रकाश डाला है। श्रमी नो बहुन सी बाने हैं जिनके ऊपर प्रकाश डालना है श्राशा है समाज के प्रसिद्ध लेखक श्रोर विद्वान इस विषय पर प्रकाश डालेंगे।

श्रन्त में हम जैन जगन छादि पत्रों के सम्पादकों से निवेदन करते हैं कि छाप लोग सत्त्व के पथ में वड़ करके बीच में ही क्यों रह गये । यह वड़े आश्चर्य की बात है

%द्रावारीलाल जी न्यायतीर्थ के 'धर्म और लोकाचार' शीर्षक लेख में इस बात का खुलासा प्रमाण देकर किया गया है। (लेखक)

† जिस तरह से हमारी विधवा वहिने अत्याचारी पुरुष समाज के भय तथा अपने संकोच स्वभाव के कारण कि श्राप लोग "विधवा-विवाह" सरीखे धर्मानुकृत कार्य के भी विरोधी हैं।

जैन गज़र आदि पत्र के सम्पादकों से भी हम निवेदन करते हैं कि आप लोग मिध्यात्व को छोड़ो ! धर्म का निवास स्थान न तो किंद्रगों में है, न चमड़े में है, न कोरी बाह बाही में है, वह आत्मा में है। धर्म के लिये स्त्रियों पर अत्या चार करने की ज़करत नहीं है। इदय को पत्थर बनाने की ज़करत नहीं है। ज़बर्दस्ती वैधव्य पलवाना सती प्रधा से भी बढ़ कर पाप है। सती प्रधा से खियों को १०-१५ मिनट जलना पड़ता था, वैधव्य से जीवन भर जलना पड़ता है। इसलिये सती प्रधा यदि मिध्यात्व है तो ज़बर्दस्ती का वैधव्य महा मिध्यात्व है। आप लोग मिध्यात्व से छूटकर महामिध्यात्व में न फैंसिये, बिलक सम्यक्त्व की ओर आइये।

समाज के उन विद्वानों से भी हम निवेदन करते हैं जिन्हें कि आजीविका की चिन्ता नहीं हैं— कि आप निष्णत्त गीति से विचार कीजिये। इस बात को भूल जाइये कि लांग क्या कहेंगे। सत्य के लिये, सिर्फ़ सत्य के लिये व जैनधर्म के लिये निः पत्त हृदय से विजार कीजियं कि धर्म क्या है। जो लोग यह कहते हैं कि विधवा विवाह को बात सुनते ही पृथ्वी क्यों नहीं फट जाती जिसमें हम समा जाते, उनसे भी हम प्रार्थना करेंगे कि पृथ्वी को फटने का निमन्त्रण देने के पहिले हृदय को फाड़िये और एकान्त में देखियं कि उसमें धर्म प्रेम है या अठे नाम का प्रेम। यदि वह वाहवाही के लिये मर रहा

अपने हृद्य के भाव . ज़ुबान से खुरुतम बुक्षा श्रकट नहीं करतीं, सम्भव है उसी तग्ह ये पत्र भी किसी भय या लजा के वश सत्य के मार्ग में बढ़ते बढ़ते ठक गये हों। म० जा० प्र० हो या और कोई ऐहिक स्वार्थ हो तो हमारी बात न सुनिये परन्तु उसमें सञ्चा धर्म प्रेम हो तो जब तक पृथ्वी फटे तब तक हमारे लेख पर विचार की जिये। विशेध करना हो तो अवश्य की जिये; नहीं तो हिम्मत के साथ सच बोलिये।

पुरुष समाज से हम कहेंगे, कि समाज पुरुषों की ही नहीं, स्त्रियों की भी है। पापोद्य की चिकित्सा पुरुषों के लिये ही नहीं,स्त्रियों के लिये भी है। रूढ़ि के लिये सत्यकी हत्या मत करों! किन्तु सत्य के लिये रूढ़ियों को मिटादों।

देवियों से यह कहेंगे कि आप आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करना चाहतीहें तो बड़ी खुशीसे करें; हम आपके सामने सिर मुकाते हैं; किन्तु रा रो कर ब्रह्मचर्यका पालन न करें और ब्रह्मचर्यका पालन न करें और ब्रह्मचर्यका पालन करें की रुख्य का पालन इसिलये करें कि आपको पालन करने की इच्छा है, न कि इसिलये कि समाज बिधवा विवाह को बुरा समभती है। यदि आपको वैधव्य की अपेता गाईस्थ्य जीवन ही ज्यादः पसन्द है तो अपने पुनर्विवाह के अधिकार का उपयोग करके विशुद्ध ब्रह्मचर्या खुवत पालन करें। धर्मकान शुन्य स्वाधी निर्दय पुरुषों को कोई हक नहीं है कि जिसके पालन में वे स्वयं फिसल जाते हैं वही बात दुसरों से जबईस्ती पलवावें। याद रखों! वे स्वाधी पुरुष तुम्हें मनुष्य नहीं, जूडी थाली समभते हैं। इसिलयं तुम अपने गौरव की रत्ता करों। विश्वास रक्ष्कों कि मनुष्य जाति की स्थित के लिये पुरुषों की अपेता कियाँ श्रिधक आवश्यक हैं।

आशा है सभी श्रेणी के व्यक्ति इस लेख पर विचार करेंगे और पक्ष में या विपक्ष में सम्मति अवश्य देंगे।

हिः दृ जित की सामाजिक दुर्दशा मुधारने का एक गात्र उपाय

विधवा-विवाह

समाज मधारक भारत

5!

तृ।विय पुष्प

वेलक व बकाशक—

मोतीलाल पहाड्या, कुनाडी कोटा (राजपुताना)

HE HE

वि० संवत १४=

स्० पौरा शानः

් දිවුවෙනෙන් වෙන්වෙන්වෙන්වෙන්

हिन्दू जाति की सामाजिक दुर्दशा सुधारने

का

एक मात्र उपाय—



विधवा विवाह।



इस देश में याल विवाह, बृद्ध विवाह, अनमेल विवाह और कन्या-कथ-विकाय ग्रादि सामाजिक कुप्रथायें भयंकर रूप धारण करती जा रही हैं। इन्हों कुरीतियों के दारुण परिणाम स्वरूप सन् १८२१ की मनुष्य गणना के अनुसार इस देश में समस्त हिन्द विध्वाक्षों को संख्या २१२५५५५४ थों। इनमें से केवल २५ वर्ष तक को आयु वाली विध्वाप १५३५६४८ हैं। इस संख्या में १० वर्ष से कम उम्र वाली विध्वामों को संख्या ६९६५४ हैं। इस संख्या में १० वर्ष से कम उम्र वाली विध्वामों को संख्या ६९६५४ हैं कि जिन विचारियों को यह भी मालूम नहीं हैं कि सुद्दाग और पित किस खिलीने वा नाम हुआ करता है। आज इनका सुद्दाग सिन्दूर घो दिया गया है और इसके साथ हो इनके नम्हें २ हाथों की चूडियों भी तोड़ दो गई हैं रंगोन वस्त्र तो इन धिचारियों को दिखायें में नहीं जात। पहनने के लिये पटो हुई काली साड़ो विद्यान के लियेट्टरी सी अधि हैं और खाने के लिये उंडो बासी रोटो और २७ रोज की वची

खुची सड़ी बुसी साग ही अब इनके भाग्य में विधाता ने सिखा है उस वर्ष से कम उम्र की विधवाओं की संख्या में ५ वर्ष से कम उम्र की १२०२४ विध्वार ऐसी दुध मुही नन्हीं र बाद्यगा हैं जो अभी मानुस्तन के दूध का स्वाद भी नहीं भूल णई है। आगे चलिये, इनमें में २ वर्ष तक की उन्न वाली ४६६ विधवाएं ऐसी हैं जो अभी बुटने के बल ही चल मकती हैं और जो तोतली २ बोली बोलती हुई माँको श्रंगुलो पकड़ कर भी खड़ी नहीं दो सकती हैं। कहाँ तक कहा जाय १ श्रीर भी जरा हृदय को थाम कर सुनिये, इनमें से ६१२ विधवाएं एक वर्ष से नीचे की उम्र वाली हैं। ये शिश्र विधवाएं अभी मानु रतन पर ही चिपटी रहती हैं और जिनके मंह में अभी दूध के भी दांत नहीं आये हैं। दुनियां के किसी देश में भी मतन उतनी विधवार नहीं हैं जितनी कि इस अभागे देश में और कास वर इस दिन्दू समाज में हैं। सुश्किल से पैसा कोई भाग्य शाली घर पाया जावेगा कि जिस में कोई विधवा नहीं हो । प्रत्येक बर विधवा आशम रना तुआ है। हा ! किसते दुए हद्य टूट आता है कि इस भारत दस्तत्वरा की १५ वर्ग से नीचे उस्र की ३३०००= हिन्दू विधवा पुलियां श्रभी अपने अपने पतियां के साथ २-४ तीज त्योदार भी नहीं व्यतीत कर सकी हैं। इन शीव हो खिकने वाली कुसुम कलिया पर विधवा पन का तुपार पटक दिया गया है। इन बाइया के सुद्धाग नहीं मुकुट के मिशा को दुर्वेव कीन कर लेगया है। घडी सर पहले इनको 'सुद्दागन' कहा आता थद् लेकिन घड़ो भर धाद ही निर्देश समाज ने इस खक्क को छीना त्तियाः अव इनको हत्यारिनी चंडातिनी और पात भल्का आदि नामों से पुकार। जाता है। अब मांगतिक प्रसंगों पर इन बाइयों का मुख देखना भो अपशकुन माना जाता है। इनके विय वस्तामूण्या कीन कर उन्हें फटे टूटे मेले कुनेले कपड़े पहनने को दे दिये गये हैं

हास्य विलास और तमाम मनोरंजन को सामिययां इनके लिये मना है। इच्छा न होते हुए भी वर्ष भर भें इन हो दम बीस उपवास करने पडते हैं। अब इनके समस्त अधिकारा का हरता हो चुका है। न तो पोहर हो में इन विचारियों की कुछ कदर है और न सुसराल ही में इन अभागिनों को कुछ इज्ज़त हैं ! मानों अब तो इन विचा-रियों का जीवन बुछ जीवन ही नहीं है। घर के बाल वर्शा का पाखाना साफ करना, भाइ बुहारा करना, गाय भेंस बांध देना, घर भर के जुड़े बरतन मांजना तथा सासु सस्रर, देवर देवरानी, जेड जेठानी, श्रहोसी पड़ोसी की गालियां और भिड़कियां सुतना और इन सबके मुश्रावजे में खाने को बासी रोटी और सड़ी बुसी साग पालेना मात्र ही इनका काम रह गया है। विवारी ये दोना होना विधवाएं अपने जीवन के समस्त आनन्द, यीवन की समस्त विभृति श्रीर हृदय को समस्त इच्छाए सदेव के लिये समाजक मखिया पटेल चौधरिया की कर बालिवेदी पर मेंट कर चुकी है और आज वे अपनी दग्ध आहीं से इस इिन्दू समाज को बुरे २ शाप दे रही हैं। इनमें से बहुत सी युवतो विधवाए तो वड़े २ शहरों में अपने मकानों के भरोखा में कैठ कर अपने सौन्दये और सतीत्व को बाजारू वस्तुझों के समान वचने को मजबूर हुई है श्रीर बहुत सी विधवाप ऐसी भी हैं जो अपने पंच परमेश्वरा श्रीरहत्यारे मां वापा को रोती हुई अपनी रात्री क वटें वदल २ कर और आकाश के तारे गिन २ कर व्यतीत कर रही हैं। सेकड़ा विधवाएं ऐसी हैं जो कई प्रकार के प्रतोभनों के वशोमृत होकर तथा अपनी कामेन्छ। हो को रोक सकने में श्रममर्थ होने से लोक लाज के कारण दिन रात गर्भपान श्रीर भूगा इत्याप करती दुई समाज को कलंकित कर रहीं हैं। इजारी विधवारं जगह २ ऐसी भी हैं। जो विधर्मियों तथा अन्यान्य जातियों के घर बसा २ कर श्रपनी कोख से हमारी ही जड काटने वाली संताने पैदा कर रहा हैं। सेकड़ों अगह देवर भोजाई श्रीर

ससुर बहू के बहुत तुरे २ किस्तं भी सुनाई पड़ते हैं। यहां तक भी सुना जाता है कि कई युवती विश्वा माताएं अपने दत्तक पुत्रों से अनुचित सम्बन्ध रखता हैं।

इस बद्ध विवाह की क़रीति से देश में कन्या-कय-विकय तो बहुत ही चल पड़ा है। धनी लोग तो पृश्वपे की उम्र तक पहुंच चुकते पर भी विवाह की इच्छा रखते हैं और श्रपनो इच्छा की सफल करने के लिये तीन तीन और चार चार शादियां कर खकते 🖁 । पति के मत्ते ही विद्यवाओं की जो दुर्दशा होतीं है बसका थोड़ा सा वित्र ऊपर सींचा गया है। इसके विपरीत पत्नी के मरने पर विश्रों [रंडबों] के कारनामें भी किसी से छिपे हये नहीं हैं। स्त्री के मरन पर स्मशान ही में सगाइयों की चरचा चलने लग जाती है। छड़की के बाप को देने के क्रिये चैछियों के मुंद ख़ुल जाते, हैं, धपनी उस कम दिखलान के लिये रुपयों के जोर से ब्राह्मण दवता जी भी नकुली जन्म पन्निका तैयार करने लग जाते है। गंडवे जी या तो अब तक दो दो महीनों में हजामत बनवाते थे लेकिन अब तो दुसरे तीलरे दिन ही उस्तरा फिराया जाता है। मुंळें भी खस स्नर्सी कराजी जाती हैं ज़रूरत हुई तो बहिया खिजाब भी लगाया जाता है। क्या कीह्य श्रव वो जमीन में गड़े हुये जेवर भी निकास २ कर पहने जाते हैं: गर्ज यह कि रंढवे साहब हर तरह से अपना रूप रंग और धन दोलत बतलाने में लग रहते हैं और किसी न किसी तरह किसी होटी सी बालिका से शादी करके उसके भावी सहाग पर अपनी नीच काम वासना का अंजर झोंक हो देते हैं। प्रकृति के नियमानुसार लड़के और लड़की बराबर ही पैदा होते हैं लेकिन पैसी दशा में जब ार्क एक पुरुष मरते २ भी तीसरी श्रीर चौथी शादी कर लेता है यानी पक पुरुष तीन र ध्रीर चार र लड़ कियों को अपनी अर्द्धा क्रिनीयां वना छंता है तो उधर छड़िकयों की कमी पड़ जाती है। इस तरह कुंबारे

युवकों की संख्या बढ़ती है। यह भी कोई मानन के जिये तैयार नहीं होगा किसारे ही कुर्बार विहास बोत रह कर शानित के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हों। ग्रस्तु ! ये जोग भी कई किस्म के पापाचार रंचकर समाज में अशानित का बीज वपन कर रहे हैं। इस तरह समाज का पतन ही पतन नज़र ग्रारहा है।

इस पर यदि विचार किया जावेगा तो इस पतन की समस्त ज़िस्मदारियां इस निर्देयी पुरुष जाति के ही ऊपर है। श्रकृति का नियम है कि मनुष्य जाति के सामने जिस प्रकार का आदर्श रखा जावेगा उसी प्रकार उसके हृदय में भावों की उत्पत्ति होगी। जब कि यह निरुक्त पुरुष समाज अपनी ४०।४० श्रोर ४०।४० बहिक कई मस्तवा इससे भी श्रीधिक ईंश्हर वर्ष की श्रायुमें श्रवनी पाराविक वामेच्छाओं को पूर्य करने के लिय निर्देशी होकर रेशरू० और १२।१२ वर्ष की ं सुकुमार भीर अवोध बंक्तिकाओं के साथ विवाह करके घर पर आते ही बहुत जल्द 'राती जगा' (एकान्त वास) करने में न्याकुल हुसा रहता है तो यह समझ में नहीं आता कि उसे छोटी २ उस में होजाने वाली बाल विधवाओं को जबरन सन्यासिनीयां वनाकर जन्म भर के लिय उनसे कीटन संयम के पालन की शाशा रखन का अधिकार ही कसे हो सकता है ? पवित्र नारी जाति के सामेन इस निरुज्य पुरुष समाज का कैसा निन्दनीय और घणित ग्रादर्श है। घर में एक १४ २० वर्ष की युवर्ता विश्ववा पुत्र बधु काली साही भ्रोंद्र कर और चुड़ियां फोइकर सन्यासिनी बनी बैटी है लेकिन ४० वर्ष के सुसरा जी बैरिन की के जोर से एक १२ वर्ष की बर्टची की बन्दिनी बनाकर रंग भवन में सहाग की रात मनाते हैं। घर में एक १० वर्ष की छोटी बहिन दुर्भाग्य से रंडापे की रात काट रही है लिकिन भीजाई के मरन पर ३०-३४ वर्ष की उसू में बड़े दादा भाई तो तीसरी शादी कर ही ठाते हैं श्राज तीज का त्यौद्वार है चमड़ी के जटक जाने पर भी पचास २ क्षर्य की डाकरियां सांलह श्रांगार करती हैं और दिन में छत्तीस मतंवा कांच देख २ कर चमकांजी टिकियां लगाती हैं, प्रांवले नेवरी की अनकार भवाता हुई इधर उधर फुट्क २ कर बठती बेठती है, मेहदी स अपने हाथ पांव रचाती हैं, मस्तक को गोटा और लेंस आदि से सजाती हैं. फुलदार कांचली पहनती है, इत्र में सभी हुई बहुत बढ़िका को शाक से ब्रापन ब्राप को सजाती हैं और रात को छत पर दस बीस स्त्रियों में बैठकर गढ़रे छुंगार रस के गीत गाती हैं। कुछ ही देर बाद बाजार से वह लक्काड पनि के भिठाई लेकर आते ही वह रंगीली सजीजी वृद्धिया जुपके से दहने दाखिल हो जाती है; लेकिन वह आकाश का पटकी छोर धरती की झेळी हुई अभागिनी विधवा पुत्र वधु इस हिन्द समाज को गालियां देकर फटी हुई चटाई पर जा पहली है। उस विचारी का समस्त सुख ग्रीर समस्त ग्रानन्द हमेशा के छिये इस संसार से उट गया है। हा ! फंक फंक कर पांच रखते हथे भी उसका इंस कर बोलना और मूल कर कभी २ अब्दर्श सी चीज़ ं साने पीने या पहनने बाहने के लिये मांग लेना भा सन्देष्ट की दृष्टि सं देखा जाता है। कैसा पाश्विक दृष्य है।

इसमें कोई शक नहीं कि नारी जाति पर होने घाले पुरुष जाति केश्वत्याचार एक निष्पत्त जज के इजलास में बिलकुल भी लमा करने के योग्य नहीं है। अगर वास्तव में कोई ईश्वर नाम की शक्ति इस दुनियां में है और वह शक्ति निष्पत्त होकर स्त्री बनाम पुरुष के मुक़हमें को समाध्यत करने में दिलचस्पी लेगी तो उसे निस्संदेहपुरा जातिको एक दम फूर्द जुर्म सुनाकर सख्त से सख्त सज़ा का फैसला सुनाना पड़ेगा।

विचारी विधवार्ष प्राखगड सन्यास की मूर्तियां वन कर प्रापते चारित्र को प्रादर्श पर्व निर्मल रखती हुई चुपचाप बैठी रहना चाहती

हैं परन्तु यह पुरुष समाज इस पर भी संतुष्ठ नहीं होता । वह इन देवियों को आदर्श से गिराने के लिये कई प्रकार के प्रतोसनों को साथ में लिये फिरता है। हा ! कहते इप हृदय को बढा दुःख होता है कि इस पुरुष जातिने ही हमारे समाज मन्दिर को आज सब तरह से व्यभिचार और अत्याचार की कुत्सित लीलाओं का थाड़ा बना रखा है। ऐसी इजारों नजारें देखी गई हैं कि लोग कई प्रकार के प्रलोभनदेकर विधवाओं के साथ ग्रापना ग्रनचित सम्बन्ध जोड कर उन के सतीत्व को नए कर बैठते हैं। दिवारी भोक्षी भाली विधवारें भी उनके जाल में फॅस कर उन की प्रेमिकाएँ वन जाती हैं। जब संयोग से उन के गर्भ रह जाता है तो वे लोग प्रापने को बहनामी से बचाने के लिये पहले ते। उस का गर्भ गिरवाने का कोशीश में रहते हैं और जहां तक हो सकता है दस बीस स्पया खर्च कर के उस का गर्भ पात करवा ही देते हैं। यदि कमी २ इस ं में वे सफ़ल न हो सकें ता दसरी कोशीश उनकी यह रहती है कि वह विधवा स्त्री कहीं मेरा नाम नलेदे वरना जाति चाहर होना पड़ेगा। पंचों के बुलाकर पृक्तने पर कोई २ स्त्रियां तो उस पुरुष पर प्रायन्दा प्रपना तथा होने बाले बच्चे का भरण पापण होते रहने का दाबा रखने के लिये अपना सच्चा हाल प्रकट कर देती हैं भीर कोई २ स्त्रियां इस क़दर भंजी मानुष होती हैं कि यह भारते प्रेमी को जाति दग्रह व लौकिक तिरस्कार स बचाने के लिये सारा त्रावराध प्रापन ही अपर लेकर उसका नाम प्रकट नहीं करती । पस वह पुरुष तो उस विधवा के गर्भ धारण होते ही उससे अब कोस भर दूर रहते जग जाता है और उसेस किसी क्रिस्म के दुःख सुख की पूछतोहका नाम भी नहीं लेता। या तो वह पुरुष दिन में दस दल मरतवा उसके घर उसके पांच के तलवे चाटने के लिये जाया करता था लेकिन अब तो वह उस गली की तरफ़ा मुंह करके मो नहीं मांकता। स्त्रियां प्रगर सच्चा हाल प्रकट करके उस पुरुष का

नाम भी ले दें तो वह पुरुष तो जाति में बदस्तूर रहने के जिये कभी भी अपना अपराध स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। कुछ भी हो, जिल प्रकार दृश्य में से मक्सी निकाल कर बाहर फेंकदी जाती है उसी तरह वह स्त्री तो फीरन ही जाति में से सदेव के किये निकाल दी जाती है। पुरुष मियां तो सिफं २-४ शेज जातिक बाहर रहते है। वह हजरत तो शीध ही पंचों की श्राक्ष नसार किसी धर्माचार्य जी की व्यवस्था ळिखा लाकर तथा उसके श्रनुनार यक हा उपवास करके या गौमुत्रादि पीकर अथवा कहीं नजदीक की तीर्घयात्रा करके और पंचां को कुछ तरावट माल खिलाकर पीछ ही जाति में ब्रा बेठते हैं और बदस्तर प्रापना व्यवद्वार चलाने लगेत है। लेकिन उस स्त्री का उद्धार करने के लिय तरन तारन कहाने वाल पंच परमेश्वरों के पास कोई नियम नहीं है। स्वाधी पुरुष समाज न अपने सुभीते के लिये सब कुकू निवम बना रखे हैं, लेकिन विचारी भवला समाज की तरफ तो वह अपनी फूटी आंख से भी नहीं देखना चाहता । वह तो केवल ग्रापनी श्वानवत नीच काम वासना की तृति के समय ही उसके सामने हाथ जोड़े खड़ा रहने को तेयार रहता है। अब वह परिता कहीजानेवाली स्त्री जब कहीं भी रक्षा तथा उदर पालन का जरिया नहीं पाती है स्पीर न बिरादरी के लोग ही उसका उद्धार करने की तथार होते हैं तो पेकी दशा म नद भवत्य ही अधिकाधिक गिर जातो है, वेद्या बन जाती है तथा विधामियों के घरों में बैठ कर अपनी भी रत्नक कृति से भी भक्तक विधमी संताने पैदा करने लग जाती है। यही स्त्री प्रापने साध दो बार को और भी के जाती है और उयों र उसकी अवसर भिजता है त्यों त्यों वह भ्रापना हमुदाय और इम जोज बढ़ाती रहती है पेसी एक दो नहीं, सो दो सो और हजार दो हजार नहीं, बर्टिक कास्त्रान जीरे है और सब जानते हैं। सुसराल में तो इन अभा गिनीयों की पूंछ उसी दिन तक रहती है जब तक कि कमाई करके खिलाने वाल उनके पित देव जीवित रहते हैं। उधर पीहर में भी उनकी इन्जत उसी अवस्था तक थी जब कि उनसे शादी करने के उम्मेदबार दूर २ के बृद्धे हज़ारों की यैंजियां लेल कर आया करतेथे। जहां तक य निर्धन और बेबस बहिनें, सदाचारिगीयां बन कर समाज में बैठी रहती हें तब तक तो यह पापी पुरुप समाज उनकी रहा के लिये फूटी कौड़ी भी देने को तैयार नहीं होता लेकिन जब यही विधवा बहू बेटियां व्यमिचारिगीयां हो कर और अपने सतीत्व से गिर कर वेदयांदें बन जाती है तो फौरन ही उनको शादी के अक्मों में बुला कर उनके लिये थैलियों का मुंह खोल दिया जाता है। वूढ़े के साथ लग्न रचाकर धर्म के खेबक बनने वाले बाह्मण देवता भी धाजके दिन न मालुम कहां मुंह छिपाये रहते हैं। कैसा पृग्णास्पद व्यवहार है ?

समाज सुधार का प्रश्न उठते ही धर्म के ठेकदार धर्म की दुद्दाइयां देने लग जाते है। दिन रात हजारों हिन्दू विधवां पे हिन्दू समाज में से निकल २ कर विधमीं जन रही है लेकिन स्वार्थ के सांचे में ढले हुए कीडों ने रस खुद गरज़ी की छोड़ कर तथा झपने हदय को चीर कर नहीं देखा। धर्म की थांथी दुहाई देने वाल धर्मा-चार्यों भीर चिकन खुपड़े वने रहने बाल सकेह पोश बुगले मक पापाचार्यों! इस समाज की हालत पर अब तो कुछ तरस लाखो। धर्म शास्त्रों के अस्तां की पहचानों। धर्म शास्त्र तो हमेशा द्रव्य केन, काल और भाव के अनुसार चलने की अला देते है।

"समाज श्रीर जाति के मुखिया लोगों! तुम किस घार निद्रा में सोये हा? जरा श्रांखें तो खोल कर देखों तुमारी जाति किस दुरावस्था को प्राप्त हो रही है। साठ २ साल के बुड्दे बावाजी तो पुत्र पौत्र हाते हुए भी अपने काम भीग की तृष्णा को जुमाने के लिये पक सुकुमारी कत्या से विवाह कर सकते हैं। परन्तु कितना अन्याय है, कितना अत्याचार है कि समाज उन अयोध और निर्दोष बाल विध्वाओं के आर्तनाद की और जरा भी ध्यान नहीं देता है। बुड्ढे खूसट होकर भी जब तुम्हारा चित्त विषय बासनाओं की और दौडता है तो क्या तुम समभते हो कि १५-२० वर्ष की वे अबोध तर्राण्यां जो अपने कुटुम्ब के अन्य सब स्त्री पुरुषों को सांसारिक भोग विलासों में नित्य आसक्त देखतों हैं, अपने चंचल चित्त को कावृमें रख सक्ती हैं ? क्याउनका दिलनहीं चाहता कि वे भी तुम्हारी नरह मुन्दर बस्त्राभूषणों को अहण करें, स्वादिष्ट पदार्थों को खार्ये, और अन्य सांसारिक वस्तुओं का उपभीग करें, एवं प्राकृतिक कामनाओं को यथा शक्ति तृत करें ?"

विधवाओं की इस दुईशा धौर हिन्दू जाति के गहरे हास को देख कर देश के मुधारकों ने एक स्थर से विधवा विवाह की प्रधा को अपनाने का आदेश किया है। धौर धास्तव में इस मर्ज़ की यही दवा हो सकती है। लेकिन खेद है कि अभी बहुत से लोग इस प्रधा सं सहमत होते हुए भी ' विधया विवाह 'के नाम को समाज के सामने रखते हुए प्रवराते हैं।

प्यारं वीर, समाज सुधार को ! विधवाओं की भयंकर ची ख़ ने इस जड़ ग्राहाश को गुंजायमान कर दिया है। यदि इस समाज की रत्ता ही मंजूर है तो श्रव ग्रापने हृदय के भावों को छिपाते रहने का समय नहीं रहा है। हिन्दुस्तान में सुधार का कार्य इसी लिये एका हुशा है कि सोग ग्रापने विचारों को दवाये हुये हैं, यह याद रखना कि जो श्रापने विचारों को दवाता है वह श्रापनी ग्राहमा का

^{× &#}x27; नर हो कि नर पिशाच 'शीर्षक एक इस्त पत्रक से ।

खुन करता है। विधवा विवाह के मिशन का काम अब वहत जोर से चलना चाहिय । इस मिशन को क्रियात्मक बनाना पहेगा भीर श्रव इस प्रथा का प्रचार बहुत तेजी के साथ करना पड़ेगा अब यह विषय किसी भी तरह टाल देने योग्य नहीं रहा है। ज्यों २ इसमें ढील की जा रही है त्यों २ ही हमारे सर्व नाश का समय निकट आता जाता है। धर्म के नाम पर दोखी मारने वाले रंघों के पुतन्ती को चिल्जोन दो, खुब गालियां देने दो, गहरा विरोध करन हो क्षेकिन स्वयं एक वीर सुधारक की तरह भाईसात्मक मार्वी के साथ भागा कार्य करत रहो । विरोध होना ही सफलता का चिन्ह है, यही तो सफलता की लहराती हुई पताका है । किसी इन्ते हुए को तिराना और गिरते हुए को उठाना महाएग्य कार्य है और इसीदृष्टि विन्दु से यह विधवा विवाह का मिशन धर्मका स्थिति करगा अंग है । इसमें धर्म की प्रभावना के तत्व भरे इए हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ं ब्रह्मचर्य और शील ही मनुष्य के लिये धर्म का श्रष्ट मार्ग है । एरन्तु अब्दे और बुरे की तुलना करने में ध्यपेक्षा नय एक प्रधान वस्तु है । द्यतः गर्भ पात और भ्रण इत्यापें करने तथा विधिभयों के घर वसा २ कर प्रापनी कृत्ति से विधिमें। संतान पैदा करने की अपेक्षा विधवाओं के लिय विधवा बिवाह एक महान उत्तम और धार्मिक कार्य है। यदि इस मिशन में पांब पीछा रखा तो इस हिन्दू समाज का मातम मनाने के लिये तयार हो जाइये। यह खुब याद रखने की बात है कि जिस समाज ने परिस्थिति के महत्व को न समस्त कर उसकी उपेर्जा की है वह इस संसार में बधिक नहीं दिक सका है। यदि यह प्रचा पहले न धीती। न सही, प्राचीन होने ही से किसी प्रधा में सर्व श्रेष्ठना नहीं आती। जो प्रधा चाज प्राचान गिनी जाती है वह एक दिन अवश्य ही नवीन थी। नय से नया परिवर्तन भी यदि बुद्धि की परीक्ता में सफल हो सकता है तो वही सर्व अष्ठ है द्याज की नवीन, प्रचा कुछ ही समय पश्च व प्राचीनता का रूप घारण कर लेगी

और तब फिर उसमें कोई भी बात आपिन जनक न होगी। अब इस विधवा विवाह के विरोध में होने बाले आ जियों की ओर कुछ भी च्यान न देकर हमें अपनी शक्ति को इसके प्रचारमें लगा देना नाहिये। धर्म के इबने का बहाना लेकर चिरुताने पाले लोग बास्तव मकल कार्य नहीं करत हैं और न उनकी समाज स्वार के प्रश्न से ही कार्र दिल सर्वा ह। उनसे यह तो पृछिये कि आपने कहां २ मैदान में जाकर बृढों से कन्याओं की रत्ता की है ? रिन २ विधवाओं के छिये भापन मामिक वृत्तियां निकाल ग्ली है? कौन २ सी विश्ववाओं के लिये पंचायतों ने अन्न भीर कपड़े का प्रवन्ध कर रखा है? दो किरोड भौर बारह लाख हिन्द विधवासी के लिय कहां २ विधवा आश्वन कायम कर रख हैं ? बहां का व्याह रोक्षने वाली कौन र सी संस्थाओं का आपने सहायता दो है? समाज में बीस २ और पचीस २ वर्ष के हजारी कंबार युवक बिना व्याह अपना जीवन व्यतीत कर रहे है उनकी शादी के लिये किस २ ने कितनः २ प्रयत्न किया है? वहीं के साथ अपनी छोट २ कन्याओं की व्याह्नने बाले माता पितानी भ्रोर छोटी २ बीच्चओं के साथ ब्याह करने बाले बहाँ को आपने पंचायन स क्या दण्ड दिलवाया है ? विवाह आदि मांगीलक प्रसंगे! पर जड़ां बहुत सा रुपया महाव्यमिचारिग्री स्रोर कुर्राल रचने वाली ं धरयः आंका नाच गाना कराने में खर्च कर दिया जाता है वहां क्या कर्म आपन दस बीस रुपया इन सदाचारिणी असहाया और दीना हीना विधवासा के प्रति पालन में भी सहायता रूप में दिया है ? पस उत्तर मं मुखा और बेहदा सा जब व मिल जाता है। परन्तु वे लोग इस विषय पर युक्ति पूर्वक विचारने को कभी तैयार नहीं होते। विक्तिये धर्मका स्तरम वनाने वाले तो उलटा विधावाशीका माल,चाटने और इडपने की तैयार रहते हैं। उनके पतियों का नुकता चाटकर व:द में कभी भी उनकी सार सम्हाल नहीं पूछी जाती। हां, वेशक प्रगर उनक पास कुछ पैसा हुआ तो उसकी

इडपने के लिये गिद्ध की सी नजर लगाये रहते हैं 'इनसे तो धमेरिका श्रीर युरुप के वे ईसाई अच्छे हैं जो प्रति वर्ध करोड़ों रुपया इकट्ठा काक हिन्दुस्तान में भेजते हैं. और इन निराधार विधवाओं का खाने र लिये अन्न और पहनने के लिये कपडा देते हैं. चाहे वे किसी उद्देश से ऐसा करते हों परन्तु उनके इस दगा धर्म के श्रागे इमारे द्या धर्म की वीलने के लिये कुछ गुंजायश नहीं है : बन्धुद्यां ! समाज वी इन निरपराध विधवात्री को दुदंशा सुधारना श्रीर इस हिन्दू जाति के।हृ स से बचाना अगर मंजूर है तो विधवा विवाह की प्रथा का स्वीकार करना पड़ेगा और जितना जल्दो हा सकं उतना ही जल्दी रसको कियात्मक (Practical) बनाना पहेगा। इस एक प्रथा के चल जाने से कई क्रिस्म की कुन्थाएं एक दम रुक जावेगी . क्ल्या क्रय-विक्रय की कुष्या ा नाश हो जावेगा . पचास २ वर्ष को उम्र में पहुंच कर भा अपनो तरदृरस्तो शादी करने के पेग्य वतलान बाले बदा के लिये उनके योग्य विश्ववाद मिलने लग जावंगी क्वारी वन्यात्री का जीवन नष्ट नहीं होगा . विधुरां का विधवाओं से विवाह होने लग जावेगा तो कन्यात्रा की ंकमी का सवाल इल होजाने से सब सम्बन्ध योग्य होने लग जार्वेगे और विचारे समाज के सांड कहाने वाले वृवारी क घर वसने लग जावेंगे विधवात्रा का पापमय जीवन शान्ति मय है। जावेगा कुंबारी कवाओं का व्याह उन्हीं के याग्य अच्छे और कंबारे लडकों से हा सकेगा । व्यभिचार और दुराचार, गर्भ पात और मुशा हत्यात्रों से जो यह समाज कलांकत हा रहा है वह भो रक जावेगा . रंडवां को तोन तोन धीर चार चार मरतवा शादियां करने में जो बार २ बहुत रुपया खर्च करन। पडता है, वह न करना पड़ेगा दमारा समाज को मुल पृंजी ये विश्वा स्मिण्यां, जो हमारे अत्याचारों से घवरा कर विधिशियों के घर वसाने की वाधित

हो जातो हैं वह बद्स्तृर समाज में बनो रहेंगी. जिस हिन्दू जाति का आज तेजी से दास हो रहा है उसका सीमाय सूर्य शीव ही उद्य हो जावेगा.

भला हो, समाज सुधार के कड़टर पचपाती, सुपिसद समाज सुघारक शिरोमिशा स्व॰ ईर्वर चन्द्र विद्यासागर को आत्मा का कि जो बड़ो मुस्तैदो क साथ भारत सरकार से विधवा विवाह का कानन (एक्ट नं० १५ सं० १६५६ ई०) मंजूर करा गये हैं। विधवा विवाह के विरोध में, विधवा से विवाह करने वाले पुरुष को. अपना पनविवाह करने वालो विधवा को तथा इस ग्रुम काये में सहायक होने वालों को कोई जातीय दगड नहीं दिया जा सकता। बहिक जो पंच या मुखिया विधवा विवाह के विरोध में ऐसे लोगों को जाति बाहर कर देते हैं वे राज से दण्ड के भागी बनते हैं। मेरठ 🚶 में एक विधवा विवाहके समय ब्राह्मण जातिके पटेल चौधरियों ने एक पंचायत करके लगभग इंढ से आदिमियांको एकत्रित किया और प्निविवाह करने वाली विधवा पूत्रों के पिता पं॰ राधेलाल और उनके सहायक पं॰ घासोराम को जाति बाहर करके उनका जातीय व्यवहार बंद कर दिया। दीना बहिष्हत पंडिता ने स्पेशल मजिस्टीट, मेरठ की श्रदालत में विराहरी के पटेल चीधरियां के खिलाफ दफा ५०० ठाजी रात दिन्द (Section 500, Indian penal code) के अनुसार अलगर मुक्दमे दायर कर दिये। लेकिन बहुत विचार के बाद स्पंशल मजिस्टेट साहब ने ता० ३ सितम्बर सं० १८१८ को दीनां मुकदमा में करियादियों को विरादरी के एक मुख्यिया पर ३००) और दूसरे दोना मुख्यामां पर २००) २००) रुपया जरमाने का हुक्म दिया। जुरमाना अदा न करने की हालत मं एक हुजरत की चार महीने को भीर दूसरों को तीन २ मास की कैंद का आर्देश किया । अपराधियां ने स्पेशल मजिस्टेट के इस फैसले से व्ह होकर

इलाहाबाद के प्रसिद्ध वकोल मिस्टर सत्यवन्द्र मुकरजो को सहा-यता से सेशन जज, मेरठ को अदालत में अपील को लेकिन विद्वान जज ने अपने २० नदम्बर सन् १६१८ के फैसले में अदालत मातहत को तजवोज बहाल रखी 1 अपराधियों ने फिर हाई कोर्ट, इलाहाबाद में निगरानो के लिये पार्थना को, लेकिन यह निगरानी भो भीयुत आँनरेबल मिस्टर टो. सी. पंगट, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इलाहाबाद ने ता० २८ मार्च सन् १६१८ को खारिज करदी। इससे साफ जाहिर हैं कि विधवा विवाह कानून से भी जायज़ हैं। अतः किसो को भी यह दुस्साहस न होना चाहिये कि यों हो मनमानो पंचायतें कर के किसी पुरुष को जो ऐसे शुभ कार्य में सहायक होता है, विरादरो से बाहर करने की धमकी दे अथवा उसकी निन्दा या अपमान करे।

घन्य है, पंजाव के उस वीर समाज सुधारक वैश्य रईस सर गंगा राम श्रग्रवाल, राय वहादुर, क. टी. सी. आई., ई.एम.बी. श्रो. को कि जिसने लाहीर में विधवा विवाह सहायक सभा स्थापित करके हिन्दू जाति को इस घोर पतन से बचाने का बीधा हाथ में लिया है। इस सभा को श्रोर से हिन्दुस्तान की श्राह्मण, चित्रय वेश्य श्रोर श्रन्थान्य आतियों में हजारों विधवा विवाह हो चुके हैं तथा बडी तेजी से हो रहे हैं श्रीर जगह र प्रान्तों में विधवा विवाह के प्रचार की शासा सभाएं भी स्थापित होती जा रही है। इमें जहां तक माळूम हुआ है, दथा प्रेभी सर गंगाराम साहब ने इसके प्रचार के जिये छग भग १४-२० हजार रियासाजाना श्रामदनी की अच्छी जायदाद निकाल रखी है।

श्राईसा धर्म के मानने वाले बेप्णव और जैनी भाइयों! श्रव सहक्षा पाप हो चुका है। यदि इस पाप के अपराध से वचना चाहते हो ती अपनी इसप्राज में विधवाविषाह जारी करके अपने पापों का प्राय श्चित कर डाटो ।

नोत:---इस टुक्ट में बहां हिन्दू विधवाओं की संस्था बतकाई है उसमें सनातन धमा जेर्नी, आर्थ समाजी, सिक्ख, ब्रह्मसमाजी और बाद विधवाओं की संस्था भी शामिल है जो हिन्दू महासभा के नियमानुसार हिन्दू जाति हा में भाने गये हैं। छेखक

ज्ञान्ति !

शान्ति !! शान्ति !!!



दामोदर पेस, रावतपाड। आगरा ।

जैन समाज का सीभाग्य।

विषयाओं की संख्या जिस कदर अहिंसा धर्म न्यायी जैन समाज में है उतनी हिन्दुस्तान की किसी जाति में नहीं पायी जाती । जहां सनातन धार्मियों में पति सैक्ड़ा १९.१, आर्यममाजियों में १४.९ जय सम जियों में १२.८, सिवर्लों में १३.५ और बौदों में ११.५ विषयों है वहा जैन समाज में २५.५ विषयों हैं। विश्व में १३.५ विषयों हैं। जैन समाज के लिये यह बहुत ही सोचने की बात है। लेकिन यह बड़ी अवन्तता की बात है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भार के पारली मुनारक जनकियायों ने इन विश्व मों की दुईशा पर दया ठाकर अब विधव। विवाह सहायक सभायें नथांश्व करना शुरू कर दिया है। यह में सुनीताब की बात है कि जैन समाज में जगह जगह इस प्रया की अवस्थता की अन्भव में लोने वाले वीर मुवारक पैदा होते जा रहे हैं। जो जैनी माई अपने विध्न लहके और विश्व एतिया पुत्र में का ऐसा सम्बन्ध करना चाह उनकी नीच लिग्ने पत्नी पर पत्र व्यवहार करना चाहिय:—

(१) श्रीयृत बाबु फ्लचनर जैन, मंत्री, जैन विषया विवाह रहायक सभा मातीकृटस, आगग (यृ० धा ०)

(२) श्री**युत म** स्टर् विम्मनलाल जैन, रिटायर्ड **र**डेशन मास्टर्ग उपमंत्री, जैन बाल विषया वित्र ह सहायक समा गरी पी,पहराली, धर्मपुरा, देहली

हमार जैनी भाइयों को चाहिये कि वे अपनी विधमा बहन बोटियों का दुःस निवारण कर के उनका विवाह करार्दे। ए उमय जीवन व्यवीत करने और कराने की अपेक्ष शन्तिमय जीवन व्यवीन करना और कराना ही जैन धर्म का मुख्य सिद्धात है।।

निबेदक- मोतीशल पहाड्या जैन, छनाड़ी।

कुछ उपयोगी ट्रेक्ट

f		
(Ş) मुहारा रक्षक विषयन [३।) ह ं सेकड़ा]
ĺ	*) पर्त न्यों जो कान्तिकार दूजान् २) ह० सेकड़ा])॥
(¥) विभवा विवाह[३) ह० सेंबाड़ा])ता
*	V) सनी पत्तवरं
(Ł	ा गेडियों का न च (२॥) ह० सेंक इत्])॥
(ξ	Total to
1	٩) सम दूरा वा सहाचार कींदेवी १)
		निलंग सा पता '
		न गार उपहाड्या (कुनाड़ी)
		सेकेटरी, वश्व सुनास्क मंडल, कोटा

पो॰ कोटा (राजपूनाम)

विधवा-विवाह प्रकाश

रघुवीरशरण जैन अमरोहा

प्रकाशक-

जैन बालविधवा विवाह सहायक सभा दरीया कलां दहली।

प्रथमवार } बीर नि० सम्बत् २४४८ { मृत्य २००० }

विक्टोरिया कास प्रेस, दरियागंज देहली।

''विधवावित्राहं' के विरोधी मित्रों से

नम्र निवंदन

मियों !

श्राप जो 'विधवाविवाह' को बुरा समभते हैं, श्रीर समाज सुधार क इस शुभ कार्य में श्रन्तराय डालकर व्यथे प्रापंक भागी बनते हैं-इसका मुझे श्रत्यन्त से श्रिष्ठिक दुःख है।

क्या आप मुक्ते आज्ञा देंगे कि

में आपको ' विधवाविवात" का कुछ रहम्य दिखलाई ? यदि हां तो लीजिये —

में आएक चरणकमलां में यह "विश्ववाविवाह प्रकाश"
नामक ट्रेक्ट मेंट करता हूँ। साथ ही निवेदन है कि आए इस
पर ठगई दिल स विचार करें। मुझं आशा है कि इस पर
निष्यचता से विचार करने पर आपकी "विश्ववा विवाह" का
कुछ रहस्य भलक जायगा और आप अपने की हितमार्ग पर
लगा कर आपना कल्याण करेंगे। भावना है कि आपका



यह बात सब पर प्रगट है कि द्याजकल 'विधवाविवाह'' की चर्चा देशव्यापी होती जा रही है। एक समय वह था जब कि लोग 'विधवा विवाह'' को महा पानक समभते थे, श्रीर इसके नाम मात्र से कांपते थे, परन्तु श्रव वह समय नहीं रहा है, सब इसकी श्रावश्यकता का श्रनुभव कर रहे हैं, यहां तक कि सुधार मांगमें सबसे पीछं रहने वालं सनातन धर्मी व जैन धर्मी बड़े बड़े विद्वान व नंता भी इसके प्रचार में तन मन धन सं श्रायसर हैं।

जैनसमाज में भी कुछ समय में यह चर्चा चल रही है। कितियं रुदितास इसका बिरोध करते हैं श्रीर इसके समर्थकों व प्रचारकों को कांस २ कर समाज को भड़काने का प्रयत्न करते हैं; परन्तु उनका बिरोध सभ्य श्रीर शिक्तित समाज की हिन्द में कुछ मृल्य नहीं रखता। दुर्भाग्य में वे श्रभी तक मिथ्यात्व के उद्य से "विधवा विवाह" के रहस्य को नहीं समभ पाय हैं, वे रुदियों को ही धर्म मान वैठ हैं यही कारण है कि वे "विधवा विवाह" को पाप कह कर व्यर्थ ही पाप के भागी बनते हैं। "सैर ? सीभाग्य से जैनसमाज को "सनातन जैन (वर्धा) व" "जैन जगत (श्रजमेर)" पश्रों का दर्शन होता रहता है जिनमें पूज्य व्रश्मीतलप्रसाद जी व साहित्य

तिख रहा हूँ। बड़े २ विद्वानों के बीच में मुक्त जैसे चुद्र व्यक्ति का पड़ना भृष्टता ही है, परन्तु क्या किया जाय, समय ऐसा श्रागया है कि चुपकी साधना भी एक बड़े साहस का काम है।

में विद्वान नहीं हूँ, परन्तु थोड़ा सा श्रवश्य पढ़ा हुश्रा हूँ। सत्य का पुजारी हूँ, जो बात बुद्धिकी कसोंटी पर ठीक उतरती है उसे श्रपनाता हूँ। में श्रपने में गलतियों का होना स्वीकार करता हूँ, परन्तु जबतक वह गलती संयुक्ति रीतिसं मेरे सामने न लाई जाय, तब तक में उसे स्वीकार नहीं कर सकता। धर्माकयों, प्रलोभनों सामाजिकदंड व सभाश्रों के कारण श्रपनी बात की, जिस में सत्य समभता हूँ, वापिस लेना मेरी शक्ति से बाहर है।

पाठकों से सप्रेम निवंदन है कि वे मेरे लेख पर शांति से विचार करें श्रीर श्रसत्य की तिलांजली देकर सत्यको श्रपनावें।

१. विधवा विवाह व्यभिचार नहीं है।

हमारं विरोधी मित्र ''विधवा विवाह'' को व्यभिचार बतलात हैं, वे कहते है कि ''विधवा विवाह'' से व्यभिचार की निवृत्ति नहीं होसकती। यहां में पहिले यही विचार कहँगा कि उनका यह कहना कहां तक सत्य है ?

व्यभिचार का लक्षण शास्त्रकारों ने यह बतलाया है:— 'निजं विहास परेणत्याकं भागत्त्वं व्यभिचारत्त्वं'

अर्थात—''अपने पति को छोड़ कर अन्य के साथ विषय संवन करना व्यभिचार है।''

जिसके साथ नियमानुसार विवाह हुआ हो वही स्वपुरुष या स्वस्त्री है। और जिसके साथ नियमानुसार विवाह न हुआ हो वही परपुरुष या परस्त्री है। रत्न पं० द्रश्वारीलाल जी ''विधवा विवाह'' पर प्रकाश डालतं रहतं हैं; परन्तु फिर भी जैनसमाजमें ''विधवाविवाह'' के विरोधी लाग मांज्द हैं, इस बातका मुझे श्रत्यन्त श्राश्चर्य व नंदर् हैं। निमित्त तो प्रवस हैं परन्तु झानावर्णीय कमें के पर्दे ने उनकी झान शक्ति को इतना हीन बना दिया है कि व उनसे कुछुलाभ नहीं उटा सके हैं। खेद ! महा खंद !!

"विध्या विवाह" के विरोधियों को इसका नाम मात्र भयंकर है। उनके लिये "विध्याविवाह" ठीक ऐसा ही है जैसा कि गीटड़ के लिये सिंह। उनहीं में के एक प्रतिष्ठित महाशय "विध्या विवाह" पर अपने लिखित व्याख्यान के प्रारम्भ में निम्नालेखित शब्द कहते हैं, जिनसे पाठक अनुमान कर सकते है कि आपको "विध्या विवाह" कितना भयंकर हैं:—

''सज्जनो ! श्राज जिस विषय में सभापति महोदय ने मुभको व्याख्यान देने की श्राहा दी है-उस शब्द के नाम मात्र से मुझे श्रत्यन्त ग्लानि श्रौर पाप होने की सम्भावना है, परन्तु श्राजा का उलंघन मेरी शक्ति से बाहर है.......

श्राप कहते हैं इस ''विधवाविवाह'' के नाम मात्र से पाप होने की सम्भावना हैं' बाहरी बुद्धिमत्ता (?) तेरी इस श्रपूर्व गृढ़ फिलासफी (philosophy) को समभने में बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि भी बेकाम हैं। पाठक श्रापकी इस श्रद्धत फिलासफी पर विचार तो करें।

मेरी राय में ''विधवा विवाह' पाप नहीं है। इससे धर्म में कोई रुकावट व हानि नहीं हो सकती, श्रीर वर्तमान श्रवस्था को देखते हुए तो यह 'श्रत्यन्त से श्रधिक श्रावश्यक है। मैं इस ठेख में ''विधवा विवाह' पर ही विचार करूँगा। में पाठकों को विश्वास दिलाता हूँ कि यह छेख उच्छुंखलता से या किसी समाज व दल को नीचा दिखाने के ालये नहीं इससे ज्ञात होता है कि विवाह से दो परपुरुष व परस्त्री, स्वपुरुप व स्वस्त्री होजात हैं। यदि वे श्ववाह से पहिले विषय मेचन करें तो यह, उनका व्यक्तिचार होगाः परन्तु यदि वे ही विवाह के परवात विषय सेवन करें तो यह, उनका व्यक्तिचार नहीं होगा। इस तरह विवाह, व्यक्तिचार दोष को अपहरण करने का ''श्रव्यर्थ' साधन है।

जो कुमारी श्राज परस्त्री है, श्रीर जो पुरुष श्राज परपुरुष है, व ही विवाह होजाने पर स्वपुरुष व स्वस्त्री होजाते हैं, तब जो विश्रवा श्राज परस्त्री है श्रीर जो पुरुष श्राज परपुरुष है, वे विवाह के बाद स्वपुरुष व स्वस्त्री क्यों नहीं हो सकते? जबिक विवाह में व्यभिचार दोषक श्राहरण की शक्ति है श्रीर कुमारियों के विषयमें इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग विश्रवाश्रों क विषय में क्यों नहीं किया जा सकता? श्रीर भी देखिए —

पूज्य जैनाचार्य श्री स्वामी अकलंक देव नं 'राजवार्तिक' में विवाह का लक्तल इस प्रकार बतलाया हैं:—

"सद्वेत्र चारित्र में होदगाद्विवहनं विवाह" ऋर्थात — "मानावेदनीय और चारित्र मोह के उदय से स्वी पुरुष का एक दूसरे को स्वीकार करना विवाह है"—

विवाह का हो जाना साता वंदनीय का फल है; क्योंकि इसमें श्रमन्त्रीपी की संताप हो जाता है; पश्नु विवाह करने की तीब इच्छा चारित्र मोह के उदय से होती हैं। वंद नाम नोकपाय, काम भावना का प्रेरक है। इस कषाय के उदय का ज़ोर प्रत्येक स्त्री पुरुष की हुआ करता है। बस ! जिस प्रकार

[&]quot; 'विधवा' शब्द का अर्थ है 'विगता धवो यस्य:--अर्थात जिसका धव (पुरुष) दृर होगया (मर गया) हो।

कुमारी का सातावेदनीय व चारित्र के उद्य से विवाह हो सकता है, उमी प्रकार विधवा का भी, जिसमें चारित्र-मोहके उद्य से काम की तीब्र इच्छा धधक रही है, विवाह हो सकता है।

इस प्रकार हमारं विरोधी मित्र यह श्रालाप श्रलापते हैं कि जब स्त्री ने एक पति बना लिया, तब वह फिर दूसरा पति केम बना सकती है ?

इसके उत्तर में यह कहना ही काफी है कि जब एक २ दो २ पित्तयां होने पर भी दूसरी पित्त बना लेता है तो किर स्त्री विधवा होने पर भी अर्थात कोई पति न रखते हुए भी दूसरा पति क्यों नहीं बना सकती ? यदि यह हट किया जाय कि विधवात्रों को तो पूर्ण ब्रह्मचर्य पालना ही चाहिए-चाहे वे गं २ कर पालें, चाहे खुशी से पालें – तो यह विशुद्ध श्रत्याचार है। यदि किसी मनुष्य में श्रनुपान त्याग करने की शक्ति नहीं है, फिर भी उसको यह श्राहा करना कि तम्हें तो उपवास करना पड़ेगा—चाहं रा २ कर करों, चाहं राजी से करो. नो उसके लिये यह ब्रत नहीं, दंड है। ब्रत वही कह-लाता है जो इच्छा या रुचि पूर्वक श्रपनी शक्तिश्रनसार धारण किया जाए। श्रतः विधवाश्रीं सं, उनमें शक्ति न होते हुए भी जबरदस्ती वैधव्य पलवाना उनके लियं वन नहीं. बल्कि दंड है। मैं विरोधीं मित्रों से पूछता हूँ कि यह दंड किस अपराध पर उन्हें दिया जाता है ? क्या 'विधवा हो जाना' ही उनका अपराध है। हमें ऐसा कोई कारण व अधिकार नहीं है कि हम उनसे जवरदस्ती वैधव्य पलवाएं।

हमारं विरोधी मित्र यह भी आक्षंप करते हैं कि ''सर्वार्ध सिद्धि' में ''कन्यादानं विवाहः'' ऐसा कथन आया है। इसके अनुसार विधवा का विवाह कैसे हो सकता है? अतः विधवा विवाह व्यभिचार है? यह जो ''सर्वार्थ सिद्धि'' में ऐसा कथन श्राया है. सामान्य क्या में हैं: क्योंकि प्रचार में जब कभी विवाह का विचार श्राता है, उस समय कुमार व कुमारी को ही संयोग श्रादश माना जाता है, इसी भाव में 'सर्वार्थ सिद्धि'' में ऐसा कथन श्राया है।

''कन्यादानं विवाह: इसमें दान का ऋष रुपयं पैसं देने के समान नहीं हैं। किन्तु 'माता पिता द्वारा किसी यांग्यवर के सुपूर्व कन्या का किया जाना हैं' ऐसा ऋषे हैं। जिसे लांग प्रचार में कन्यादान कहते हैं. वह वास्तव में विवाह है जो योग्य वर के साथ किया जाता है।

यदि कन्या दान को वस्तु दान के समान माना जाय. तो वह जो कन्यादान पाता है, उमी कन्या को किसी दूसरे को देसकता है। क्या यह हमारे विरोधी मित्रों को इष्ट होगा?

यदि ''कन्यादानं विवाहः' के 'कन्या' शब्द पर सूच्मता से विचार किया जाय. तो नया ही रहस्य दीखता है। 'कन्या' शब्द का श्रर्थ केवल 'कुमारी ही नहीं है विलक साधारण स्त्री भी है।

देखिये — श्री वामन शिवराम आपट आपने संस्कृत-अंग्रेजी कोण में पृष्ठ ३३३ के दूसरे कालन में कल्या शब्द के कई आर्थ देते हैं:—

ং—An unmarried girl or daughter (**एक श्रविवा** हिता लड़की या पुत्री)

A girl ten years old. (दस वर्ष की लड़की)

A virgm, maiden. (श्रज्ञत यांनि, या, श्रविवाहिता)

A woman in general. (एक साधारण स्त्री)

नीचे लिखे श्लोक में भी 'कन्या' शब्द साधारण स्त्री के लिये प्रयुक्त नहीं हुआ है:— त्रहल्या, द्रोपदी, तारा, कुंतीं मन्दोदरी, तथा । पंचकन्याः स्मरेन्नित्यँ महापातक नाशनम् ॥

यहां पांचों स्त्रियां विचाहिता तथा चत योनि थीं, फिर भी उन्हें 'कन्या' कहा गया है।

'पद्म पुराण में सुग्रीवकी स्त्री सुताराको उस समय कन्या कहा गया है जब कि वह दो वच्चों की मां होगई थी।

"केनो पायेन तांकन्यां लप्सये निवृत्तिदायिनी।"

जरा विचार की जिये कि जब दो बच्चों की मां को कन्या कहा है तो फिर विधवा को क्यों नहीं कहा जा सकता? जिस प्रकार विवाह में कुनारी कन्या दी जा सकती है उसी प्रकार विधवा कन्या भी दी जा सकती है; श्रौर यही विवाह है, न कि व्यभिचार।

श्रीर भी देखियं —

विधवा जब विवाह करती है, तब यह प्रगट रूप से करती है, गुन रूप से नहीं करती । जब इसमें किसी प्रकार का गुप्तपना नहीं, न किसी प्रकार का भय, तब यह कार्य कभी भी व्यभिचार नहीं कहा सकता क्यों कि व्यभिचार में भय व लज्जा पाई जाती है।

व्यभिचार एक जुमें है जिसकी सजा गवनेमेंट (Government) से मिलती है। यदि ''विध्या विवाह'' व्यभिचार होता तो यह भी एक जुमें होता श्रीर गवनेमेंन्ट इस पर सजा लगाती, परन्तु गवनेमेंन्ट का कोई कानुन (law) ऐसा नहीं जिससे ''विध्या विवाह'' करने व कराने वालों को सजा दी जाय। इससे स्पष्ट है कि ''विध्या विवाह'' व्यभिचार नहीं है। यदि यह व्यभिचार होता तो गवनेमेंन्ट इसको जुमें करार देती।

ग्रतः सिद्ध होगया कि ''विधवा विवाह'' ध्यभिचार नहीं है। यह कहना, कि ''विधवा विवाह'' सं ध्यभिचार की निवृत्ति नहीं हो सकती, ऐसा ही रूत्य है जैसा कि यह कहना कि सूर्य से श्रन्थकार का विनाश नहीं हो सकता, सत्य हैं! ''विधवाविवाह' का श्राशय विधवा को इत्यरिका च व्यभिचा-रिली होने से बचाना है उसको गृहस्थ श्राविका के श्रिशुवत में रखकर उसका स्थिति करण करना है।

विधवा का विवाह करके उसकी गृहस्थ श्राविका के श्रणुवत में रखकर उसका स्थिति करण करना किसी प्रकार भी व्यभिचार नहीं कहा जा सकता। विधवा को जवरदस्ती वेधव्य पलवाना व्यभिचार है। हमारं विरोधी मित्र इसमें बचे हुये नहीं हैं। वे ''विधवा विवाह'' का विरोध करके बेचारी असमर्थ विधवाश्चाम जबरदस्ती वेधव्य पलवाकर उन्हें व्यभिचारणी बना देते हैं. जो कि 'व्यभिचार' में भी बढ़कर व्यभिचार है। वस! यदि हम''विधवाविवाह'' के विरोधियों को ''कहें तो कुछ भी श्रमुक्ति न होगी।

उपरोक्त विवेचन में ज्ञात हुआ कि ''विधवा विवाह'' श्लौर ''व्यभिचार'' में केवल इतना ही अन्तर है जितना अन्तर ''ब्रह्मचर्य' व ''व्यभिचार'' में है अर्थात ''विधवाविवाह'' इतना ही बड़ा व्यभिचार (पाप) है जितना बड़ा व्यभिचार ''कुमारी-विवाह'' है ।

२. क्या कारण है कि पुराणों में "विधवाविवाह" का उल्लेख नहीं मिलता।

''विधवा विवाह'' पर हमारं कूपमग्डूक मित्र यह ऋक्षिप भी करते है कि ''शास्त्रों में कुमारी विवाहका तो वर्णन ऋाता हैं, परन्तु ''विधवा विवाह'' का वर्णन कहीं नहीं मिलता फिर इसे धर्मानुकूल कैसे कहा जा सकता ं

शास्त्रों में यदि ''विध्या विवाह'' का उल्लंख नहीं मिलना ता यह कैसे कहा जासकता है कि ''विध्या विवाह'' धर्म विरुद्ध है। उसकी घटना का शास्त्रों में न होना उसकी असिद्धता प्रगट नहीं करता पुराणों व शास्त्रों में वही घटनाएँ उल्लिखित हैं जो कुछ महत्व (importance) रखती हैं। जहां भी कुमारी विवाह का वर्णन श्राया है। वहां कोई महत्व पूर्ण (important) घटना श्रवश्य हैं ''विध्या विवाह'' से कोई महत्व पूर्ण घटना की 'सम्भावना' नहीं थी, श्रथवा कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई, इसलियं उसका उल्लंख भी नहीं हुआ। यदि उसमें कोई महत्व पूर्णघटना होती तो इसका उल्लंख भी शास्त्रकार करते।

घटनाएँ अच्छी भी होती हैं, और बुरी भी। शास्त्रों व पुराणों में दानों प्रकार की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। शास्त्रकारों ने जहां अच्छी घटना का वर्णन किया है घहां उसका अच्छा फल भी दर्शाया है; और जहां किसी बुरी घटना (पाप) का वर्णन किया है वहां उसका बुरा फल दिखलाया है। बुरं कार्यों की निन्दा और उनका बुरा फल दिखान के लिये यह चित्रण हुआ है। जहां शास्त्रकारों ने पर स्त्री हरण, वेश्या संवन आदि अनेक कुकार्यों का वर्णन किया है, वहां 'विधवा विवाह' का जरा भी वर्णन नहीं किया। यदि ''विधवा विवाह' पाप होता नो शास्त्रकारों ने जहां अनेक पापों का वर्णन करक उनकी निन्दा की है। वहां कम स कम एक बार तो इसका वर्णन करके इसकी निन्दा करते। मालूस हुआ कि ''विधवा विवाह' का पुराणों में उल्लेख न मिलना इसकी बुराई को प्रकट नहीं करता बल्क इसकी भलाई व साधारणता को प्रगट करता है। यदि शास्त्रों में "विधवा विवाह" का निषंध रूप में वर्णन श्राता तब यह बात कुछ विचारणीय हो जाती श्रीर इसका युक्ति व प्रमाण में वृद्धि की कसौटी तक वितर्कसेपरखा जाता श्रीर मत्य श्रसत्य का निर्णय किया जाता, परन्तुशास्त्रों में कहीं भी 'विधवा विवाह" निषंध नहीं है।

३. 'विधवा' झौर 'विवाह' ये दो शब्द कहां तक असंगत है ?

हमार विरोधी मित्र 'विध्वा' श्रीर 'विवाह' इन दोनों शब्दों को श्रसंगत वनलाते हैं। यदि यह दोनों शब्द श्रसंगत मान भी लिये जाये तब भी 'विध्वा विवाह' पाप कैसे ठहर सकता है! बात यह है कि जब इन दोनों शब्दों का प्रस्पर मेल होजाता है इनके छुड़ों श्रस्पां के एक समृह से वे बेचारे छुकड़े भूल जाते हैं. इसलिये वे इन दोनों शब्दों को श्रसंगत कहने लगते हैं। खेर......!

श्रधिकतर सुनने में श्राता है कि श्रमुख विधवा व्यभि-चारिणी हो गई, श्रमुक विधवा के गर्भ रह गया, श्रमुक विधवा मुसलमान या ईसाई बन गई, श्रमुक विधवा वेश्या बन गई, इत्यादि २..... । विचार कीजिये, कि यदि 'विधवा श्रीर 'विवाह' यह दो शब्द श्रसंगत हैं, तो 'विधवा' और 'व्यभिचार', श्रथवा 'विधव)' श्रीर 'गर्भ' ये तो इनसे भी श्रिषक श्रसंगत हैं । विधवा के धव नहीं होता और विना धव पुरुष। के गर्भ नहीं रहसकता इसलियं जब कोई विधवा स्त्री

¹²³⁸⁴⁸

^{* &#}x27;विधवा' x 'विवाह'=''विधवा विवाह''

गर्भवती होगई तो वह सधवा हो चुकी इसमें कुछ संदेह नहीं। जब 'विधवा' श्रोग 'गर्भ' इन दो शब्दों को प्रकृत्ति सङ्गत बनाती है नो फिर 'विधवा' श्रौर विवाह इन दो शब्दों का सङ्गत होना कितनी बड़ी बात है ?

४. ''विधव।विवाह" से शरीर की विशुद्धि नष्ट हो जायेगी"

इस पर विचार:--

हमारं विरोधी मिश्र ''विधवा विवाह'' पर यह भी श्राक्षप करते हैं कि ''विधवा विवाह से शरीर की विद्यद्धि नष्ट हो जायेगी ।''

इसमें माल्म होता है कि व शरीर को विशुद्ध मानते हैं। दुःख है कि हमार मित्र इन छोटी २ वार्तों में बड़ी २ गल-तियां कर बैठते हैं, नहीं तो वे श्रयवित्र शरीर को विशुद्ध कभी नहीं कहते। शरीरकं विषय में यह हर कोई जानता हैं:—

''पलरुधिर राध्र मल थेली, कीकस बसादि ने मैली। नव द्वार बहें घिनकारी, श्रस देह करें किम यारी॥''

ऐसी श्रपिवत्र देह को जो विशुद्ध बतलाते हैं, उनकी बुद्धि पर इंसी श्राती है। उनकी श्रांखों व बुद्धि की तीब्रता पर पाठक जुरा विचार तो करें ?

५. "स्त्री" "पुरुष" में भोज्य भोजक सम्बन्ध नहीं है।

हमारं विरोधी मित्र यह आक्षय भी करते हैं कि जिस प्रकार एक मनुष्य अनेक थालियों में भोजन कर सकता है, लेकिन एक धाली में कई पुरुष भोजन नहीं कर सकते, उसी प्रकार एक पुरुष श्रनेक स्त्रियों का सेवन कर सकता है, लेकिन श्रनेक पुरुष एक स्त्री का संवन नहीं कर सकते क्योंकि स्त्री पुरुष में भोज्य भोजक सम्बन्ध है।

भाग के काम में स्त्री पुरुष दोनों को सुख होता है, यदि उनमें उपराक्त सम्बन्ध होता तो स्त्री (भोज्य नको सुख नहीं होना चाहियं था. श्रर्थात् पुरुष भोजक) को ही सुख होना चाहियं था, लेकिन यहां स्त्री पुरुष दोनों को सुख होता है। इसलियं माल्म हुआ कि स्त्री पुरुष में भोज्य भोजक सम्बन्ध नहीं है।

हमें इस बात का श्रत्यन्त खंद है कि हमारे विरोधी मित्र इतनी सरल बातों में. जिनमें युक्ति व प्रमाण की श्रावश्यकता ही नहीं है गलती कर जाते हैं खेर ''ं!

यदि 'दुर्जनतीप न्याय' सं स्त्री पुरुष में भाज्य भाजक सम्बन्ध मान भी लिया जाय तब भी ''विधवा विवाह'' में इसमें कोई विरोध नहीं श्राता । क्यों कि जिस शकार थाली को मांभ धोकर साफ कर लिया जाता है। श्रीर उसमें दूसरा पुरुष भाजन कर सकता है, उसी प्रकार 'मासिक-धर्भ' के बाद स्त्री दूसरे पुरुष के काम में लाई जा सकती है।''

६. ञ्रद्भुत न्याय!

हमारं विरोधी मित्र विध्याश्चों के विवाह का तो खूब विरोध करते हैं, परन्तु विधुरों के विवाह का समर्थन करते हैं । घाह ! बाह !! क्या श्रच्छा न्याय है ।

जब कि पुरुष पित रखते हुयं भी दूसरी पित बना लेता है. तो विधवा.पित न रहते हुयं भी दूसरा पित क्यों नहीं बना सकती समभ में नहीं त्राता कि विधुरों का विवाह तो हो जाय। परन्तु विधवाका न हो! विधुरों को यह रियायत क्यों ? स्त्रियों के लिये तो पुरुषों में भी जियादा रियायत होनी चाहिये क्योंकि स्त्रियों में पुरुष की अपेक्षा काम की तीव्रता कई गुनी होती है।

जब हम देखते हैं कि ''विथवा विवाह'' के विरोधी विधुर हो जाने पर बुढ़ापे में भी अपना दूसरा विवाह कर लेते हैं, परन्तु बाल व युवान विधवाओं का विवाह नहीं होने देते हैं तो हमें उनकी इस करतृत पर बहुत कोध आता है और दिल में आता है कि ''''''।'

वर्तमान श्रवस्था में ''विश्ववाविवाह'' 'श्रत्यन्त' से श्रिधिक ग्रावश्यक है हमारे रूढ़ि प्रेमी मित्रों की छुवा (?) से बाल विवाह, बुद्ध विवाह श्रीर श्रनमेल विवाह श्रादि श्रनंक कुप्रधाश्रों ने श्रव्हा जमा रक्खा है जिसके कारण श्राज समाज में हजारों की संख्या में विश्ववाएँ पाई जाती है उनका जीवन भी उनकी द्या (?) में द्यनीय वन रहा है।

बहुत मं मित्र यह कहते है कि ''कुप्रथाश्रों में विधवाएँ यनती हैं, इसलिये सबमें पहिलं इन कुप्रथाश्रों को रोकना चाहिये. जब कुप्रथाएँ नष्ट हो जायेंगी, तब विधवाएँ भी न बनेंगी। इसलिये ''विधवा विवाह'' के प्रचार को बन्द रखकर इन कुप्रथाश्रों को नष्ट करने में श्रपनी शक्ति लगानी चाहिये।"

यदि मान लीजियं कि इन कुप्रधाओं का आज ही अभाव हां जाय तां वर्तमान समय हजारों विधवाओं को उससं क्या लाभ होगा। उनका जीवन तो संकट मय ही रहेगा उनका जीवन जभी सुखी बन सकता है जब कि उनका विवाह किया जाय। इसलियं कुप्रधाओं को बन्द करने के साथ ''विधवाविवाह'' प्रचार भी आवश्यक ठहरता है। कुप्रधाक्रो का सर्वदा श्रभाव होने जाने पर भी विधवाएँ बन्द नहीं हो मकती—चाहं वह श्ररण संख्या में ही बनें—इस लिये उन विधवाश्रों के विवाह की भी श्रावश्यता रहेगी श्रतः ''विधवाविवाह'' का प्रचार किस तरह बन्द किया जासकता है।

कुप्रधात्रों को रोकनं के साथ साथ ''विधवाविवाह'' का प्रचार भी ऋत्यन्त ऋावश्यक है. क्यों कि कुप्रधात्रों के बन्द होने से विधवाएँ बहुत थोड़ी बनेगी और विधवाविवाह से उनका जीवन सुखी बन सकेगा।

उपरोक्त विवेचन में माल्म हुआ कि विना विध्वाविवह के कुप्रधाओं का अभाव भी अधिक लाभदायक नहीं हो सकता जो दाप विध्वाविवाह में अपहरण हो सकता है वह कुप्रधा ओं के अभाव में सर्वधा दूर नहीं हो सकता।

हम चाहते हैं कि तमाम कुप्रथाओं का शीध सर्वथा अभाव हो जाय, परन्तु मिश्रों! 'विधवाविवाहंं की आवश्य कता हर समय हैं। मंवर के साथ साथ निर्जरा न हो तो कैंस काम चल सकता हैं?

🟶 श्रंतिम निवेदन 🏶

श्रव में अपना लेख समाप्त करता हूं। मैंने यहां 'विधवा विवाह' की खास खास बातों पर संवेप में प्रकाश डाला है। श्राशा है कि बड़े र विद्वान इस विषय पर प्रकाश डाल कर साधारण समाज का भून दूर करेंगे। मैं समभता हूँ कि बुद्धिमान मनुष्य के लियं इतना ही लेख बहुत काफी होगा, क्योंकि बुद्धिमान के लियं इशारा ही काफी होता है। जैसा शंखसादी ने कहा भी हैं ''श्रद्धमादांश इशारा काफीस्त'' अर्थात—बुद्धिमान के लिये संकत काफी है।"

^{*} यह फारसी के बड़े उक्तम किव हो चुके हैं।

मैं अपने सित्रों से निवंदन करता हूँ कि आप अपने हृदय से इस मिथ्या वासना को कि "विधवा विवाह" धर्म . विरुष्य है, दर कर दीजियं । यदि आप निष्यक्त रीति से विचार करें तो आपको आपनी गलती ज्ञात हो जायगी। आपको चाहियं कि आप सत्य के कहने में निर्भय बनें। इस बात का भ्रम छोड़ दीजियं कि इसका फल क्या होगा? सत्य बात के लिय यदि जीवन भी न्यांछावर हो जाय तो भी कुछ चिन्ता मत करो । सच्चा वीर वही होता है जो सत्य बात के कहने में कुछ भी नहीं भय खाता। यदि उसको सत्य बात पर जान भी देनी पड़े, तो वह बीरता में हंसते हुए जान पर खंला जाता है। सच्ची बात के कहने में डरना या संकोच करना महा पाप है। जो मनष्य हठ पर्वक अपनी भठी बात पर जमा रहता है और सत्य को प्रहण नहीं करता, वही नीच है। आपको मिथ्यात्व छोड़ कर सम्यक्तव की छोर श्राना चाहिये. क्योंकि यही हित का मार्ग हैं। भूजी बात पर इटं रहना बुद्धिमानी नहीं है। "धम इबा" "धम इबा" की आवाज लगा कर व्यर्थ ही अपनी जिल्हा को न थकाइयं। धर्म न तो रुढियों में है. न रक्त मांस में, न इडडी में, न कोरी 'श्रहा—ह ह' में, न कोरी 'धर्म हुवा २' में, वह आत्मा में है। पेट के लियं दोंग बना कर श्रपनी श्रात्मा का घात न कीजियं सुधारकों को बुरा कह २ कर साधारण समाज को घांक में न डालियं। विधवा-श्रों पर श्रत्याचार करना छोड़ दीजियं उनका विवाह करने में ही उनका जीवन सुखी वन सकता है श्रीर व व्यक्तिचार सं बच सकती हैं, इसलियं आए "विधवा विवाह" का विरोध छोड़ कर इसके प्रचार में जुट कर अपनी सत्यता, वीरता, निभयता तथा मनुष्यता का प्रमाण दीजियं। स्त्रियों पर श्रत्याः चार करना महाश्रमध है, विधवाश्रों में जबरदस्ती वैधव्य पलवाना महा श्रत्याचार है। यह महा श्रत्याचार सती प्रधा

से बढ़कर पाप है: क्योंकि सती प्रधा में स्त्री को थोड़े समय ही जलना पड़ता है, परन्तु बैधव्य से उन्हें जीवन भर जलना पड़ता है। प्रिय सित्रों ! कढ़ियों' के लिये 'सत्य' का गला मत बीटो, किन्तु 'सत्य' के लिये 'ठिट्यों' का गला घींट डालो।

मैं समस्त जैन समाज से भी निवेदन करूँगा कि वह 'विधवा विवाह' के प्रचार के विश्वा विवाह' के प्रचार के विश्वा विवाह' के प्रचार के विना जैनियों की उन्नति ग्रसम्भव हैं जैन समाज ''विधवाविवाह' से गहुत दूर है यही कारण है कि संसार की श्रन्य समस्त जातियों में यह सब से गिरी हुई जाति गिनी जाती है। जैनसमाज को ''विधवा विवाह'' के प्रकाश की श्रत्यन्त श्रावश्यकता है ताकि वह इसके प्रचार में जुट कर श्रपने को उन्नत बनाय, श्रतः विद्वानों को चाहिये कि वे इस पर प्रकाश हालें।

श्राशा है कि पाठकगण इस लंख पर ठंडं दिल से निष्णः विचार करने का कष्ट उठायेंगं श्रीर इस पर श्रापनी सम्मति अवश्य देंगे। जो महाशय मेरं लेख से सहमत न हों, वं इसके विख्द श्रवश्य लिखें। मैं उनके लेख पर शान्ति से विचार करूँगा, क्योंकि मेरा श्राशय किसी बात पर हठ पूर्वक जमा रहना नहीं है। मेरी नीति तो यह है:—

न पर खराडन से कुछ मतलब न मराडन मुद्दशा अपना। सतासत निर्णय करते हैं, कराये जिसका जी चाहे ॥



धन्यवाद

इस ट्रैक्ट के छवबान में निम्न लिखित महानुभावों ने सहायता प्रदान की है, जिनको सभा हार्दिक धन्यवाद देती हैं और साथ ही समाज के अन्य स्त्री पुरुषों से निवदन करती हैं कि वे भी निम्न श्रीमानों का अनुकरण करके अपनी दुखिया वहिनों पर तरस खाकर इसी प्रकार सहायता प्रदान करने की उदारना दिखायें:—

- १०) लाला विशम्बरदास बजाज जैन जगाधरी
- प्र) लाला जुगलिकशांग जैन बहादरगढ़
- ८) गुनदान अमगेहा
- २. लाला मूलचन्द श्रमगंहा
- २) लाला रघुर्वार सरण अभरोहा
- २ लाला मंगतराम जैन स्यादवादी दंहली।



⁴³⁽⁾

🕸 अन्य उपयोगी और क्रांतिकारी पुस्तकें 🏶

		•	
ર્	शिलायद शास्त्रीय उदाहरगा-लेखक श्रीम	गन	मृल्य
	पंग्टित जुगलकिशार जी मुस्तार)11
ર	विवाह नेत्र प्रकाश	• •	1=)
3	जैन जातिम्बदशा प्रवत्तेक उ० श्री० बावृ स्	रजभान	र्जा 🔿
ક	मगला दर्वी	# *)
y	क्वाम की दृदेशा ,,	* 1	#
E	गृहस्थ धर्म,	••	3 14
ئ	विधवाविवार श्राग उनक सरनारी से श्र	पी ल	
	लेखक—य० श्रीतल प्रसाद जें	रे)41
Œ.	उत्तर पाण बटमाण लेखक द्यावाध्याप्रसाह	र गोयम	शिय -
*	श्चवतात्रा व श्रांस्	1 7	1
; ₁ ,	पुर्तलग्न मीमांसा लज्बाव् नीलानाथ मुख्ता	र नुलन्त	श्चिष्टर 🏨
۶۲	करयाद बचगान उर्द, .,		111
ج.~	विधवः विधान समाधान लखन सञ्चनान	र्ग)#
53	ॅतन प्रमे आग विचवा विचाह । पहिला भ	।[ग	-,1
દ્વ	जैन धर्म श्रार विधवा विचार । दूसरा भ	(11	=)
14	सुधार संगीत माला २० पं० पृरामल मुः	गरफ जे	पुर ॥
ş ÷	त्याग मामाना २०५० ई।ण्यन्द जी वर्णा	·	- }
٤	प्रार्थना स्त्रात चन पारणाला वे विद्याधि	र्था तथा	इन्या
	पाटशानः क हिनार्थ		il
ζ	्यत्या विवाह प्रकाश ए० रघुवीरशरण :	नेन श्रम	कोहर ।
	मिलने का पना—		
न	हिर्गमल जैन मर्गफ दरीवा क	लां त	हिली।

विधवात्रों त्रोर उनके संरक्षकों से त्रपील।

लेखक---

जैनधर्मभूषण धर्मदिवाकर ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी

प्रकाशक--

जैन बाल-विधवा विवाह सहायक सभा दरीवा कलां देहली।

संवत् १६८५

मुद्रक--गयादत्त प्रेस, क्लोथ मारकेट देहली ।

मेरे दो शब्द

प्रिय पाठकगण ! सब स प्रथम अपनी विधवा बहिनों की पुकार सुनिये और फिर हृद्य पर हाग रखकर बिचारिये कि क्या कभी आपने उनकी आहीं का नोटिस लिया? नहीं, कदापि नहीं, हाय शोक ! महाशोक !! देखिये वह अपने भाइयों से क्या प्रार्थना करती हैं —

किस काम की जिन्हगी तुरहारी। रदा न हुई अगर हमारी॥ ताखार का बक्त अब नहीं है। कोटा सा जिगर में जागुजी है॥

में अपने को बड़ा ही भाग्यवान समस्ता है कि जैन धर्ममृग्ण धर्मिद्वाकर ब्रह्मचारी शीतलप्रभादजी ने मेरे श्रन्धकार
कर्ण परहे को हरा कर सुमार्ग पर लगाया। में इस विधवाविवाह के श्रित विषरात था धीर मैंने इसके वा 'जैन ला' के
खिलाफ हिन्दा 'जैन गज़र' में लेख भी दिये, परन्तु सर्थागवश
हमारे श्रार्थानाइजिंग इन्सपैक्टर श्रामान् चाव बलवतराय जैन
का एक ब्रह्मणी विधवा से विवाह निश्चित हुआ, उसमें मुक्ते
शामिल होने का सीमाग्य प्राप्त हुआ उस समय पूज्य ब्रह्मचारा
जो से कुछ देर शका समाधान हान पर मेरा भूम दूर हागया
और मैंने समय,काल श्रार व्यवस्था का देखकर यह प्रण किया
कि जैन जाति का उद्धार तभी हो सकता है जबिक विधवा
बहिनों की करणा नाद के सामन मस्तक भुकाया जाय श्रीर
जैन शाक्ष्मोक्तानुसार उनका शुभिववाह कराते हुये जैन जाति
का उत्थान कियाजाय श्रीर चौधरी चौकड़ायनों के फर्ट श्रीर
भय से जैन जाति के सच्चे सप्तों को बचाया जाय।

में अधिक न लिखते हुए १०० स्त्री महावीर भगवान के दरबार में प्रार्थना करता हूं कि वह मेरे नवयुवक भाइयों की ऐसी सुबुद्धि प्रदान करें जिससे कि वह छाती ठीक कर मेदान में आए और इस शुभकार्य में हमारा हाथ बटार्य कि जिस प्रकार हम जैतजाति की भंबरे में पड़ी नय्या का पार लेजाएं।

ज्योतिषमार्तग्ड(पं०)शीतसप्रसाद जैन, F.A A, रिवाड़ी।

विधवात्रों श्रीर उनके संरत्तकों से श्रपील

इकीम करोड़ की हिन्द जाति की आवादी में जब २ दो करोड़ से अधिक विधवार्ष हैं तब ११॥ साहै ग्यारह लाख की जैन संख्या में १॥ लाख विधवाएं हैं जब कि बिधुर मात्र ६१ हजार है। परन्तु कुमारे पुरुष २ लाख हे और कुमारी स्त्रियां १८५००० अर्थात दो लाख से कम हैं। जो जैन समाज को मरने से बचाना चाहते हे उनको सत १६२१ की जैन मर्दुम शुमारी की रिपोर्ट को भन्नो प्रकार पढ डाल्ना चाहिये। उससे साफ विदित हो जायगा कि जैन लोग जो =००० आठ हजार प्रति वर्ष घट रहे हैं इसका बड़ा भारी कारण यह है कि जैन जाति में कुमारियों की संख्या कम होने पर भी उनका विदाह कुमारों और विधरों से करना होता है। पुरुषों का सभन्त होने से वह जिस तरह बनता है एक दुरे विवाह के पीछे स्त्री के मग्ने पर दूसरी दुके कुमारी कन्या को विवाह लोगे हैं। यदि कदाचित् यहस्त्री भी मर् गई तो नीसरी दक्षे किर अपनी पुत्री व पोती के समान किसी कुमारी को ज्याह लेते हैं। किसी २ पुरुष को जीवन में ६ या ७ दफ़े कुमारी को विवाहने का पसंग आजाता है। इस प्रकारकी व्यवस्था का कडुवा फल यह होता है कि बहुतमी जवान विधवार्ये जो बड़ी उमुके पुरुषों को विवाह टी जाती हैं अपने पतिके मरने पर

बिना किसी संतान को पैटा किये हुये बेकाम विधवायें रहकर अपना जिस तिस प्रकार जन्म काटती है। समाज में वाल विवाहों की भी कमी नहीं है। निदान १५-१६ वर्ष के बालक ११या१२ वर्षकी कन्यामे विवाह दिये जाने हैं। देवयांग से यदि यह वालक मर जाना है नो ये बाल विधवायें भी बेकार अपनी हिन्दगी विदानी है । ये भी विना संतानके पेटा किये हुये मर जाता है । उधर कुमारी कन्यार्ण योंही कम है तिस पर उत्तमें से बहुत भी कन्यायों को बिबुर पुरुष बिबाह लेते हैं। कुमारो की सख्या भी अधिक है इसलिये अधिक कुमारे विन विताहे तथा विना किसी सतान को पैदा किये। हुए मर जाते हैं। सन १८२१की स्पिट बनानी है कि २० वर्ष से ७० वप व उत्पर तक के कुमारे ६२२७६ है। जिस जानि में ७० हजार कुणरे विन विवाह रह जावें उस जाति की संतानें अवस्य कम होंगी इसमें कोई संदेह नहीं बद्धिमान जैन भाई तथा बहिन बिचार सकते हैं कि जैन समाज की संख्या को स्थिर रखने वाला समाज के वालक व वालिकायें है। जब इनकी उत्पत्ति कम होगी तव अवश्य संख्या घटेगी जो बरी दशा मर्दम शमारी की रिपोर से भत्तकती है वही बरी दशा पत्यत्त जैनियों की आबादी को देखने से भलकती हैं। हम जब अपने भगण में किसी स्थान की दशा को जांचने लगते हैं तो मालूम होता है कि जहां आज ५० वर हैं वहां २०व२५ वर्ष पीछे २५ वर रह जांयगे क्योंकि ये सब ५० घर जोड़ेवाले नहीं हैं इनमें कितने वरोंमें मात्र कुमारे व विधुर पुरुष हैं व कितने वरों में मात्र विधवाएं ही है।

किसी भी समाज के जीवन को स्थिर रखने के लिये पुरुषों का विवाहित होकर संतान जन्म देना अति श्य त्रावश्यक्त हैं । तव जैन समाज में इस स्थावश्यकता को कैने पृराकिया जावे । इसका उपाय यही समभ में त्र्याता है कुरारी कन्यायें कुमारों ही को व्याही जावें एंसा पक्ता नियम किया जार्च । किर भी यदि अविवाहित कुमारे रहे तो उनको उनकी उम से छोटी बाल विधवाएँ व युवर्ता विश्ववारं विवाही जावें । तथा वे पुरुष जिनको द्वारा तिवारा या चौत्रारा विवाह करना हो वे अपनी उम से कुछ छोटी विधवात्रों को ही विवाहें । समाज में इस ब्यवस्था को जारी करने से विना संतान पैटा किये वहुत कम पुरुष व स्त्रियें मरेंगी। इस व्यवस्था के लिये यह अति आवश्यक है कि विधवाएँ अपने जीवन को सरुल करें। विश्ववात्रों को अपना जीवन न्याय मार्गी वताना चाहिये उनको कभी भी व्यभिचार व गुप्त पाप में नहीं फंसना चाहिये । यह त्यामचार मनुष्य हत्या ऋदि ब्राद् बोर अनथों का कारण है। यदि उनको इस लोक में मटाचार मय जीवन विताना है र्ख्योर परलोक में

खोटी गित में नहीं जाना है तो उनको ध्यभिचार के पाप से अपने को हर तरह बचाना चाहिये ! इस पाप से बचने का उपाय यही है कि वे बसचर्य ब्रत के मतलब को अध्यी तरह समभ लेवें।

ब्रयचर्य वृत दो तरह से पाला जाता है एक पूर्ण या सर्व देश दूसरे अपूर्ण या एक देश । पूर्ण व्ययचर्य में पुष्प को मन वचन कायसे सर्व स्त्री मात्र का व सर्व प्रकार काम भाव का त्याग होता है इसी तरह स्त्री को मन वचन काय से सर्व पुष्प मात्र का व सर्व प्रकार काम भाव का त्याग होता है। अपूर्ण व एक देश ब्रयचर्य में पुष्प किस स्त्री को समात्र व नीतिके अनुसार विवाह ले उस स्त्री के सिशाय उसके स्त्र अविवाहित व विवाहित स्त्रियों का त्याग होता है इसी तरह स्त्री जिस पुष्प को समाज व नीति के अनुसार विवाहले उस पुष्प के स्विवाय उसे अन्य विवाहित व अविवाहित पुष्पीका त्याग होता ह

स्त्री वियोगी पुरुष को अथान विदुर को अपने भावों को व अपनी शरीर की शिक्त को देखना चाहिये कि इन दो पकार के ब्रमचर्य में से वह किस को पालने की शिक्त रखना है। यदि वह पूर्ण ब्रमचर्य पाल सके नो उसे ब्रमचारी रहकर स्वपर कल्याण करने हुये मानव जन्म को सफल करना चाहिये। यदि वह विश्वर अपनी शिक्त पूर्ण ब्रमचर्य पालने की न देवे तो उसे अपूर्ण या एक देश ब्रग्नचर्य पालना चाहिये और तब उसको किसी योग्य स्त्री से विवाह करके ग्रही जीवन संतोप से विताना चाहियं—वेश्या व पर स्त्री संवन आदि अनेक प्रकार व्यभिचारोंसे अपने को इस तरह वचाना चाहिये।

इसी तरह पुरुष वियोगी स्त्री को अर्थान् विधवा को अपने भावों की व अपनी शरीर की शक्ति को देखना चाहिये कि इन दो प्रकार के ब्रह्मचर्या में वह किस को पालने की शक्ति रखनी है। यदि वह पूर्ण ब्रह्मचर्य पाल सके तो उसको ब्रह्मचारिणी रहकर स्वपर कल्याण करना चाहिये और अपने मानव जन्म को भले प्रकार सफल करना चाहिये। यदि वह विधवा अपनी शक्ति पूर्ण ब्रह्मचर्य पालने की न देखे तो उसे पुरुषकी तरह अपूर्ण या एकदेश ब्रह्मचर्य पालना चाहिये और तव उस विधवा को उन्ति है कि वह किसी योग्य पुरुषके विचाह सम्बन्ध करके ग्रदी जीवन संताप से विनाव, संतानों को जन्म दे और उन्हें पाले।

माधारण जैन भाइयों ने यह श्रम बना एक्खा है कि विधवा को पुनर्बिवाह करने का हक नहीं है। हम जहां तक जैन शास्त्र, नीति व तर्क को समभते हैं उससे हम कह सक्ते हैं कि यह मानना कि विधवा को पुनर्विवाह का अधिकार नहीं है किसी भी सुतके से सिद्ध नहीं हो सकता है। जो हेत् एक विधुर को पुनर्विवाह करने में है वहीं हेतु एक विधवा को पूनविवाह करने में है दोनों की अप्रतरंग की कामवासता व शागीरिक स्थिति द्वितीय विवाह करने की पेरणा करती है। यदि विधवाओं में कदाचित किसी कारण से रजस्वला होना बंद हो जाता श्रीर उन में काम वामना ही न रहती तब तो ऐसा कहा जा सका था कि जिन कारणों से प्रेरित होकर एक विधुर को पुनर्विवाह करना पड्ता है वे कारण विधवास नहीं पाए जाते इसिलये उनका विवाह करना निरथक है परन्तु ऐसा नहीं है दोनों स्त्री अोर पुरुषों में समान कारण है तब जैसे विशुर को पुनर्विवाह करने का हक है वैसे एक विथवा को पुनर्विवाह कम्ने का हक है। यह विश्वा विवाह न व्यक्तिचार है न अन्याय है फिन्त नीति पूर्ण विवाह सम्बन्ध तथा न्याय युक्त मार्ग है। इसमें श्राविका के ब्रद्मचर्य अणुब्रत में अर्थात एक देश ब्रद्मचर्य पालने के प्रसा में कोई वाधा नहीं आती है।

वहुत से पुरुष युवक इस सच्चे सिद्धांत को सबक्त गए हैं आँग इस लिये विश्वाओं से लग्न करने की तथ्यार हैं—इस संबन्ध में उनके पत्र नित्य ही विधवा विवाह सहायक सभाओं के मंत्रियों के पास आया करते हे परंतु बाल व युवान विधवाओं की समक्त में अभी तक यह सच्चा सिद्धांत नहीं बैठा है। वे विचारी भोली विधवाएं व्यक्तिचार को पुनर्विवाह से बहुत बुग समक्तती हैं और मन में चाहती भी हैं कि यदि ब्रह्मचर्य नहीं पलता है तो पुनविवाह कर डालें परन्तु समाज की लाज के भय से या संग्चकों के भय से अपना भाव प्रगट करने से हिचकिचाती हैं।

यह हिचकिचाना उनके जीवनका नाशक होरहा है इधर लज्जा वश वे पुनर्विवाह को तथ्यार नहीं होतीं हैं ज्यर काम भाव की बेरणा वरा गव्त पाप में फंस जाती है अं। र अपना उभय लोक का जीवन विगाड़ लोती है इमिलिये हम उन असमर्थ वाल व युवान विधवास्रों से कहेंगे कि वे अपने को अधम से बचावें या तो वे पूर्ण ब्रह्मचर्य पाले या पुनिर्विवाह करके एक देश या श्रपूर्ण ब्रह्मचर्य पालें । त्यमनी में फंसकर श्र<mark>पना श्रम्ल्य</mark> जीवन न नष्ट करें । हमारी अपील इन भोली भाली विधवात्रों के सम्चकों से भी है—चाहे वे उनके माता पिता हों, भाई वहिन हों या सास श्वसूर जेठ देवर हों व अन्य कोई सबन्धी हों कि वे विधवाओं को यह सज्जा मिद्धांत समकावें —पर्गा ब्रह्मचर्य पालने के भाव *हों* तो श्राविकाश्रवीं में भेजें या वैराग्यके सामानों में रक्खें नहीं तो उनको पनिवेबाह कराने में तथ्यार करके उनके जीवन को ग्रही जीवन बनवादें जिस से व्यक्तिचार आदि पार्वों से बचें 🖟

यदि विधवाओं ने ऑग उनके संरत्तकों ने ध्यान

न दिया तो जो खगिबयां जैन समाज में हैं ने कभी
भी दूर न होंगी—असदाचार, गुष्त पाप बहुता जायगा
और समाज की संख्या घटती जायगी और यदि उन्होंने
इस सच्चे सिद्धांत पर ध्यान दिया तो कुमारों का, विधुगें
का तथा विधवाओं का इन सब का जीवन संतोप रूप हो
जायगा- सन्तानों की विशेष उत्पत्ति होगी, समाज की
घटी अवश्य दृग्होगी और जैन समाज मरने से बचेगी
क्योंकि धर्म धर्मात्मा के आश्रय रहता है इससे यदि
समाज जीता रहेगा तो धर्म भी देखने में आयगा।

इसिल्यं जैन धर्म की स्थित और जैन समाज की रक्षा के लिये विधवाओं को अपना भला या बुरा स्वयं विचारना चाहियं और उनके संरक्षकों को श्रम द्र करके उनके जीवन को संतोषी व आर्त्यान रहित बनाना चाहियं की समाज विद्या के विना अपने हकों को बिलकुल भूल बैठी हैं। उसको पराधीनता की बेड़ी ने बिलकुल गुलाम सा बना दिया है। उनकी दशा उन पिचयों के अनुसार हैं जिनको पिजरों में बहुत काल बन्द रक्या जावे— पीछे यदि छोड़ा भी जावे तो वे फिर पिजरे में बन्द होने को आजाते हैं। इसी तरह स्वियों को गुलामी में रहने की आदत पड़ गई है वे इस आदत को छोड़ नहीं सकती है यही उनको आपित्यों में पड़ने का कारण है। हम यहां स्वी समाज को उसके कर्तव्य बताते हैं:—

- (१) पहिला कर्नट्य तो यह है कि खूब विद्या पहें,
 शरीर से परिश्रम करना सीखें. घर के काम बड़ी खुशी
 में करें, श्राटा पीसने की, भाडू देनेकी, श्रव चुगने की,
 मफाई रखने की, पानी भरने की, रसोई बनाने की,
 कपड़ों को साफ रखने की, श्रादतें बनालें। प्यार से
 मीठे वचन बोलने की श्रादत डालें। विद्या पढ़ती हुई
 श्रपने चरित्र पर पूरा ध्यान रक्खें। जो कन्या चरित्र पर
 पूरा ध्यान नहीं देती है वह अच्छी गृहस्थ महिला नहीं
 वन सकती है एक कन्या को शुरू से ही नीचे लिखे
 श्राट पायों से अपना मन श्रलग रखना चाहिये।
- (१) जान वृक्षकर किसी मनुष्य को या पशु पत्ती को सताना न चाहिय न उसके प्राण लेना चाहिये, द्या थमें को पालना चाहिये काम काज करते हुये देखभाल करके करना चाहिये जितनी जीवों की रचा होगी उतना भला होगा। पानी सदा छानकर पीना पिलाना चाहिये, दयाभाव रखकर जो कोई भूखे गरीव अपाहन भाई व वहन हों उनको भोजन व वस्त्र देना चाहिये भूखे जानवरों को, पित्तयों को खिलाना चाहिये सब से पेम रखना चाहिये, रोगी आद्मियों की सेवा टहल करनी चाहिये परन्तु यदि कोई चोर बदमाश सतावे तब उस पर दया न करनी चाहिये उसको मार भगाना चाहिये और अपने जान माल को व अपने शील को वचाना चाहिये इसलिये

कन्याओं को कुछ कसरत भी सीख लेनी चाहिये, लाठी आदि चलाना भी जान लेना चाहिये जिससे संकट पड़ने पर अपनी चाहिये।

- (२) मत्य वचन मदा बोलना चाहिये, ऐसा वचन नहीं कहना चाहिये जिससे दूसरे का नुकसान हो जावे। पर को बुरा करने वाला सत्य वचन भी भूठ है । कड़वा बचन, पर की निन्दा का बचन, गाती गलोज का वचन, कठोर बचन, यह सब भूठ है न्स्री की मुख की शोभा सत्य हितकारी बचनों से है भूठ बोलना महापाप समभाना चाहिये। सत्य बादीकों कोई भय नहीं रहता है। कन्यायों को भीठे बचनों के द्वारा अपने चर बालों को अपने चरा करलेना चाहिये। मीठा हितकारी बचन तो जगत भरही वश कर सकता है।
- (३) कत्यायों को कभी भी चोरी करने की आदत न डालना चाहिये। यर में खाने पीने की सब चीज़ों को माना पिना से पूछ कर लेना चाहिये चुराकर एक लटडू भी खाया जायगा तो आदत बुरी हो जायगी। मांगकर लेना अच्छा है परन्तु चोरी करना अच्छा नहीं है चोरी से जगत में विश्वास उठ जाता है।
- (४) कन्यायों को शीलवन की महिमा सीखनी चाहिये जहां तक विवाह न हो बहनों को पुरा ब्रह्मचर्य

मन लगाकर पालना चाहिये। अपने मन में कभी भी किसी दूसरे पुरुप से मिलने का बुराभाव न लाना चाहिये न आपम में विवाह शादी की चर्चा लाना चाहिये, न म्योटे गीत गाना चाहियं, न उन स्त्रियों की संगत करनी चाहिये जो बुरे चारित्र वाली हैं। कभी लड़कों से व लड़िकयों से ऋापस में हंसी मश्करी न करनी चाहिये शील धर्म बड़ा धर्म है। को स्त्री शील विगाड़ देती है उसका पाप छिपता नहां है। वह यहां भी अपना जन्म नारा करता है और परलोक के लिये नरकादि गति बांध लेती है जग में अपयग पाती है। कन्या को उचित है जब तक बिदार न हो विद्या पहने में मन लुगावे ब्रब्धचर्य पाले, ब्रभवर्षारणी रहे. पान न स्वावे, खाट पर न सोवे, श्रुत्मारित कपड़े न पहने सादमी से रहे, गहनों का शौक न करे. मेरे तमाशों में न जावे, कहानी किस्से न पहे, बाजार की चाट न खावे, शुद्ध घर का भोजन दो दके संतोष से करले । मन ऋपना विद्यालाभ व धर्म में लगावे रोज भगवान का ध्यान करे, पूजन करे, शास्त्र पडे, गुरू महाराज वा कई स्त्रियों के साथ दर्शन करे, उनका उपदेश मुने, उनको भक्ति पूर्वक दान देवे नियम आखड़ी लेने रहे. सर्वेरे व शाम को थोड़ी देर अलग बेठ करके सामायिक ध्यान करती रहे। जहां तक हो दिन में खावे जो कन्या धर्म में चिन रक्खेगी. सतसंगति में रहेगी वही

ब्रह्मचर्यको पाल सकेगी। ब्रह्मचर्यही से कन्या का शरीर दृढ़ बनता है।

- (५) पिग्रह की ज्यादा लालसा न ग्वनी चाहिये घर में जो संतोप से भिले उसे खाकर व पहन कर मनको त्रानन्ट में स्वय्वे ।
- (६) कभी मांस को न खावे, वह डाक्टरी द्वा भी न खावे जिन में मांस का मेल हो। सड़ी बुर्सा वासी चीज खाने से भी मांस का टांप लगता है उससे भी जहां तक हो वचे।
- (७) नशा न पीये, कन्या को चाहिय कि कभी भूल कर भी शराव न पीये, भांग न पीये, कोकेत न खाये। नशा पागल बना देता है नशे की ब्राटत से पाणी नशे-बाज़ बन जाता है जिन डाक्टरी दवाब्रों में शराय पड़ी हो उनको भी न खाये।
- (८) मधुन खावे मधुमित्ख्यों को कष्ट देकर व उनके बचों को मारकर व निचोड़ कर आता है व मांस के समान उसमें कीड़े पैटा होने है व मरते हैं।

इन आठ वार्तों का पालन भज्ञे प्रकार करती रहें जब तक विद्या पढ़ें और विवाह न होवे ।

(२) दुसरा कर्तव्य यह है कि १६वां वर्ष जब शुरू हो तब अपना विवाह कराने का बिचार करें १६ वर्ष से पहले विवाह न करावें माता पिता को समकादें कि जन्दी हम विवाह न करेंगे। तथा जिसके साथ माता पिता ने विवाह ठीक किया हो उस पुरुप को भी समक्त लों कि वह २०वर्ष के अनुमान है या नहीं, कहीं छोटा तो नहीं है या बूढ़ा तो नहीं है जवान सदाचारी कमाऊ वर के साथ विवाह करें-यदि वर पसंद नहीं हो तो तुरन्त माता पिता को मना करदें यदि न माने तो ज़िट करें तथा परोपकारी भाई हों उनको अपने मनका दुःख कहकर उनकी मटट से अनमेल विवाह को रोकें आज कल लोभी माता पिता पैसे के लोभ से बूढ़े व निर्वल पुरुप के साथ विवाह पक्का कर देते है इस जुल्म को न होने दें। यदि माता पिता न मानें तो पुलिस में स्ववर देकर या मिनस्टेट को लिखकर इस अन्याय से वचें।

- (३) तीमरा कर्तव्य यह है कि विवाह हो जाने पर कभी भी परपुरुप की चाह न करें अपने पति की हर-तरह भीकि करें व योग्य सन्तान को पैदा करें सन्तान की अच्छी आदतें सिखावें। घर में सब से प्रेस रूक्खें किसी से कटोर बचन बोलकर लड़ाई क्रगड़ा न करें।
- (४) यदि संतान रहित हों आँर विश्वापना आँजाबे तब अपने मन को देखें कि सबे हृदय से ब्रह्मचर्य पार्त्तने की शक्ति हो तबतो पुनर्विवाह न करें परन्तु यदि मन वश में न हो तो कभी भी व्यभिचार में न पहें आँर खुशी से किसी सभा द्वारा पुनर्विवाह कराकर ग्रही धर्म में रहें।

(६) यदि कदाचित मंतान होने पर भी मन काबू में न आता हो तो समाज के विचारवान भाइयों से मलाह करके मंतान का योग्य प्रबंध करके किर पुनर्विवाह करें परन्त व्यभिचार के नरक में कभी न पड़ें।

प्यारी बहनो — तुम्हारे हित के लिये उत्पर की शिचा दी गई है उस पर निर्भय हो चलो, पाप से सदा बचो — यह बात अच्छी तरह याद रक्खों कि जैसे विधुर को पुनर्वियाह का अधिकार है बैसे ही विधवा को है। दोनों को आविकाचार में अयुव्रती कहते हैं। विधवा बिवाह अधर्म नहीं है इसे नीति व्यवहार समफों व्यभिचार महाअधर्म है उसमें अपने को कभी न डालो।

विधवाओं के संग्त्तकों को भी इस लेख पर पूरा ध्यान देकर विधवाओं के जीवन सुधारने चाहियें।

श्रावश्यक सूचना ।

दिल्ली में एक जैन बाल विश्ववा विवाह सहायक सभा स्थापित हुई है। वे सज्जन जां विश्ववा विवाह के सिद्धांत सं सहमत हो, जो सभा के मेम्बर होना चाहें या जिन्हें अपने लड़के या लड़की का ऐसा सम्बन्ध करना स्वीकार हो, वे नीचे लिखे पते पर पत्र व्यवहार करें: -

वोर सेवा मन्दिर पुम्तकालय